लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK-SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-15, सोमवार, 10 मार्च, 1969/19 फाल्गुन, 1890 (शक)
No 15—Monday, March 10, 1969/Phalguna 19, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
361	गुजरात का पैट्रो - रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex of Gujarat ... —	7–10
362	गुजरात का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Gujarat	10–11
363	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd. — ...	12–15
366	समान कार्य के लिये समान वेतन	Equal pay for equal work	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
364	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी	Need based minimum wage for Central Government Employees	17
365	टिहरी में भागीरथी नदी पर बांध का निर्माण	Construction of a Dam on Bhagirathi River in Tehri	17–18
367	कोतवाली चांदनी चौक, दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज को सौंपा जाना	Handing over of Kotwali Chandni Chowk, Delhi to Gurdwara Sisganj ... —	18–19
368	कृषि प्रयोग के लिये विद्युत की दरें	Electricity Rates for Agricultural Use	19
369	कलकत्ता की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating condition of Calcutta	19–20
370	वेतन में मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना	Merger of Dearness Allowance with pay ...	21

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

371 विदेशी विनियोजन	Foreign Investment ...	21–22
372 पूर्वी अफ्रीका के देशों से लौटे भारतीयों द्वारा विनियोजन	Investment by Indian Repatriates from East African Countries	22
373 राष्ट्रीय आय	National Income	22–23
374 टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की जीवन बीमा निगम द्वारा खरीद	L.I.C. Purchase of Shares of Tata Iron and Steel Co. Ltd	23
375 सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों को अशोधित तेल की बिक्री	Sale of Crude Oil to Public Sector Refineries ..	23–24
376 महाराष्ट्र में कोयना बांध	Konya Dam in Maharashtra	24–25
377 आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के मूल्य	Prices of Ayruvedic and Unani Medicines ...	25
378 'निरोध' को बैलून के रूप में बेचना	Selling of Nirodh as Balloons	25–26
379 बिहार तथा उड़ीसा की बाढ़ समस्याओं सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Flood Problems of Bihar and Orissa	26–27
380 स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों की अखिल भारतीय संस्था	All India Body of Experts on Indigenous Systems of Medicines	27
381 दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ	Central Government Health Scheme for Delhi Administration Employees	27–28
382 अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit Scheme	28
383 पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों के भत्ते	Allowances to P & T Employees Postedi n Hill Areas	28

ता.प्र.संख्या/ S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
384	बर्मा शैल द्वारा उर्वरक, कारखाने की स्थापना	Eatablishment of Fertilizers Factory by Burmah Shell ... —	28-29
385	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	Flood Control Programme	29
386	मिलावट के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिये दण्डात्मक उपाय	Punitive Measures to check increasing Adulteration — ...	29-30
387	संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन	Flats for Members of Parliament — ...	30
388	आयल इण्डिया लिमिटेड में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त करना	Majority Shares in Oil India Ltd.	30-31
389	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान	Residential Accommodation to Central Government Employees	31
390	मंहगाई भत्त को वेतन के साथ मिलाया जाना	Merger of Dearness Allowance with Pay ...	31-33
अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.			
2251	हृदय के रोगों के लिये भारतीय जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करना	Manufacture of Preparations from Indian Herbs for Heart Ailments ... —	33-34
2252	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme — ...	34
2253	उर्वरक कारखानों के लिये उत्प्रेरकों (कैटलिस्टों) की आवश्यकता	Requirement of Catalysts for Fertilizer Factories	34-36
2254	दिल्ली राज्य अध्यापक सहकारी भवन निर्माण समिति	Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society	36
2255	बरौनी में उर्वरक कारखाना	Fertilizers Plant at Barauni — ...	36-37

2256	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarters for Central Government Employees in Madhya Pradesh	37
2257	मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ	Minerals in Madhya Pradesh ...	37–38
2258	गंगा कबोडक परियोजना	Ganga Kabodak Project ...	38
2259	चण्डीगढ में सरकारी भवनों का किराया	Rent of Government Buildings in Chandigarh ...	38–39
2260	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये निधि	Funds for Family Planning Programme... ...	39–40
2261	उत्तरी बम्बई में निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी	Seizure of contraband textile Goods in North Bombay	40
2262	पंजाब में पानी का जमा हो जाना	Water Logging in Punjab	40–41
2263	कनाट प्लेस, नई दिल्ली को नया रूप देना	New Look to Connaught Place, New Delhi ...	41
2264	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	41–42
2265	बिहार में ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural Electrification in Bihar	42
2266	खगरिया सब डिवीजनल (बिहार) गंगा के साथ तटबन्ध का निर्माण	Construction of Embankment along Ganga in Khagaria Sub-division, Bihar ...	42–43
2267	मैसर्स भारत निधि लिमिटेड पर कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from M/s Bharat Nidhi Ltd....	43
2268	खगरिया सब डिवीजन (बिहार) में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in Khangaria Sub-division, Bihar	43–44
2269	वेतनक्रमों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales	44–45
2270	बलिया और आजमगढ़ में भूमि का कटाव	Soil Erosion at Ballia and Azamgarh	45

अता. प्र. संख्या/U.S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2271	भारतीयों द्वारा विदेशों में खोले गये खाते	Accounts maintained by Indians Abroad ...	45–46
2272	विदेशों को धन भेजना	Remittances Abroad — ...	46–48
2273	गुजरात के नगरों में वृहत योजना	Master Plans for Gujarat Towns ... —	48
2274	गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण योजना	Rural Electrification Scheme in Gujarat ...	48
2275	गुजरात में आवास योजना	Housing Scheme in Gujarat	48–49
2276	गुजरात में मकान बनाने सम्बन्धी सहकारी समितियां	Co-operative Housing Societies in Gujarat ...	49
2277	संसद सदस्यों का दिल्ली विकास प्राधिकार में प्रतिनिधान	Representation of M.Ps. on DDA	48–49
2278	एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियां	Allopathic and Ayurvedic Systems of Medicines	49-50
2279	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड	Cochin Refineries Ltd.	50
2280	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में अधिकारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Officers in Petroleum and Chemicals Ministry ... —	50–51
2281	1968 में बाढ़ के कारण क्षति	Lossdue to floods in 1968	51
2282	नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha — ...	51–52
2283	मुद्रा में जालसाजी करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International currency Racket	52
2284	सूरत में वापी के निकट निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of contaband goods near Vapi in Surat	52-53

2285	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts in Oil and Natural Gas Commission	53–55
2286	नई दिल्ली के शैक्षिक संसाधन केन्द्र (एजुकेशनल रिसोर्सिज सेंटर) द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by Education Resources Centre, New Delhi	55
2287	गुजरात के रसायन उद्योग के लिये प्राथमिक अनुसंधान एकक की स्थापना	Establishment of Pilot Research Units for Chemical Industries in Gujarat	55
2288	हृदय रोग पर चाय का प्रभाव	Impact of Tea on Heart Dieseases	55–56
2289	मध्य बम्बई में निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Contraband gold in Central Bombay	56
2290	पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कमी	Power Shortage in Punjab and Haryana ...	56–57
2291	सहायकों आशुलिपिकों/अनुवादकों के वेतनमान	Pay Scales of Assistants/Stenographers/Translators	57–58
2292	बिहार में तेनुघाट पतरातू परियोजनाएं	Tenughat and Patratu Projects in Bihar... ...	58–59
2293	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	59–60
2294	उत्पादन प्रशुल्क का पुनरीक्षण	Revision of Excise Tariffs	60
2295	उड़ीसा में सुनारों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना	Rehabilitation of Goldsmiths in Orissa	60–61
2296	गुजरात में धरोई सिंचाई परियोजना	Dharoi Irrigation Project in Gujarat	61
2297	श्रमजीवी लोगों में क्षयरोग का प्रकोप	Incidence of T.B. among Working People ...	62

2298 कैंसर की चिकित्सा के लिये अनुसंधान	Research for Cure of Cancer	62
2299 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते को पूरी तरह से निष्प्रभावी करना	Full Neutralization of Dearness Allowance of Central Government Employees	62-63
2300 उच्च मध्यम वर्ग के लिये मकान निर्माण योजना	Scheme for construction of Apartments for Upper Middle Class	63
2301 विदेशों के बैंकों में भारतीय लोगों के खाते	Accounts of Indians in Banks Abroad	63
2302 'पेट्रियट' तथा लिंक	Patriot and Link	64
2303 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Persons going to Pakistan	64-65
2304 दिल्ली की गन्दी बस्तियों में मकानों की मरम्मत	Repair of Houses in Slum Areas in Delhi ...	65
2305 पी. एल. 480 निधियां	P.L. 480 Funds	65-66
2306 उत्तर प्रदेश का बिक्री कर विभाग	Sales Tax Department of U.P.	66-67
2307 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में नहर के पानी की सप्लाई	Supply of Canal Water in District Basti U.P. ...	67
2308 केन्द्रीय करों की वसूली	Realisation of Central Taxes	67-68
2309 पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil and Petroleum Products ...	68
2310 बैंकों द्वारा वैयक्तिक ऋण की योजना पुनः चलाना	Scheme to Revive Personal Loans by Banks ...	69
2311 सौलवेंट का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of Solvent	69
2312 उत्तर प्रदेश में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता	Assistance for Drought Hit Areas of U.P. ...	69-70
2313 कलकत्ता में नगरीय विकास बैंक	Urban Development Bank at Calcutta	70

2314 आयकर के निर्धारण में समय का लगना	Time Taken in Assessment of Income-Tax —	70–71
2315 महाराष्ट्र तथा गोआ की सीमा पर तिलारी नदी पर बांध का निर्माण	Construction of Dam at Tilari River on Maharashtra and Goa Border	71–72
2316 दिल्ली में सिंचाई के लिये गन्दा पानी दिया जाना	Release of Dirty water for Irrigation purposes in Delhi .. —	72
2317 श्री जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम की आलोचना	Criticism by Shri Jagadguru Shankaracharya of Family Planning programme — —	72–73
2318 शेख अब्दुल्ला को उनकी पिछली बार जेल से रिहाई के बाद दिया गया बंगला	Bungalow alloted to Sheikh Abdullah after his last release from Jail — ..	73
2319 हरिहरपुर के निकट खिरोई नदी पर जल कपाटों का निर्माण	Construction of Sluice gates in Khiroi River near Hariharpur — ...	73–74
2320 कमला नदी पर तटबन्ध	Embankments on River Kamala ...	74
2321 बिहार में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Bihar	74
2322 अरब सागर के तल में तेल की खोज	Oil Exploration in Arabian Sea bed in Kerala...	75
2323 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centre in Uttar Pradesh ...	75
2324 उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Uttar Pradesh ..	76–77
2325 उत्तर प्रदेश में आय कर निर्धारण	Income Tax Assessments in U.P.	77–78
2326 आय कर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना	Writing off of income tax Arrears	78
2327 बेरोजगारी खनन इंजीनियर	Unemployed Mining Engineers ... —	79–80

अता. प्रश्न संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
2328 पश्चिम बंगाल में नये पेट्रोल पम्प	New Petrol Pumps in West Bengal	80
2329 न्यास	Trusts	80–81
2330 कलकत्ता के विकास के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Development of Calcutta	81–82
2331 ब्रिटेन में हरिदास मुन्दड़ा उद्योग समूह की आस्तियां	Assets of Shri Hari Das Mundhra's concerns in U.K. ...	82
2332 विश्व बैंक द्वारा लातीनी अमरीका के देशों में वित्त पोषित परियोजनायें	Projects financed by World Bank in Latin American countries ...	82–83
2333 केरल राज्य में नये अस्पताल	New Hospitals in Kerala State ...	83
2334 मद्रास तथा केरल के बीच जल सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद	Inter State Water dispute Between Madras and Kerala	83–84
2335 स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों के खाते	Indian accounts in Swiss Banks	84
2336 पारादीप उड़ीसा में उर्वरक कारखाना	Fertilizers Factory at Paradeep, Orissa	84–85
2337 परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारो को दिये गये धन का उचित उपयोग	Proper Utilisation of Funds given to State Governments for Family Planning Programme	85
2338 दरीबा तांबा परियोजना	Dariba Copper Project	86
2339 दरीबा तांबा परियोजना	Dariba Copper Project	86
2340 उत्तर प्रदेश में इंडेन गैस एजेंसियों का वितरण	Distribution of Indane Gas Agencies in Uttar Pradesh	87
2341 तांबे की मांग	Demand of Copper	87–88
2342 निगमित क्षेत्र का विकास	Growth of corporate Sector	88

2343 अल्प बचत योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि	Collections through small savings Scheme ..	89
2344 सार्वजनिक भविष्य निधि योजना	Public provident Fund Scheme ... –	89–90
2345 परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme – ...	90
2346 ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बन्धक बैंकों के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	LIC Investment in Rural Areas through Land Mortgage Banks	91
2347 मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Madhya Pradesh... ...	91–92
2348 ऋण गारटी योजना तथा हुंडी बाजार योजना	Credit Guarantee Scheme and Bill Market Scheme	92
2349 कुछ रोगों के बारे में अनुसंधान योजनाएं	Research Schemes for Certain Diseases	93
2350 क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु केन्द्रीय करों का राज्यों को अन्तरण	Devolution of Central Taxes to States to remove Regional Imbalance	93
2351 माल के रूप में ऋणों की अदायगी	Payment of Debts in Goods ... –	93 94
2352 दबरा, जिला ग्वालियर में सिन्ध परियोजना	Sindh Project in Dabra, District Gwalior ...	94
2353 रामेश्वर में तेल निक्षेप	Reserves of Oil in Rameshwaram	94
2354 कलकत्ता के विकास के बारे में प्रधान मंत्री की उद्योगपतियों के साथ बठक	Meeting of Prime Minister with Industrialists on Development of Calcutta	94–95
2355 मनीपुर के लिये विद्युत बोर्ड	Electricity Board for Manipur – ...	96
2357 मनीपुर सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को भत्ते	Allowances to Nursing Staff of Manipur Government Hospitals	96

तारा.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2358 इम्फाल नगरपालिका	Imphal Municipality ...	96–98
2359 विदेशी दायित्वों को कम करने के लिये पुनर्मूल्यांकन	Revaluation for reducing foreign Liabilities ...	98
2360 युगोस्लाविया को पेनिसिलिन का निर्यात	Export of penicillin to Yugoslavia	98–99
2361 कन्फैक्शनरी उद्योग	Confectionary Industry — —	99
2362 अलवाय में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter at Alwaye — ...	99–100
2363 नाइलोन तथा सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Nylon and Cotton Cloth ...	100–101
2364 मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को छुट्टियों की सुविधायें	Leave Facilities to the Work charged Staff of CPWD Manipur	101
2365 बकाया आयकर	Income-Tax Arrears	101–102
2366 उड़ीसा में हीरे और सोना पाया जाना	Diamond and Gold found in Orissa — ...	102
2367 कच्छ के लिये नर्मदा जल	Narmada water of Kutch	102–103
2368 उत्तर गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयां	Hardships faced by Tobacco growers of North Gujarat	103
2369 नैशनल बिल्डिंग्स कैंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	National Buildings construction corporation Limited ... —	103–104
2370 नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा भवनों की निर्माण लागत	Construction cost of buildings by NBCC —	104
2371 अशोधित तेल पर रायल्टी	Royalty of Crude Oil	104–105
2372 बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण	National Credit Council	105

अता.प्र.संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
2373 नवपाड़ा (उत्तर प्रदेश) में जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन	Forced vasectomy operation in Navapara (U.P.)	105–106
2374 कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में गैर-सरकारी लोगों को भू स्थलों का नियतन	Allotment of sites in Kolar gold mines area to private people	106
2375 मंगलौर में उर्वरक परियोजना	Fertilizers Project in Mangalore	106–107
2376 अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति	All India Rural Credit Review Committee ...	107
2377 उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता	Production capacity of fertilizers plants —	107–108
2378 सहकारी क्षेत्र को उर्वरक क्षमता का आवंटन	Allotment of Fertilizers capacity to cooperative sector	108–109
2379 चोरी छिपे लाये गये माल की बरामदगी का उसकी कीमतों पर प्रभाव	Effect of seizure of smuggled goods on their prices	109–110
2380 भारत का औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank of India ...	110
2381 नर्मदा घाटी का विकास	Development of Narmada Basin —	110–111
2382 नदी घाटी परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank Aid for River Valley Projects —	111–112
2383 बिहार में परिवार नियोजन के लिये बोर्डों का लगाया जाना	Display of Boards for family Planning propagation in Bihar	112
2384 तेल कम्पनियां	Oil Companies — ...	112–113
2385 भाग्य लक्ष्मी इंश्योरैंस लिमिटेड, कलकत्ता	Bhagya Lakshmi Insurance Ltd., Calcutta ...	113–114
2386 परिवार नियोजन कार्यक्रम में लूप से प्राप्त सफलताएं	Achievements through IUCD in Family Planning Programme	114

2387 खेतरी तांबा उद्योग समूह	Khefri Copper Complex	114-115
2388 चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled goods	115-116
2389 नई दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो कमरों वाले क्वार्टरों का परस्पर तबादला	Mutual exchange of two-roomed Quarters for class IV staff in certain areas in New Delhi	116
2390 आयल इण्डिया लिमिटेड का प्रधान	Chairman of Oil India Ltd. ...	116-117
2391 नर्मदा घाटी का वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial Survey of Narmada Valley ...	117
2393 चेचक उन्मूलन	Eradication of Small pox	117
2394 दिल्ली में पोलियों के रोगियों में वृद्धि	Increased polio cases in Delhi	117-118
2395 दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic dispensaries in Delhi	118-119
2396 दिल्ली में झुग्गियां गिराई जाना	Demolishing of Jhuggis in Delhi ...	119
2397 केन्द्रीय सचिवालय के भवनों/संसद् भवन/राष्ट्रपति भवन की देखभाल पर खर्च	Expenditure on Maintenance of Central Secretariat Buildings and Parliament House	119-120
2398 राज्यों में बिजली की दरों का युक्ति युक्त किया जाना	Rationalisation of Power rates in States ...	120-121
2399 राजस्थान में पोंग बांध से विस्थापित किसानों का पुनर्वास	Rehabilitation of displaced Farmers from Pong Dam in Rajasthan	121-122
2400 नजफगढ़ और नरेला में देहातों की भूमि के अधिग्रहण को समाप्त करना	De-requisitioning of Land of villages in Najafgarh and Narela areas	122
2401 गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज	Shore Oil Exploration scheme in Gujarat ...	122-123

2402	ग्रामीण क्षेत्रों में फालतू धन जुटाना	Tapping of Surplus Funds in Rural Areas ...	123
2403	नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा चन्दन बांध का निर्माण	Construction of Chandan Dam by NPCC ...	123–124
2404	नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा चन्दन बांध का निर्माण	Construction of Chandan Dam by NPCC ...	124
2405	सनलाइट कालोनी, मोती बाग, नई दिल्ली	Sunlight Colony, Moti Bagh, New Delhi ...	124–125
2406	रिजर्व बैंक के लाभ से सरकारी उपक्रमों का वित्तपोषण	Utilization of Reserve Bank's Profits for Financing public undertakings ..	125
2407	प्राकृतिक गैस सम्बन्धी पंचाट	Award on Natural Gas	125–126
2408	स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक द्वारा हिन्दी में जारी किये गये परिपत्र और सामान्य आदेश	Issue of circulars and general orders in Hindi by State and Reserve Banks	126
2409	आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा हिन्दी में जारी किये गये परिपत्र	Circulars issued in Hindi by Income Tax and Central Excise Departments	126–127
2411	भारत में वाणिज्यिक (मर्चेन्ट) बैंक की स्थापना	Setting up of Merchant Bank in India ...	127–128
2412	गोल डाकखाना, नई दिल्ली के निकट चैम-रियां	Chummeries Near Gole post Office, New Delhi	128
2413	इण्डियन आयल कारपो-रेशन की पदोन्नति सम्बन्धी नीति	Promotion policy of Indian oil Corporation...	128–129

2414	गुजरात में नेफ्था क्रैकर कारखाने	Naptha Cracker Plants in Gujarat	130
2415	बम्बई में अंगराग(प्रसाधन) सामग्री पकड़ी जाना	Seizure of cosmetics in Bombay	130
2416	मिट्टी के तेल में आत्म-निर्भरता	Self-sufficiency in Kerosene Oil	130–131
2417	नदी जल विवाद समिति	Committee on River Water Disputes	131
2418	भारतीय उर्वरक निगम	Fertilizers corporation of India, Bombay ...	131–132
2419	नूनमती तेल शोधक कारखाना, गोहाटी में गैस सिलडरों का निर्माण	Manufacture of Gas Cylinders in Noonmati Refinery, Gauhati	132–133
2420	नदी जल का दूषित होना	Pollution of River Water	133
2421	आयकर विभाग के कार्यालय भवन	Office Buildings for Income Tax Department	133
2422	किसानों को ऋण सुविधायें	Credit Facilities to Farmers	133–134
2423	चल चित्र उद्योग के लिये औद्योगिक वित्त निगम का ऋण	IFC loan to Film Industry	134–135
2424	गांधी शताब्दी वर्ष में देहातों में पीने के पानी की व्यवस्था करना	Drinking water for villages during Gandhi Centenary Year	135
2425	नेहरू संग्रहालय	Nehru Museum	136
2426	मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाने की योजना	Rural Eelctrification on scheme in Mysore State	136–137
2427	बिहार विद्युत बोर्ड में हड़ताल	Strike in Bihar Electricity Board	137
2428	गोलचा प्रापरटीज(प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली पर आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears due from Golcha Properties (P) Ltd., Delhi	137–138

2429	इन्द्रपुरी कालोनी, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का चिकित्सालय खोलना	Opening of CHS dispensary in Inderpuri Colony, New Delhi	138-139
2430	औषध निर्माण उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in Pharmaceutical Industry	139
2431	विभिन्न वर्ग के लोगों पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभाव	Impact of family planning programme on different sections of people	139-140
2432	बिहार में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 32	National Highway No. 32 in Bihar	140
2433	पालघाट में आभूषण व्यापारियों के लाइसेंस	Licences to Jewelly Dealers in Palghat	140-141
2434	चौथी पंचवर्षीय योजना में गैस की उपलब्धता	Availability of Gas during Fourth Plan	141
2435	केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान में डा० पोलमैन की नियुक्ति	Assignment of Dr. Poleman in Central Family Planning Institute	141-142
2436	गोहाटी में मूल्यांकन कर्त्ता की नियुक्ति	Appointment of Valuer at Gauhati	142
2437	कच्चे तेल के आयात के लिये पत्तन	Ports for import of crude Oil	142
2438	कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में निवारक अधिकारी	Preventive officers in Customs House, Calcutta	143
2439	नेताजी नगर और सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के क्वार्टरों में पावर कनेक्शन	Power connections for Quarters in Netaji Nagar and Sarojini Nagar, New Delhi	143
2440	नेताजी नगर और सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में क्वार्टरों की छतों पर जाफरी की व्यवस्था	Provision of Jafri on Roof of Quarters in Netaji and Sarojini Nagar, New Delhi	144

तारा.प्र.संख्या. /U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.	
2441 बारी के बिना क्वार्टरों का नियतन	Out of Turn Allotment	144
2442 मेहरचन्द मार्केट, लोदी रोड, नई दिल्ली	Mehr Chand Market, Lodhi Road, New Delhi	145
2443 दामोदर पार क्षेत्र में जल निकास योजना	Drainage scheme in Trans-Damodar Area ..	145
2444 दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	Reoroganisation of DVC	145-146
2445 दामोदर घाटी निगम के बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood control Measures of Damodar Valley Corporation	146
2446 दामोदर घाटी निगम के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on Damodar Valley Corporation	146-147
2447 खतरनाक तथा हानिकारक कारखानों का स्थानांतरण	Shifting of Hazardous and obnoxious Factories	147
2448 उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को आय - कर भुगतान प्रमाण - पत्र दिया जाना	Issue of clearance certificate to the former Chief Minister of Orissa	147-148
2449 परिवार नियोजन के तरीके	Family Planning Devices	148
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	149-151
वियतकांग हमलों के संबंध में तटस्थ देशों के रवैये के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति का प्रेस सम्मेलन	US President on the attitude of nonaligned countries to Vietcong Attacks	149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	151-152
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968-69	Demands for Supplementary Grants (General), 1968-69	152

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1968–69	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1968–69	152
दो रुपये वाले जाली करन्सी नोटों के पकड़े जाने का समाचार,	Statment re. Reported seizure of counterfeit two rupee notes	152
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai ...	152
सभा का कार्य	Business of the House	153–154
सामान्य आ-व्ययक 1969–70 सामान्य चर्चा–जारी	General Budget 1969-70 General Discussion-Contd.	154
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	154
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam ...	160
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee ...	163
श्री एस० आर० दामानी	Shri S.R. Damani	166
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	169
डा० पी० मंडल	Dr. P. Mandel	170
राज्य विधान मंडल की दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion re. statement of Minister of Home Affairs on West Bengal Governor's Address to Both Houses of the State Legislature ...	171
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	171
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	175
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्	Shri Tenneti Viswanatham	175
श्री अ० कु० सेन	Shri A.K. Sen	178
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar	180
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	181
श्री एस० कण्डप्पन	Shri S. Kandappan ...	182

विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
श्री (की० गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	...	..	183
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	...	...	184
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani	...	...	185
श्री शिवाजीराव श० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	...		186
श्री पी० राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	..	..	187
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	..	...	188
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	...	—	189
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	...	..	190
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	—	—	194
31 वां प्रतिवेदन	Thirty-first Report	...	...	194

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 10 मार्च, 1969/ 19 फाल्गुन, 1890 (शक)
Monday, March 10, 1969/ Phalguna 19, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary References

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को बड़े दुःख के साथ अपने तीन मित्रों श्री गणपत सहाय, श्री शचिन्द्र नाथ मैत्ती तथा श्री एच० पी० मोदी के निधन का समाचार देना है ।

श्री गणपत सहाय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर चुनाव क्षेत्र से लोक-सभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वर्ष 1961-62 के दौरान भी वह इस सभा के सदस्य रहे । वह हमारे वयोवृद्ध सदस्यों में से थे परन्तु इतनी अवस्था होने पर भी वह सदन में बड़े नियमित रूप से आते थे । ४6 वर्ष की आयु में उनका निधन दिनांक 8 मार्च, 1969 को नई दिल्ली में हुआ ।

श्री शचिन्द्र नाथ माइती भी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर चुनाव क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे । उनका निधन दिनांक 9 मार्च, 1968 को 67 वर्ष की आयु में मिदनापुर में हुआ ।

श्री एच० पी० मोदी वर्ष 1929–1943 के दौरान केन्द्रीय विधान सभा के तथा वर्ष 1948–49 के दौरान भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे । वर्ष 1941–1943 में वह वाइसराय की कार्यकारी परिषद में पूर्ति विभाग के सदस्य भी रहे । वह उत्तर प्रदेश के राज्य-पाल भी रहे तथा एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । उनका निधन बम्बई में दिनांक 9 मार्च, 1969 को 87 वर्ष की आयु में हुआ ।

अपने इन तीनों मित्रों के निधन पर हम गहरा दुःख प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि इन के दुःखी परिवारों के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करने में यह सभा मेरे साथ है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु शक्ति मत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस सप्ताह के अन्तिम भाग में क्रूर काल ने हम से हमारे तीन प्रिय मित्र छीन लिये, जिन में से दो तो हाल ही तक हमारी इसी सभा के सदस्य थे ।

श्री गणपत सहाय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े पुराने सेनानी थे । वह पिछले 60 वर्ष से कांग्रेस दल के साथ थे । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह एक प्रतिभाशाली छात्र रहे तथा वहीं प्राध्यापक भी रहे । बंगाल के विभाजन के समय वह डा० ऐनी बसन्त तथा महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये आन्दोलन में शामिल हो गये । वह लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा इस सभा के भी दो बार सदस्य रहे । सभा को मालूम है कि उन्होंने इस सभा की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया राजनैतिक गतिविधियों के साथ-साथ वह अन्य रुचियों के विकास में भी भाग लेते थे । उन्होंने कई शिक्षा-संस्थानों तथा खैराती न्यासों को भी विकसित किया । वह खेल-कूद के बड़े प्रेमी थे । अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले श्री गणपत सहाय के निधन से हमने एक अग्रगामी राजनीतिज्ञ तथा स्वतत्रता संग्राम के सेनानी को खो दिया है ।

इसी प्रकार श्री शचिन्द्र नाथ माइती भी स्वतंत्रता संग्राम के एक निडर सेनानी थे । वह मिदनापुर के प्रसिद्ध आन्दोलनकारियों में से थे । देश की स्वतंत्रता के लिये वह लम्बी अवधि तक जेल में रहे । उनका सारा जीवन जनता की सेवा में बीता । इस सभा में श्री सहाय की भांति उनकी याद हमें सतायेगी । इन प्रसिद्ध देश भक्तों को खोकर देश को बड़ी हानि हुई है ।

श्री होमी मोदी की मृत्यु पर भी हम यहां अपना गहरा शोक प्रकट करते हैं । वह हमारी उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जो अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । वह बड़े सम्मानीय व्यक्ति थे । वह देश के वयोवृद्धि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा प्रमुख उद्योगपति थे । वह बड़े हंसमुख थे, मेरा उनसे उस समय से परिचय था जब कि मैं बच्ची थी तथा वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे । उसके बाद मैं उनसे अनेक बार मिली । अपनी बीमारी में भी तथा मृत्यु के समीप होते हुए भी, उनकी प्रतिभा तथा हास्यप्रियता यथावत् बनी रही ।

उनका जीवन बड़े ठाठ-बाट से तथा विविधता पूर्ण ढंग से बीता । वह राजनीति से लेकर खेल-कूद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों तक सभी में रुचि रखते थे । हम में से जिस किसी का उनके साथ पूर्ण परिचय था । वे उनके मोहक स्वभाव और प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व को याद करेंगे । देश को अपना एक सज्जन पुत्र खोकर उनके शोक संतप्त क्षति पहुची है परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी पूरी समवेदनायें हैं तथा इस सभा के माननीय सदस्य श्री पीलू मोदी तथा उनकी माता श्रीमती मोदी के प्रति हमें अत्यन्त सहानुभूति है ।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निदवेन है कि आप हम सब की ओर से शोक संतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक समवेदनायें पहुंचा दें ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अपने दल की ओर से मैं उन सभी भावनाओं से सहमत हूं जो कि आपने तथा सभा के नेता ने यहां व्यक्त की हैं। श्री गणपत सहाय जिनके सुन्दर और तेजपूर्ण चेहरे को हम अपने बचपन से देखते आये थे, के बारे में जो कुछ यहां कहा गया है उससे और अधिक मैं क्या कह सकता हूं। यही बात श्री माइती के बारे में भी है।

परन्तु जहां तक श्री होमी मोदी का सम्बन्ध है, मैं उन्हें अपने बाल्यकाल से जानता हूं। उनके निधन से हमने एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, प्रशासक, व्यापारी तथा एक लेखक खो दिया है।

सर होमी बड़े उदार तथा देश-भक्त व्यक्ति थे। देश की आवश्यकताओं तथा लोगों की इच्छाओं के प्रति उनकी रुचि का उस समय पता लगा जब वह वाइसराय परिषद के सदस्य थे। फरवरी, 1943 में जब यिरावदा जेल में महात्मा गांधी को प्रशासन ने मुक्त करने से इन्कार कर दिया तो श्री होमी जी के लिये उस पद पर बने रहना असम्भव हो गया।

श्री होमी के साथ मेरा पहला राजनैतिक मुकाबला सन् 1935 में हुआ जबकि मैं बम्बई निगम में कांग्रेस दल का सदस्य था तथा वह दूसरे दल प्रोग्रेसिव दल के नेता थे। सन् 1943 में उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया जबकि मैं बम्बई के महापौर के पद के लिये खड़ा था और यह जानते हुए भी कि मेरे इस पद के लिये चुनाव लड़ने से उनका अपना उम्मीदवार हार जायेगा, उन्होंने मेरे चुनाव लड़ने में बाधा नहीं डाली।

भारतीय संविधान सभा में भी वह हमारे साथी थे तथा वहां उन्होंने अनेक समितियों और उप-समितियों में कार्य किया।

वर्ष 1959 में, स्वतंत्र दल बनाने में उन्होंने हमारा साथ दिया तथा वहां उनके साथ मेरा सात-आठ वर्ष तक सहयोग रहा। हमने साथ मिलकर एक ऐसी दल-(टीम) भावना से कार्य किया जिसकी उदहारण सार्वजनिक जीवन में दुर्भाग्य से बहुत कम मिलता है।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि वह बड़े हास्य-प्रिय व्यक्ति थे तथा कोई मामला कितना ही गम्भीर अथवा दुःखपूर्ण क्यों न हो, वह उसमें भी हास्य निकाल लेते थे जिसके परिणामस्वरूप बातचीत में यदि दोषपूर्ण वातावरण भी पैदा हो जाता तो वह एकदम शान्त हो जाता था और हसी के फव्वारे छूटने लगते।

अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप हम सबकी ओर से उनकी अर्धांगनी जीवन-संगिनी लेडी मोदी, उनके पुत्र श्री पीलू मोदी जो कि यहां हमारे साथी भी हैं, तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों व सम्बन्धियों के प्रति हमारी हार्दिक समवेदनायें उन तक पहुँचा दें।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : I and my party fully associate with the sentiments expressed here by you, the Prime Minister and Shri Masani on the sad demise of our two hon. Men bers and that of Shri Homi Modi, Shri Ganpat Sahai was an elderly and much respected hon. Member of this House. Even at his age, his face exuded eoullience and he devoted his time to and took interest in the business of this Sabha His whole life was devoted to the service of the nation. And similar was the case with Shri Maiti also.

Shri Modi belonged to the generation of great National leaders and stateman Shri Tej Bahadur Sapru and Shri M. R. Tikar. Although he had never been to jails, he was nevertheless a great patriot Not only did he work ceaselessly in the struggle for freedom but also helped the country to stand on her legs-economically. He set up many industries. Such people are always very much needed by the country. He was always above party-politics and provincialism.

His son, Shri Piloo Mody who is now a Member of this House also inherits the qualities of wit and humour.

On this occasion our hearts go out to Shri Piloo Modi and Lady Modi, and we all join in requesting you to convey our sincere condolence and deep sympathy to the bereaved families.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : महोदय, द्रविड़ मुनेत्र कषगन पार्टी की ओर से मैं वही भावनायें व्यक्त करता हूं, जो विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मुझे उनके साथ गहन सम्पर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तथापि मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि उन्होंने मातृभूमि की महान सेवा की है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी समवेदना भेज दें।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, मररणं प्रकृति शरीरे, जिसने देहधारण की है, उसे मरना जरुर है और जब कोई व्यक्ति दीर्घ जीवन व्यतीत करके तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करके, इस संसार को छोड़ कर जाता है, तो प्रायः हमें उसके निधन पर दुःख नहीं होना चाहिये। परन्तु मानव होने के नाते यह हमारी कमजोरी है कि जब कोई हमसे बिछुड़ता है तो हमें उसकी जुदाई का गहरा दुःख होता है। हमें अपने इन तीन मित्रों की मृत्यु का गहरा दुःख है।

यद्यपि मैं श्री गनपत सहाय को बहुत निकट से नहीं जानता था, तथापि इस सभा में उनके भाषण सुनने के अतिरिक्त मुझे कभी-कभी उनसे बातचीत करने के अवसर भी प्राप्त होते रहे हैं। वह न केवल स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्वितीय सेनानी थे, अपितु उनमें शिष्टाचार के वे गुण थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश का प्रतीक समझा जाता था। उन्होंने तीन पीढ़ियों के बीच एक कड़ी का काम किया है। यद्यपि उन्होंने दीर्घ जीवन व्यतीत करने और सम्मान प्राप्त करने के बाद इस संसार को छोड़ा है, तथापि हम सबको उनकी मृत्यु पर दुःख है।

श्री सचीन्द्र नाथ माइती से यद्यपि मेरी बहुत घनिष्ठता नहीं थी, तथापि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में अर्पित कर दिया। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने मिदनापुर का उल्लेख किया है, जिसे सतारा के समान समझना चाहिये, जहां ब्रिटिश साम्राज्य को शेष देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले उखाड़ फेंका गया था। श्री माइती अजय मुकर्जी के घनिष्ठ मित्र थे। श्री माइती का जीवन मूक साधना का जीवन था। उनके अचानक निधन से हम सबको गहरा दुःख हुआ है।

श्री होमी मोडी का नाम भारत के सार्वजनिक जीवन में एक प्रमुख नाम रहा है। उनकी अमर कृति "बाईग्राफी आफ सर फिरोजशाह मेहता" के लिये उन्हें सदा याद किया जाता

रहेगा । वह देश के एक महान सपूत थे । धनी व्यक्ति होते हुए भी वह सर्वसाधारण के साथी थे । उनके पुत्र, श्री पीलू मोडी को उनके देहान्त से जो दुःख हुआ है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप शोक संतप्त परिवारों को हम सभी की ओर से हमारा संवेदना सन्देश भेजेंगे ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, on behalf of my party–the S. S. P ; I request you to convey our to convey our heart-felt sympathies to the bereaved families of three departed patriots–viz ; Shri Ganpat Sahai, Shri Maiti and Shri Modi.

I did not know Shri Ganpat Sahai intimetely, but he was the eldest member of this House. I had a few occasions of discussing with him the ways and means of eradicating poverty from U. P. and I found him keenly interested in the matter.

Shri Modhi was a very liberal hearted leadar. He was a self respecting man. In 1943, he resigned from the Viceroy's Council on account of Gandhiji's fast, because he found it against his self respect to continue in that office Sir, I request you to convey our sincere condelence and deep sympathy to Shri and Shrimati Piloo Mody, to whom the blow must have come in a manner, which no man can describe.

I personally knew Shri Maiti since last two and a half years when he was elected this House. It is very sad that he passed away after a short illness. He was one of those revolutionaries of Bengal who dedicated their lives for the freedom of the country. He was an extremely simple man. He was so much dedicated to the service of the nation that he did not marry in his life. Although he never participated in the discussions of the House, he took keen interest in the proceedings of the House.

Sir, I request you to convey our heart felt sympathies to the braved families.

श्री उमानाथ (पुदुकोटे) : अध्यक्ष महोदय, श्री गनपत राय और श्री माइती ऐसे देश भक्त थे जिन्होने अपने–अपने क्षेत्रों में लोगों के लिये तथा समस्त देश के लिये शांतिपूर्वक कार्य किया । मैं अपने दल की ओर से उनके प्रति आपके द्वारा व्यक्त किये गये शोक में शामिल होता हूं । उनके परिवारों को जो संवेदना संदेश भेजा जा रहा है, मैं उसमें शामिल होता हूं ।

जहां तक श्री होमी मोडी का सम्बन्ध है उनके द्वारा लोगों की की गई जो सेवाओं राजनैतिक मूल्यांकन किया गया है, उससे हम पूरी तरह सहमत नहीं है उनके बारे में हमारा अलग मूल्यांकन है । किन्तु उनके परिवार को जो संवेदना संदेश भेजा जा रहा है, विशेष रूप से हमारे साथी श्री पिल्लू मोडी, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को जो संवेदना संदेश भेजा जा रहा उसमें मैं शामिल होता हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमन्, जो भावनाएं व्यक्त किये गये हैं उनमें मैं शरीक होता हूं और अपने तीन साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं । जैसा कि आप जानते हैं श्री गनपत सहाय वे, यद्यपि वह पुरानी पीढ़ी से सम्बन्ध रखते थे, दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगा दिया । मैं समझता हूं कि हमारे देश में बहुत कम लोग इस श्रेय के पात्र हैं जो सर होमी मोडी और श्री गनपत राय को मिला है । ये दोनों अपने जीवन के

अन्तिम वर्षों में भी बिना किसी बाधा सार्वजनिक सेवा करते रहे। श्री सहाय दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। तीसरी लोक सभा में उन्होंने अपना पुत्र भेजा। जहां तक मुझे याद है उनके पुत्र भी उसी चुनाव क्षेत्र से आये थे। अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में इतनी सेवा की कि लोग उन्हें प्यार करते थे और उनकी पूजा करने लगे। गत वर्ष चुनाव के दौरान मैं उस चुनाव क्षेत्र में था। रेलवे स्टेशन पर मैं उनसे मिला। उस अवस्था में भी लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने लोगों से कहा इस चुनाव में कौन जीतता है इसमें मेरी अधिक रूची नहीं है, किन्तु में लोगों को बताने आया हूं कि उन्हें क्या करना चाहिये। वह एक ऐसे देश भक्त थे, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वह अपना कर्तव्य निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए।

श्री माइती के बारे में जैसा कि हम सब जानते है वह इस सभा के खामोश सदस्यों में से एक थे, किन्तु हमारे सार्वजनिक जीवन में उन जैसे त्यागी पुरुष बिरले ही मिलते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा और सार्वजनिक सेवा का उनका रिकार्ड हम सब के लिये भविष्य में एक उदाहरण रहेगा।

जहां तक सर होमी मोडी का सम्बन्ध हैं, वह हमारे सार्वजनिक जीवन में एक बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके राजनीतिक विचार भिन्न थे, किन्तु उन्होंने देश की जो सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने किसी हद तक नेतृत्व दिया और उदार राजनीति के क्षेत्र में वह उस अवस्था को पहुंच गये थे जिसे वर्तमान पीढ़ी याद रखेगी। वर्तमान समय में ऐसे महान देश भक्तों की और भी अधिक आवश्यकता है। हमारी सहानुभूति श्री पिल्लू मोडी के साथ हैं जो इस समय सभा में नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारा सदेश उन तक तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंचा देंगे।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान): श्रीमन्, उत्तर प्रदेश और मिदनापुर, दोनों ने स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य किया है और उत्तर प्रदेश के श्री सहाय और मिदनापुर के श्री माइती के निधन पर हमें गहरा दुख है। दोनों ही क्रान्तिकारी थे। राजाजी के कहने पर मुझे श्री होमी मोडी के साथ काम करने का अवसर मिला था। हमारे पुराने मित्र श्री एस० के० पाटिल ने कहा है कि सर होमी मोडी ने बम्बई में अपने लिये एक स्मारक बना लिया है। जब वे कलकत्ता में थे तो उन्होंने अपने प्यार और अपनी परम्परा की एक यादगार बना ली थी। समस्त औद्योगिक जगत में उनकी स्थिति अद्वितीय थी। वह एक राजनीतिज्ञ और देश भक्त थे।

मुझे याद है मुझे श्री के० एम० मुंशी से तार मिला था जिसमें मुझसे कलकत्ता से यहां आ कर उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये कहा गया था जो सर तेज बहादुर सपरू के नेतृत्व में उस समय हुआ था जब, ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी मरने ही वाले हैं। डा० अणे और श्री नलिनि रंजन सरकार से त्यागपत्र देने की आशा की जाती थी। किन्तु सरकार द्वारा महात्मा गांधी को रिहा करने से इन्कार किये जाने पर जब सर होमी मोडी ने त्यागपत्र दे दिया तो सारे भारत को एक हल्का से झटका लगा।

वह बहु गुण सम्पन्न व्यक्ति थे। आज बंगाल संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। यदि सर होमी मोडी जैसा राज्यपाल होता तो संभवतया सभी समस्याओं का एक ऐसे तरीके से समाधान हो जाता जो सब को मान्य होता, सरकार को भी और लोगों को भी, केन्द्र को भी और राज्य को भी।

मजाक को सहन करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी और मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र श्री मसानी ने उनकी विनोद-प्रियता की भावना का उल्लेख किया। यह एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें खुशी है कि उनके पुत्र श्री पिल्लू मोडी में भी उनका यह गुण विद्यमान है।

संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हम अपनी हार्दिक सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : श्रीमन्, आप, प्रधान मंत्री तथा अन्य मित्रों द्वारा जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं मैं उनमें शरीक होता हूं। हमने अपने तीन मित्र खो दिये हैं। दो को मैं निकट से नहीं जानता था किन्तु श्री माइती को मैं निकट से जानता था। 1920 से पूर्व वह शिक्षा ग्रहण करने इंगलैंड गये थे। वापसी पर 1923 में हमने महात्मा गांधी के आह्वाहन पर शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये मिलकर काम किया। महात्मा गांधी ने हमसे वर्तमान स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार करने को कहा। उसके बाद 1930 में वह स्थानीय असहयोग आन्दोलन में शामिल हो गये और जेल गये। 1931 में मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट तथा दो अन्य मजिस्ट्रेटों की हत्या की गई। श्री माइती को संदेह में गिरफ्तार किया गया किन्तु बाद में रिहा कर दिया गया। फिर भी अंग्रेजों के क्रोध से वह बच नहीं सके। 1941 से 1945 तक वह जेल में रहे और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि निरोध शिविर में हमारे मित्र डा० त्रिगुण सेन उनके समय थे। वह एक खामोश किस्म के व्यक्ति थे, किन्तु कर्मठ व्यक्ति थे। और जन-प्रिय व्यक्ति थे उनके निधन पर हमें गहरा दुख हैं। हम आप से प्रार्थना करते है कि आप सतप्त परिवार के सदस्यों तक हमारा संवेदना संदेश पहुंचा दें।

इसके पश्चात सदस्य कुछ देर के लिये मौन खड़े रहे

The Members Then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात का पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

+

*361. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री क० मि० मधुकर
डा० रानेन सेन
श्री जनार्दनन :
श्री योगेन्द्र शर्मा ;

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक गुजरात राज्य के पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के डाउन स्ट्रीम एककों के लिये लाइसेंस दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ये कब तक जारी किये जायेंगे ;

(ग) सम्पूर्ण योजना की कार्यान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना को कार्यान्वित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) और (ख) : गुजरात पैट्रोकेमिकल्स काम्प्लेक्स, जैसा अब आयोजित है, में दो मूल परियोजनाएं है :-

(1) सुगन्धि परियोजना और

(2) नेफ्था भंजक परियोजना । सुगन्धि परियोजना से जुड़ी हुई अनुप्रवाह इकाइयों के लिये सरकारी अनुमोदन किया जा चुका है । नेफ्था भंजक से जुड़ी हुई इकाइयों के लिये, प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों का सम्बन्धित मन्त्रालयों के विचार विमर्श से मूल्यांकन किया गया है और अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

(ग) और (घ): अनुप्रवाह इकाइयों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के मुख्य कारण; उनके मूल्यांकन में लगा समय और मूल परियोजनाओं के लिये उचित तकनीकी सहयोग का चयन है । मुख्यतः नेफ्था भंजक के लिए और अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा मूल परियोजनाओं के साथ साथ अनुप्रवाह इकाइयों के कार्यान्वित होने के लिए यथा-सम्भव समकालन की आवश्यकता । परियोजनाओं के काम्प्लेक्स की चतुर्थ योजना में सम्पूर्ण होने की सम्भावना है और इस दिशा में सब उचित कदम उठाये जा रहे है ।

श्री रा० कों० अमीन : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि गुजरात के लोग पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूह को कार्य रूप देने में अत्यधिक विलम्ब पर बहुत क्षुब्ध हैं, विशेषकर इस बात को देखते हुए कि अन्य राज्यों में ऐसी ही पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूहों की योजना बनाई गई थी उनमें काम आरम्भ हो गया है जबकि गुजरात राज्य में कुछ भी काम आरम्भ नहीं हुआ है । कई बार तो सरकार यह कह देती है तथा प्रश्न पूछने पर भी यह कह दिया जाता है कि सरकारी क्षेत्र में नेफ्था भंजक कारखाने की स्थापना में देरी होने के कारण ऐसा हो रहा है । सभी अनुप्रवाह उद्योग नेफ्था भंजक कारखाने पर निर्भर करते हैं तथा जब उसमें देरी हो जाती है तो अन्य क्षेत्रों में विलम्ब होना अनिवार्य है । इसके अलावा प्रक्रिया जोड़ने तथा समन्वय स्थापित करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये क्या सरकार हमें आश्वासन देगी कि वह ऐसी समय सीमा निर्धारित करेगी जिससे पहले सभी अनुप्रवाह योजनाएं क्रियान्वित की जायेगी तथा क्या वह यह भी बतायेगी कि जो विलम्ब पहले हो चुका है उसका असर दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

श्री द० रा० चव्हाण : जैसाकि मैं मुख्य उत्तर में बता चुका हूं, इसमें दो परियोजनायें हैं - सुगन्धि परियोजना तथा नेफ्था भंजक परियोजना । एक परियोजना के बारे में मैं बता चुका हूं कि जिन पार्टियों ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं उन्हें मंजूर कर लिया

गया है। जहां तक नेफ्था भंजक परियोजना का सम्बन्ध है मैं ने यह बताया है कि इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा उसके बारे में निर्णय करने में बहुत समय नहीं लगेगा। तथापि, मैं सही सही तारीख नहीं बता सकता कि उसे वास्तव में कब तक कार्यान्वित किया जायेगा परन्तु उसे चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में क्रियान्वित करने का विचार हैं।

श्री रा० की० अमीन : इस पेट्रोलियम रसायन उद्योग समूह के बारे में योजना चार अथवा पांच वर्ष पहले बनाई गई थी जब गुजरात राज्य में तेल और गैस के संसाधनों का कम मात्रा में उपलब्ध होने का अनुमान था अब दिन-प्रति दिन नई खोजें हो रही है तथा तेल और गैस के भारी मात्रा में पाये जाने का अनुमान है, इन नई घटनाओं और खोजों की दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार गुजरात राज्य में सम्पूर्ण पेट्रोलियम–रसायन उद्योगसमूह के बारे में फिर से योजना बनाने और उसे नया रूप देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री द०रा० चव्हाण : जब योजना बनाई गई थी तो अशोधित तेल का उत्पादन बहुत कम था जो अब काफी मात्रा में बढ़ गया हैं। उस के बाद अब भी स्थिति यह है कि हमें लगभग 16 मिलियन टन कच्चे माल की (क्रूड) आवश्यकता है जिसे विदेशों से मंगाया जाता है। देश में कुल उत्पादन, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र को मिला कर लगभग 6 मिलियन टन है। इस लिये अब भी मांग और पूर्ति में अन्तर लगभग 10 मिलियन टन का है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : गुजरात पेट्रोलियम रसायन उद्योगसमूह एक ऐसे परिवार की तरह है जिसमें ऐसी दो योजनायें है जिनका उल्लेख माननीय मंत्री ने अभी किया है। उनमें से एक को माता कहा जा सकता है तथा अनुप्रवाह इकाइयों को, जिसके बारे में लाइसेंस की समस्या है, पुत्री कहा जा सकता है मैं समझता हूं कि सरकार को, जो परिवार नियोजन के बारे में बहुत उत्सुक है, उद्योगसमूह को नियोजन की ओर भी उतना ही ध्यान देना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि मां की तो देख भाल की जा रही है तथा पुत्री की अवहेलना की जा रही है। इसका परिणाम यह होगा कि यह परिवार विकसित नहीं हो पायेगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग का एक अध्ययन दल स्थापित किया गया था तथा इसके निष्कर्ष इस प्रकार है :–

"यह सुनिश्चित किये बिना कि आयात की आवश्यकताओं को लगातार पूरा किया जायेगा बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ करने की हमारी योजना बनाने के तर्क की प्रशंसा करना बहुत कठिन है।"

इस अध्ययन दल को भारी रसायन के प्रश्न पर विचार करने के लिये स्थगित किया गया है। योजना उत्पादन यानी माता के बारे में बनाई गई है परन्तु पुत्री के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। इस लिये मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावित निगम इन दोनों अनुप्रवाह इकाइयों की आवश्यकताओं पर विचार करेगी ताकि उद्योगसमूह उचित अनुपात में और समुचित रूप है बढ़ सकें।

श्री द० रा० चव्हाण : माननीय सदस्य को माता और पुत्री के प्रश्न को बीच में नहीं लाना चाहिये था। जो कुछ मैं ने अभी कहा हैं यदि उसे वह समझ गये हों तो यह स्पष्ट ही

हैं कि माता और पुत्री दोनों की ओर ध्यान दिया गया है। यदि केवल माता का ही ध्यान रखा जाता और पुत्री का नहीं तो यह एक अच्छा परिवार न होता। अतः इसकी दो परियोजनायें हैं, सुगन्धि परियोजना तथा नेफ्था भंजक परियोजना। ये परियोजनायें बुनियादी कच्चे माल का उत्पादन करती हैं। जहां तक बुनियादी कच्चे माल का सम्बन्ध है, जिसके सुगन्धि परियोजना द्वारा तैयार किये जाने की सम्भावना है, उसके लिये पहले ही मन्जूरी दी जा चुकी है। जहां तक नेफ्था परियोजना का सम्बन्ध है उस मामले पर विचार किया जा रहा है तथा निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

Shrimati Jayaben Shah : A similie of mother and daughter has been given here. In that connection I would like to submit that care has been taken of the daughter first and it is now to be taken about the mother. The planning has been done about the production-the Neptha cracker scheme, that is adout the mother, but nothing is done about the downstream units. i. e. the daughter so the mother should get a prefential creatment over the daughter.

श्री द० रा० चव्हाण : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर अभी दिया है। निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : The question of naphtha cracker project is being discussed for the last three or four years and is engaging the attention of the Government actively for the last one and half years or so, however, much delay has been caused so far and the reputation of Government is eroding because of in decision, delay and red tapeism. Similar is the case in all mathers. May I know whether any time limit is being fixed with a view to avoid unnecessary delay in the matter so that the image of the Government does not get spoiled as also the country is not put to any losses.

श्री द० रा० चव्हाण : सरकार के सम्मान को ठेस पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम योजना बनाते हैं, हम उचित योजना बनाते है क्योंकि यह एक वहां उद्योगसमूह है जिस पर लगभग 37 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस मामले में शीघ्रता करने का कोई लाभ नहीं है। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, जहां तक नेफ्था भंजक परियोजना का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा शीघ्र ही लगभग एक वर्ष में यानी 1969–70 में निर्णय किया जायेगा।

गुजरात का भूतत्वीय सर्वेक्षण

* 362. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भूमिगत जल की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए एक व्यापक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : गुजरात के चुने हुए क्षेत्रों में 1924 से 1953 तक के

वर्षों के दौरान कई अल्पावधि जल प्रदाय अन्वेषण किये गये हैं। इन अन्वेषणों के परिणाम-स्वरूप, भूतल जल के विकास सम्भाव्यता वाले क्षेत्रों में विस्तृत भूजल-वैज्ञानिक टोह अध्ययन और समन्वेषी व्यधन किये गये। इस समन्वेषण के परिणामस्वरूप, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में बलुआ पत्थर पेय भूतल जल के लिये अच्छी संचायक चट्टानें सिद्ध हुई।

धीरे-धीरे सारे क्षेत्र को व्यवस्थित भूजल-वैज्ञानिक अध्ययनों के अन्तर्गत लिया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : गुजरात में विभिन्न खनिज पदार्थ परियोजनाओं के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इन खनिज पदार्थ परियोजनाओं को आरम्भ करते समय क्या केन्द्रीय सरकार का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा गुजरात सरकार, भूमिगत संस्थानों का भी उपयोग करेंगे ? क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा गुजरात सरकार को यह भी करने के आदेश दे दिये हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : गुजरात सरकार तो खोज कार्य कर रही हैं तथा भारत सरकार का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग उन्हें तकनीकी सहायता दे रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : बड़ौदा जिले में पावागढ़ नाम की एक घाटी है। नर्मदा, माही और सावर नदियों में भी भूमिगत तथा बहता हुआ जल है। क्या सरकार उसे भी प्रयोग में लायेगी।

श्री जगन्नाथ राव : उसे 1968-69 में प्रयोग में लाया जा रहा है।

श्री एम० बी० राणा : प्रश्न 'व्यापक भूतत्वीय सर्वेक्षण' का है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पानी के अलावा भी किसी चीज का सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री जगन्नाथ राव : गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की खोज की गई तथा उस क्षेत्र में जुरैसिक बलुआ पत्थर उत्पादी सिद्ध हुए। गुजरात के अन्य भागों में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की खोज की गई तथा उसमें कोद के ईर्द-गीर्द केवल 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्पादी सिद्ध हुआ है।

श्री एस० कंडप्पन : कुछ दिन पहले जब शिक्षा मन्त्रालय के शरीर-विज्ञान सम्बन्धी विभाग में किये गये अनुसंधान के बारे में प्रश्न उठाया गया तो माननीय मन्त्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने उत्तर देते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा था कि वह भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से बातचीत करेंगे और देश के भूमिगत जल संसाधनों का पता लगाने के लिये भूकम्प तथा इलेक्ट्रानिक मापयन्त्रों के बारे में अनेक नवीनतम निष्कर्षों की नवीनतम स्थिति का पता लगायेंगे मैं जानना चाहूंगा कि क्या, जब वे भूमिगत जल का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करते हैं, तो वे देश के नवीनतम निष्कर्षों से भी उन्हें अवगत करेंगे।

श्री जगन्नाथ राव : निश्चय ही सभी नवीनतम आविष्कारों की ओर ध्यान दिया जायेगा तथा समूचे देश के भूमिगत जल का पता लगाने में उन्हें प्रयोग में लाया जायेगा।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

* 363. **प्रेम चन्द वर्मा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना करने में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और सहयोग की शर्तें क्या थी;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी;

(ग) इस समय यह कम्पनी क्या-क्या वस्तुएं तैयार कर रही है;

(घ) गत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उत्पादन, बिक्री तथा निर्यात की मात्रा कितनी है; और

(ङ) इस कम्पनी के संचालन में क्या कठिनाइयां है और इन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ङ) :एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 263/69]**

Shri Prem Chand Verma: Sir, I am happy that the hon. Minister has submitted many facts before the House. But he has not specified rates of electricity being charged in Rajasthan by the Electricity Board and how they compare with the rates in other States. The hon. Minister has given a break-up of the production and the sale. I want to know the production capacity of the plant in regard to the items listed in the Statement. At the same time I want to know the production targets of these items fixed for the year 1968-69 and the extent to which these targets are likely to be achieved.

श्री जगन्नाथ राव : राजस्थान सरकार बिजली पर 10 पैसे प्रति कि० वा० की दर से प्रभार ले रही है और यह प्रभार बहुत अधिक है। भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मन्त्री ने मुख्य मन्त्री से बात चीत की थी और उन्होंने इस प्रभार की दर को घटाकर 8.5 पैसे कर दिया था। यह दर भी अधिक ही समझी जाती है। हम मुख्य मन्त्री से बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा उनसे विचार विमर्श करके इस मूल्य को और भी कम करने का प्रयत्न करेंगे। किन्तु राजस्थान सरकार अन्य राज्यों से किस मूल्य पर बिजली लेती है, इस बात को ध्यान में रखना होगा।

इस कारखाने की उत्पादन क्षमता के बारे में मैंने मूल वक्तव्य में जस्ता, कैडमियम, सिंगल-सुपरफोस्फेट, रांगा और चांदी के उत्पादन का उल्लेख कर दिया है। 1968 में क्षमता के अनुसार ही उत्पादन हुआ है।

Shri Prem Chand Verma : You have not replied to my question regarding the production capacity of the plant and the targets of the production fixed for the year 1968-69 ?

श्री जगन्नाथ राव : जस्ते की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 18,000 टन है । जहां तक रांगे के उत्पादन का सम्बन्ध है वह लगभग क्षमता के अनुसार ही है ।

Shri Prem Chand Verma : Sir, he has given an indication that their sale has become stagnant due to certain imported items. Does it not mean that this organisation inclue ding its sale-department is quite in efficient and it does not make any efforts to depose of it stocks ? Is it not a fact that there is no co-ordination between the employees and the management of the plant and due to the factionalism in the company, this plant has been corroding day by day ? I would like to know whether he would, send a responsible officer there to look into the affairs of this plant at the ministerial level if he is not willing to set up any enquiry committee for the purpose.

श्री जगन्नाथ राव : यह सत्य है कि पिछले वर्ष सुपर फौस्फेट का भण्डार इकट्ठा हो गया था किन्तु ऐसा जिन कारणों से हुआ उनका इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का कोई नियन्त्रण नहीं था । कारण यह था कि 1967 में सुपरफोस्फोटेट का भारी मात्रा में निर्यात किया गया था तथा इस सम्बन्ध में रबी की फसल के लिए आर्डर भेजे गए थे । किन्तु स्वेज-समस्या के कारण माल को उठाया नहीं जा सका । 1968 में वह माल 1968 के हैडेट के साथ यहां पहुंचे जिससे माल की भरमार हो गई और उसे उठाया नहीं जा सका । मूल्य वक्तव्य में मैंने किए गए उपायों का उल्लेख कर दिया है । तथा मुझे आशा है कि माल के भण्डारों को उठाया जा सकेगा । इस समय इसकी मात्रा लगभग 13,000 मीटरिक टन है तथा खाद्य मन्त्रालय ने हमसे वायदा किया है कि वह विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा इस माल को उठवाएगा ।

श्रम की समस्या के समाधान के लिये मैं अपने एक वरिष्ठ साथी के साथ राजस्थान जा रहा हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हमारे देश में जितना जस्ते का उत्पादन हो रहा है हमें उससे कहीं अधिक की आवश्यकता है । इसे ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान सरकार ने वर्तमान कारखाने की क्षमता बढ़ाने तथा एक और नया पर कारखाना खोलने की प्रार्थना या अभिवेदन भेजा है ? राजस्थान द्वारा भेजे गये इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में तीन बातें हैं । पहले, यह उसी सहयोग व्यवस्था के अन्तर्गत आता है, दूसरे राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हैं तथा तीसरे वहां पर रोक-फोस्फेट भी काफी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के अभिवेदन पर केन्द्रीय सरकार का क्या रुख हैं और क्या उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ।

श्री जगन्नाथ राव : 'हिंदुस्तान जिंक स्मेल्ट कारखाने की वर्तमान क्षमता लगभग 18,000 मीटरिक टन प्रति वर्ष है । यह क्षमता दूनी होने जा रही हैं अर्थात 36,000 मीटरिक टन । जावर में नई खानें भी पाई गई हैं तथा उनकी क्षमता आदि के बारे में पता लगाना है । फोस्फेट की जो खानें पाई गई हैं उनका भी हिसाब लगाना है । सैद्धांतिक रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लेने के लिए इसको शामिल कर लिया गया है । चौथी योजना में इस कार्य के लिए नियतन भी कर दिया गया है, जहां तक वर्तमान कारखाने की वृद्धि का प्रश्न है.....

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : नया कारखाना स्थापित करने के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री जगन्नाथ राव : जहां तक वर्तमान कारखाने के विस्तार का सम्बन्ध है··· ·····

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इस बारे में दो अलग अलग प्रस्ताव हैं । एक के अन्तर्गत वर्तमान कारखाने का विस्तार है तथा दूसरे में नया कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ।

श्री जगन्नाथ राव : वर्तमान कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

Shri Onkar Lal Bohra : Mr. Speaker, Sir, I would like to know that after taking over the Metal Corporation and investing money in the name of public purposes by the Hindustan Zinc Ltd. for what reasons the production of this plant has been going down for last three years ? Earlier the production of Zinc Ore in Zawar mines was to the tune of 2,000 tonnes but now it has come down to 700 tonnes only. Last year, when this point was raised, it was told that the mine was running to its full capcity. Therefore I want to know the reasons for running it only to 40 or 45 per cent of its capacity. It has been repeatedly pointed out in the Parliament that certain officers and the management in the Plant are responsible for corruption. An enquiry was also demanded in the matter because it has given rise to labour problems. Where 500 or 550 workers are required to be employed, more than 1,000 wokers are deployed which result in increase in the cost of production. Will the hon. Minister be pleased to state why inspite of our best efforts single superphosphate is not finding customers and why there has been a fall in production. I would also like to know whether he was any information about the injustice being meted out to labour ?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्ष 1968 के आरम्भिक महीनों में देश में सुपरफोस्फेट बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गया था और उसकी खपत नहीं हो पाई थी । परन्तु अब लगभग 13,000 मीटरिक टन के वर्तमान भण्डारों की निकासी के लिए कदम उठाये जा चुके हैं । कृषि मन्त्रालय ने आश्वासन दिया है कि वे राज्य सरकारों से इन भण्डारों को लेने के लिए कहेंगे ।

मैं जानता हूं कि आदरणीय सदस्य कार्मिक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं । मैं और मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी इस समस्या को सुलझाने के लिए वहां जा रहे हैं ।

18,000 मीटरिक टन की वार्षिक क्षमता का उत्पादन करने के लिए प्रतिदिन 2000 मीटरिक टन कच्चे लोहे की आवश्यकता पड़ती है । परन्तु खानों में 2000 मीटरिक टन के उत्पादन की क्षमता नहीं है । कच्ची सामग्री के संचित भण्डारों और भारतीय धातु निगम द्वारा आयात किए हुए कुछ भण्डारों के कारण आजतक यह सयत्र इतना उत्पादन कर सका है । इसी समस्या की ओर हमारा ध्यान है और हम इसी को सुलझाने के निमित्त वहां जा रहे हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : Owing to the shortage of Phosphores in the single Superphosphate its sale in the market has come down which has created this difficulty. You have stated in your statement that ban is being imposed on the sale of diamonium phosphate in Rajasthan and Madhya Pradesh in order to clear the stocks of single superphcsphate. The rates of the fertilizers are higher in comparison with that of the international market and Mr. Morarji Desai has imposed tax buy on it. This single superphosphate

has no value in world market and no developing country purchases this fertilizer and it has become absolate. Due to shortage of PTO's in the superphosphate its cost of production has considerably increased, whereas diamonium phosphate with 20 percent nitrogen has good and immediate effect on agriculture. I would like to know from the hon. Minister whether he has sent abroad any agriculture specialists. When the farmers of the developed countries are not willing to take this single superphosphate why is it being imposed upon our farmers. Why do you not produce diamonium phosphate by using raw materials or convert single superphosphate into double phosphate, why does the hon. Minister impose ban. On the consumption of superior quality of things and why do you not produce good things ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कृषकों को सिंगल सुपरफासफेट पसन्द नहीं है । प्रत्येक कृषक मिश्रित उर्वरक चाहता है । अभी दो ही दिन हुए हैं योजना आयोग ने एक समिति बनाई है जो इस सम्बन्ध में विचार करेगी कि सुपरफासफेट में किस तरह मिलावट की जाए ताकि वह यौगिक संयुक्त उर्वरक बन जाए और जिसे कृषक लेने को तैयार हो जाएं ।

Shri Bhola Nath Master : Recently Hindustan Zinc Ltd. has exported large quantity of cadium worth lakhs of rupees. Why the production capacity of this Zinc Smelter Plant is not being increased instead of establishing another plant ? The production of Jhawar Mines, which was stopped should be started by working this plant so that this Zinc Smelter may handle more work in future.

श्री जगन्नाथ राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने उदयपुर स्थित जिंक स्मैलटिंग संयंत्र की क्षमता को दुगना करने का निश्चय किया है और इसकी व्यवस्था चौथी योजना के अन्तर्गत हो चुकी है । कैडीमम का उत्पादन लगभग 75 से 78 मीटरिक टन तक है, परन्तु देश में इसकी मांग बहुत अधिक नहीं है, और इसीलिए अधिकरण को फरवरी-मार्च 1969 में इसकी कुछ मात्रा का निर्यात करने की अनुज्ञा दे दी है, और शेष से देश की मांग पूरी की जायेगी ।

Equal Pay for Equal Work

*366. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government agree with the view that there should be 'equal pay for equal work' in respect of different classes of employees of the Central and State Governments and local administrative bodies; and

(b) if so, the steps taken in this direction and the results thereof ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार सिर्फ अपने कर्मचारियों से सम्बन्ध रखती है और उनके मामले में "समान काम के लिए समान वेतन" की धारणा पर पहले ही अमल हो रहा है । राज्य सरकारों/ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के मामले में विचार करना राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों का काम है ।

Shri Suraj Bhan : Mr, Speaker, the condition of the employees of State Governments, Local Bodies and Zila Parishads is very deplorable and Central Government can not shirk its responsibility to simply by stating that that was the concern of the respective State Governments, and Local Bodies. I want to know from the hon. Minister whether Central Government accept in principle the concept of 'equal pay for equal work.'

Shri P. C. Sethi : So far as the Central Government employees are concerned we accept this concept and also make efforts to implement it. So far as the employees of State Governments are concerned, the position regarding their pay-scales, etc. differs from one state to another and one Local Body to another.

Shri Suraj Bhan : The answer given by the Hon. Minister is evasive Central Government, if it so desires, can give grants to the State Governments in this regard. Similarly directions can be issued to the Local Bodies. I would like to know from the Hon. Minister that as the Employees of the State Governments and local bodies should also agitate for their pay-scales etc. like the employees of Central Government.

Shri P. C. Sethi : As I have already told, all this depend upon the resources of the respective State Governments. So far the grants and other things to State Governments are concerned, these are being given to the extent it is possible but inspite of this there are some termitations.

Shri Ranjit Singh : As I know to this Government and to all of us, there are some employees in the adminstration who are called parasites, they do not work and get more pay. Similarly there are also much employees who work hard but get lesser salaries. This type of disparity exists only in India and not in foreign countries. Government appointed so many Pay Commissions to consider the revision of the wage structure, and other things but now the Hon. Minister says that it was the responsibility of the respective State Governments and Local Bodies. I would like to know from the Hon. Minister whether he has considered any possibility of incorporating directive principles in the Constitution in this respect so that the State Governments or Local Bodies are not given a free hand and it becomes obiligatory for them to implement it.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं आदरणीय सदस्य का ध्यान केन्द्रीय वेतन आयोग की उन सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें कहा गया है कि दूसरे संघीय देशों, जैसे अमरीका और कनाडा में जहां वेतनमानों की रचना का मानदण्ड एक समान है, वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में एक रूपता नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : The concept 'Equal pay for equal work' has already been accepted and this has been included in the directive principles of the Constitution. The Minister has stated that this concept of Equal pay for equal work has been implemented by the Centre but so far as the Employees of State Government, Local Bodies and Zila Parishads are concerned the responsibility to implement it has been left to the respective State Governments, Local Bodies & Zila Parishads. Owing to limited resources, the State Governments and Lower Public Undertakings look to the Centre for grants. When Centre gives them grants, it should give necessary financial aid for implementing this principle. For how long this four cornered struggle between Centre, State, Zila Parishads and Municipalities will last and will the Government decide to bring an end to this State of affairs.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : This issue cannot be settled for years together.

Shri Ram Gopal Shalwale : Teachers of Uttar Pradesh have been on token hunger strike for many months. In many cases there is a disparity between the pay scales of Headmasters of schools run by zial Parishad and Peons of Central Ministers. The Peons are drawing more pay than the Headmasters of schools run by Zila parishad. I want to know whether Government will appoint a Commission on All India level, to remove this sort of disparity and establish uniform pay structures.

Secondly I want to know the difference between the pay scales of men and women employees, their capacity to work and facilities and the reasons therefor.

Shri Morarji Desai : I do not find it possible to maintain uniform pay scale throughout India.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

*364. श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के लिये कोई कसौटी निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार का विचार अपने कर्मचारियों आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी कब देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को "आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन" देना सम्भव नहीं समझा जाता ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

टिहरी में भागीरथी नदी पर बांध का निर्माण

*365. डा० कर्ण सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेहरी में भागीरथी नदी पर बांध के निर्माण को ध्यान में रखते हुए, नई सड़क निर्माण के लिये 93 लाख रुपये, वर्तमान सड़कों की मरम्मत के लिये 52 लाख रुपये, विभिन्न क्षेत्रों में पुलों के निर्माण के लिये 7.25 लाख रुपये और स्कूलों के लिये 5.35 लाख रुपये के अनुदान रोक लिये गये थे;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बांध के निर्माण कार्य को शामिल कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित परियोजनाओं के लिये नियत जो राशियां रोक ली गई, उन्हें दे दिया जायेगा और ये परियोजनाएं पूरी की जायेंगी, और

(घ) गत तीन वर्षों में टेहरी के निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुल कितनी राशि दी गयी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : भागीरथी नदी पर एक बांध बनाने की स्कीम की इस समय विस्तृत जांच हो रही है। इसको योजना में शामिल करने और/अथवा इसको कार्यान्वित करने के प्रश्न पर अनुसंधान कार्य पूर्ण होने तथा स्कीम रिपोर्ट के तैयार होने के पश्चात विचार किया जाएगा। प्रस्तावित जलाशय स्तर के नीचे के कार्य, जोकि जलमग्न होंगे, बन्द कर दिए गए हैं किन्त उसके ऊपर के कार्य किए जा रहे हैं।

(घ) 1961–62 से टेहरी–पोड़ी और अल्मोड़ा के सहवर्ती पहाड़ी क्षेत्रो में बिजली के विकास के लिए कुल लगभग 89 लाख रुपये की राशि अलाट की गई है।

Handing over of Kotwali Chandni Chowk, Delhi to Gurdwara Sisganj

*367. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have decided to hand over a portion of Kotwali, Chandni Chowk, Delhi to the Gurdwara Sis Ganj;

(b) if so, the area and the price thereof;

(c) the reasons for not giving it free keeping in view its sacred character and the sentiments of people; and

(d) whether some requests have been received by Government in this regard and if so, from whom and the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The area of the land to be transferred is 0.7 acres. The transfer will necessitate the demolition of the existing building. The estimated cost of constructing a new Kotwali building is Rs. 16.35 lakhs, excluding the cost of land. Government have considered it reasonable to recover this cost of a new building from the Gurdwara Parbandhak Committee, and the latter have agreed to this stipulation. For the present, no price for the transferred land is being charged to the Committee. However, according to

the agreement, the Committee will pay to the Government the cost of any land that the Delhi Administration may have to acquire for the new Kotwali building.

(b) The following bodies have written to the Government not to charge any price for this transfer of property;

1. All India Sikh Students' Association, Chandigarh
2. Shri Guru Singh Sabha, Calcutta.
3. Shri Guru Singh Sabha, Raipur.
4. Eastern India Sikh Council, Post Office : Kustore, District Dhanbad Bihar.
5. Shri Guru Singh Sabha, Muzaffarpur.
6. Haryana Sikh Board, Ambala City.

कृषि-प्रयोग के लिये विद्युत की दरें

*368. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को निदेश दिया है कि वे कृषि प्रयोग के लिये किसानों से बिजली की प्रति यूनिट 12 पैसे से अधिक दर न लें; और

(ख) यदि हां, तो बिहार विद्युत बोर्ड द्वारा खेती के प्रयोगों के लिये विद्युत की प्रति यूनिट कितनी दर ली जाती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने यह महसूस किया कि कृषि सम्बन्धी उपभोक्ताओं से 12 पैसे प्रतियूनिट से अधिक दर नहीं लेना चाहिए और इसलिये यह मान लिया कि 12 पैसे प्रतियूनिट से जितनी अधिक दर की राशि हो, उसको सरकार उपदान के रूप में दे दे और इस उपदान राशि को केन्द्रीय सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में बांट लें। इस स्कीम को 1-4-1966 से तीन वर्षों के लिए लागू किया गया था।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड सिंचाई और कृषि के लिए निम्नलिखित दरें लेता है:—

पहले 100 यूनिट,	प्रति	बी० एच० पी०	प्रति	मास—15	पैसे	प्रति	यूनिट
अगले 20	,,	,,	,,	,,	,, —14	,,	,,	,,
अगले 30	,,	,,	,,	,,	,, —13	,,	,,	,,
150 यूनिट से अधिक	प्रति	बी० एच० पी०	प्रति	मास—12	,,	,,	,,

Deteriorating Condition of Calcutta

*369. **Shri Brij Bhushan Lal :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 151 on the 11th November, 1968 and state :

(a) whether information regarding the deteriorating condition of Calcutta city has since been received;

(b) if so, the details thereof;

(c) the remedial steps taken in this connection and the results achieved; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d) : The Government of India have seen certain Press reports. The problems of Calcutta Metropolitan District were recognised at the beginning of the Third Plan. The Government of West Bengal set up the Calcutta Metropolitan Planning Organisation in June 1961 to prepare a comprehensive development plan for Calcutta Metropolitan District containing programmes and policies for its development. The Organisation published the Basic Development Plan for the District in January 1967. The Plan contains recommendations for a period of 20 years (1966 86), regarding drinking water supply, sewerage and drainage for the entire population in the District, roads and transportation links to facilitate the flow of people and goods within the District, clearance of slum busties through acquisition and improvement of busti land, provision of a second bridge across Hooghly to improve communication facilities between Howrah and Calcutta, and creation of new self-contained townships within the District so as to take care of the future growth of the city and to facilitate shifting of the population from congested areas. The Plan also recommends a five year action programme for taking up certain schemes on a priority basis. The Organisation has also prepared the Master Plan for Water Supply and Sewerage and Drainage in Calcutta Metropolitan District, the Howrah Development Plan, the Traffic and Transportation Plan for the District, and other related programmes and projects.

A special pool provision of Rs. 20 crores (on 50-50 basis of sharing between the Central Government and the Government of West Bengal was made during the Third Five Year Plan for the implementation of the various development schemes of the Calcutta Metropolitan District. However, an expenditure of Rs. 840.92 lakhs only was incurred by the State Government during the Third Plan period. Consequently, a sum of Rs. 420.46 lakhs (50 per cent of the total) was released to the State Government as Central assistance. This pattern was continued during 1966 67 also, when against the total expenditure of about Rs. 250 lakhs, an amount of about Rs. 125 lakhs was released as Central assistance.

The State Government have reported that from the beginning of the Third Plan to the end of the current financial year, the total outlay on various development programmes pertaining to the Calcutta Metropolitan District was about Rs. 55 24 crores (including the provision from the special pool of Rs. 20 crores). Government of India have also decided to provide an additional sum of Rs. 2.3 crores for the purpose during the current financial year.

The Government of West Bengal have proposed a Fourth Plan outlay of Rs. 43.38 crores for water supply, sewerage and drainage, traffic and transportation, slum improvement, housing and urban development, and other schemes in Calcutta Metropolitan District.

Faraka Barrage is already on the anvil and, with its completion, the position of drinking water supply in the District, as also port facilities at Calcutta Port are expected to improve. To relieve the pressure on the Calcutta Port, Haldia is being developed as an alternative port. Government of India is also providing cent percent grant assistance for the preparation of a development plan for Haldia township. The State Government have already passed a law for controlling development and another law for setting up a metropolitan water supply and sanitation authority.

वेतन में महंगाई भत्ते का मिलाया जाना

*370. श्री पदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा के विभिन्न प्रक्रमों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिला दिए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को क्या वित्तीय लाभ होने की सम्भावना है; और

(ख) इस कारण सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त व्यय किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मंहगाई भत्ते के एक अंश को मंहगाई-वेतन मान लिये जाने के कारण, सरकारी कर्मचारियों को होने वाले वित्तीय लाभों का संबंध, उनको मिलने वाले वास्तविक वेतन से ही नहीं है, बल्कि काम करने के स्थान तथा उनको मिले हुए सरकारी आवास जैसी अन्य बातों के साथ भी है ।

सामान्यत:, कर्मचारियों को पेंशन, उपदान तथा अंशदायी भविष्य निधि में वृद्धि होने से लाभ होगा । प्रतिपूर्ति के तौर पर कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, जैसे, मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति (नगर-निवास) भत्ता, परियोजना भत्ता, दूरस्थ स्थानों के लिये भत्ता, हानिकर जलवायु भत्ता, शीतऋतु भत्ते सहित पर्वतीय क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता आदि सब उन कर्मचारियों के मामले में बढ़ जायेंगे, जिनका वेतन अब मंहगाई वेतन-मिलाने से उस सीमा को पार नहीं करता जो इन भत्तों को पाने की योग्यता के लिये निर्धारित की गई हैं ।

(ख) अतिरिक्त व्यय की सही-सही रकम आंकना कठिन है । मोटे तोर से, प्रतिवर्ष 17.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है । पेंशन में मिलने वाले लाभों के संबंध में, तीसरे साल और उसके बाद के वर्षों में यह रकम 1.02 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ने की सम्भावना है, जो कोई 10-20 वर्षों में जा कर स्थिर होगी ।

Foreign Investment

*371. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of foreign capital invested in the various industries in the country;

(b) the amount remitted by the foreign companies abroad annually in form of profit;

(c) whether Government have adopted any specific policy for attracting foreign capital; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The latest figures of outstanding foreign business investments in India are available as at the end of March, 1965. A statement showing the broad industrywise break up of outstanding foreign business investments at the end of March, 1965 and approvals accorded thereafter is laid on the Table of the Lok Sabha. [Placed in Library. See No. LT-264/69]

(b) A statement showing the remittances made abroad on account of current profits accumulated profits and dividends during the years 1961-62 to 1967-68 is laid on the Table of the Lok Sabha. [Placed in Library. See No. LT 264/69]

(c) and (d) : Government's policy is to attract foreign capital into India on a selective basis in desired industrial fields where scientific, technical and industrial know-how is not indigenously available or the necessary capital equipment is not manufactured in the country. Towards this end Government has given an assurance that once foreign investment in any particular project is approved there will be no discrimination against it the foreign investors will be free to remit their profits and dividends after payment of taxes and also free to repatriate their capital.

Investment by Indian Repatriates from East African Countries

*372 **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have permitted or would permit Indian repatriates from East African countries to bring from abroad all sorts of machines for setting up industries in India;

(b) if so, in what form;

(c) whether Government have taken any steps to see that those people bring with them such machines for such specific industries which cannot be set up in this country for want of foreign exchange; and

(d) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) : The concessions for repatriates from East Africa are essentially intended to enable them to repatriate their possessions. As such they are allowed to bring all machinery owned and used by them without import licence. The concessions were first allowed in early, 1964, and in order not to cause any hardship repatriates were also allowed to import unused new machinery for which orders had been placed on or before 31st December, 1963 without import licence. Duty is exempted only where the value of machinery is less then Rs. 16,000.

As regards import of other new machinery the normal import policy is followed in the case of repatriates too, except that the repatriates are permitted to import from the country of their choice if the import is financed from their foreign exchange resources.

राष्ट्रीय आय

*373. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में पिछले वर्ष से 9.1 प्रतिशत अधिक राष्ट्रीय आय हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में मूल्यों में वृद्धि तथा इसी अवधि में बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को देखते हुए राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि पिछले वर्ष की आय से वास्तव में कितनी अधिक है; और

(ग) पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय कम थी या अधिक तथा मूल्यों और निर्वाह व्यय में वृद्धि से यह आय वास्तव में कितनी कम हो गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : नवीनतम उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 1967-68 के दौरान वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में गतवर्ष की आय से अनुमानतः 18.0 प्रति वृद्धि हुई है। वास्तव में 1967-68 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की जीवन बीमा निगम द्वारा खरीद

*374. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के शेयर बड़ी संख्या में खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शेयरों के लिये क्या मूल्य दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस खरीदारी के कारण शेयरों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है;

(घ) जीवन बीमा निगम को इतनी बड़ी संख्या में ये शेयर किन कारणों से खरीदने पड़े; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस खरीदारी के कारणों में से एक कारण यह था कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के शेयरों के मूल्य बढ़ जायें और उससे कुछ विशिष्ट वर्गों और व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम ने मामूली तौर से अपना पैसा लगाने के सिलसिले में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के सामान्य शेयरों का एक बड़ा समूह खरीदा है। जीवन बीमा निगम द्वारा अलग-अलग कम्पनियों के शेयरों के लेन-देन के ब्यौरे जाहिर करना जनहित में नहीं होगा।

(ग) इस खरीद के बाद स्टील शेयरों की कीमतें ऊपर गयी लगती हैं, जो अस्वाभाविक नहीं है।

(घ) शेयरों के लिये जो दाम दिये गये हैं उनके हिसाब से जीवन बीमा निगम इन शेयरों को अच्छा निवेश मानता है।

(ङ) जी, नहीं।

सरकारी क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों को अशोधित तेल की बिक्री

*375. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया द्वारा उत्पादित अशोधित तेल गोहाटी स्थित सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने को उस मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है जो तेल निकाले जाने के स्थान पर बेचे जाने वाले अशोधित तेल के अन्तर्राष्ट्रीय औसत मूल्य की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया लिमिटेड को अधिक मूल्य देने से इस कम्पनी का लाभ, जिसके पचास प्रतिशत शेयर वर्मा आयल कम्पनी के पास है, बढ़ गया है और इसके परिणामस्वरुप हमारी विदेशी मुद्रा, जिसे बाहर जाने से रोका जा सकता है, विदेशों को जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : क्रूड तेल का स्रोत पर कोई सांसारिक औसत मूल्य नहीं है। हवाला शायद आयात समानता की ओर है। गोहाटी शोधनशाला आयल इण्डिया को आयात–समानता के आधार पर मूल्य देती है। आयल इण्डिया को दिया जाने वाला मूल्य भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी के बीच हुए द्वितीय अनुपूरक करार की धारा 9 के अन्तर्गत, निर्धारित किया जाता है। यह न्यूनतम 9 प्रतिशत और अधिकतम 13 प्रतिशत शुद्ध लाभांश सुनिश्चित करता है। सरकारी शोधनशालाओं द्वारा न्यूनतर खपत के कारण, इस धारा के अन्तर्गत आयल इण्डिया लि० को दिया जाने वाला अन्तिम मूल्य कुछ वर्षों तक आयात-समानता मूल्य से अधिक था। फिर भी, इन दोनों मूल्यों के अन्तर का भार, गोहाटी शोधनशाला समेत, किसी भी सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाओं पर नहीं डाला गया, परन्तु उसे भारत सरकार ने पूरा किया।

1967 से अन्तिम मूल्य आयात समानता मूल्य के बराबर है या कम है। मूल्यों के अन्तर को भारत सरकार द्वारा पूरा किये जाने से विदेशी मुद्रा पर कोई परिहार्य निष्कासन नहीं रहा है क्योंकि लाभांश नीति द्वितीय अनुपूरक करार में निहित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में कोयना बांध

*376. **श्री क० लकप्पा :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना क्षेत्र में बार-बार भूकम्प के झटके लगने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में कोयना बांध को मजबूत बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च आयेगा और इससे किस सीमा तक समस्या का समाधान हो जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कोयना बांध की मरम्मत तथा उसको पक्का करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

I. तत्कालिक मरम्मत कार्य

(1) इपाक्सी रेसिन और पोलिस्टर द्वारा कोयना में दरारों में पतली भराई करना ।

(2) स्टील मेश द्वारा पक्की की गई गुनाइटिंग की तह द्वारा बांध में दरारों को बन्द कर देना ।

(3) हाइड्रोस्टेटिक दबाव को खत्म करने के लिए बांध में निकास छिद्र बनाना ।

(4) पूर्व परिबलित केबलों द्वारा सात उच्च मोनोलिथों को मजबूत करना ।

II. बांध को स्थाई रूप से पक्का करना

यह फैसला किया गया है कि बांध के अनुस्रात भाग को और कंक्रीट डाल कर पक्का कर दिया जाए ।

(ख) तात्कालिक मरम्मत कार्य और स्थायी दृढ़ीकरण कार्य पर लगभग 5.50 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

आशा है कि इन दृढीकरण उपायों से यह बांध दिसम्बर, 1967 के जैसे भूकम्पों का, सुरक्षित रहकर, बर्दाशत कर सकेगा ।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के मूल्य

*377. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों के मूल्य हाल ही में बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां । कुछ राज्यों की रिपोर्टों से इंगित होता है कि आयुर्वेदिक/यूनानी औषधियों के मूल्य कुछ हद तक बढ़ गये हैं ।

(ख) मुख्य कारण कच्चे माल के मूल्य, मजदूरी प्रभार आदि में वृद्धि है ।

(ग) इस समय आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध-तन्त्र (Sidhha Systems) की सारी दवाईयां, औषध मूल्य (प्रदर्शन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आती हैं । परन्तु उनकी पर निगहरानी रखी जायेगी और सरकार जब कभी आवश्यक होगा यथा सम्भव उपाय अपनायेगी ।

"निरोध" को डोलून के रूप में बेचना

*378. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में प्लास्टिक के गर्भ निरोधक "निरोध" को बैलून के रूप में बच्चों को बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कथित अपराधों को पकड़ा गया है तथा दण्ड दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : निरोध जो रबड़ से बना एक गर्भ निरोधक है, बच्चों को गुब्बारे के रूप में नहीं बेचा जाता है। इसे एक गर्भ निरोध के रूप में मुफ्त या बहुत रियायती कीमत पर बेचा जाता है। फिर भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गुब्बारे के रूप में निरोध के दुरुपयोग किए जाने के समाचार मिले हैं।

(ग) और (घ) : यद्यपि निरोध गर्भ निरोध के लिए दिया जाता है, फिर भी इसका किसी और रूप में प्रयोग करना किसी भी वर्तमान कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं है। निरोध के वितरकों के साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत की गई है जिससे, जहां तक सम्भव हो सके, निरोध का दुरुपयोग रोका जाए।

बिहार तथा उड़ीसा की बाढ़ समस्याओं सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*379. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उड़ीसा की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : अघवाड़ा नदियों की बाढ़ समस्याओं की जांच करने के लिए और उत्तरी बिहार की निकास सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्रमशः 1964 और 1965 में भारत सरकार ने विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। बिहार राज्य सरकार ने 1965 में कोसी की शेष बाढ़ समस्याओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की।

उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य की बाढ़ समस्याओं की जांच करने के लिए 1959 में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की।

बिहार राज्य सरकार अधवाड़ा बेसिन के लिए सुझाई गई बाढ़ नियन्त्रण स्कीमों का विस्तृत अध्ययन कर रही है। निकास में सुधार संबंधी सुझावों पर राज्य सरकार विचार कर

रही है। दगमारा बराज को छोड़ कर, कोसी समिति द्वारा की गई अधिकतर सिफारिशें बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गये कुछ कार्य, धन की उपलब्धता के अनुसार, उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों की अखिल भारतीय संस्था

*380. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का विकास करने के लिये स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली से सम्बन्धित विशेषज्ञों की अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्था के उद्देश्य और कृत्य क्या हैं और इसको कब स्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान कार्य का विकास करने के लिये 1979–70 में एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करने का विचार है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ

*381. **श्री रा० बरूआ :**
श्री नि० र० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी उपलब्ध होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नये प्रस्ताव पर कुल कितना धन खर्च आयेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : यह प्रस्ताव सरकार को मान्य है। फिर भी बजट तथा प्रशासनिक विवरण तय करने हैं जिसमें कुछ समय लगेगा। 28 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अनिवार्य जमा योजना

*382. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 को लौटाई जाने वाली अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1968 को कुल कितनी राशि जमा की और उस पर ब्याज कितना है; और

(ख) पूरी धन राशि को (मूल तथा ब्याज सहित) 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर सरकार के पास कितनी अवधि तक रखा जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गयी रकमों में से 31 दिसम्बर, 1968 को लगभग 28.8 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। इसमें से लगभग 25 करोड़ रुपये की रकम 1969-70 में चुकाने योग्य हो जायेगी और उस पर दिया जाने वाला ब्याज लगभग 5 करोड़ रुपया होगा।

(ख) जमा-कर्ता इस योजना के अन्तर्गत जमा की गई अपनी रकम जितने समय तक चाहे सरकार के पास रख सकता है। उसे उस रकम पर आय-कर मुक्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज मिलता रहेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों के भत्ते

*383. **श्री हेमराज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी लोक सभा में उनसे पहले वित्त मन्त्री ने ऊंचाई एवं क्षेत्र के आधार के सिद्धान्त पर दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने का आदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : पर्वतीक्षेत्रों में तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते की दरें निर्धारित करने में ऊचाई एवं दूरी के सिद्धान्त को अपनाने के लिए माननीय सदस्य से, 1964 में तत्कालीन वित्त मन्त्री को एक सुझाव प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई थी और व्यावहारिक कारणों से उसे स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

बर्मा शैल द्वारा उर्वरक कारखाने की स्थापना

*384. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री म० सुदर्शनम :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री भोला नाथ मास्टर :**
श्री प० मु० सईद :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में अपनी रिफाइनरी के निकट उर्वरक कारखाना लगाने के लिए बर्मा शैल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किन कारणों से अस्वीकार किया गया है;

(ग) क्या किसी अन्य रिफाइनरी से कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : मैसर्स बर्मा शैल ने भारत में एक उर्वरक परियोजना की स्थापना के लिए पेशकश की थी परन्तु उसने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Flood Control Programme

***385. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sitaram Kesri :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the further progress made in the effective implementation of flood control programme;

(b) whether any amount has been earmarked for this purpose for 1969-70; and

(c) the names of projects which will be implemented first under this programme ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Since 1954, when a sysstematic flood control programme was initiated 54 lakh hectares (134 lakh acres) had been given protection from floods up to the end of the Third Plan. The flood control works included the construction of 7062 km (4388 miles) of embankments, 8,727 km (5422 miles) of drainage channels, 164 town protection works and raising of 4,582 villages above flood level. It is estimated that during the period from 1-4-1966 to 31-3-1969, the works executed would have afforded protection to another 10 lakh hectares (25 lakh acres).

(b) and (c) : Flood Control schemes are included in the State Sector and the annual plan is not yet finalised. The provision of funds for 1969-70 may be of the order of Rs. 13 crores, most of which would be required for continuing schemes.

मिलावट के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिये दण्डात्मक उपाय

***386. श्री समर गुह** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनावटी औषधियों के उत्पादन तथा चर्बी, तेल, शिशु-आहार और डिब्बा बन्द विभिन्न अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत बढ़ रही है ;

(ख) 1967–68 में देश भर में ऐसी वस्तुओं के लिये पुलिस द्वारा मारे गये छापों की रिपोर्ट क्या है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विरुद्ध की जा रही ऐसी कार्यवाहियों के लिये अधिक दण्डात्मक उपाय लागू करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ऐसे निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिये कोई प्रमाण नहीं हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा औषधि अधिनियम में पहले से ही 1964 में कतिपय संशोधन करके इनके दाण्डिक उपबन्धों को और अधिक कठोर बना दिया गया है ।

Flats For Members of Parliament

*387. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of flats constructed for the purpose of allotment to M. Ps. and reserved for their accommodation;

(b) the difficulties in letting them out on rent to other persons in case Members of Parliament are not willing to occupy them; and

(c) the extent of loss being suffered by Government on account of their maintenance and on account of their being vacant in terms of market rent ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) 722 units comprising bungalows, flats and apartments are reserved in the Pool of accommodation for Members of Parliament. This number will be reduced by 23 units by the conversion of 46 corner flats into one unit of two flats each.

(b) The allotment of accommodation in the MPs Pool is made by the respective House Committee of the Parliament. The accommodation declared surplus by these Committees, from time to time, is allotted temporarily to Government servants.

(c) These residences remain vacant for short periods for unavoidable reasons and any loss, on this account, is entirely of a notional character. No estimate is readily available of the difference between the actual and the theoretically maximum realisable rent in these cases.

आयल इण्डिया लिमिटेड में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त करना

*388. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आयल इण्डिया लिमिटेड में 50 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त करने के लिये और क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनका क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): 11-11-1968 को पूछे गये प्रश्न संख्या 70 के भाग 'ख' के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

*389. श्री स० चं० सामन्त :
श्री निहाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास स्थान की व्यवस्था करने में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में, विभिन्न स्थानों पर, सामान्य पूल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है :-

दिल्ली । नई दिल्ली : 628 क्वार्टर पूरे किए जा चुके हैं तथा 952 पर कार्य चालू है। शीघ्र ही 224 अन्य एककों का निर्माण-कार्य दिए जाने की संभावना है। अन्य 400 क्वार्टरों के लेआऊट प्लान के सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा हो रही है। 278 क्वार्टरों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रलेख आदि तैयार करने की आगे की प्रक्रिया के अवस्था में है।

बम्बई : 1104 क्वार्टर पूरे किए गए, 640 पर कार्य चालू है, तथा शीघ्र ही 132 पर कार्य आरंभ होने की संभावना है।

कलकत्ता : 84 क्वार्टर पूरे किए गए तथा 416 पर कार्य चालू है।

मद्रास : 126 क्वार्टर निर्मित किए गए और 192 पर कार्य चालू है।

नागपुर : 228 क्वार्टर पर कार्य चल रहा है।

चण्डीगढ़ : 132 क्वार्टरों पर कार्य चल रहा है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित स्थानों पर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, लगभग 15,000 रिहायशी यूनिटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि समय-समय पर निधियां उपलब्ध होती रहें।

मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाया जाना

*390. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में वेतन के साथ महगाई भत्ता मिला दिये जाने के कारण 380 रुपये और 500 रुपये के बीच वेतन पाने वाले असख्य सरकारी कर्मचारियों को, उनका समयोपरि भत्ता, मकान किराया भत्ता (किराये की रसीद न देने की स्थिति में), बच्चों की शिक्षा का भत्ता, शुल्क की प्रतिपूर्ति, त्यौहार के अवसर पर अग्रिम धन-राशि तथा अन्य लाभ बन्द हो जाने तथा सरकारी क्वार्टरों का अधिक किराया लिये जाने के कारण बड़ी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) क्या यह घोषणा होने के बाद सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिये उत्पन्न हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए समाचार पढ़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये मूल वेतन में 120 रुपये मंहगाई वेतन जोड़ कर वेतन-सीमा 500 रुपये से बढ़ा कर 620 रुपये करके कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ;और

(घ) यदि हां, तो कब तक और उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों का मूल वेतन निम्नलिखित वेतन श्रेणियों में है और वेतन में महगाई भत्ता मिलाये जाने से पहले जिनको वेतन श्रेणियों के सामने लिखे भत्ते मिलते थे, वे अब मकान किराया भत्तो, अतिरिक्त समय भत्ता आदि पाने के हकदार नहीं रहे, क्योंकि महगाई भत्ते के कुछ अश को मंहगाई वेतन मानने के निर्णय के कारण उनके वेतन इन भत्तों/रियायतों को पाने की निर्धारित वेतन-सीमाओं के बाहर हो गये हैं ।

भत्ता/रियायत	वेतन श्रेणी
श्रेणी 'ग' नगरों में मकान किराया भत्ता तथा श्रेणी क, ख-1 और ख-2 नगरों में किराये की रसीद पेश किये बिना मिलने वाला मकान-किराया-भत्ता	391-500
अतिरिक्त-समय-भत्ता	390-499
शिक्षण-शुल्क की प्रतिपूर्ति	481-600

380-500 श्रेणी में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस निर्णय से पहले भी सन्तान-शिक्षा-भत्ता और त्यौहार-अग्रिम-धन पाने का हक नहीं था । परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों में वेतन पाने वाले जो कर्मचारी पहले इन लाभों को पाने के हकदार थे वे अब इन्हें पाने के हकदार नहीं रहे ।

सन्तान-शिक्षा-भत्ता	240-349
त्यौहार-अग्रिम-धन	266-375

इसके अतिरिक्त, जो कर्मचारी पर्वतीय-क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता, हानिकर जलवायु भत्ता, दूरस्थ स्थानों के लिये भत्ता आदि तथा ऐसे अन्य लाभ पाते थे जिनके लिये वेतन की उच्चतम

सीमा निर्धारित है, वे कर्मचारी अब इन भत्तों को पाने के हकदार नहीं रहेंगे, यदि उनके वेतन में मंहगाई वेतन मिलाने से उनका वेतन निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक हो जात हो।

जो कर्मचारी सरकारी आवास का किराया वेतन के प्रतिशत की दर से अदा कर रहे हैं उनसे लिये जाने वाले किराये के निर्धारण में मंहगाई वेतन को भी हिसाब में लिया जायेगा।

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा उनके संघों से अभ्यावेदन मिले हैं कि जो भत्ते और रियायतें इस प्रकार की वेतन-सीमाओं पर निर्भर करते हैं, उनके लिए निर्धारित वेतन सीमाओं में संशोधन किये जाय।

(ग) और (घ) : संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि मंहगाई भत्ते का कुछ अश सभी प्रयोजनों के लिये वेतन माना जाय। सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया और एतदनुसार आदेश जारी कर दिये। इस निर्णय से कर्मचारियों को अनेक लाभ है। इससे कर्मचारियों के कुछ वर्गों को हानि भी है। मंहगाई भत्ते के कुछ अंश को मंहगाई वेतन मानने के निर्णय से सामने आने वाले लाभों और हानियों को मिलाकर ही देखना होगा।

हृदय के रोगों के लिये भारतीय जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करना

2251. श्री बाबू राव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी की उस फर्म का नाम तथा पता क्या है जिसने हृदय के रोगों के लिये भारतीय जड़ी बूटी, "पेल्ला के नार" (थेवेतिया नेरीफोलिया) से निकाले गये "पेरूवोसाइड" की गोलियां तथा एम्प्यूलों का निर्माण करने की जिम्मेदारी ली है;

(ख) यह जड़ी बूटी हृदय के किन रोगों में उपयोगी सिद्ध हुई हैं;

(ग) इस जड़ी बूटी से तैयार की गई औषधियों की लाक्षणिक परीक्षा के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने क्या प्रबन्ध किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि होम्योपैथ काफी समय से हाथार्न बैरीज (क्रेटीगस आक्सीयाकंठा) नामक एक और जड़ी बूटी का हृदय के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करते रहे है ; और यदि हां, तो इस में इस जड़ी बूटी के बारे में योजना न बनाने तथा इसे प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मैसर्स ई० मेर्क डर्मस्टाड्ट

61, डर्मस्टाडट

फ्रैंकफर्ट, पश्चिमी जर्मनी।

(ख) मुख्यतया रक्तसंकुल हृद्विफलता में।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने पेरुवोसाइड से नैदानिक परीक्षण करने के लिए छः प्रसिद्ध चिकित्सकों और कार्डियोला जिस्टों की व्यवस्था की है।

(घ) विश्व के होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा बड़े पैमाने पर इस औषधि का उपयोग किया जाता है और सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को इसकी भली-भांति जानकारी हैं। इसके सम्बन्ध में योजना बनाने तथा इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2252. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय हुआ तथा गर्भ-निरोध के साधनों पर वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ख) राज्य-वार पहनाये गये लूपों तथा पुरुषों तथा महिलाओं के किये गये बन्ध्यी-करण आपरेशनों और उन पर किये गये व्यय के आदिनांक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये निकट भविष्य में धर्म-वार आंकड़े रखने का इरादा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 265/69]**

उर्वरक कारखानों के लिये उत्प्रेरकों (कैटलिस्टों) की आवश्यकता

2253. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे उर्वरक कारखानों में प्रति वर्ष किन किन, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है, और प्रति वर्ष कितने उत्प्रेरकों का किन-किन देशों से आयात किया जाता है;

(ख) आयोजन तथा विकास डिवीजन, सिन्दरी में किन-किन, कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उत्प्रेरक तैयार किये जाते है और इन को तैयार करने वाले उच्च वैज्ञानिक का नाम क्या है;

(ग) भारत में तैयार किये गये उत्प्रेरकों का इस समय किन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि क्योंकि हम पैट्रोलियम और पेट्र-रसायन उद्योगों के लिये उत्प्रेरक तैयार नहीं कर सकते हैं इसीलिये हमें प्रतिकूल शर्तों पर विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करना पड़ता है; और

(ङ) इन उत्प्रेरकों को हमारे वैज्ञानिक क्यों तैयार नहीं कर सकते हैं और इस दिशा में अपने वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1970 तक उर्वरक उद्योग में उत्प्रेरकों के खपत के अनुमानित ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :-

उत्प्रेरक का नाम	मात्रा (मीटरी टन)
1. जस्ता आक्साइड	6392
2. का-मो हाइड्रोडे-सल्फरिजेशन	77
3. रिफार्मिंग	459
4. को-कनवर्शन एच० टी०	1192
5. को-कनवर्शन एल० टी०	1031
6. मेथानेशन	155
7. अमोनिया सिन्थेसिज	758

इनके मूल्य और संशोधन, जहां से ये उपलब्ध होंगे, तुरन्त उपलब्ध नहीं है । उत्प्रेरक का चुनाव तथा इसकी सप्लाई का स्त्रोत उन प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, जिन्हें व्यक्तिगत परियोजनाओं उर्वरकों के निर्माण में इस्तेमाल में लाएं ।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन और विकास प्रभाग ने सूचित किया है कि इस समय इस के पास निम्न उत्प्रेरकों के निर्माण के लिए क्षमता है :-

उत्प्रेरक	मीटरी टनों में वर्तमान क्षमता
1. डीसल्फयूरीजेशन आयरन आक्साइड मास	1000
2. जस्ता आक्साइड डी सल्फयूरीजेशन	300
3. प्राथमिक शोधन उत्प्रेरक (नेफ्था और गैस)	300
4. सकेण्डरी रिफार्मर उत्प्रेरक आक्सीजान और भाप सहित	
5. मेथानेशन उत्प्रेरक	
6. निम्न तथा मध्यम दान के लिए उच्चताप को-कनवरसेशन उत्प्रेरक	850
7. निम्नताप को-कनवरसेशन उत्प्रेरक	300
8. अमोनिथा संश्लिष्ट उत्प्रेरक	200

पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजन और विकास प्रभाग द्वारा बेचे गये समस्त उत्प्रेरकों की कुल मात्रा और उनका लगभग मूल्य निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मीटरी टनों में मात्रा	लगभग मूल्य लाख रुपयों में
1967–68	369.58	26.48
1968–69	609.27	43.31

(उत्प्रेरक वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है)

महा प्रबन्धक डा० के० आर० चक्रावर्ती के पथप्रदर्शन के अधीन आयोजन और विकास प्रभाग के वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरकों का विकास किया है।

(ग) उर्वरक उद्योग के अतिरिक्त, गन्धकीय अम्ल उद्योग तथा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल उद्योग भारतीय विकसित उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं। सारे यूनिटों से, जिन्होंने उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया है अधिकश्रम एवं समय-खपत जांच किये बिना, इसके परिणाम-स्वरूप बची विदेशी मुद्रा को सही रूप में बताना सम्भव नहीं है।

(घ) क्योंकि पैट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उत्प्रेरकों तथा कुछ उर्वरक उत्प्रेरकों को भारत में अभी तैयार नहीं किया है या वे विकास के विभिन्न चरणों में हैं, इस लिये अन्य शर्तों सहित निम्न शर्तों पर एक विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है :-

(i) उत्प्रेरकों के प्रकार और मात्राएं, जो भारतीय बाजार में बेचे जायेंगे, समय समय पर सरकार के अनुमोदन पर निर्भर होंगी।

(ii) वार्षिक उत्पादन का 33⅓ प्रतिशत से कम निर्यात नहीं किया जायेगा।

(ङ) हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उत्प्रेरक तैयार न करने का कोई कारण नहीं है, परन्तु तकनीकी का पहले विकास होना है। उत्प्रेरकों के विकास और निर्माण के लिए प्रशिक्षण कोई मद नहीं है। उत्प्रेरक निर्माण के क्षेत्र में देशीय तकनीकी विकास के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को समस्त सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है।

Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society

2254. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the present address of the office of the Delhi State Teachers' Cooperative Housing Society and the number of times it has been changed ;

(b) whether the Society has issued the share certificates to all its members and has also sent the names of all its members to the Delhi Development Authority; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : The Government of India is not primarily concerned with the subject.

बरौनी में उर्वरक कारखाना

2255. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह निश्चित समय में पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) संयन्त्र और मशीनरी की सप्लाई तथा सामग्री को जहाज द्वारा भेजने के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित रुपांकन, इंजीनियरिंग और प्राप्ति-कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है। 200 क्वार्टरों के निर्माण के लिए ठेकेदारों को चुन लिया गया है और क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरु हो गया है।

(ख) और (ग) : प्रारम्भिक अवधि में भूमि की प्राप्ति में देरी और लगभग 6 महीने तक देशीय निर्मित उपकरण की प्राप्ति में सम्भावित विलम्ब के कारण यह सम्भावना है कि परियोजना के पूरे होने के कार्यक्रम पर कुछ हद तक प्रभाव पड़े। परियोजना के पूरा करने के कार्यक्रम में यथार्थ सम्भावित देरी के बारे में इतना पहले बताना कठिन है।

Residential Quarters for Central Government Employees in Madhya Pradesh

2256. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that residential quarters have not so far been alloted to the Central Government employees in Madhya Pradesh and the State Government have been advised to provide assistance to them in this regard;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (c) : There is no general pool accommodation under the control of the Directorate of Estates in Madhya Pradesh for allotment to the Central Government employees posted in various cities in that State. The question of allotment of general pool accommodation to Central Government employees in Madhya Pradesh, therefore, does not arise.

The Government of India and all the State Governments expect Madhya Pradesh and West Bengal have mutually agreed that when residential accommodation owned by the Government of India is provided by that Government to the officers of those State Governments who have entered into reciprocal arrangement, by official arrangement or vice versa, the rent for such accommodation shall be charged at the rate of 10% of the emoluments or the standard rent of the building adopted by either Government for their own employees, whichever is less. Since the Madhya Pradesh Government withdrew from reciprocal arrangement with the Government of India, it has not been considered advisable to request the State Government to provide residential accommodation to the Central Government employees stationed in various cities in Madhya Pradesh.

Minerals in Madhya Pradesh

2257. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantity of minerals produced in Madhya Pradesh during 1967 was less than the quantity of minerals produced in 1966;

(b) if so, the extent thereof and the names of minerals which were produced less and the comparative figures thereof for the years 1966 and 1967, respectively;

(c) the reasons therefor;

(d) the extent of loss suffered as a result of fall in the production of the said minerals; and

(e) the action taken by Government for increasing the production ?

The Minister of State in the Ministry of Pertoleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (e) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

गंगा-कबोडक परियोजना

2258. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कबोडक परियोजना का अध्ययन करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान को भेजे गये भारतीय विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): भारतीय विशेषज्ञ दल ने अपने छोटे दौरे के दौरान जिस क्षेत्र के मौकों का प्रेक्षण किया था उनकी रिपोर्ट में उसी का वर्णन किया गया है। इन प्रेक्षणों से विशेषज्ञ स्तर पर तकनीकी विचार विमर्श में सहायता मिलेगी।

चण्डीगढ़ में सरकारी भवनों का किराया

2259. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा की सरकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली इमारतों के किराये के रूप में दोनों सरकारों को अब तक चण्डीगढ़ प्रशासन को कितनी बकाया राशि देय है ;

(ख) दोनों सरकारों ने अब तक कितनी राशि का भुगतान किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारों द्वारा प्रयुक्त इमारतों का संधारण चण्डीगढ़ प्रशासन का उत्तरदायित्व है ;

(घ) यदि हां, तो पंजाब और हरियाणा की सरकारों द्वारा इमारतों के प्रयोग की अवधि में चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित राशि पंजाब और हरियाणा की सरकारों से प्राप्त हो गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 2,57,16,339

(ख) 33,08,627 रुपये (सरकारी कर्मचारियों से उनकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत की दर से मकान के किराये की मद में वसूल किये गये) ।

(ग) जी हां ।

(घ) 31 जनवरी, 1969 तक 67.25 लाख रुपए ।

(ङ) जी नहीं ।

Funds for Family Planning Programme

2260. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthy :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount allocated for family planning in the first three Five Year Plans separately;

(b) the amount earmarked for this purpose for 1969-70;

(c) the amount proposed to be earmarked for family planning in the Fourth Plan;

(d) whether it is a fact that sizeable portion of the funds earmarked for family planning are not utilised; and

(e) if so, the steps being taken by Government for proper utilization of these funds ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) : The following amounts were allocated for Family Planning during the first three Five Year Plans :

First Plan (1951-56)	Rs. 65.00 lakhs
Second Plan (1956-61)	Rs. 497.00 lakhs
Third Plan (1961-66)	Rs. 2697.57 lakhs

(b) Rs. 42 crores.

(c) The Planning Commission have tentatively earmarked a provision of Rs. 300 crores for this programme during the Fourth Plan.

(d) and (e) : No. Only some small portions of the budget provisions for family planning remain unutilised because of the shortfalls in development of organisational

set ups, timelag in construction activities, short utilisation of grants etc. Steps are being taken through periodic discussions with the States to ensure that the various activities relating to this programme are adequately stepped up to ensure timely and proper utilisation of funds.

उत्तरी बम्बई में निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी

2261. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 दिसम्बर, 1968 को उत्तरी बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों को एक ट्रक के 5.5 करोड़ रुपये के मूल्य के निषिद्ध वस्त्र बरामद हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या माल बरामद हुआ ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी भी गिरफ्तार किये गये थे ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : इस प्रकार के किसी के माल के 9 दिसम्बर, 1968 को पकड़े जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है । अलबत्ता 10 दिसम्बर, 1968 को बम्बई के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने लालबाग में छोड़े हुए एक ट्रक में से 5.35 लाख रुपये के मूल्य का नायलान क्रेप तथा चमकीला धागा पकड़ा ।

(ग) तथा (घ): अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

पंजाब में पानी का जमा हो जाना

2262. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री बलराज मधोक :
श्री रणजीत सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य पानी के जमा हो जाने से बुरी तरह से प्रभावित है ;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये एक योजना का प्रस्ताव किया है और उसने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह चौथी योजना में इस गम्भीर समस्या को हल करने के लिये इसे वित्तीय सहायता दे ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह सूचना मिली थी कि पंजाब में 1966 वर्ष के दौरान 14 लाख एकड़ भूमि में जल जमाव था।

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये पंजाब सरकार से कोई विशेष स्कीम प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली को नया रूप देना

2263. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की राजधानी में कनाट प्लेस को नया रूप देने में सरकार को कितना समय लगा है; और

(ख) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने कनाट प्लेस के पुनर्विकास सम्बन्धी कार्य को जुलाई, 1968 के आरम्भ में शुरु किया था। इस कार्य का प्रमुख भाग पूरा हो चुका है। केवल पगडण्डी आदि का छुट-पुट काम पूरा किया जा रहा है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार इस काम पर लगभग 7.50 लाख रुपये खर्च किये जाने हैं। इस खर्च में सर्कुलर पार्क के भीतरी भाग (ग्रीन) के विकास का व्यय सम्मिलित नहीं है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड

2264. **श्री दे० अमात :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड को गत तीन वर्षों में अनियमितताओं, चोरी तथा भण्डार में कमी होने के कारण अथवा अन्यथा वर्ष-वार कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इसकी कार्यप्रणाली में दोषों का पता लगाने तथा इसको सुधारने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कम्पनी ने हानि की दो घटनाओं की सूचना दी है—

(I) 1966-67 में लगभग 11,336 रुपये की स्टाक की कमी;

(II) 1968-69 में आग लग जाने से लगभग 10,621 रुपये की हानि ।

(ख) जी हां। 1966-67 की स्टाक की कमी की जांच की गई थी और मालूम हुआ कि इस के लिए निर्माण-पद्धति में वाष्पशील सामग्री का वाष्पीकरण तथा देख-रेख हानियां मुख्य कारण थी । 1968-69 में आग दुर्घटना के लिए नियुक्त समिति ने जांच करने के बाद आग की रोकथाम के उपायों में वृद्धि के लिए सिफारिश की है ।

(ग) सरकार ने कोई विशेष कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि कम्पनी ने मामलों पर पहले से ही ध्यान दिया है ।

बिहार में ग्रामों का विद्युतीकरण

2265. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के अन्तर्गत बिहार में ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिव्यय विद्युतीकरण किये जाने वाले गांवों की संख्या तथा बिजली की अपेक्षित मात्रा क्या होगी ; और

(ग) खजरिया तथा बगुसराय उपखण्डों में क्रमशः कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ;

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली विकास के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव भेजे हैं । इन प्रस्तावों में 125000 सिंचाई पम्पों को अर्जित करने और लगभग 1250 ग्रामों को बिजली देने के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यय राशि शामिल है । बोर्ड ने सूचित किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 250 मैगावाट बिजली की आवश्यकता होगी ।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि विस्तृत ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम धन की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर बनाया जा रहा है और कि 1969-70 के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः खगरिया और बेगुसारी उप-मण्डलों के कितने ग्रामों को बिजली दी जायेगी, यह बताना सम्भव नहीं है ।

खगरिया सब-डिवीजन (बिहार) गंगा के साथ तटबन्ध का निर्णय

2266. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगरिया सब-डिवीजन में परबाटा एंकर में वर्ष 1969-70 में गंगा की आगामी बाढ़ को रोकने के लिए तटबन्ध को सुदृढ़ किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय करने का अनुमान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसर्स भारत निधि लिमिटेड पर कर की बकाया राशि

2267. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या वित्त मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत निधि लिमिटेड से आयकर की बकाया राशि की वसूली को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या बकाया राशि को वसूल कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1961-62 तक की अपीलों का अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा अब फैसला किया जा चुका है, जिसके कारण 28.30 लाख रुपये की मांग घटाकर 11·37 लाख रुपये की कर दी गयी है । इन कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में निर्धारिती ने आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहां अगली अपील की है । कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के सम्बन्ध में 3.12 लाख रुपये की एक अन्य मांग अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्त द्वारा अपील का फैसला किये जाने तक स्थगित की गयी है ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । कर-निर्धारिती ने कर-निर्धारण वर्ष 1959-60 से 1961-62 के सम्बन्ध में 11.37 लाख रुपये की मांग की वसूली स्थगित रखने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से प्रार्थना की है और मामले पर अभी विचार किया जा रहा है । कर-निर्धारिती ने वसूली-स्थगित कराने के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से भी प्रार्थना की थी, जिस पर यह निर्णय किया गया था कि यदि कर-निर्धारिती 5 लाख रुपये अदा करना मंजूर करे तो शेष मांग की वसूली (ब्याज की अदायगी शर्त पर) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील का निपटान होने तक स्थगित की जा सकती है । परन्तु कर-निर्धारिती ने फिर से दरख्वास्त दी है जिस पर विचार किया जा रहा है । कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के सम्बन्ध में 3.12 लाख रुपये की मांग अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपील का फैसला होने तक स्थगित कर दी गयी है ।

खगरिया सब-डिवीजन (बिहार) में मिट्टी के तेल की सप्लाई

2268. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगरिया सब-डिवीजन में मिट्टी के तेल की सप्लाई में इस बीच सुधार हो गया है ; और

(ख) जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1968 की अवधि में इस सब-डिवीजन को प्रतिमास कितना मिट्टी का तेल दिया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) जनवरी, 1968 से दिसम्बर, 1968 की अवधि में खगरिया सब–डिवीजन को मिट्टी के तेल की सप्लाई के मासिक आंकड़े निम्न प्रकार है :—

	(आंकड़े किलो लिटर में)
जनवरी, 1968	115
फरवरी, 1968	106
मार्च, 1968	225
अप्रैल, 1968	218
मई, 1968	41
जून, 1968	140
जुलाई, 1968	198
अगस्त, 1968	172
सितम्बर, 1968	197
अक्तूबर, 1968	145
नवम्बर, 1968	197
दिसम्बर, 1968	162

Revision of Pay Scales

2269. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of posts for the revision of scales of which proposals have been received by his Ministry from various Ministries during the last two years ;

(b) the posts in respect of which pay scales have been revised; and

(c) The number of posts the pay scale of which are under consideration in the Ministry for revision at present.

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The requisite information for the years 1966-67 and 1967-68 is not readily available. This will be collected and laid on the Table of the House as soon as possible.

(c) The information is not readily available. Information regarding the number of posts, the pay scales of which were under consideration in this Ministry as on 1.2.1969, will also be collected and laid on the Table of the House alongwith (a) and (b).

बलिया और आजमगढ़ में भूमि का कटाव

2270. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा तथा घाघरा नदियों द्वारा क्रमशः बलिया तथा आजमगढ़ में भूमि कटाव किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत सरकार के मुख्य इंजीनियर; उत्तर प्रदेश सरकार और उन्होंने इसका निरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या सुझाव दिये गये हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सिचाई व बिजली मन्त्री ने गंगा के कटाव स्थल का निरीक्षण किया था । घाघरा के कटाव स्थलों का निरीक्षण हाल ही में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और राज्य सरकार के मुख्य इंजीनियरों द्वारा किया गया था ।

(ग) बलिया जिले में गायघाट पर गंगा द्वारा कटाव को रोकने के लिए राज्य सरकार के इंजीनियरों द्वारा बनाए गए प्रस्तावों का कुछ दिन पहले पुनरवलोकन किया गया था और उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे किफायती स्कीम बनाने के लिए प्रारूप प्रयोग करें ।

राज्य के इंजीनियरों को सलाह दी गई है कि घाघरा के साथ तुर्तीवार श्रीनगर बंध के 36–38 वें मीलों के क्षेत्र में रिटायर्ड बन्ध को पूरा कर दें और बड़े बड़े गांवों को जलमग्न होने से बचाने के लिये रिंग बंधों की व्यवस्था की सम्भाव्यता की भी जांच करें । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे कटाव–रोधी उपायों की व्यवहार्यता और अर्थ सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए अनुसन्धान और प्रारूप अध्ययन करें ।

घाघरा के साथ साथ हाहा नाला बंध के 2–2 से 5 वें मील के क्षेत्र में रिटायर्ड तटबन्ध को पूरा करने के लिए राज्य के इंजीनियरों को सलाह दी गई है ।

Accounts Maintained by Indians abroad

2271. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total amount deposited by the Indian citizens in foreign countries;

(b) the names of such persons as have deposited rupees ten thousand or more; and

(c) the sources from which they got this money ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : Necessary information regarding balances as at the end of December, 1968 is being collected and a statement will be laid on the Table of the House.

(c) Normally no remittances are allowed from India for opening or feeding of individual bank accounts abroad. The deposites in these accounts mostly represent or have been created out of the earnings abroad.

विदेशों को धन भेजना

2272. श्री ए० श्रीधरन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री क० लकप्पा :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में विदेशी कम्पनियों अथवा विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों ने लाभ और लाभांश के रूप में विदेशों को कितना धन भेजा, तथा यह विदेशी साधनों से प्रति वर्ष देश में शुद्ध सामान्य शेयर से प्राप्त हुई राशि की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन वर्षों में प्रति वर्ष लाभ अथवा लाभांश और स्वामित्व तथा तकनीकी जानकारी के रूप में जो धन बाहर भेजा गया वह विदेशी कम्पनियों तथा अन्य विदेशी साधनों से देश में प्राप्त हुई सामान्य शेयर की राशि से अधिक थी ; और

(ग) देश की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट होने से बचाने तथा इसे स्थिर रखने के लिए विदेश को जाने वाले तथा देश में आने वाले धन को बराबर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : एक विवरण लोक सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र की, विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों की शाखाओं, विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों, विदेशियों के हाथ कम शेयर बेचकर स्थापित की गयी भारतीय कम्पनियों और विदेशी पूंजी के बिना केवल विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त करने वाली अन्य भारतीय कम्पनियों द्वारा 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के वर्षों मे लाभ, लाभांश और अधिकार-शुल्क की तथा तकनीकी जानकारी के बदले दी जाने वाली फीस की विदेश भेजी गई कुल रकमों का ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-266/69] इस विवरण में, 1967-68 के आंकड़े विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा विदेश भेजी गई लाभ की रकमों के ही है। अन्य सभी प्रकार की प्रेषणाओं के सम्बन्ध में 1967-68 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त वर्षों में विदेशों से प्राप्त वास्तविक सामान्य शेयर पूंजी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किसी विशेष वर्ष में विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों के लाभ और विदेशी कम्पनियों

की भारतीय सहायक कम्पनियों के लाभांश की बाहर भेजी गई रकमों की तुलना उसी वर्ष में अल्प संख्यक विदेशी शेयर-होल्डरों वाली कम्पनियों समेत सारी भारतीय कम्पनियों में विदेशियों द्वारा लगायी गयी वास्तविक सामान्य शेयर पूंजी की रकमों से करना, आर्थिक दृष्टि से, किसी भी हालत में, उपयोगी नहीं है । इसके अलावा किसी वर्ष में बाहर भेजी जाने वाली लाभ और लाभांश की कुल रकम का सम्बन्ध लम्बे अर्से से भारत में लगी कुल बकाया विदेशी पूंजी से होने वाली आय से जोड़ा जा सकता है। अधिकार-शुल्कों और तकनीकी जानकारी के बदले दी जाने वाली फीस की बाहर भेजी गई रकम का सम्बन्ध लगाई गई पूंजी से बिलकुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि तकनीकी सहयोग के बहुत से करारों में सामान्य शेयरों में विदेशी पूंजी के लगाये जाने की व्यवस्था नहीं होती। देश में आने वाली वास्तविक सामान्य पूंजी का सम्बन्ध उस वर्ष में सभी भारतीय कम्पनियों में लगायी गयी नई रकमों से है और उसकी मात्रा अन्य बातों के साथ इस बात पर निर्भर रहती है कि भारत में पूंजी लगाने के कितने अवसर उपलब्ध हैं और भारत तथा अन्य देशों में और उस वर्ष में पूंजी निर्यात करने वाले देशों में तुलनात्मक दृष्टि से कितना कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रश्न में देश में आने वाली और देश से बाहर भेजी जाने वाली रकमों की जो तुलना करने के लिये कहा गया है उससे केवल लम्बे अर्से के दौरान किये गये सभी वर्तमान सहयोग करारों के अन्तर्गत इस समय देश से बाहर भेजे जाने वाली रकमों की तुलना वर्ष विशेष में देश में आने वाली वास्तविक नयी पूंजी से की जा सकेगी। शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि देश में लगाई गयी विदेशी पूंजी की लागत बहुत ज्यादा है या मुनासिब है। इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है, कि भारतीय उद्योगों में मिलने वाले विदेशी सहयोग से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक की सर्वेक्षण-रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगायी गयी विदेशी पूंजी पर होने वाले लाभ का अन्दाजा वास्तविक विदेशी पूंजी (सम्बद्ध कम्पनी की विदेशी सामान्य चुकता पूंजी और उसकी मुक्त प्रारक्षित निधि तथा अधिशेष का अनुपातिक विदेशी हिस्सा) की तुलना में विदेश भेजी गयी लाभांश की रकम के अनुपात से लगाया जा सकता है। 1960-61 से 1963-64 तक के वर्षों में, विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में यह अनुपात 5.4 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत तक और विदेशियों के हाथ कम शेयर बेच कर स्थापित की गयी कम्पनियों के सम्बन्ध में 1.9 प्रतिशत से 3.4 प्रतिशत तक रहा। ऐसा कहा जा सकता है कि विदेशी कम्पनियों को भारतीय सहायक कम्पनियों को हुए बहुत अधिक लाभ का कारण यह है कि ये कम्पनियां, अधिकतर 1947 से पहले स्थापित की गयी थीं और ये देश में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थीं, जबकि 1947 से बाद नयी भारतीय कम्पनियों में, जिन्हें अभी सुदृढ़ आधार पर स्थापित होना है, प्रायः विदेशी पूंजी का अंश कम है।

(ग) कुछ प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों में चुनाव के आधार पर विदेशी से पूंजी लगाये जाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है चाहे लगायी जाने वाली पूंजी नयी पूंजी हो या फिर से पूंजी के रूप में लगायी गयी लाभांशों की रकम हो। परन्तु लाभांश की रकम के विदेश भेजे जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि अन्ततोगत्वा इससे, विदेशियों का भारत में पूंजी लगाने का उत्साह कम हो जायगा। विदेशी सहयोग के करारों की जांच करते समय सरकार आमतौर पर उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने पर जोर देती है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए देश की निर्यात-क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करती है।

सरकार भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहन देती है। आशा है कि देश में तकनीकी जानकारी के अधिकाधिक बढ़ने से, अधिकार-शुल्कों और तकनीकी जानकारी के शुल्कों के सम्बन्ध में की जाने वाली अदायगियों की रकमें कब हो जायेगी।

गुजरात के नगरों में वृहत् योजना

2273. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न नगरों के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित नगर आयोजन योजना के अन्तर्गत तैयार की गई वृहत् योजना का व्यापक ब्यौरा क्या है और उसकी लागत कितनी हैं ;

(ख) योजना को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है और अब तक प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) इस वृहत् योजना के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या उपबन्ध करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) ये योजनायें कब पूरी की जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण योजना

2274. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में ऐसे गांवों तथा कस्बों की सख्या कितनी है जिनमें वर्ष 1968–69 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली की व्यवस्था करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि 1968–69 के दौरान अपने राज्य में 435 नई बस्तियों को बिजली देने का उनका विचार है।

गुजरात में आवास योजना

2275. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितने नये मकान बनाये गये ; और

(ख) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1968 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मन्त्रालय की विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 8084 रिहायशी यूनिट बनाए गए हैं जिनसे 8084 परिवारों को लाभ हुआ है ।

गुजरात में मकान बनाने सम्बन्धी सहकारी समितियां

2276. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात में मकान बनाने सम्बन्धी सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का अनुदान दिया ; और

(ख) गुजरात में जिलावार उक्त कितनी समितियां हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : सहकारी आवास समितियों (कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़) को केन्द्रीय सरकार के द्वारा कोई सीधा अनुदान नहीं दिया जाता । तथापि, सहकारी समितियों तथा अन्य को राज्यों के माध्यम से ऋण तथा अनुदान के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है । आवश्यक सूचना गुजरात सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा जब प्राप्त हो जावेगी तो सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

Representation of M.Ps. on D.D.A.

2277. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Health and Famil Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Member of Parliament is represented on the Delhi Development Authority and its standing Committee ;

(b) if so, whether Government propose to amend the Delhi Development Authority Act so that the Members of Parliament from Delhi may be nominated on the Authority ;

(c) if so, when ?

The Minister of Health and Family Planning and Workers, Housing and Urban Development (Shri K.K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) No. Sir, not so far.

(c) Does not arise.

एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालियां

2278, **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसंधान पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) इसी अवधि में ऐलोपेथिक पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ; और

(घ) सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में आयुर्वेदिक अस्पतालों तथा एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) रू० 94,20,055.15

(ख) एलोपैथी में अनुसंधान के लिये रू० 3,62,90,500

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 267/69**]

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड

2279. श्री क० लकप्पा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के कार्य का गत पांच वर्षों में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। फारमेशन एग्रीमेन्ट और कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एस्सोसियेशन के अन्तर्गत, कम्पनी के लेखा-परीक्षक, जिनकी नियुक्ति सरकार के परामर्श से की जाती है, कम्पनी के लेखों का आडिट करते हैं और तत्पश्चात इन की जांच भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में अधिकारियों की सेवा–निवृति

2280. श्री गाडिलिगन गौड : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में पहली जनवरी, 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 को अवधि में कितने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी सेवा-निवृत हुए ;

(ख) कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन उप-दान के मामले 31 दिसम्बर, 1968 को अलग-अलग दो वर्ष, एक वर्ष और 6 महीने से विचाराधीन थे ;

(ग) इन मामलों का निर्णय न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) 9

(ख) शून्य ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

1968 में बाढ़ के कारण क्षति

2281. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में राज्य-वार बाढ़ के कारण टूटे, बह गये तथा गिर गये बांधो/पुलों की संख्या कितनी है ;

(ख) उसके कारण कितनी क्षति हुई ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की क्षति को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नेफथा का निर्यात

2282. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1968 में कितनी मात्रा में नेफथा का निर्यात किया गया तथा गत वर्ष उन्हीं महीनों में उसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ख) भारतीय उद्योगों में नेफथा के उपयोग तथा उसके निर्यात को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अक्तूबर-दिसम्बर, 1967 के दौरान निर्यात की गई नेफथा की मात्रा 1,86,632 मीटरी टन थी तथा 1968 के तदनरुपी महीनों में 81,171 मीटरी टन थी ।

(ख) उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के निर्माण के लिए एककों का, जो नेफथा को कच्चे माल के रुप में इस्तेमाल करते हैं, आयोजन किया गया है । कई सन्यन्त्र पहले से ही कार्य कर

रहे है और दूसरे आयोजन, रुपांकन और निर्माण के विभिन्न चरणों में है। जब ये सारे सन्यन्त्र चालू हो जायेंगे, तब नेफ्था की समस्त उपलब्ध मात्रा का देश में ही इस्तेमाल होगा।

मुद्रा में जालसाजी करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

2283. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा विदेशों में मुद्रा में जालसाजी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के बारे में उनके मंत्रालय के पास काफी काम आने वाली सूचना मौजूद है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सम्भवतः प्रश्न का अभिप्राय विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन के जाल-चक्रों से है। प्रवर्त्तन निदेशालय, इस प्रकार के लेन-देनों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गुप्त-सूचना इकट्ठी करता रहता है। तथ्यों तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। परन्तु, यह पता नहीं चलने से कि किस मामले अथवा मामलों के समूह के बारे में सूचना अपेक्षित है, यह संभव नहीं है कि गिरफ्तारियों की संख्या अथवा उनके अन्य ब्यौरे बताये जा सकें।

सूरत में वापी के निकट निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

2284. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वापी सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 2 जनवरी, 1969 को सूरत में वापी के निकट दमन के कुलाई में बलीया गांव में 4 लाख रुपये का निषिद्ध माल पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या माल पकड़ा गया ;

(ग) क्या इस मामले में विदेशियों का भी हाथ था ; और

(घ) क्या 2 जनवरी, 1969 को सीमाशुल्क अधिकारियों ने बुलसर के निकट एक मोटर ट्रक पकड़ा था और उसमें चांदी पकड़ी थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : वापी के सीमा-शुल्क कर्मचारियों द्वारा 2 जनवरी, 1969 को कोई माल नहीं पकड़ा गया। किन्तु 30 दिसम्बर, 1968 को कलाई नामक स्थान पर 4 बैलगाड़ियां और आटो ट्रांजिस्टर, आटो रेडियो, धातु सूत, ताश तथा ब्लेड जैसा सामान पकड़ा गया जिसका कुल मूल्य लगभग 2.36 लाख रूपये होगा। इसी प्रकार 31 दिसम्बर, 1968 को ग्राम बलीथा में नाईलान धागा धातु सूत तथा दालचीनी जैसी वस्तुएं पकड़ी गई जिनका मूल्य कुल लगभग 64,000 रुपये होगा। अब तक की गई जांच पड़ताल से ऐसा नहीं लगता कि कोई विदेशी इस मामले में ग्रस्त है। आगे जांच पड़ताल जारी है।

(घ) 31 दिसम्बर, 1968 को बलसार में लगभग 67,000 रुपये मूल्य की 109 किलोग्राम चांदी के साथ कोई 9,000 रुपये मूल्य की एक एम्बेसेडर कार पकड़ी गई ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विदेशी विशेषज्ञ

2285. श्री बाबू राव पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन में कितने रुसी कार्य कर रहे है तथा ऊपर के दस रुसी विशेषज्ञों पर वार्षिक खर्च कितना उठाना पड़ता है तथा उनके नाम, पदनाम, वार्षिक वेतन और उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन्डियन एसोसियेशन आफ पैट्रोलियम साइनटिस्ट एण्ड टेकनिशियनस ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और मंत्रालय से अनुरोध किया था कि भारतीय विशेषज्ञों की नियुक्ति रुसी विशेषज्ञों के अधीन न करें, जिनमें से अधिकांश 'विशेषज्ञों' के रूप में भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे गये थे ;

(ग) उन तीन रूसी विशेषज्ञों के नाम क्या हैं जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे थे और जिनको हाल में भारत छोड़ने के लिए कहा गया तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि फ्रैन्च और चैक विशेषज्ञ शीघ्र भारत आ रहे हैं तथा यदि हां, तो कितने तथा कब और उस पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 70 रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ।

66 विशेषज्ञों का वेतन तथा भत्ता, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अदा करता है तथा शेष 4 विशेषज्ञों को यूनाईटिड नेशनर्स डिवेल्पमैण्ट प्रोग्राम द्वारा अदायगी की जाती है । रूसी विशेषज्ञों को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिये गये वेतन आदि पर वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है :–

1.	वेतन और बीमा प्रीमयम	रु० 27,49,200
2.	सुसज्जित निवास स्थान का खर्च	रु० 5,94,000
3.	मेडिकल अटेण्डेण्स	रु० 33,000
		रु० 33,76,200

ऊपर के दस रूसी विशेषज्ञों के नाम, पदनाम, और वेतन आदि निम्नप्रकार है :–

नाम	पदनाम	विदेशी मुद्रा में अदा किये जाने वाला वार्षिक वेतन रुपये
1. मिस्टर वी०ए० नोगावे	मुख्य परामर्शदाता	63800.00
2. ,, ए. आई. पावलेनको	भूभौतिकी पर प्रवर सलाहकार	53300.00

3.	,, 2 एस. वी. सफ्रानोव	तेल क्षेत्रों के रूपांकन, विकास पैटर्न पर प्रवर सलाहकार	53500.00
4.	,, आई. पी. सोकोलोव	प्रवर भूगर्भीय सलाहकार	53500.00
5.	,, ए. एन. अनोनव	व्यधन पंक विशेषज्ञ	53500.00
6.	,, वी. एल. ट्रिफनोव	मुख्य व्यधन इंजीनियर और तकनीकी सलाहकार	53500.00
7.	,, टी. डी. डिजुगकेव	व्यधन के मुख्य इंजीनियर	53500.00
8.	,, ओ. एम. सेमीजिन	उत्पादन के लिए प्रवर सलाहकार	53500.00
9.	,, ए. सी. कौजीचेनको	उत्पादन के लिए मुख्य इंजीनियर	53500.00
10.	,, ई. पी. कौजीलेव	एक तेल क्षेत्र के लिए मुख्य इंजीनियर	53500.00

(ख) सरकार को इन्डियन एसोसियेशन आफ पैट्रोलियम साइनटिस्ट एण्ड टेकनिशियनस की विद्यमानता या इसके प्रार्थना-पत्र की बाबत मालूम नहीं है ।

अप्रैल, 1967 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिक तथा तकनीकी अफसरों की संस्था ने उक्त आयोग को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें निम्न पद थे :-

(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों की बड़ी मात्रा में संख्या ।

(2) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कई निदेशालयों में निदेशकों के रूप में विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति ; जिसके परिणामस्वरुप उनको भारतीय अफसरों की गोपनीय रिपोर्टों को लिखना। पुनरीक्षण करना और भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों की भर्ती के लिए चयन बोर्डों में बैठना पड़ता था ।

(3) दैनिक कार्यों विशेषतः व्यधन कार्यों को करने के लिए निम्न स्तरों पर विदेशी तकनीशनों की नियुक्ति ; और

(4) कई युवक विदेशी नेशनलस की "एस्सोसीयेट एक्सपर्टस" के तौर पर नियुक्ति ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विज्ञान एवं तकनीकी अफसरों की एस्सोसियेशन ने अपने अभ्यावेदन में यह विचार प्रकट नहीं किया था कि रूसी व्यक्तियों (उनमें से कोई) को "एक्सपर्टस" के रूप में भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया था ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विज्ञान एवं तकनीकी अफसरों की एस्सोसियेशन ने विदेशी विशेषज्ञों की संख्या में धीरे 2 कमी करने और केवल ऐसे विशेषज्ञों को लगाये रखने का सुझाव दिया, जो विशिष्ट क्षेत्रों में जहां पर उनके बराबर भारतीय योग्य व्यक्ति अभी उपलब्ध नहीं हैं, सलाहकार के रूप में उक्त आयोग के कार्यकलापों में पथप्रदर्शन के लिए उच्चतम योग्यता रखते हैं ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये कार्य कर रहे किसी रूसी विशेषज्ञों को हाल ही में भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा गया ।

(घ) किसी नये चेक विशेषज्ञ की सेवाओं को हासिल करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु फ्रांस से बैसिन अध्ययन (Basin studies) के लिए 4 विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने का एक प्रस्ताव कुछ समय के लिए विचाराधीन रहा।

Foreign Exchange violation by Education resources Centre, New Delhi.

2286. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamla Kumari :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 135 on the 11th November, 1968 and state :

(a) whether the reply from American Trust Educational Resources Centre, New Delhi has since been received and a decision taken in the matter ;

(b) if so, the nature of decision taken in the matter ; and

(c) if not, the reasons for the delay in the matter ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) : Yes, Sir.

(b) In compliance with the requirements of the Foreign Exchange Regulation Act, the American Trust Educational Resources Centre produced the Reserve Bank of India permit on 14th January, 1969 and the books were duly allowed export on 25th January, 1969.

(c) Does not arise.

गुजरात के रसायन उद्योग के लिये प्राथमिक अनुसंधान एकक की स्थापना

2287. **श्री रा० की० अमीन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के सम्मेलन ने हाल में केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि गुजरात राज्य में रसायन तथा सम्बद्ध उद्योगों के बारे में प्रायोगिक अनुसंधान एकक तथा अनुसंधान समन्वय यूनिट स्थापित किये जायें।

(ख) क्या उसी सम्मेलन ने रसायन तथा सम्बद्ध उद्योगों के लिये आवश्यक परीक्षण सुविधाओं के उपलब्ध करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव सभा पटल पर रखी जायेगी।

हृदय रोग पर चाय का प्रभाव

2288. **श्री रा० की० अमीन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हृदय रोग को कम करने के लिये चाय आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ऐसा कोई लाक्षणिक प्रयोग अथवा अनुसंधान प्रमाण नहीं हैं जिससे यह सिद्ध हो सके कि चाय हृदय रोग को कम करने के लिए आवश्यक है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य बम्बई में निषिद्ध सोने का पकड़ा जाना

2289. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1968 को मध्य बम्बई में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट ने 1.75 लाख रुपये के मूल्य का स्विटजरलैंड के निशानों वाला एक हजार तोला सोना और 3,000 रुपये के भारतीय करेंसी नोट पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई व्यक्ति पकड़े गये हैं ; और

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता कार्यालय के अधिकारियों ने 11 दिसम्बर, 1968 को कालबादेवी डाकघर, बम्बई के सामने वाले मकान से स्विस मार्के की दस-दस तोले की सोने की, कुल 11,663.800 ग्राम वजन की अन्तर्राष्ट्रीय दर से लगभग 98,442 रुपये मूल्य की 100 सिल्लियां तथा 3,300 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की ।

(ख) तथा (ग) : एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिस को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । जांच-पड़ताल पूरी हो गई है तथा न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कमी

2290. डा० सुशीला नैयर :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा जलाशय में कम मात्रा में पानी के फलस्वरुप पंजाब और हरियाणा में बिजली की कमी का संकट पैदा होने की संभावना है ;

(ख) क्या बिजली की कमी आगामी महीनों में विशेषतः अप्रैल और मई में, बढ़ जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। भाखड़ा जलाशय में कम पानी पड़ने के कारण पंजाब तथा हरियाणा में बिजली की कमी हो गई है।

(ख) अप्रैल और मई में बिजली उत्पादन की स्थिति बरफ पिघले पानी के जलाशय में आने और जलाशय के स्तरों पर निर्भर है।

(ग) उत्तरी क्षेत्र में बिजली पूर्ति की स्थिति का लगातार पुनरवलोकन किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में बिजली की कमी को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहें है ;

(घ) पंजाब और हरियाणा में सभी उपलब्ध ताप तथा डीजल के सैट चालू कर दिये गये हैं।

(2) भागीदार राज्यों तथा सामान्य निकाय उपभोक्ताओं ने ऊर्जा खपत को कम करने के लिए पग उठाए हैं।

(3) भाखडा-नंगल बिजली प्रणाली को दिल्ली बिजली प्रणाली के साथ साथ चलाने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

(4) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से किंगसवे बिजली केन्द्र तक एक 33 के० वी० लाइन का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है। इस बीच, दिल्ली मे 40 मैगावाट फालतू बिजली पजाब और हरियाणा के इस्तेमाल के लिए दी जा रही है।

सहायकों, आशुलिपिकों/अनुवादकों के वेतनमान

2291: **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायकों, आशुलिपिकों, अनुवादकों (तृतीय श्रेणी संवर्ग वाह्य) के 210–10–290–15–320–दक्षतारोध–15–425 रु० के वेतनमानों वाले पदों का 210–10–270–15–300–दक्षतारोध–15–450–दक्षतारोध–20–530 रुपये के अधिक वेतनमान वाले सहायकों आशुलिपिकों (द्वितीय श्रेणी) के अनुरूप/समान माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार अनुरूप/समान हैं जब कि उनकी श्रेणी, वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दरें भिन्न हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि तृतीय श्रेणी संवर्गवाह्य तथा द्वितीय श्रेणी के सहायकों/आशुलिपिकों के पदों के वेतनमान केवल 270 रुपये के प्रक्रम तक ही समान हैं तथा दोनों पदों की वेतनवृद्धि की दरों में बहुत अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो दोनों प्रकार के पदों को एक दूसरे के अनुरूप/समान घोषित किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें 210-10-290-15-320-द० रो०-15-425 रु० के वेतन-मान में कार्य कर रहे आशुलिपिक को, सचिवालय में 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० के वेतन-मान में उच्चत्तर कर्त्तव्यों तथा जिम्मेवारियों का निर्वाह अन्तर्निहित होने के कारण सहायक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, उल्लिखित पदों को कर्त्तव्यों तथा जिम्मेवारियों के आधार पर तत्तुल्य समझा जाता है ।

(ख) पदों की तत्तुल्यता पर उनके साथ जुड़े हुए कर्त्तव्यों तथा जिम्मेवारियों के संदर्भ में विचार करना होता है । वर्गीकरण सम्बन्धी अन्तर जैसे कि श्रेणी III तथा श्रेणी II तथा वेतन–मान विषयक अन्तर, इस प्रयोजन के निमित्त संगत नहीं है ।

(ग) उल्लिखित वेतन–मानों के लिये 270 रु० की स्थिति के उपरान्त वेतन-वृद्धि की दरें, दक्षता-रोधों के स्थानों का निर्धारण, तथा अधिकतम वेतन अलग-अलग हैं ।

(घ) जहां तक उनके साथ जुड़े कर्त्तव्यों तथा जिम्मेवारियों का प्रश्न है, 210-10-290-15-320-द० रो०-15-425 रु० के वेतन-मान में सहायकों/आशुलिपिकों के पदों को 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530 रु० के वेतन-मान में सहायकों/आशुलिपिकों के पदों के तत्तुल्य माना जाता है ।

बिहार में तेनुघाट तथा पतरातू परियोजनाएं

2292. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग जिले (बिहार) में तेनुघाट और पतरातू परियोजनाओं के पूरा होने में (1) रूस से आयातित मशीनरी के फालतू पुर्जों और स्नेहकों के अभाव में बेकार पड़े होने (2) रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम द्वारा निर्मित उपकरणों और शक्तिशाली बुलडोजरों के उपलब्ध न होने के कारण, बहुत विलम्ब हुआ है ; और

(ख) इस में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) रूस से आयातित मूदवाही यन्त्रों के कुछ फालतू पुर्जे न होने के कारण चालू कार्याकाल में तेनुघाट परियोजना पर कार्य प्रगति में कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी ।

स्नेहकों की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं हुई है। हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची, अधिक शक्ति वाले बुलडोजर नहीं बनाती । अतः हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन से किसी उपकरण की अनुपलब्धि के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

जहां तक पतरातू परियोजना का सम्बन्ध है, रास्ते में उपकरण के गुम जाने/पहले चार यूनिटों के कई स्थानों के कम आने के कारण, यूनिटों को चालू करने में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) तेनुघाट परियोजना के लिए शीघ्र अपेक्षित कुछ फालतू पुर्जे रूस से हवाई जहाज द्वारा मंगवाये जा रहे हैं। पतरातू परियोजना के लिए अपेक्षित जो पुर्जे गुम हो गये है अथवा कम प्राप्त हुए हैं उनके सम्बन्ध में सम्भरकों से लिखा पढ़ी की जा रही है जिसका परिणाम यह हुआ कि आवश्यक पुर्जे उत्तरोत्तर प्राप्त हो गए और पहले तीन यूनिटों को क्रमशः अक्तूबर, 1966, जून, 1967 और 1968 में चालू कर दिया गया। चौथे यूनिट को मई, 1969 में चालू करने के लिए कोशिश की जा रही है । 100-100 मैगावाट के शेष दो यूनिटों को 1970 के पूर्वार्द्ध में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इन दो यूनिटों के लिए उपकरण की समय पर प्राप्ति के प्रश्न पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

औद्योगिक वित्त निगम

2293. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**
श्री क० लकप्पा :
डा० सुशीला नैयर :
श्री दे० अमात :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकरण की कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कमियों का पता लगाने तथा निर्धारण में सुधार करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : निगम के काम की जांच करने के लिए 1953 में औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति नामक एक संसदीय समिति (जिसे "सुचेता कृपलानी कमेटी" कहा जाता है) नियुक्त की गयी थी। समिति ने 1 मई, 1953 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। सरकार ने जांच समिति की बहुत सी सिफारिशें मान ली थीं। इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप निगम के संगठन में आवश्यक परिवर्तन करने जैसे (क) अवैतनिक अध्यक्ष और वेतनभोगी कालिक प्रबन्ध निदेशक की जगह पर वेतनभोगी अध्यक्ष और एक महाप्रबन्धक की नियुक्ति करने और (ख) कार्यकारी समिति के बजाय केन्द्रीय समिति बनाने के लिए 1955 में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में संशोधन किये गये थे। औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के फैसलों का ब्यौरा 30 जून, 1954 को समाप्त होने वाले वर्ष की निगम की छठी वार्षिक रिपोर्ट के जो लोक सभा की मेज पर रख दी गयी थी, परिशिष्ट "च" और "छ" में दिया गया है।

बाद में प्राक्कलन समिति, 1962-63 (तीसरी लोक सभा) ने निगम के काम-काज सम्बन्ध में जांच का काम हाथ में लिया और इस समिति की सिफारिशें, लोक सभा में पेश की गयी समिति की 11 अप्रैल, 1963 की छत्तीसवीं रिपोर्ट में दी गयी हैं। प्राक्कलन समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों पर सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध समिति ने 3 मई, 1965 की अपनी दसवीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) में विचार किया था।

सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध समिति ने फरवरी, 1969 में निगम के कार्य की जांच का काम भी शुरू कर दिया था और उसने निगम तथा सरकार के प्रतिनिधियों से जबानी पूछ-ताछ करने का काम पूरा कर लिया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्पादन प्रशुल्क का पुनरीक्षण

2294. श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दा समिति द्वारा उत्पादन प्रशुल्क के पुनरीक्षण के सुझाव के बारे में अपेक्षित सूचना का जिसका कि वचन दिया गया था, इस बीच संकलन कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब तक सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : भाग (क) तथा (ख) : जी, हां। सूचना का संकलन किया जा चुका है तथा सदन की मेज़ पर रखे जाने के लिए उसे अलग से संसद कार्य विभाग को भेज दिया गया है।

उड़ीसा में सुनारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना

2295. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के सुनारों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना पेश की है।

(ख) यदि हां, तो आरम्भ से ले कर दिसम्बर, 1968 तक केन्द्रीय सरकार ने सुनारों को सहायता देने के लिए उड़ीसा के लिए कोई धनराशि स्वीकार की है ; और

(ग) उड़ीसा में सुनारों के लिए अब तक राज्य सरकार द्वारा कितनी तथा क्या सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सुनारों के पुनर्वास की योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी थी और वे दिसम्बर, 1963 में सभी राज्यों को, जिनमें उड़ीसा सरकार भी शामिल है भेजी गयी थीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को दिसम्बर आखिर 1968 तक 61 लाख रुपये की रकम ऋण के रूप में पेशगी दी है जिससे वह सरकार विस्थापित सुनारों को सुनारी से भिन्न दूसरे धन्धों में बसने में सहायता के रूप में ऋण दे सके। इसके अलावा, उड़ीसा की सरकार द्वारा सुनारों के बच्चों को शिक्षा-सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं आदि, देने में खर्च किये गये 31.95 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है।

(ग) उड़ीसा की सरकार द्वारा विस्थापित सुनारों को जो सहायता दी गयी है, उसमें उनको वैकल्पिक धंधों में बसने के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता, खेती के धंधों में लगने तथा काम-दिलाऊ दफ्तरों के जरिए नौकरी के मामलों में प्राथमिकता, सुनारों के बच्चों तथा कम उम्र वाले सुनारों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं शामिल हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा सुनारों को अन्य धंधों में बसने के लिए 31-3-1968 तक 50 लाख रुपये ऋण के रूप में मंजूर किये गये हैं।

गुजरात में धरोई सिंचाई परियोजना

2296. **श्री द० रा० परमार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने गुजरात राज्य में धरोई सिंचाई परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और सरकार ने इस की तकनीकी तौर पर मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और प्राक्कलनों तथा किये जाने वाले ठेके का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को आरम्भ करने तथा पूरा करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना में, वर्तमान मोती फतेहवाडी परियोजना की कमान में 70000 एकड़ जमीन की सिंचाई पक्की करने और मेहसाना जिले में 1,18,600 एकड़ की सिंचाई करने के अतिरिक्त, अहमदाबाद शहर और गांधी नगर की जलपूर्ति सम्बन्धी भागों को पूरा करने के लिए धरोई पर साबरमती के ऊपर एक जलाशय का निर्माण परिकल्पित है। योजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी भागों की अनुमानित लागत 12.76 करोड़ रुपये है।

परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व अन्तर्राज्यीय पक्षों की जांच की जा रही है।

श्रमजीवी लोगों में क्षयरोग का प्रकोप

2297. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी लोगों में क्षयरोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : (क) श्रमजीवी लोगों में क्षय रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इसके कोई प्रमाण नहीं हैं ।

(ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत सारी आबादी को लाने की व्यवस्था है, प्रथम पचवर्षीय योजना से चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं (1) प्रत्येक जिले में सर्वांगपूर्ण क्षयरोग क्लीनिकों की स्थापना करना (2) प्रमुख राज्यों के मुख्यालयों में सचल एककों से युक्त प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना (3) शिल्प चिकित्सा के गम्भीर रोगियों के पृथक्कीकरण तथा उनके उपचार के लिये पलंगों की व्यवस्था करना (4) बी० सी० जी० का टीका लगाना और (5) क्षयरोग क्लीनिकों में रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां देना ।

कैंसर की चिकित्सा के लिये अनुसंधान

2298. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैंसर की चिकित्सा के लिये कोई अनुमन्धान किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में विदेशी विशेषज्ञ की राय ली गयी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कैंसर में अनुसंधान महामारी विज्ञान, उत्तक विकृति विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान और शीघ्र रोग निदान के सन्दर्भ में किया जा रहा है और इससे उन तरीकों का विकास होगा जिनसे बिमारी को रोका तथा इलाज किया जा सकेगा ।

(ख) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते को पूरी तरह से निष्प्रभावी करना

2299. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संगठन के इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि मंहगाई को भत्ते से पूरी तरह से निष्प्रभाव किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की जुलाई, 1968 में हुई बैठक में कर्मचारी पक्ष ने, अन्य बातों के साथ साथ कीमतों की वृद्धि के पूर्ण निराकरण के आधार पर मंहगाई भत्ता मंजूर किये जाने के प्रश्न को उठाया था । परन्तु, इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि, न्यूनतम वेतन से सम्बन्धित मुद्दे को पंचनिर्णय के लिए सौंपे जाने के प्रश्न को लेकर कुछ मतभेद हो जाने के कारण राष्ट्रीय परिषद की बैठक स्थगित हो गई थी । इस मामले को परिषद की 27-28 दिसम्बर, 1968 की बैठक में फिर से चर्चा के लिये कार्य-सूची में शामिल किया गया था । परन्तु तब इस मद पर विचार स्थगित कर दिया गया था ।

उच्च मध्यम वर्ग के लिए मकान निर्माण योजना

2300. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उच्च मध्यम वर्ग के लिए मकान निर्माण योजना बनाई है ,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यह कब क्रियान्वित हो जाएगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों के बैंकों में भारतीय लोगों के खाते

2301. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोगों द्वारा 1220 खातों में विदेशों के बैंकों में जमा कराई गई कुल राशि के बारे में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : यह सूचना इकट्ठी करने में कुछ समय लगेगा । यह सूचना यथासम्भव जल्दी से जल्दी सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

'पेट्रियट" तथा "लिंक"

2302. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकारसिंह :
श्री वश नारायण सिंह :
श्री जो० ब० सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मृत्युन्जय प्रसाद :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रणजीत सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री सूरज भान :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेट्रियट" तथा "लिंक" समाचार पत्रों को दान देने वालों तथा अंश-दाताओं के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दान देने वालों तथा अंशदाताओं में से कुछ का विदेशी एजेंट होने का पता चला है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी तक इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि दान देने वालों में कोई भी विदेशी एजेन्ट था ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा

2303. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को केवल 20 रुपये की विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह राशि बढ़ाने का विचार है क्योंकि वह यात्रियों के लिये पर्याप्त नहीं है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । भारत से पाकिस्तान जाने वाला प्रत्येक यात्री, भारत में खरीदे गये टिकट के आधार पर, भारत से रवाना होते समय हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर स्थित अधिकृत व्यापारियों के विनिमय-

कार्यालयों से तथा हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर काम करने वाले लाइसेंस शुदा मुद्रा बदलने वालों (मनी-चेंजर) से 30 भारतीय रुपयों तक के पाकिस्तानी नोट और रेजगारी खरीद सकता है ।

यह रकम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यात्रा के प्रयोजन और उसके लिए विदेशी मुद्रा देने की नीति के अनुसार व्यापारिक यात्रा आदि के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा के अलावा होती है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली की गन्दी बस्तियों में मकानों की मरम्मत

2304. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम गन्दी बस्तियों में मकानों की मरम्मत तथा पुनः निर्माण करने की अनुमति नहीं देते , और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा इन लोगों को भूमि के प्लाट क्यों नहीं दिये जाते ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं । फिर भी, उन क्षेत्रों में मकानों के पुनः निर्माण की अनुमति नहीं है, जिन्हें स्लम (क्लीयरिंग एण्ड इम्प्रूवमेन्ट) एक्ट, 1956 की धारा 9 के अधीन 'सफाई क्षेत्र' (क्लीयरेन्स एरिया) घोषित कर दिया गया है ।

(ख) इसका प्रश्न केवल तभी उठेगा, जब कभी "क्लीयरेन्स एरियाज़" में भवनों को गिराया जायगा, तब प्रभावित व्यक्ति इस प्रकार की सुविधाओं के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें उपर्युक्त अधिनियम और । या गन्दी बस्ती सफ़ाई योजना के अधीन प्राप्य हैं ।

पी० एल० 480 निधियां

2305. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री जनार्दन :
श्री रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अदिचन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के अन्त तक भारत में कितनी राशि की पी० एल० 480 की निधियां जमा हो गई थीं ;

(ख) देश में विभिन्न परियोजनाओं में पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्य कितनी राशि काम में लाई गई है ; और

(ग) देश में कितनी राशि की निधियां बिना प्रयोग में लाये पड़ी हैं तथा उन्हें उनका किस प्रकार प्रयोग करने का सुझाव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत (जिसे पी० एल० 480 प्रतिरूप निधि कहा जाता है), भारत के हाथ कृषि-वस्तुओं के बेचे जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को 1956 से 31 दिसम्बर, 1968 तक कुल 2083 करोड़ रुपये की रकम प्राप्त हुई ।

(ख) इस रकम में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1956 से 31 दिसम्बर, 1968 तक यह खर्च किया :—

		(करोड़ रुपये)
(i)	भारत सरकार को ऋण —	1129
(ii)	भारत सरकार को अनुदान —	341
(iii)	भारत सरकार के परामर्श से भारत-स्थित भारत-अमरीकी संयुक्त उद्यमों को दिये गये "कुल" ऋण	67
(iv)	संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च	180
	जोड़	1717

(ग) 31-12-1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उपलब्ध पी० एल० 480 प्रति-रूप रकम 366 करोड़ रुपये की थी । यह निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए खर्च की जानी है :—

		(करोड़ रुपये)
(i)	भारत के आर्थिक विकास की प्रायोजनाओं के वित्त-प्रबन्ध के लिए भारत सरकार को ऋण	168
(ii)	भारत के आर्थिक विकास की प्रायोजनाओं के वित्त-प्रबन्ध के लिए भारत सरकार को अनुदान	33
(iii)	कूले ऋण	67
(iv)	संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च	98
		366

Sales Tax Department of U. P.

2306. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1955 on the 25th November, 1968 and state :

(a) the time and labour likely to be involved in collecting the figures about the receipt of amount and the arrears in 1966 and upto the 31st March, 1967 in regard to

the traders registered with the Sales Tax Department of U. P. along with their names and addresses; and

(b) the details of the amount written off during the above period ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) As on 31st March, 1967, there were 82,353 dealers registered under local sales tax and 46,332 dealers registered under Central sales tax in Uttar Pradesh. Collection of information about receipt of amount of tax and arrears of tax in 1966 and upto the 31st March, 1967 together with names and addresses of all such dealers will involve enormous time and labour which would not be commensurate with the purpose sought to be achieved through this question.

(b) During the year 1966 and during the first three months of 1967, Rs. 5.87 lakhs and Rs. 2.66 lakhs respectively were written off towards sales tax in Uttar Pradesh.

Supply of Canal Water in District Basti U.P.

2307. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4684 on the 16th December, 1968 and to state :

(a) whether the information about the inadequate Supply of canal water fed by Bhakhera Lake in district Basti, U. P. has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The construction of Bhakhera Canal II was taken up during the First Five Year Plan and the canal was commissioned 10 years back. The total length of the Main Canal is 9 miles 2 furlongs which ends near Sahjanwa in District Gorakhupur. The maximum area irrigated from this canal was 4366 acres in the year 1966-67. Irrigation from this canal is done mainly in Rabi. During Kharif very little irrigation is done from this canal as the water available in the Tal is not adequate. The capacity of the canal being insufficient, some delay does occur in the water reaching the tail. Normally, water reaches the tail on the 7th day from the day of its opening and it irrigates the area at its tail also so far as Rabi irrgation is concerned.

The area in the command of the tubewell, constructed in village Bhagora, is higher and could not be irrigated by Canal water. A tubewell was, therefore, constructed for providing irrigation in this area which was excluded from the canal command. The Canal at present is not capable of carrying its full authorised discharge. Steps have already been taken for putting the Canal in order,

(c) Does not arise.

Realisation of Central Taxes

2308. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of Finance be pleased to refee to the reply given to Unstarred Question No. 163 on the 11th November, 1968 regarding the taxes realized by the Central Government and state :

(a) the reasons for not prescribing any language or recognised languages, in which the tax-payers should keep their accounts; and

(b) whether arrangements would be made to keep the accounts in different Income Tax Circles in future in the languages which are prescribed for the text-books in educational institutions in those crices ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) It has not been considered necessary by Government to prescribe any language or languages in which the tax payers should keep their books of accounts. These books are generally maintained either in English or in the regional language and the Income-tax Officers who are entrusted with the examination of these books, are generally quite conversant with these languages.

(b) Since no accounts are required to be maintained in the Income-tax Offices, this question does not arise,

पैट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल का आयात

2309. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान** तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना अवधि में कितनी मात्रा में कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमान है;

(ख) चौथी योजना अवधि में तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा के व्यय का अनुमान है;

(ग) इस समय भारत में कच्चे तेल का कितना उत्पादन होता है और विदेशों से कितना आयात किया जाता है;

(घ) देश में कच्चे तेल की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ङ) इसकी चौथी योजना की अवधि में कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों की कितनी आवश्यकता होगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख): मौजूदा अनुमानों के अनुसार, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्तमान मूल्य की दर से 650.70 करोड़ रुपए की लागत से 72.3 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के आयात किये जाने की संभावना है। लगभग 52.56 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 3.3 मिलियन मीटरी टन की कुल मात्रा के कुछ पैट्रोलियम पदार्थों का भी शायद आयात करना पड़े।

(ग) और (घ): 1968 के दौरान देश की कच्चे तेल की कुल आवश्यकताएं 16.1 मिलियन मीटरी टन थी, जिस में से 5.8 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन देश में किया गया और 10.3 मिलियन मीटरी टन का आयात किया गया।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कच्चे तेल की आवश्यकताओं का अनुमान इस समय 116 मिलियन मीटरी टन है और विभिन्न पैट्रोलियम पदार्थों का 106 मिलियन मीटरी टन।

बैंकों द्वारा वैयक्तिक ऋण की योजना पुनः चलाना

2310. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी बैंकों द्वारा वैयक्तिक ऋण की पुनः व्यवस्था करने की एक योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ने, गैर सरकारी बैंकों द्वारा पुनः वैयक्तिक ऋण दिये जाने की कोई योजना मंजूर नहीं की है। पर कुछ बैंकों ने उपभोक्ताओं को किराया–खरीद के लिए ऋण देने के लिए वैयक्तिक ऋणों की योजनाएं जारी की हैं। चूंकि ऐसी योजनाओं से इंजीनियरी सम्बन्धी उद्योगों को मंदी का प्रभाव दूर करने में सहायता मिलती है और बैंक अपनी अधिशेष रकमों का लाभकारी ढंग से उपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ने इन योजनाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

Production and Distribution of Solvent

2311. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state the time by which the production and distribution of solvent would be taken over by Government which is at present imported and distributed by the foreign companies ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : Petroleum Solvents are not being imported. At present most of the solvents are produced and marketed by oil companies in the private sector. There are proposals for the manufacture of solvents in the public sector also and the Haldia Refinery is being designed to produce solvents.

उत्तर प्रदेश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

2312. **श्री रणजीत सिंह :** श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बलराज मधोक : श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सूखा-ग्रस्त आठ जिलों में सूखे का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से एक करोड़ रुपये की सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हां।

(ख) : भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के खर्च के लिए 1968–69 में केन्द्रीय सहायता के रूप में अधिक से अधिक 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

कलकत्ता में नगरीय विकास बैंक

2313. **श्री ई० क० नायनार :**
श्री सी० क० चक्रपाणि :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कलकत्ता में 'नगरीय विकास बैंक" स्थापित करने और प्रमुख उद्योगपतियों तथा व्यापार साथों के हाथ में इक्विटी शेयर होने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पता चला है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 11 दिसम्बर, 1968 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ द्वारा आयोजित "कलकत्ता की चुनौती" (दि चैलेन्ज आफ कलकत्ता) नामक सम्मेलन का उदघाटन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ नगर विकास बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था और साथ ही उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। बाद में सरकार और उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के बीच हुई बातचीत में यह निश्चय किया गया है कि इस प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया जाय जिसमें सरकार, व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(ख) चूंकि अभी इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है और न केन्द्रीय सरकार के पास औपचारिक रूप से अभी तक कोई प्रस्ताव आया है, इसलिए इस समय इस सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है।

आयकर के निर्धारण में समय का लगना

2314. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने आय-कर अपवंचकों के विरुद्ध कुल कितने मामले दायर किये और ऐसी आय की अनुमानित राशि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि कई मामलों में कर निर्धारण करने तथा इसे वसूल करने पर दस वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि आय-कर के निर्धारण करने तथा इसको वसूल करने पर 2 वर्ष से अधिक समय न लगें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों में छिपायी गयी आय पकड़ी गयी थी उनकी संख्या और उनमें पकड़ी गयी आय की रकम नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	मामलों की संख्या	छिपायी गयी रकम (रुपये)
1965-66	24,165	20,76,35,490
1966-67	29,294	32,91,94,837
1967-68	32,951	40,19,11,000

(ख) कर का निर्धारण तथा कर की वसूली, ये दो अलग-अलग कार्य हैं। कर-निर्धारणों का काम तो कानून में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर पूरा करना होता है। यह अवधि, कर-निर्धारण वर्ष 1967-78 तक चार वर्ष की थी। कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए तीन वर्ष की है तथा कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए तथा उससे आगे के वर्षों के लिए इसे घटा कर दो वर्ष कर दिया गया है।

वसूली के बारे में, कर-निर्धारिती द्वारा कर की अदायगी, सामान्यत: मांग का नोटिस मिलने की तारीख से 35 दिनों की अवधि के भीतर की जानी चाहिये। अदायगी में देरी होने पर, बकाया रकम अदा होने की तारीख तक बकाया रकम पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है। कभी-कभी जब कर-निर्धारण के बारे में विवाद होता है अथवा कर-निर्धारिती की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो किश्तों में अदायगी की सहूलियत दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कर की वसूली में देरी हो जाती है।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा उसे इकट्ठा करने में लगने वाला समय तथा श्रम प्राप्त परिणामों के अनुरुप नहीं होगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए, कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में यह सवाल नहीं उठता। वसूलियों के सम्बन्ध में, इस प्रयोजन के लिए दो वर्ष की समय-सीमा बांधना सम्भव नहीं है।

Construction of Dam at Tilari River on Maharashtra and Goa Border

2315. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state-

(a) when the work on the dam at Tilari river on the border, of Maharashtra and Goa, as approved by the planning Commission, is likely to be completed;

(b) the estimated increase in agricultural production on completion of this dam;

(c) the terms on which Goa and Maharashtra Governments have agreed to construct this dam jointly; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The project report received from the Government of Maharashtra is under technical scrutiny in the Central Water and Power Commission and has not yet been approved.

(b) The additional agricultural production is estimated at 0.84 lakh tons of foodgrains and 3.77 lakh tons of sugarcane.

(c) The terms are yet to be finalised by the two Governments.

(d) Does not arise.

Release of Dirty Water for Irrigation Purposes in Delhi

2316. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item that even dirty water is not made available for irrigation purposes to 1,200 farmers around Delhi whereas he had assured the farmers of Mukandpur Kamalpur and Dahipur some time back that dirty water of Corporation Sewage Treatment Plant would be made available to them;

(b) whether it is a fact that the Water Supply Department of Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration authorities released water for four farms only and the rest of the crops were not irrigated; and

(c) if so, the total loss of crops as a result thereof and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) A statement is attached.

Statement

The Supply of effluent from the North Sewage Treatment Plant has been stopped on the advice of Health authorities who held that use of that water for irrigation in areas close to the intake of water supply for Delhi involves risk of contamination, which would seriously endanger the safety of water supply for the Capital.

In order to devise some means whereby effluent water can be utilised without the risk of pollution of water supply to Delhi, the Union Minister of Irrigation and Power inspected the area twice on 16.4.1968 and 5.12.1968. Having regard to all aspects of the problem, it was considered that restoration of supply of sewage effluent for irrigation in this area could be considered only after a bund is constructed to keep out the Yamuna flood waters. A scheme is accordingly being drawn up for a segregation embankment along the Yamuna from Wazirabad Barrage to Bawana Escape.

In the meanwhile, arrangements have been made by the Delhi Administration for supply of water to about 500 acres of the area from Western Yamuna Canal.

Criticism by Shri Jagadguru Shankaracharya of Family Planning Programme

2317. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item that the Jagadguru Shankaracharya of Puri has severely cirticised the Family Planning and has

described Family Planning as antireligious, discriminatory and immoral and has asserted that if this continues, the Hindus would be finished in India in due course;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether Government propose to discuss this matter with the religious leaders so that no abstacle should stand in such national matters in the name of religion ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (**Dr. S. Chandrasekhar**) : (a) Yes, a news-item to this effect appeared in some news-papers on the 22nd December, 1968.

(b) The family planning programme is not taken as a religious issue but is advocated as a secular movement related essentially to the socio economic development of the people of all communities and equally applicable on a voluntary basis to all citizens, irrespective of caste, creed, religion or sex, Facilities under this programme are made available equally to all citizens and are accepted by all communities generally.

(c) The policy of the Government of India is to involve all leaders of public opinion in the programme, irrespective of their religious affiliation. Accordingly there is no proposal to hold discussion with the religious leaders perse.

Bungalow Allotted to Sheikh Abdullah After His Last Release from Jail

2318. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state:

(a) whether ihe bungalow allotted to Sheikh Abdullah from official quota, after his last release from Jail still stands in his name, or the same has since been vacated;

(b) the head under which this allotment has been made and the amount being paid by him as rent of the bungalow per month to Government;

(c) the amount paid by him in the form of rent and for other facilities provided in the bungalow to Government since the date of allotment and the amount due from him for rent and other facilities during this period; and

(d) the amount of arrears still due from him on this account ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The bungalow still stands allotted in the names of Sheikh Abdullah,

(b) The allotment has been made on purely temporary basis and he is paying rent @ Rs. 178/- per month towards the bungalow and an adhoc rent of Rs. 100/- per month for furniture.

(c) A sum of Rs. 3,874.10 has been paid by him as rent for the bungalow and furniture for the period ending February, 1969.

(d) No arrears of rent are due from him.

हरिहरपुर के निकट खिरोई नदी पर जल कपाटों का निर्माण

2319. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरिहरपुर, कालीगांव, मुरैथा आदि के निकट खिरोई नदी पर जल कपाटों (स्लूस गेटों) के निर्माण के प्रस्ताव की जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या मोहिनी नदी के दोनों ओर के तटबंधों के निर्माण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसकी स्वीकृति दे दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कमला नदी पर तटबन्ध

2320. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमला नदी के दोनों ओर के तटबन्धों का जयनगर से नेपाल के क्षेत्र तक विस्तार की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग): बिहार सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम रिपोर्ट तैयार की जा रही है और प्राक्कलनों आदि के निकट भविष्य में तैयार हो जाने की संभावना है।

बिहार में मिट्टी के तेल की कमी

2321. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दरभंगा जिले के बाबू-बराही, फूलपारस तथा लोकाहा-लौकाही खण्डों तथा सहरसा जिले (बिहार) में कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की कमी है अथवा तेल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में तेल की चोर बाजारी रोकने और मिट्टी के तेल के पर्याप्त सम्भरण के लिये व्यापक व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार ने मिट्टी के तेल के विक्रय मूल्य का सांविधिक तौर पर निर्धारण किया है । राज्य सरकार ने कदाचार को रोकने के बारे में सख्त निगरानी करने तथा दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को भी कहा है।

अरब सागर के तल में तेल की खोज

2322. श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री देवकीनन्दन पटोदिया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने उपलब्ध तेल की किस्म का अनुमान लगाने के लिये तथा यह पता लगाने के लिये कि क्या केरल में करेंगानोर और एलेम्पी के बीच अरब सागर के तेल में तेल की खोज आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगी, सर्वेक्षण कार्य शुरु करने की प्रार्थना की है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरु कराये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। मई, 1967 में केरल सरकार से, केरल के तटों पर विधिपूर्वक खोज के लिये, प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) निकट भविष्य में अतटीय क्षेत्र में और आगे कार्य करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि स्थल और सलग्न अतटीय स्थलों पर किये गये सर्वेक्षणों के परिणाम अनुकूल न थे।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2323. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) वर्ष 1967-68 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) 735

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम

2324. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) राज्य द्वारा कार्यक्रमों की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 1968–69 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 358.22 लाख रुपये का अस्थायी नियतन किया गया है ।

इसके अलावा 1965-66 की बकाया राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार को 11.85 लाख रुपये मंजूर किए गए ।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार 1–4–1968 से 31-12-1968 की अवधि में 203.28 लाख रुपये (अस्थायी) की धनराशि खर्च की गई।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित संगठन की स्थापना की दिशा में, उत्तर प्रदेश राज्य ने आवश्यक कदम उठा लिए हैं । राज्य सचिवालय के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के एक "सैल" के अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम की सम्पूर्ण देखभाल, प्रशासन और उचित कार्य संचालन के लिए एक सर्वांगीण राज्य परिवार नियोजन कार्यालय की स्थापना की गई है । राज्य के सभी 54 जिलों में जिला परिवार नियोजन कार्यालय खोल दिए गए हैं । इन जिला परिवार नियोजन कार्यालयों में सेवाएं प्रदान करने के लिए लूप और नसबन्दी दोनों के सचल एकक हैं । इनमें जन शिक्षा और श्रव्य-दृश्य एकक भी हैं । राज्य में 208 नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र हैं और प्रत्येक 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक मुख्य ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र है । इसके अलावा इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2625 उप केन्द्र परिवार नियोजन का कार्य कर रहे हैं । लूप और नसबन्दी सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए सचल एककों के अलावा, लूप पहनाने के 234 और नसबन्दी करने के 479 अचल एकक है ।

2. राज्य स्तर पर एक मंत्रिमंडल उप समिति, एक परिवार नियोजन परिषद । एक क्रियान्विति समिति, एक अनुदान समिति और एक जन संचार तथा सलाहकार समिति का गठन किया गया है । इनका काम तुरन्त नीति सम्बन्धी निर्णय करना

और परिवार नियोजन कार्य के विभिन्न पहलुओं में ताल मेल रखना हैं । इसके अतिरिक्त मण्डल और जिला स्तर पर भी क्रियान्विति समितियां गठित की गई हैं।

3. परिवार नियोजन के विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य में सात प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं और वे विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध कर रही हैं ।

4. जन प्रचार को बढ़ा दिया गया है और परिवार नियोजन के सन्देश के राज्य के विभिन्न भागों में फिल्मों, बस बोर्डों, भीत्ती चित्रों, रिक्शा बोर्डों अन्य और अन्य साधनों द्वारा पहुंचा दिया गया है ।

5. 1 अप्रैल, 1968 से 31 जनवरी, 1969 के दौरान 76234 लूप पहनाए गए और 1,38,439 नसबन्दी आपरेशन किए गए । शुरू से लेकर अब तक कुल मिलाकर 3,31,196 लूप पहनाए गये और 5,31,946 नसबन्दी आपरेशन किए गए ।

1 अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि में विभिन्न परिवार नियोजन केन्द्रों और उप-केन्द्रों द्वारा 13,28,704 निरोध; 3,32,209 झागदार टिकियां, 26,408 जेली क्रीम ट्यूब और 1,160 डायाफ्राम बांटे गए ।

उत्तर प्रदेश में आय कर निर्धारण

2325. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1968 तक गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितना आय-कर निर्धारित किया गया;

(ख) इसी अवधि में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) । (क) तथा (ख): उत्तर प्रदेश के i तथा ii अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	किये गये कर-निर्धारणों की कुल संख्या	वसूल किये गये आय कर की रकम
1966–67	1,92,136	16.02
1967–68	1,79,607	17.22
1968–69 (दिसम्बर, 1968 तक)	1,46,697	8 88

(ग) कर की वसूली के लिए प्रत्येक मामले के गुण–दोष तथा परिस्थितियों के अनुसार कानून सम्मत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(2) वसूली योग्य कर को यथासम्भव जल्दी वसूल करने अथवा आयकर की बकाया को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किये गये हैं :—

(i) उत्तर प्रदेश के पांच महत्वपूर्ण जिलों में कर वसूली के कार्य को आयकर विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है।

(ii) वसूली कार्य पर विशेष जोर देते हुए कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना लागू की गई है।

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य में आयकर आयुक्तों के दो अधिकार क्षेत्र बना दिये गये हैं, जिससे काम की निगरानी अच्छी तरह हो सके।

आय कर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

2326. **श्री प० गोपालन :**
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री लोबो प्रभू :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार 31 मार्च, 1969 तक की आयकर की बकाया राशि के एक बड़े भाग को बट्टे खाते में डाल देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और उन करदाताओं का ब्यौरा क्या है जिनको इससे लाभ होगा ; और

(ग) बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट सरकार को हाल ही में मिली है और उसमें की गयी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। यह कह दिया जाय कि आयोग ने केवल उन बकाया मांगों को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है जो साफ तौर से वसूल होने योग्य है ही नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल इस समय पैदा नहीं होते।

बेरोजगार खनन इंजीनियर

2327. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में बेरोजगार खनन इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)

(क)	राज्य/संघ क्षेत्र	माइनिंग इंजीनियर * के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, जो कि 31 दिसम्बर, 1968, के दिन रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे।
	आंध्र प्रदेश	20
	असम	1
	बिहार	145
	चन्डीगढ़	–
	दिल्ली	7
	गोवा	1
	गुजरात	–
	हरियाणा	–
	हिमाचल प्रदेश	–
	जम्मू तथा कश्मीर	–
	केरल	1
	मध्य प्रदेश	10
	मद्रास	10
	महाराष्ट्र	8
	मणिपुर	–
	मैसूर	67
	उड़ीसा	18
	पांडीचेरी	–
	पंजाब	–
	राजस्थान	15
	त्रिपुरा	–
	उत्तर प्रदेश	5
	पश्चिम बंगाल	17
	जोड़	325

*माईनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमे वाले तथा वह व्यक्ति भी जो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमे के बिना है, इस में सम्मिलित हैं।

(ख) खनन उद्योग के उत्पादन लक्ष्यों में कमी के साथ, माइनिंग इंजीनियरों की आवश्यकताएं, जो कि पहले अनुमानित थी, पूरी न उतरी, जबकि पास होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई।

(ग) इस विषय में जो उपाय सोचे जा रहे हैं, उन में नये क्षेत्रों का समन्वेषण, जिस में माइनिंग इंजीनियर लाभदायक ढंग से लगाये जा सकते हैं, माइनिंग स्नातकों को सुरक्षा अधिकारी, संवातन अधिकारी, कोयला धूल तथा प्रतिवयन अधिकारी आदि के रूप में काम पर लगाने की अनुज्ञा देने के लिए विनियमों का संशोधन, खानों में सांविधिक उत्तरदायित्व के प्रवर पदों पर 60 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्तियों को नौकरी देने पर प्रतिबन्ध लगाना, खनिज विकास में दिलचस्पी रखने वाले बड़े संगठनों तथा राज्यों द्वारा छात्रवृत्ति की योजनाएं लागू करना और माइनिंग इंजीनियरों को विकासशील देशों में भेजने की सम्भावनाओं की खोज, माइनिंग इंजीनियरिंग की शिक्षणशालाओं में दाखिले को सीमित करना और बेरोजगार माइनिंग स्नातकों की संख्या में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिये कुछ शालाओं को बन्द कर देना सम्मिलित है।

पश्चिम बंगाल में नये पेट्रोल पम्प

2328. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उस राज्य में कितने नये पेट्रोल पम्प स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) इन नये पेट्रोल व्यापारियों के नाम तथा पद नाम क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

न्यास

2329. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विषयों की समवर्ती सूची के 28 वें मद में वर्णित प्रयोजन के लिए भारत में कितने न्यास चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का उन पर कोई नियंत्रण है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ ऐसे केन्द्रीय अधिनियम हैं, जैसे धर्मस्व अधिनियम, 1863, पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1890, पूर्त और धार्मिक

न्यास अधिनियम, 1890 और वक्फ अधिनियम, 1954 आदि जिनका सम्बन्ध समवर्ती सूची की 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाली, न्यासों की खास-खास श्रेणियों से है, परन्तु समवर्ती सूची की 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले सभी न्यासों पर लागू होने वाला सामान्य प्रकार का कोई केन्द्रीय अधिनियम नहीं है। चूंकि यह मामला समवर्ती सूची के अन्तर्गत है इसलिए उक्त 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले न्यासों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में कई राज्यों के अपने-अपने अलग-अलग कानून हैं। बम्बई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के अलावा जो सामान्य प्रकार का अधिनियम है, अधिकतर राज्यों में हिन्दू धार्मिक या पूर्त धर्मस्वों और अन्य प्रकार के धार्मिक या पूर्त धर्मस्वों के लिये अलग अलग कानून हैं। चूंकि 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले न्यासों से सम्बद्ध अधिकतर अधिनियमों का सम्बन्ध राज्यों से है और ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जिसमें, समवर्ती सूची की 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले सभी न्यासों को पंजीकृत करने की व्यवस्था हो, इसलिए ऐसे न्यासों की कुल संख्या के बारे में ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग) समवर्ती सूची की 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र और राज्यों के विभिन्न प्रकार के अधिनियमों में, उन न्यासों के सम्बन्ध में, जिन पर ये अधिनियम लागू होते हैं, इस प्रयोजन के लिये बनाये गये अभिकरण द्वारा और साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न मात्राओं में नियंत्रण किये जाने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1968 में सार्वजनिक न्यास विधेयक का मसौदा राज्य सरकारों की टिप्पणी के लिए उनके पास भेजा था। इस मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ समवर्ती सूची की 28 वीं मद के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक न्यासों के नियंत्रण और उनकी देखभाल के सम्बन्ध में एक समान कानून की व्यवस्था है।

कलकत्ता के विकास के लिये धन का नियतन

2330. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि नियत करने का विचार है;

(ख) यह धनराशि किन कार्यों पर व्यय की जायगी;

(ग) क्या यह सच है कि जब श्री टी० टी० कृष्णामचारी वित्त मंत्री थे तब इस कार्य के लिये दो सौ करोड़ रुपये नियत किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो यह धन किस प्रकार व्यय किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : चतुर्थ योजना के नियतनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, कलकत्ता मैट्रोपोलीटन डिस्ट्रिक्ट में पानी की सप्लाई, सीवरेज तथा ड्रेनेज, यातायात तथा परिवहन से सम्बन्धित योजनाओं एवं गन्दी बस्ती सुधार, आवास तथा नगर-विकास और अन्य विविध योजनाओं के लिए भी 43.38 करोड़ रुपए का व्यय (आउटले) प्रस्तावित किया है।

(ग) और (घ): जी नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कलकत्ता मैट्रोपोलीटन डिस्ट्रिक्ट की विकास योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए के विशेष पूल की व्यवस्था की गई थी, इस व्यय को केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने 50 : 50 के आधार पर आपस में विभाजित किया। इस व्यवस्था के स्थान पर केवल 840.92 लाख रुपया ऊपर उल्लिखित विभिन्न विकास योजनाओं पर राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया गया तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में उन्हें 420.46 लाख रुपए की राशि दी गई।

ब्रिटेन में हरिदास मूंदडा उद्योग समूह की आस्तियां

2331. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में आयकर विभाग के दो अधिकारी ब्रिटेन गये थे और उन्होंने वहां पर हरिदास मूंदड़ा के ब्रिटेन में उद्योगों की आस्तियों की जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का पूरा पाठ क्या है;

(घ) इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रतिवेदन पर यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ): ये प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक द्वारा लातीनी अमरीका के देशों में वित्त पोषित परियोजनायें

2332. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लातीनी अमरीकी देशों में विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं के लिये टेण्डरों की यह शर्त रखी गई है कि केवल सहायता देने वाले देश ही ऐसे टेण्डर दे सकते हैं;

(ख) क्या इससे भारतीय समवाय लातीनी अमरीकी देशों की कई विकास परियोजनाओं के लिए टेण्डर नहीं दे सकेंगे; और

(ग) विश्व बैंक के माध्यम से ये शर्तें समाप्त करवाने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक ने, कुछ लातीनी अमरीकी देशों की प्रायोजनाओं के लिए विकसित देशों से बातचीत करके संयुक्त वित्त-प्रबन्ध कर लिया है। किन्तु इस संयुक्त वित्त-प्रबन्ध से, प्रतियोगिता के आधार पर, जिसमें सभी सदस्य-देश भाग ले सकते हैं, टेण्डर के जरिये माल प्राप्त करने की विश्व बैंक की सामान्य प्रणाली रद्द नहीं होगी। यदि स्वीकार किया गया टेण्डर उन देशों में से किसी

देश से दिया गया हो जिनके साथ बैंक ने संयुक्त वित्त प्रबन्ध किया है, तो सबसे कम रकम के टेन्डर वाले देश को, संयुक्त वित्त–प्रबन्ध के दायरे के अन्दर काम करना होगा। पर यदि किसी विकासशील देश से कम से कम रकम का टेण्डर दिया गया हो तो उस देश के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह संयुक्त वित्त प्रबन्ध के अन्तर्गत काम करे। उस हालत में उस करार के लिए सामान्य रूप से, प्रायोजना के लिए बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से वित्त-प्रबन्ध किया जायगा।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

केरल राज्य में नये अस्पताल

2333. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने नये अस्पताल खोले जाने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने कुछ चिकित्सालयों के विकास के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दो बाल चिकित्सा अस्पताल–एक एरनाकुलम में और एक कोजीकोड में खोलने का प्रस्ताव है। विभिन्न अस्पतालों में तीन हजार और अधिक पलंगों की व्यवस्था करने तथा प्रत्येक तालुक अस्पताल में कम से कम दस और जिला तथा अन्य बड़े अस्पतालों में बीस पे-वार्ड कक्षों का निर्माण कराने का भी प्रस्ताव है। कतिपय जिला अस्पतालों में बहिरंग विभागों के लिए आवास व्यवस्था करने के लिए आधुनिक ढंग के जिला पोलिक्लीनिकों का निर्माण कार्य भी चौथी योजना अवधि में शुरू किया जाना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास तथा केरल के बीच जल सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद

2334. श्री मंगलाथुमाडोम : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तथा केरल के बीच जल सम्बन्धी विवाद के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) उसे हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): इस मामले पर, मद्रास में 21–12–68 को केरल और तामिल नाडु के मुख्य मंत्रियों के साथ

विचार विमर्श हुआ था। इस विवाद का हल करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन पर राज्य सरकारें विचार कर रही है और इसका त्रिवेन्द्रम में शीघ्र ही होने वाली अगली बैठक में हल हो जाने की सम्भावना है।

स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों के खाते

2335. **श्री हरवयाल देवगुण :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्विटजरलैंड के बैंकों में खाते वाले प्रमुख भारतीय लोगों तथा व्यापारियों के मामलों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): इसकी कोई जांच सम्भव नहीं है क्योंकि हमें यह सूचित किया गया है कि स्विटजरलैंड का बैंक और स्विटजरलैंड की सरकार ऐसे मामलों में पूर्ण गोपनीयता बरतती है और किसी भी विदेशी सरकार को ब्यौरा बताने को सहमत नहीं हुई है।

पारादीप, उड़ीसा में उर्वरक कारखाना

2336. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पारादीप में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिये किस गैर-सरकारी फर्म को काम दिया है;

(ग) उड़ीसा सरकार इस गर-सरकारी व्यापार गृह को जो हिदायतें देने के लिये सहमत हो गई है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कच्चे माल तथा इस कारखाने के सम्बन्ध में अन्य मामलों के ब्यौरे पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० भव्हाण) : (क) और (ख) : मैसर्स साहू जैन लिमिटेड, कलकत्ता ने पारादीप में उर्वरक परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कुछ वर्षों के लिए अमोनिया तथा फोस्फोरिक एसिड का आयात निहित है। मामले में जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) राज्य सरकार मैसर्स साहू जैन लिमिटेड को भूमि, बिजली, पानी आदि के रूप में उपयुक्त सुविधाएं देने को तैयार है।

(घ) और (ङ) : जैसा कि ऊपर बताया गया है, मामले पर अभी तक जांच की जा रही है।

Proper Utilisation of Funds given to State Government for Family Planning Programme

2337. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the measures taken by the Central Government to ensure that the funds given to the State Governments for purposes of family planning are properly utilised for the same;

(b) whether any complaints have been received in regard to the utilisation of these funds for some other purposes by any State; and

(c) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A statement containing the required information is enclosed.

(b) No.

(c) Does not arise.

Statement

The Family Planning Programme is a Centrally Sponsored Scheme and is implemented mainly through the State Governments for which the Government of India provide assistance to the tune of 96-97% of the total expenditure incurred by the State Governments as per approved patterns. From the year 1969-70 it is proposed to provide 100% assistance for this programme. According to procedure, patterns of staff and other items of expenditure have been laid down for the various levels right from the State level to the peripheral level viz., Rural Family Welfare Planning Centres and Sub-Centres. The allocations to the State Governments are adjusted on the basis of the audit certificate received from the Accountant General of the State. The Comptroller and Auditor General of India, has, at the instance of Department of Family Planning, issued instructions to all Accountants-General to exercise proper checks on the expenditure on Family Planning Programme in the States. Internal Audit and Accounts parties have been sanctioned at the State level and Central Audit parties have been established in the Department of Family Planning. Quarterly statement of expenditure vis-a-vis the targets achieved are also obtained from the States in prescribed form and are reviewed. Government of India have also prescribed that the Inspecting Officers should exercise check in 5-10% of the cases, with a view to having proper scrutiny on expenditure.

Dariba Copper Project

2338. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether he project report on Dariba Copper Project (Rajasthan) has been examined;

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of the report on the Table of the House.

(c) the conclusion drawn from the said report and further underground investigations made; and

(d) if the examination of the said report has not been completed, the stage at which it stands at present.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) : Certain doubts about the viability of the project arose and it has been suggested to the Hindustan Copper Ltd., that further exploration work may be necessary to work out a really viable project. This is under consideration of the Hindustan Copper Ltd.

Dariba Copper Project

2339. Shri Bhola Nath Master : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the amount spent on Dariba Copper Project in Rajasthan so far;

(b) the time by which production is likely to start in the said Project:

(c) the difficulties experienced so far in starting the production work there; and

(d) the number of technical hands and unskilled labourers, separately working therein ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The expenditure incurred upto 31-12-1968 is as follows :

(Rs. in lakhs)

National Mineral-Development Corporation Ltd./Hindustan Copper Ltd.	5.96
Indian Bureau of Mines/Geological Survey of India :	66. 0

(b) and (c) : The National Mineral Development Corporation Ltd., had prepared a Project Report for the development of Dariba Copper deposits. The Report was examined by Government and certain doubts about the viability of the Project arose. It was suggested to the Hindustan Copper Ltd., (who have since taken over the scheme), that further exploration work may be necessary to work out a really viable Project. This is under consideration of the Hindustan Copper Ltd.

(d) 4 technical regular hands; 8 skilled, 1 semi skilled and 14 un-skilled labourers on daily wages are engaged.

उत्तर प्रदेश में इंडेन गैस एजेंसियों का वितरण

2340. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री सूरज भान :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और धातु तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में "इंडेन गैस" एजेंसियों का वितरण किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इन आवेदन पत्रों के बारे में निर्णय करने की कसौटी क्या है; और

(ग) इस बारे में कादाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरों को बताना भारतीय तेल निगम के व्यापारिक हितों में नहीं है। एक चुनाव समिति की सिफारिशों पर इण्डेन के लिये वितरकों का चयन किया जाता है। इस समिति को आवेदकों की सुविधाओं की छानबीन और निरीक्षण करना होता है। चयन के लिये निर्धारित कसौटी में व्यापारिक केन्द्र में उपयुक्त मौजूदा प्रदर्शन कक्ष, गोदाम, परिवहन, टेलीफोन, वित्तीय स्थिरता, स्थानीय प्रसिद्धि, व्यापार में व्यक्तिगत ध्यान देने की योग्यता, व्यक्तिगत तौर पर शीघ्र उपभोक्ता सेवा का उच्च स्तर, मौजूदा व्यापार की प्रकृति इत्यादि शामिल हैं। विपणन विभाग के उच्च अधिकारी चुनाव समिति की सिफारिशों पर विचार करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं।

तांबे की मांग

2341. श्री एस० आर० दामानी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 तक तांबे की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की वर्तमान क्षमता क्या है और इस परियोजना में पूरी क्षमता से कब उत्पादन होने लगेगा;

(ग) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने तांबे का विकास करने तथा इसका अवशोधन करने के लिये प्रगतिशील देशों के साथ बराबरी के शेयरों की भागीदारी करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि किन्हीं विदेशी फर्मों से कोई बातचीत की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अलौह-धातुओं विषयक आयोजना दल ने 1973–74 तक तांबे की मांग का 1,24,000 मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है।

इस समय देश में तांबा उत्पादन में संलग्न केवल एक ही एकक है अर्थात् निजी क्षेत्र में मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन 1, इसकी उत्पादन क्षमता 9,600 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस एकक को 16,500 मैट्रिक टन तक उत्पादन विस्तार करने की अनुज्ञप्ति दी गई है। इसके 1970–71 तक प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है।

मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम, 31,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष (21,000 मैट्रिक टन खेतड़ी की खान से तथा 10,000 मैट्रिक टन निकटवर्ती कोलिहान खान से) उत्पादन करने के लिये राजस्थान स्थित खेतड़ी के तांबा निक्षेपों का विकास कर रहा है। उनका विचार बिहार में राखा के तांबा निक्षेपों का तथा आंध्र प्रदेश में अग्नि-गुन्डला के तांबा-सीसा निक्षेपों के विकास करने का भी है। परन्तु इस सबके पश्चात्, भी, तांबे की स्वदेशी उपलब्धता तथा आवश्यकता के मध्य काफी अन्तर होगा जिसे आयातों द्वारा ही पूरा किया जाना होगा।

(ख) खेतड़ी तांबा प्रायोजना अभी भी निर्माणावस्था में है। इसके द्वारा 1970–71 तक संकेन्द्रकों का उत्पादन शुरू करने तथा 1972–73 तक तांबा धातु का पूरा उत्पादन प्राप्त करने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) : अलौह-धातुओं विषयक आयोजना दल की रिपोर्ट में तांबा अयस्क की उपलब्ध राशियों वाले विकासशील/अविकसित देशों के साथ तांबे आदि के विकास के लिये भारतीय इक्विटी के भाग लेने के लिये सुझाव है। तथापि योजना आयोग में इस प्रकार के भाग लेने के लिये कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सरकारी स्तर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है।

निगमित क्षेत्र का विकास

2342. श्री एस० आर० दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1967–68 में भारत की अर्थ-व्यवस्था के निगमित क्षेत्र के कार्यकरण के परिणामों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 1966–67 में 25.8 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1967–68 में 13.3 प्रतिशत रह गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र की सहायता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार के पास इस समय निगमित क्षेत्र के 1967–68 के दौरान के कार्यकरण की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

अल्प बचत योजना के माध्यम से प्राप्त धनराशि

2343. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अल्प बचत योजना के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा यह धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त राशि में वृद्धि हुई और यदि हां, तो कितनी तथा अल्प बचत में वर्तमान गति बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों की लाटरियों से इस योजना के संचालन में बाधा पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो लाटरियां बन्द करने के लिये क्या सरकार राज्य सरकारों को निदेश दे सकती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में, दिसम्बर, 1968 के अन्त तक, छोटी बचतों से प्राप्त वास्तविक रकम उतनी ही है जितनी पिछले वर्ष की इसी अवधि में इकट्ठी हुई थी अर्थात् 48 करोड़ रुपया।

(ख) देहात से इकट्ठी होने वाली रकमों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इस बात से कि डाकघर बचत बैंक में इस वर्ष 5 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, यह पता चलता है कि इस वर्ष गांवों में पहले से ज्यादा बचत की गयी है।

डाक-घर बचत बैंक में बचत खातों के खोले जाने को विशेषरूप से बढ़ावा देने के लिए, पंचायतों के सहयोग से चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष आन्दोलन चलाये गये हैं। गांवों में बहुत-से शाखा-कार्यालयों को भी बचत बैंक के अधिकार दिये गये हैं ताकि गांवों में बचत करने वाले लोग अपने घर के पास ही खाते खोल सकें। अनुमान है कि इन उपायों से गांवों में छोटी बचतों में और वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) : यह कहना कठिन है कि राज्य सरकारों ने जो लाटरियां शुरू की हैं उनका असर छोटी बचतों से होने वाली प्राप्तियों पर पड़ा है या नहीं।

सार्वजनिक भविष्य निधि योजना

2344. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक भविष्य-निधि योजना के कार्य के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस के आरम्भ होने से अब तक कुल कितना धन जमा हुआ तथा इस योजना को क्रियान्वित करने पर कितना प्रशासनिक व्यय हुआ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये क्या संगठन स्थापित किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली रकमें, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों की शाखाओं में एक जुलाई, 1968 से स्वीकार की जा रही है। जनवरी, 1969 के अन्त तक 2000 से अधिक खाते खोले गये और इन खातों में 50 लाख रुपये जमा कराये गये।

इस योजना को चलाने के लिए अभी तक कोई अलग संगठन स्थापित नहीं किया गया है। फिर भी, इस सम्बन्ध में, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा किये गये खर्च के आधार पर उन्हें उचित पारिश्रमिक देना पड़ेगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2345. श्री एस० आर० दामानी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में परिवार नियोजन आन्दोलन पर कितना व्यय किया है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों ने अपने बजटों में कितने धन की व्यवस्था की है; और

(ग) क्या इस आन्दोलन से नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में और सब राज्यों में समान प्रगति की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं। विभिन्न राज्यों और नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम की प्रगति की गति अलग अलग रही है। इन भिन्नताओं के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है :—

(1) ग्रामीण केन्द्रों और उप-केन्द्रों, नगरीय केन्द्रों, जिला कार्यालयों, सचल सेवा एककों आदि संगठनों का विभिन्न स्तर पर कितना विस्तार किया गया है;

(2) सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ राज्यों में चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों का होना;

(3) विभिन्न राज्यों में प्रेरणात्मक तथा शैक्षिक कार्यों में कितना विकास हुआ है;

(4) विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता और लघु परिवार आदर्श के प्रति चेतना की मात्रा;

(5) कुछ क्षेत्रों में संचार की कठिनाइयां आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बन्धक बैंकों के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

2346. श्री बे० कु० दासचौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में भूमि बन्धक बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के जीवन बीमा निगम ने कुल कितना विनियोजन किया; और

(ख) इस प्रकार विनियोजन से उक्त अवधि में जीवन बीमा निगम ने ब्याज के रूप में कुल कितना धन अर्जित किया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): भारत के जीवन बीमा निगम ने 1967-68 में देहाती इलाकों में भूमि बन्धक बैंकों की मार्फत कुल 10 करोड़ 33 लाख 61 हजार रुपया लगाया है और इस रुपये पर 30 लाख 40 हजार रुपया ब्याज में मिला है ।

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

2347. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of irrigation schemes for Madhya Pradesh still under consideration of the Government at present; and

(b) when a final decision is likely to be arrived at thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The following three Major and thirteen Medium Irrigation Schemes are at present under examination :—

Major Projects

1. Satiara Stage-I.
2. Sukta.
3. Bargi.

Medium Projects

1. Sindh Diversion Weir Scheme.
2. Nehlesara.
3. Jamni R. B. Canal.
4. Kasiyari.
5. Kunwarpur.
6. Chandore Tank.
7. Mayana Tank.
8. Johilla.
9. Pipliakumar.
10. Paronch.
11. Bichhia Tank.
12. Phutka.
13. Bargoor Nala Tank.

(b) When the Fourth Plan provision for New Schemes is known and the technical scrutiny is completed.

ऋण गारन्टी योजना तथा हुंडी-बाजार योजना

2348. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण गारन्टी योजना तथा हुंडी बाजार योजना के कार्यकरण का पता लगाया है तथा 1968 के लिए इस पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं का लघु उद्योगों ने किस सीमा तक उपयोग किया था तथा इसका उपयोग न करने अथवा आंशिक रूप में उपयोग करने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) 1969 के लिए क्या नियतन किए गए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऋण गारन्टी योजना, ऋण देने वाली संस्थाओं को, उनके द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में होने वाली सम्भावित हानि के लिए कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में रिजर्व बैंक इस योजना को चलाता है, और इस योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हाल ही में योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर, उन संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो ऋण गारन्टी संगठन से अपने सभी गारन्टी योग्य ऋणों के लिए गारन्टी मांगती है, पहली अक्टूबर, 1968 से गारन्टी सम्बन्धी प्रभार को 1/4 प्रतिशत से घटा कर 1/10 प्रतिशत कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक, कुछ शर्तों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए, हुण्डी बाजार योजना, चलाता है। छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये उन ऋणों के सम्बन्ध में, जिनकी गारण्टी ऋण गारण्टी संगठन ने दी हो, रिजर्व बैंक अगस्त, 1967 से 4.5 प्रतिशत की रियायती दर से पुनर्वित्त सुविधा देता रहा है। छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों में एक निश्चित आधार-अवधि की तुलना में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में ही पुनर्वित्त दिया जाता था। पर हाल ही में 6 फरवरी, 1969 से रिजर्व बैंक ने छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों द्वारा थोड़े अर्से के लिए दिये जाने वाले ऋणों की कुल रकम के लिए भी पुनर्वित्त की सुविधा देनी शुरू कर दी है।

(ख) ऋण गारण्टी योजना के शुरू किये जाने के समय से नवम्बर 1968 तक, 345.62 करोड़ रुपये की रकम के लिए 80284 गारण्टियां दी गयी हैं। हुण्डी-बाजार योजना के अन्तर्गत, रिजर्व बैंक ने अधिक कामकाज के चालू मौसम में आठ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल 3.34 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

(ग) दोनों योजनाओं के स्वरूप को देखते हुए, विशेष रकमों के निर्धारित किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

कुछ रोगों के बारे में अनुसंधान योजनाएं

2349. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंसर, चेचक, तपेदिक आदि घातक रोगों के उपचार की औषधियों की खोज के लिए सरकारी स्तर पर क्या-क्या अनुसंधान योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रयासों के लिये सरकार गैर-सरकारी संस्थाओं को कोई सहायता देती है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस समय किन विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु केन्द्रीय करों का राज्यों को अन्तरण

2250. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने विकास कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय करों का शत प्रतिशत अन्तरण करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने अपने निर्णय के बारे में बिहार सरकार को बता दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय बताया गया है तथा अन्य राज्य सरकारों की मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

माल के रूप में ऋणों की अदायगी

2351. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि भारत अपने ऋणदाताओं को इस बात के लिए सहमत कराये कि वे आंशिक भुगतान में भारत का माल खरीदें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : वित्त मंत्रालय ने ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि भारत अपने ऋण दाताओं को इस बात के लिए राजी करे कि वे आंशिक अदायगी के रूप में भारत से माल खरीदें। इस प्रकार के उपाय से वास्तव में तब तक कोई राहत नहीं मिलेगी जब तक निर्यात में वृद्धि न की जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में यह सामान्य सुझाव दिया था कि आबद्ध ऋणों की वापसी ऋण लेने वाले देश के निर्यात में वृद्धि करके की जाय जिससे व्यापार के विकास की गति तेज हो और साथ ही ऋण का आंशिक शोधन भी हो। इस सुझाव की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई।

Sindh project Dabra District, Gwalior.

2352. Shri Ramavtar Sharma ; Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work relating to Sindh Project in Dabra, District Gwalior, has been started;

(b) if so, the progress made in that work;

(c) the time by which this work is likely to be completed; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and the time by which it is likely to start ?

The deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d) : The Sindh project is yet to be approved for execution. The Madhya Pradesh Government has not so far submitted a report on geological investigations called for by the Central Water & Power Commission. However, the State Government propose to take up the scheme in the Fourth Plan.

Reserves of Oil in Rameshwaram

2353. Shri Ramavtar Sharma : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Preliminary survey has indicated the presence of sufficient oil reserves near Rameshwaram;

(b) If so, the details of such survey; and

(c) The steps being taken for commercial exploration of these oil reserves ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : No. The surveys have only indicated the existence of subsurface conditions favourable for the accumulation of hydrocarbons. This will need to be tested by drilling.

(c) Not for the present.

कलकत्ता के विकास के बारे में प्रधान मंत्री की उद्योगपतियों के साथ बैठक

2354. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता के विकास की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री तथा उद्योगपतियों के एक दल की कलकत्ता में हुई बैठक के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या उद्योगपतियों के साथ हुई प्रधान मंत्री की बैठक के अनुसार कलकत्ता के विकास की समस्याओं के समाधान के लिये कोई कार्यवाही करने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख): 23 दिसम्बर, 1968 को कुछ उद्योगपतियों ने प्रधान मंत्री से कलकत्ता के राजभवन में भेंट की थी। भेंट के दौरान चर्चा कलकत्ता नगर की समस्याओं तथा इसके विकास पर केन्द्रित रही।

विचार-विनियम सामान्य प्रकार का था और इस प्रकार कोई विशेष निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं था। प्रधान मंत्री ने कलकत्ता नगर की विकास समस्याओं पर कार्यवाही के लिए सहानुभूतिपूर्ण रूचि दिखाई।

(ग) तथा (घ) : पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट के लिए, कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गेनाईजेशन के माध्यम से, पहले ही एक आधारभूत विकास योजना तैयार करवा ली है। योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं : —

(i) कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक की सारी आबादी के लिए पानी की सप्लाई तथा नालियों (ड्रेनेज) जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था।

(ii) जिला के अन्दर लोगों और सामान के आने-जाने की सुविधा के लिए सड़को और परिवहन सम्पर्कों में सुधार।

(iii) बस्ती की भूमि के अर्जन द्वारा गन्दी बस्तियों की सफाई, और उनमें जल-पूर्ति, स्वच्छता (सेनीटेशन), ड्रेनेज, पट्टरी बनाना, बिजली आदि जैसे सुधार करना।

(iv) कलकत्ता और हावड़ा के बीच संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए हुगली पर दूसरे पुल की व्यवस्था।

(v) जिला में एक नया उपनगर (टाऊ शिप) बनाना, जो स्वयं में पूर्ण हो, ताकि नगर के भविष्य में होने वाले विकास की देख-रेख हो सके और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से आबादी को स्थानान्तरित करने में सुविधा हो।

योजना का कार्यान्वयन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, सी० एम० पी० ओ० द्वारा तीसरी योजना और 1966-67 के दौरान, कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट के लिए आधारभूत विकास योजना की तैयारी पर किए गए समस्त आर्गोनाइजेशन सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति के अलावा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को जल-पूर्ति एव ड्रेनेज स्कीम, स्लम क्लीयरेंस, औद्योगिक आवास तथा महानगर-परिवहन आयोजना के बारे में वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी है।

मनीपुर के लिये विद्युत बोर्ड

2355 : **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में बिजली की सप्लाई के हेतु सरकार मनीपुर के लिये एक विद्युत बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) संघीय प्रदेश मनीपुर के क्षेत्र में सीमित बिजली विकास को ध्यान में रखते हुए वहां बिजली बोर्ड का स्थापित होना ठीक नहीं है।

मनीपुर सरकारी अस्पतालों के नर्सिग स्टाफ को भत्ते अतारांकित

2357. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के नर्सिग स्टाफ को उसी अधिकार पर भत्ता देने के प्रश्न की जांच की है जिस आधार पर आसाम के नर्सिग स्टाफ को ये भत्ते स्वीकार किए गए हैं तथा क्या उनको ये भत्ते स्वीकार कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भत्ते दिए गए हैं तथा ये किस तिथि से दिए जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ती):(क)और (ख): असम सरकार द्वारा प्रदत्त भत्तों के आधार पर मनीपुर सरकार के नर्सिग स्टाफ और प्रशिक्षार्थी-नर्सों को मैस-भत्ता, धुलाई भत्ता तथा वर्दी-भत्ता देने की मंजूरी दे दी गयी है।

ये आदेश 1 जनवरी, 1969 से लागू हैं।

इम्फाल नगरपालिका

2358. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री 14 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल नगर पालिका, मनीपुर की वित्तीय स्थिति सुधर गई है;

(ख) क्या इम्फाल नगर पालिका ने उस समुचित परामर्श के अनुसार काम किया है जो मनीपुर सरकार को, इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो दिये गये परामर्श की किन-किन बातों को क्रियान्वित किया गया है और किन सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जाना शेष है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ती): (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इम्फाल नगर पालिका को निम्नलिखित विषयों में परामर्श दिया गया था :—

(1) नगरपालिका को अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये, ऐसी पद्धति शीघ्र ही निश्चित करनी चाहिए जिससे कि महिला-मार्केट के आवंटन की समस्या सुलझ सके।

(2) स्टालों के लाइसेन्स के अतिरिक्त नगर पालिका को स्टालों के उपयोग का दैनिक अथवा मासिक किराये की पद्धति भी लागू करनी चाहिये।

(3) सड़क के किनारे बैठने वाले विक्रेताओं को मार्किट के अन्दर उपलब्ध खाली स्टालों में स्थानान्तरित करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाय। सड़क के किनारे बैठने वाले विक्रेताओं को स्टालों में जाने के लिये प्रेरित करने के हेतु उनसे विशेष उच्च दर पर किराया वसूल किया जाय।

(4) कर्मचारियों की सख्या और उनके कार्यभार की सावधानी से छानबीन की जाय।

(5) चुंगी वसूली के लिये नगर के सभी प्रवेश मार्गों पर चुंगियों की स्थापना की जाय।

(6) भवनों के मूल्य फिर से निर्धारित करने के लिये एक अनुभवी व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल अथवा असम अथवा किसी अन्य राज्य में मूल्य निर्धारण का कार्य किया हो, की सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त की जाय।

(7) सम्पति तथा रोशनी कर की दरे 1½ प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 10 प्रतिशत की जाय।

(8) नगर पालिका को साइकिल टैक्स लगाना चाहिये।

(9) व्यवसाय कर लगाया जाय।

(10) नगर पालिका को अपनी सम्पत्ति का रजिस्टर रखना चाहिये जिसमें सम्पत्ति के प्रबन्ध नगर पालिका द्वारा अर्जन की तिथियों दस्तावेजों के आवश्यक संदर्भों सहित, पूर्ण विवरण दिया हो, तथा ऐसी सम्पतियों से राजस्व एकत्र किया जाय।

(11) नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं का इतना विस्तार किया जाय जिससे कि नगर पालिका सड़कों के बाहरी ओर वाली जायदादें और सभी बसे हुये क्षेत्र उसके अन्तर्गत आ जाय।

(12) नगर पालिका को कृषि विमान अथवा अन्य एजेन्सियों के द्वारा खाद-स्थलों से ही खाद ट्रकों में ले जाने की स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि नगर पालिका को इसे स्थानान्तरित करने पर खर्चे वहन न करना पड़े। 10 रु० प्रति ट्रक की दर से खाद का मूल्य वसूल करने से अधिक आय होने की सम्भावना है।

(13) नगर पालिका सरकारी भवनों की मूल्यांकन सूचियां और उन पर देय सम्पत्ति कर की राशि यदि वे निजी सम्पत्ति होती तो तैयार कराये ताकि उन सूचियों को नगर पालिका को विशेष अनुदान के आधार रूप में काम में लाया जा सके।

निम्नलिखित बातों को छोड़ कर अनुपालन रिपोर्ट नहीं मिली है :—

(i) सम्पत्ति कर लगाने और उसकी वसूली करने के कार्य के लिये कलकत्ता नगर निगम से एक मूल्यांकन-अधिकारी की सेवाएं प्राप्त की जा रही है।

(ii) खुआइराम बन्द की महिला मार्केट से फीस वसूली के प्रश्न को तय करने के उपाय किये जा रहे हैं।

विदेशी दायित्वों को कम करने के लिये पुनर्मूल्यांकन

2359. **श्री लोबो प्रभू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुपये के पुनर्मूल्यांकन करके अपने विदेशी दायित्वों को कम करने का है क्योंकि वित्तीय असन्तुलन को ठीक करने के लिए इंटरनेशनल मानेटरी फण्ड ऐसा करने की अनुमति देता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : रुपये का पुनर्मूल्यन करने का कोई विचार नहीं है। विदेशों के प्रति भारत की देनदारियां विदेशी मुद्राओं के रूप में बतायी जाती है और रुपये के पुनर्मूल्यन से विदेशी मुद्राओं के रूप में हमारी देनदारी कम नहीं होगी। इसलिए भारत के विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए जितनी मात्रा में निर्यात करना आवश्यक है उस के रूप में भारत का वास्तविक विदेशी ऋण–भार भी रुपये के पुनर्मूल्यन से कम नहीं होगा।

युगोस्लाविया को पेनिसिलिन का निर्यात

2360. **श्री लोबो प्रभू** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लाविया को कितने मूल्य की पेनिसिलीन का निर्यात किया गया है तथा ये मूल्य आन्तरिक बाजार भाव की तुलना में से कम है अथवा अधिक;

(ख) क्या ये निर्यात ऋण के आधार पर किया गया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में पेनिसिलीन की कमी की शिकायतों के क्या कारण हैं तथा क्या इस निर्यात से पेनिसिलीन की कमी बढ़ नहीं जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : युगोस्लाविया के मैसर्स पिलवा ने 350 किलोग्राम सोडियम पेनिसिलिन और 5 मीटरी टन फोर्टीफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन का भाड़ा-बीमा लागत सहित 240 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयात करने और बदले में एकजाइटेट्रासाईकलिन का भाड़ा बीमा लागत सहित 225 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात करने का ठेका किया है ।

(ग) सरकार को पेनिसिलिन की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

कन्फैक्शनरी उद्योग

2361. श्री लोबो प्रभू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के कन्फैक्शनरी उत्पादन की तुलना में इसका चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन कैसा है;

(ख) उक्त अवधियों में उत्पादन शुल्क राजस्व कितना-कितना है;

(ग) एक किलोग्राम कन्फैक्शनरी पर औसतन उत्पादन शुल्क कितना है और कच्चे माल जैसे चीनी पैकिंग कागज और वनस्पति घी पर कितना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

अलवाय में जस्ता पिघलाने का कारखाना

2362. श्री लोबो प्रभू : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलवाय जस्ता कारखाने में जस्ते की उत्पादन लागत क्या है और आवश्यक आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने के बाद उस में कितनी बचत होगी;

(ख) इसे 60,000 टन की उत्पादन क्षमता तक विस्तार करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(घ) यदि विदेशी मुद्रा का अभाव था तो क्या सरकार ने कठिनाई को दूर करने हेतु सहयोगियों के अंश को अंश पूंजी मानने का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) मैसर्स कामिनको बिनानी जिंक लिमिटेड द्वारा 20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का अलवेई स्थान पर स्थापित जस्ता प्रद्रावक आयातित सकेन्द्रकों पर आधारित है ।

प्रद्रावक ने मई, 1967 मे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया परन्तु कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण से संयंत्र अभी अपनी अनुज्ञप्त क्षमता नहीं प्राप्त कर सका है। अतः उत्पादन की लागत का कोई वास्तविक मूल्यांकन अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। तथापि कम्पनी ने अनुमान लगाया है कि 20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष जस्ते के उत्पादन पर, आयातित सकेन्द्रकों का मूल्य निकालने के पश्चात् 1.5 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा की बचतें होंगी।

(ख) मैसर्स कामिनको बिनानी जिंक लिमिटेड, कलकत्ता, ने प्रार्थना की है कि उन्हें उनके वर्तमान जस्ता प्रद्रावक की क्षमता के, 20,000 मैट्रिक टन प्रत्येक की दो प्रावस्थाओं में 20,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष से 60,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार करने की अनुमति देने वाला एक 'अभिप्राय पत्र' जारी किया जाये। सरकार द्वारा इस बारे में विचार कम्पनी से वित्तीय प्रबन्धों, समयावलि और अन्य अपेक्षित सूचना के ब्यौरों के मिल जाने के पश्चात् किया जायेगा।

(ग) और (घ) : इस समय यह प्रश्न नहीं उठते।

नाइलोन तथा सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क

2363. **श्री लोबो प्रभू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइलोन तथा सूती कपड़े पर प्रति मीटर क्रमशः कुल कितनी राशि का उत्पादन-शुल्क लगाया गया है ; और

(ख) नाइलोन का कपड़ा अधिक चलता है तथा इसको धोया भी कम जाता है, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए सरकार किन कारणों से नाइलोन के कपड़े को अतिरिक्त कर लगाने के लिए ऐश्वर्य की वस्तु समझती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) प्रक्रिया नहीं किये गये नाइलोन कपड़े पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता। प्रक्रिया किये गये नाइलोन वस्त्रों पर निम्नलिखित शुल्क लगते हैं :—

	पैसे प्रतिवर्ग मीटर
मूल उत्पादन शुल्क	3.5
विशेष उत्पादन शुल्क	0.7
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क	3.6
हस्त करघा उपकर	1.9
जोड़	9.7

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का लगाया जाना केवल किसी जिन्स के विलासिता की होने अथवा नहीं होने पर निर्भर नहीं करता। शुल्क का लगाया जाना कई तथ्यों पर निर्भर करता है

जैसे उद्योग की शुल्क सहन करने की क्षमता, जिन्स का मूल्य, आदि । 1969 के बजट में नाइलोन कपड़े पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाये गये हैं । उल्टे, नाइलोन वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त नाइलोन सूत के अधिक बढ़िया डेनेर पर लगने वाले उत्पादन शुल्क की दर में कमी की गयी है । उदाहरण के तौर पर, 30 डेनेर से कम वाले नाइलोन सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 8 रूपये प्रति किलोग्राम की कमी कर दी गयी है ।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की छुट्टियों की सुविधाएं

2364. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों सम्बन्धी सुविधाएं देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस बारे में मनीपुर सरकार का क्या सुझाव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) : जी हां, भाग (ख) : के उत्तर में उल्लिखित सीमा तक ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई छुट्टियों के हक, मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित स्टाफ के लिए लागू कर दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के अस्थाई कार्य-प्रभारित स्टाफ को, अर्जित छुट्टी स्वीकार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो कि ड्यूटी की अवधि के 1/36वें भाग की दर से होगी तथा जो अधिकतम 20 दिन तक की इकट्ठी हो सकती है ।

(ग) मनीपुर सरकार का यह प्रस्ताव था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित स्टाफ द्वारा भोगी जा रही छुट्टी की समस्त सुविधाएं मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित स्टाफ के लिए लागू की जानी चाहिए ।

Income-Tax Arrears

2365. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of such individuals, Companies and Firm, etc, against whom Income tax arrears exceeds (i) Rupees one lakh, and (ii) Rupees 10 lakhs ; and

(b) the steps being taken by Government to realise the arrears and the time by which the amount would be realised ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The information asked for about names of individuals etc. against whom Income-tax Arrears exceed Rs. one lakh is not readily available and its collection requiring scrutiny of more than 4000 assessments will involve considerable time and labour.

However, information in respect of individuals etc. against whom Income-tax Arrears exceed Rs. 10 lakhs is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) All possible steps as provided in law for recovery of tax are being taken on the merits and circumstances of each case.

It is not possible to estimate the time by which the arrears would be realised.

उड़ीसा में हीरे और सोना पाया जाना

2366. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के महानदी के तल में हीरे और सोना पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख): अट्ठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में महानदी और इसकी कुछ सहायक नदियों से हीरों के उत्पादन के संबंध में खबरें उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों से बाद के उत्पादन के विषय में कोई ज्ञान नहीं है।

महानदी नदी की रेत काफी समय से सोना-युक्त जानी जाती रही है और स्थानीय लोग छोटे स्तर पर इसे धोकर सोना प्राप्त करने का अभ्यास करते रहे हैं। महानदी नदी की रेत से या कछरी भूमि से किसी आर्थिक दृष्टि से महत्व के उत्पादन के बारे में पता नहीं है। महानदी के तल में आर्थिक दृष्टि से कार्ययोग्य सोना पाये जाने की सम्भावनाएं बहुत ही कम बतायी जाती है।

कच्छ के लिये नर्मदा जल

2367. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कच्छ के अपने हाथ ही के दौरे में कहा था कि यथासम्भव शीघ्र नर्मदा के जल पर नियन्त्रण करके कच्छ की भूमि को उर्वरा बनाने के लिये यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा था कि इस सम्बन्ध में निर्णय तुरन्त कर लिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : जी, नहीं। किन्तु प्रधान मंत्री ने 28–2–68 को रण आफ कच्छ के विकास के लिए नर्मदा के जल को प्रयोग में लाने की सम्भाव्यता के बारे में कुछ कहा था।

(ग) नर्मदा जल के बटवारे के बारे में विवाद पर कोई फैसला होने के पश्चात् इस प्रश्न पर आगे विचार किया जा सकता है।

उत्तर गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों की कठिनाइयां

2368. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त अधिनियम 1968 द्वारा शुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन होने के कारण उत्तर गुजरात में सम्पूर्ण पत्तीदार तम्बाकू पर शुल्क नहीं दिया जाता और इसके परिणामस्वरूप कृषक अपनी उपज को बेच नहीं सकते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्पूर्ण पत्तीदार तम्बाकू का उपयोग बीड़ियों में नहीं किया जा सकता और इसके परिणामस्वरूप कृषकों को बडी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर गुजरात के कृषकों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल नहीं उठता।

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

2369. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में लगातार हानि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1968 में कितनी हानि हुई है तथा क्या सरकार ने हानि के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) (क) : जी हां।

(ख) और (ग) : 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम के द्वारा किए गए निर्माणकार्यों में उसे 4.52 लाख रूपए की हानि हुई है। हानि को समाप्त करने का प्रश्न निरंतर समीक्षाधीन है तथा निगम के द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप समस्त व्यवसाय में हानि का प्रतिशत 1964–65 के 6.1 से धीरे–धीरे घटकर 1967–68 में 1.8 हो गया है। निगम के पिछले कार्यों की समीक्षा करने उसकी पूंजी संरचना, उसके क्षेत्रीय संगठन, कार्य करने की पद्धति, आदि की परीक्षा करने तथा उसके कार्य करने की पद्धति में

सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग के संयुक्त सचिव, ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राईजिज के सलाहकार (वित्त) तथा (निर्माण) की एक समिति की भी स्थापना की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा भवनों की निर्माण लागत

2370. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा निर्मित भवनों की निर्माण लागत प्रतिष्ठित गैर-सरकारी फर्मों द्वारा निर्मित भवनों की निर्माण लागत की अपेक्षा अधिक है ;

(ख) क्या इसके कारणों का कोई विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) किन कारणों से निगम का कार्य असन्तोषजनक रहा हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) से (ग) : निगम अपने ग्राहकों से खुले टैण्डरों के आधार पर, या बातचीत से, या लागत पर कुछ जोड़ने के आधार पर, इस क्षेत्र में प्राइवेट फर्मों की प्रतियोगिता में कार्य प्राप्त करता है। यह बात कि निगम घाटे पर कार्य करता है यह स्पष्ट करता है, कि प्राप्त हुई कीमत से कुल मूल्य अधिक था। ऊपरी-खर्च इसका एक मुख्य कारण है।

घाटे को समाप्त करने का प्रश्न निरन्तर समीक्षाधीन है तथा निगम द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप समस्त व्यवसाय में हानि का प्रतिशत 1964-65 के 6.1 से घटकर 1967-68 में 1.8 हो गया हैं। निगम के कार्यों की समीक्षा करने उसकी पूंजी संरचना, उसके क्षेत्रीय संगठन, कार्य-पद्धति आदि की परीक्षा करने तथा उसके कार्य-पद्धति में सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में, निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव तथा ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज के सलाहकारों (वित्त तथा निर्माण) की एक समिति की भी स्थापना की है। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्ष की जा रही है।

अशोधित तेल पर रायल्टी

2371. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 24 फरवरी 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री ने किस फार्मूले के आधार पर निर्णय दिया है ?

(ख) क्या आसाम और गुजरात के बीच कोई भेद किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका आधार क्या है ;

(ग) नया मूल्य, नवम्बर, 1966 जब कि नेहरू पंचाट वास्तव में समाप्त हुआ था, के स्थान पर 1 जनवरी, 1969 से क्यों लागू किया गया है ; और

(घ) आसाम के मुख्य मन्त्री ने किस थोड़ी बहुत फेर बदल का सुझाव दिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जैसा कि पहले उत्तर में बताया जा चुका हैं, रायल्टी देशीय कच्चे तेल के प्रति मीटरी टन 100 रूपये के औसत मूल्य पर आधारित की गई है । कच्चे तेल पर देय रायल्टी, उक्त मूल्य के 10 प्रतिशत अर्थात प्रति टन 10 रूपये, की दर पर नियत की गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) नया दर 1 जनवरी, 1968 से लागू होता है न कि 1 जनवरी, 1969 से । प्रधान मन्त्री के 1962 के पंचाट की समाप्ति के तुरन्त बाद ही पुनरीक्षण किया गया था जिसे दिसम्बर, 1968 में अन्तिम रूप दिया गया । व्यतीत समय को ध्यान में रखते हुये प्रधान मन्त्री ने पंचाट की 1 जनवरी, 1968 से पूर्वव्याप्ति की ।

(घ) आसाम के मुख्य मन्त्री ने किसी फेर बदल का सुझाव नहीं दिया है ।

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण

2372. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के मामले में नेशनल क्रेडिट काउंसल की नियुक्ति से सरकार को कितना सहयोग प्राप्त हुआ हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रीय ऋण परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि वह आयोजना के उद्देश्यों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के विचारों के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों अर्थात् कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और निर्यात के बीच ऋण का विभाजन करने के काम में सरकार और रिजर्व बैंक की सहायता करे । परिषद की अब तक दो बैठकें हुई हैं और जुलाई, 1968 में हुई उसकी दूसरी बैठक में परिषद ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों की ऋण सम्बन्धी प्रत्याशित आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की सिफारिश की और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त ऋण के सम्बन्ध में मोटे तौर पर संकेत दिये । परिषद की सिफारिशों के अनुसार, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ विस्तृत बातचीत की और उन्हें बताया कि वे जुलाई 1968 से जून 1969 तक की अवधि में उनके पास जमा होने वाली रकमों में हुई वास्तविक वृद्धि की रकम में से कृषि के लिए (भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों की खरीद सहित) 19 प्रतिशत, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए 32 प्रतिशत, निर्यात के लिए 7 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों के लिए 42 प्रतिशत के अनुपात में रकमें निर्धारित करें ।

नवपाड़ा (उत्तर प्रदेश) में जबरदस्ती नसबन्दी आपरेशन

2373. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने 23 अगस्त, 1968 के "पायनियर" में प्रकाशित इस आशय का समाचार पढ़ा है जिसमें यह लिखा है कि नवपाड़ा (उत्तर प्रदेश) के एक 70 वर्ष की आयु के श्री चन्द्र देव तिवारी नामक बूढ़े व्यक्ति का 10 अगस्त, 1968 को जबरदस्ती नस-बन्दी आपरेशन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच-पड़ताल कर रही और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ।

इस मामले का और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के पश्चात सभा पटल पर दिया जाएगा ।

कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में गैर-सरकारी लोगों को भू-स्थलों का नियतन

2374. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण खान क्षेत्र में मकानों तथा दुकानों के निर्माण के लिए भू-स्थलों का नियतन गैर-सरकारी व्यक्तियों को किया जा सकता हैं, और

(ख) यदि हां; तो कोलार स्वर्ण खान उपक्रमों के मजदूरों तथा गैर-सरकारी व्यक्तिओं को अब तक ऐसे कितने भू-स्थलों का नियतन किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : कोलार स्वर्ण खान उपक्रमों के खनन-क्षेत्र में पड़ने वाली जमीनें इस उद्देश्य से गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा उपक्रमों के कर्मचारियों और भूत-पूर्व कर्मचारियों को एक समय में अधिक से अधिक पांच वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाती है कि खानों में काम करने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानों, जलाने की लकड़ी के डिपुओं, चाय की दुकानों आदि का निर्माण किया जा सके। जबसे इन उपक्रमों का राष्ट्रीकरण हुआ है तब से मकान बनाने के लिए कोई जमीन पट्टे पर नहीं दी गयी है ।

(ख) जब से केन्द्रीय सरकार ने इन उपक्रमों को अपने हाथ में ले लिया है तब से गैर-सरकारी व्यक्यिों को 20 और उपक्रम के कर्मचारियों और भूतपूर्व कर्मचारियों को 14 जमीन के टुकड़े पट्टे पर दिये गये हैं ।

मंगलौर में उर्वरक परियोजना

2375. **श्री० मु०न० नाघनूर** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर उर्वरक परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ख) राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) : परियोजना पर लगभग 37.0 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान है।

(ख) 1972–73 तक।

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति

2376. **श्री हेमराज :**
श्री चेंगलराया नायडु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो साधारण स्थिति वाले किसानों तथा विशेषतया गावों में कृषि कार्य में लगे हुए समाज के निर्धन वर्ग की सहायता के लिए उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश नहीं की है बल्कि उसने कुछ अन्तरिम सिफारिशें की हैं।

(ख) समिति की मुख्य अन्तरिम सिफारिशों का सम्बन्ध इन से है :-

(i) छोटे किसानों के लिए खेती के काम आने वाली वस्तुओं तथा ऋणों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए लगभग 30 चुने हुए जिलों में छोटे किसानों के विकास अभिकरण की स्थापना करना ;

(ii) राज्यों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने लिए ग्रामीण विद्युतन निगम (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन) की स्थापना करना, बिजली बोर्डों द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष ग्रामीण विद्युतन बांड खरीदना और विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाने वाली गांवों में बिजली लगाने का काम करने वाली कई सहकारी समितियों को इकट्ठे पूंजीगत ऋण देने की व्यवस्था करना ; और

(iii) कृषि पुनर्वित निगम का कार-बार बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को संगठनात्मक तथा वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाना।

उर्वरक कारखानों की उत्पादन क्षमता

2377. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** ; क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है जिससे भारत में उर्वरक कारखाने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करे ; और

(ख) इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : कुछ मौजूदा उर्वरक सन्यन्त्रों को उत्पादन के अनुकूलतम स्तर तक लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये है ।

1. **सिन्द्री** :अमौनिया तथा अन्य सज्जित उत्पादों के लिये उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिये, सन्यन्त्र में संश्लेषी गैस की उपलब्धि में वृद्धि के लिये नेफ्था गैसीकरण यूनिट की स्थापना की जा रही है । नेफ्था गैसीकरण स्कीम के शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है ।

2. **रूऊरकेला** : अमौनिया तथा केल्शियम अमौनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिये पहले से स्थापित सुविधाओं के अनुकूलतम इस्तेमाल के लिए सन्यन्त्र में हाइड्रोजन की सप्लाई में वृद्धि के लिये एक नेफ्था गैसीकरण यूनिट की कार्यान्विति की जा रही है । परीक्षण चालन किये जा रहे है ।

3. **फैक्ट, अलवाय** : सन्यन्त्र के संचालन में जांच करने के लिये बनाये गये तकनीकी दल ने कई सुझाव दिये हैं । इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है और उत्पादन में सुधार हुआ है ।

4. **नायवेली** : एक तकनीकी समिति ने कारखाने के कार्य कलापों की जांच की और कई सिफारिशें की । इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है ।

5. **ट्राम्बे** : दो समितियों ने ट्राम्बे यूनिट के कार्य कलापों की जांच की थी और उन क्षेत्रों में जहां कुछ विदेशी विशेषज्ञता को लाभदायक समझा गया था, यू० एस० ए० ए० आइ० डी के संरक्षण में टी० वी० ए० से एक विशेषज्ञ दल को बुलाया गया था । दल । समितियों ने ट्राम्बे की परिचालन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिये कुछ सुझाव दिये । इन तफतीशों के परिणामस्वरूप, कुछ उपाय अपनाने का फैसला किया गया जिनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

उपरोक्त सभी उपायों के पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने के बाद, यह आशा है कि सन्यन्त्र पूरी क्षमता के निकट पहुंच जायेंगे ।

सहकारी क्षेत्र को उर्वरक क्षमता का आवंटन

2378. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस दी जाने वाली अतिरिक्त उर्वरक क्षमता में से काफी क्षमता सहकारी क्षेत्र को दी जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी क्षेत्र को कितनी उर्वरक क्षमता आवंटित की जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) सहकारी क्षेत्र को अब तक कौन से विशिष्ट कारखाने आवंटित किए गए है तथा इस प्रयोजन के लिये बनाई गई सहकारी समतियों के नाम क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बा० रा० चव्हाण) (क) से (घ) : चौथी योजना के दौरान सहकारी क्षेत्र में 215,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 127,000 मीटरी टन पी 2 ओ 5 की क्षमता के एक उर्वरक परियोजना के स्थापना का अनुमोदन हुआ है । इस परियोजना की कार्यान्विति के लिए भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि० के नाम से एक कम्पनी स्थापित की गई है ।

चोरी छिपे लाये गये माल की बरामदगी का उसकी कीमतों पर प्रभाव

2379. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सतर्कता अधिकारियों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना, चांदी तथा चोरी छिपे लाई गई अन्य वस्तुओं के पकड़ने के कारण उन वस्तुओं के मूल्य पर, विशेषकर चांदी और सोने के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में सोने और चांदी के मूल्यों में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ; और

(ग) गत तीन महीनों में सतर्कता अधिकारियों द्वारा छापे मारने के फलस्वरूप कितना सोना और चांदी पकड़ा गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : बड़ी मात्रा में सोना चांदी पकड़े जाने से तथा सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश जारी करने से सोने तथा चांदी की कीमतों पर असर पड़ा है ।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान, बम्बई के बाजार में ग्रामतौर से 154.00 रूपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 170.00 रूपये हो गया है, जबकि चांदी का भाव 615.00 रू० प्रति किलोग्राम से घट कर 515.00 रूपये हो गया है ।

(ग) 1–11–68 से 15–2–69 तक की अवधि में पकड़े गए सोने तथा चांदी का ब्योरा नीचे दिए अनुसार है :–

	तादाद	मूल्य
(i) सोना	1,725 कि० ग्रा०	लगभग 145.5 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्राय दर पर) लगभग 280 लाख रूपये (बाजार भाव पर)
(ii) चांदी	29,057 कि० ग्रा०	लगभग 85.6 लाख रूपये

भारत का औद्योगिक विकास बैंक

2380. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औद्योगिक विकास बैंक का विचार औद्योगिक एककों का विलय कर के पुनर्गठन करने और अन्यथा उन्हें चल सकने योग्य बनाने की दृष्टि से ब्रिटेन के औद्योगिक पुनर्गठन निगम की ही भांति एक औद्योगिक पुनर्गठन डिवीजन स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल में विदेशों की इसी तरह की संस्थाओं के कामकाज का इस उद्देश्य से अध्ययन किया था कि उससे उपयुक्त शिक्षा ली जाय और उसे भारत में अपनाकर फायदा उठाया जाय । इस अध्ययन के दौरान उसे एक नयी गैर-सरकारी संस्था अर्थात् ब्रिटेन के औद्योगिक पुनर्गठन नियम के कामकाज का भी अध्ययन करने का मौका मिला। यह निगम 1966 में स्थापित किया गया था और अन्यान्य बातों के साथ साथ इसका प्रयोजन कम्पनियों के संगठन में ऐसे परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार करना था जिनके अनुसार कम्पनियों को आपस में मिलाया जा सके या सहायक कम्पनियों को मुख्य कम्पनियों में विलीन किया जा सके ताकि एक काम का दो जगहों पर किये जाने से होने वाला अपव्यय न हो और उत्पादन, विपणन और गवेषणा के काम में किफायत हो । इस मामले पर अभी स्थायी रूप से राय कायम नहीं की गयी है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस सम्बन्ध में पक्का निर्णय करने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

नर्मदा घाटी का विकास

2381. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने नर्मदा घाटी के विकास में रूचि दिखाई है और गत जनवरी में इसके एक दल ने इस क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिए विश्व बैंक ने क्या शर्तें पेश की हैं ; और

(ग) उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ख) : जिन कुछ परियोजनाओं के लिए भारत ने विश्व बैंक के संस्थानों से सहायता के लिए कहना है उन के संबंध में कुछ प्रारम्भिक जानकारी लेने के लिए जनवरी-फरवरी, 1969 में विश्व बैंक का एक सिंचाई प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल भारत आया था। अन्य चीजों के साथ-साथ इस दल ने मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में तथा परियोजना का दौरा किया। इस दल ने भारत सरकार को न ही तो कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और न ही कोई सुझाव दिया है। जब भारत सरकार विश्व बैंक से सहायता के लिए परियोजनाओं के सम्बंध में अन्तिम निर्णय ले लेगी, तो विश्व बैंक के साथ आगे इस पर और विचार-विमर्श किया जाएगा।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2382. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि विश्व बैंक ने सिन्धु नदी बेसिन तथा पेरू, ईराक, ईरान, तुर्की आदि में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस देश में नदी घाटी परियोजनाओं के लिए ऐसी सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो कब तथा किन नदी घाटी परियोजनाओं के लिये तथा उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत विभिन्न सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 1950 से दीर्घ कालीन ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता लेता रहा है। परियोजनाओं के नाम, बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से हुए समझौते की तिथि तथा ऋण राशि का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-268/69]

भारत सरकार तथा विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था संयुक्त रूप से निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहें है :-

(1) तामिल नाडु में कावेरी डेल्टा।

(2) आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा तथा गोदावरी डेल्टाओं में निकास तथा भूगतजल सम्बंधी स्कीमें।

(3) आन्ध्र प्रदेश पोचमपाद परियोजना

(4) महाराष्ट्र में जायकवाडी परियोजना

(5) मैसूर में ऊपरी कृष्ण परियोजना

(6) मध्य प्रदेश में ताबा परियोजना

(7) गुजरात में कदना परियोजना

बैंक तथा भारत सरकार द्वारा इनकी जांच की जा रही है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Display of Boards For Family Planning Propagation in Bihar.

2383. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have put up boards bearing advertisement "Do ya teen bachche-Bas" to propagate family planning in every nook and corner of the State ;

(b) if so, the number of such boards put up ;

(c) the amount of expenditure incurred by the Bihar Government in getting these boards prepared and installed ;

(d) whether the Central Government have also given any financial assistance to the State Government for this purpose ; and

(e) if so, the extent thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar)(a) to (c) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(d) and (e) : Yes. Cent per cent assistance is provided for this purpose.

तेल कम्पनियां

2384. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कुल कितनी-कितनी तेल कम्पनियां हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में दोनों क्षेत्रों में तेल का कुल कितना-कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को कुल कितना कितना लाभ हुआ ; और

(घ) विदेशों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया गया और गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में सहयोग करने वाले देशों के अलग अलग नाम क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यह अनुमान है कि सदस्य महोदय का आशय कच्चा तेल उत्पादन करने वाली कम्पनियों से हैं। भारत में कच्चा तेल उत्पादन करने वाली तेल कम्पनियां, आसाम तेल कम्पनी, आयल इण्डिया लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हैं। इन में से आसाम आयल कम्पनी और आयल इण्डिया लि० गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक सांविधिक कार-पोरेशन है।

(ख) भारत में पिछले तीन वर्षों में कच्चे तेल का खण्ड-वार उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(हजार मीटरी टनों में)

वर्ष	गैर-सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1966	2292	2355
1967	2886	2781
1968	2888	2965

(ग) पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ निम्न प्रकार था :—

(लाख रूपयों में)

वर्ष	गैर सरकारी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1965-66	464.00	136.45
1966-67	413.00	1104.69
1967-68	968 00	1277.73

(गैर-सरकारी क्षेत्र के आंकड़े केवल आयल इण्डिया से सम्बन्धित हैं। आसाम आयल कम्पनी एक समाकलित कम्पनी है जो कच्चे तेल का उत्पादन, शोधन एवं विपणन कार्य करती है।)

(घ) सरकारी क्षेत्र में कोई विदेशी सहयोग नहीं है। भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी (जो एक विदेशी कम्पनी है), प्रत्येक का आयल इन्डिया लि० में 50 प्रतिशत शेयर है। आसाम आयल कम्पनी पर बर्मा आयल कम्पनी का स्वामित्व है।

भाग्य लक्ष्मी इंश्योरेंस लिमिटेड, कलकत्ता

2385. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाग्य लक्ष्मी इंश्योरेंस लिमिटेड, कलकत्ता का परिसमापन हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा क्या उसके बीमा पालिसीधारियों को भुगतान किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई, 1954 को आदेश दिये थे कि भाग्य लक्ष्मी इंश्योरेंस लिमिटेड, कलकत्ता का कारोबार समेट लिया जाय। पता चला है कि पालिसी दायित्वों पर 25 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से लाभांश घोषित किया गया है और जिन पालिसीधारियों का पता नहीं चल सका है उनको छोड़ कर बाकी सब को इस की अदायगी कर दी गयी है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में 'लूप' से प्राप्त सफलताएं

2386. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भारत में लूप के प्रयोग से प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके मुकाबले में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के अन्य तरीकों से कितनी सफलताएं मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : जी हां। देश के विभिन्न भागों में 20,000 से अधिक लूप पहनाई गई महिलाओं के सम्बन्ध में विभिन्न अनुवर्ती अध्ययनों के आधार पर किये गये मूल्यांकन का सारांश परिशिष्ट "क" में दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०269/69]

1965–66-जब से परिवार नियोजन कार्यक्रम में लूप का प्रयोग शुरु हुआ तब से लूप तथा अन्य निरोधों के प्रयोग से प्राप्त सफलताओं का ब्यौरा परिशिष्ट "ख" में दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 269/69]**

लूप कार्यक्रम के मूल्यांकन से पता चला है कि प्रथम दो वर्षों में उत्साहवर्धक ग्राहिता के पश्चात् किंवदन्तियों उचित चयन न किये जाने, लूप पहनी हुई महिलाओं की अनुवर्ती देख-भाल न करने तथा प्रतिग्रहीताओं को लूप के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण इस कार्यक्रम में कुछ गतिरोध हुआ है। बच्चों के बीच समयान्तर रखने के लिए लूप का अभिस्वीकृत प्रभावकारी, सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय एकल विधि है। चयन के मामले मे यथोचित सावधानी, उचित शिक्षा तथा प्रतिग्राहिताओं की अनुवर्ती देखभाल करके लूप की लोकप्रियता को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ग) : यह प्रश्न नहीं उठता।

खेतरी तांबा उद्योग समूह

2387. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी तांबा उद्योग समूह को चालू करने के बारे में और विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसे चालू करने के बारे में अब क्या कार्यक्रम बनाया गया है, वह कब तक तैयार हो जायेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस परियोजना के कार्य के लिये पश्चिम रेलवे के निज़ामपुर-रींगस सेक्शन के साथ उसे रेलवे द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : आदि में सोची गई खेतड़ी तांबा प्रायोजना 21,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष तांबा उत्पादन करने के लिये थी। इस के 1966 तक पूरा कर लिये जाने के अनुमान थे।

कोलिहान खानों के विकास को भी सम्मिलित करने के लिये, बाद में, प्रायोजना का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया था, जिससे कि धातु का 31,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन हो सके और सल्फ्यूरिक एसिड और उर्वरकों के उत्पादन के लिये अमस्क में से गन्धक के तत्वों को प्राप्त किया जा सके। इसके 1969 तक चालू किये जाने की सभावना थी, परन्तु मई, 1968 में तैयार की गई सशोधित समयावलि के अनुसार संकेन्द्रक का पहला प्रवाह अक्तूबर, 1970 तक और दूसरा प्रवाह इस के 6 महीने बाद चालू किया जाना है। प्रद्रावक और एसिड तथा उर्वरक संयंत्रों के अक्तूबर, 1971 तक और शोधनशाला के मई 1972 तक चालू किये जाने की संभावना है।

प्रायोजना को चालू किये जाने में देरी का कारण इस की विदेशी मुद्रा की आवश्यताओं की पूर्ति के लिये विदेशी ऋण की अनुपलब्धता थी। देरी का एक और सहायक कारण यह था कि प्रायोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय कर लिये जाने के पश्चात् इस के कार्य क्षेत्र के सबध में कुछ पुनर्विचार हुआ और आर्थिक अवस्था सुधारने के विचार से इसके कार्य क्षेत्र में उपोत्पादों की प्राप्ति और उपयोग के लिये विशेष व्यवस्था करके इसे बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त, उपकरणों के प्राप्त करने में देरी, आयातित उपकरणों के लिये ठेकों को अन्तिम रूप देने में देरी और अपर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई के कारणों से देरी हुई।

(ग) रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

Seizure of Smuggled Goods

2388. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Himatsingka :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the value of smuggled gold and other articles seized in Bombay, Calcutta, Madras, Rajasthan, Delhi Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh during the last two years, separately and year-wise; and

(b) the number of cases registered in this connection, the number of persons, Indian and foreign, arrested, the number of persons let off and the number of cases pending with Government in that connection ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : Information in this regard is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Mutual Exchange of Two-Roomed Quarters for Class IV Staff in Certain Areas in New Delhi

2389 **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees make mutual exchange in respect of two-roomed class IV quarters at Panchkuin Road, Raja Bazar and Aliganj while thousands of applications for regular change are pending;

(b) if so, the number of applications seeking regular change which are pending;

(c) whether Government are aware of the fact that a black market price of Rs. 400 to Rs. 500 is paid for the mutual exchange and the change is effected only near retirement time; and

(d) if so, the action taken by Government to stop this black marketing ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir. The mutual exchange are permissible under the Allotment Rules. In accordance with the provisions of the rules, the permission for mutual exchange can be granted if both the officers are reasonably expected to be no duty in Delhi and reside in their mutually exchanged residence for at least six months from the date of approval of such exchange.

(b) 2,677 applications seeking regular change are pending.

(c) No, Sir. As stated in (a) above, the mutual exchange is sanctioned only if the parties fulfil the conditions specified in the Allotment Rules and the mutual exchange is considered effective only when both the parties collect necessary occupation authority slip for the respective quarters and complete all other formalities.

(d) Question does not arise.

आयल इण्डिया लिमिटेड का प्रधान

2390. **श्री अदिचन :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने आयल इण्डिया लिमिटेड के प्रधान के विरुद्ध आसाम तथा नागालैण्ड उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई निन्दात्मक टिप्पणियों का, जिनमें भ्रष्ट कार्यों का उल्लेख है, और सर्वोच्च न्यायालय के काम रोको आदेश का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या प्रधान की पदावधि, जो समाप्त होने वाली है, का नवीकरण किया जा रहा है और यदि हां, तो निन्दात्मक टिप्पणियों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में अपील दायर की गई है और उस न्यायालय ने रोक आदेश जारी किया है। क्योंकि मामला न्यायाधीन है इस स्थिति में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ग) आयल इण्डिया लि० के चेयरमेन श्री देव कान्त बरुहा की वर्तमान अवधि 1.11.1969 को समाप्त होगी।

Aerial Survey of Narmada Valley

2391. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an aerial survey was made of the Narmada Valley recently; and

(b) if so, the purpose of the survey and the results achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : No, Sir.

(b) ; Does not arise.

चेचक उन्मूलन

2393. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब वर्ष 1964 से चेचक का प्रकोप कम हो रहा था तो वर्ष 1967 में देश में उसका प्रकोप अचानक बढ़ जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) देश से चेचक का कब तक उन्मूलन किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चेचक 5–7 वर्ष के चक्र–क्रम में होने वाला रोग है। 1967 का वर्ष इस के प्रकोप की चक्रिक–पराकाष्ठा का वर्ष था।

(ख) देश से चेचक का उन्मूलन संभवतया 1977–78 तक कर दिया जायेगा।

दिल्ली में पोलियो के रोगियों में वृद्धि

2394. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली में 3 महीने और 3 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों में पोलियो का रोग अधिक फैलने के क्या कारण है;

(ख) क्या इसे रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के अस्पतालों से उपलब्ध पिछले तीन वर्षों के आंकड़े इस प्रकार है :–

आयु-वर्ग (0-3)	1966	1967	1968
कलावती सरन बाल चिकित्सालय	276	448	10
सफदरजंग अस्पताल	70	51	16
इर्विन अस्पताल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4

उपर्युक्त आंकड़ों से ज्ञात होगा कि 1966 से 1967 तक घटनाओं में वृद्धि हुई और इसके बाद 1968 में कमी होने लगी।

(ख) से (घ) : जल पूर्ति, मल निष्कासन तथा पर्यावरणिक सफाई में सामान्य सुधार करने के साथ साथ हिन्दूराव अस्पताल, सफदरजंग तथा विलिंग्डन अस्पतालों के वैल बैवी क्लीनिकों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन चल रहे 10 बाल चिकित्सा केन्द्रों में बच्चों के प्रतिरक्षण के लिए औरल-पोलियो वैक्सीन के टीके लगाने की विशेष व्यवस्था की गई है। कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में भी बच्चों के उपचार तथा प्रतिरक्षण के लिए टीके लगाने की व्यवस्था की गई है।

Ayurvedic Dispensaries in Delhi.

2395. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have increased the number of Ayurvedic dispensaries in the Capital ;

(b) whether it is also a fact that these dispensaries do not have ample moving space and accommodation for providing beds to patients and there is also shortage of medicines in these dispensaries ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Under the Central Government Health scheme there are 3 Ayurvedic dispensaries.

The New Delhi Municipal Committee are running 3 Ayurvedic dispensaries whereas the Delhi Municipal Corporation have 29. Ayurvedic and 7 Unani dispensaries which also include one Ayurvedic hospital with 36 beds,

(b) There is no provision for providing beds in dispensaries. There is ample space for patients to move about and generally there is no shortage of medicines.

(c) Does not arise.

Demolishing of Jhuggis in Delhi

2396. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that this year many jhuggis were demolished in Delhi ;

(b) if so, the number thereof ;

(c) whether the dwellers of those jhuggis have been allotted plots of land on permanent basis ; and

(d) if not, the reasons therefor and the time by which they are likely to be allotted such plots ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) About 14,900 Jhuggis and residential structures have been demolished during the year 1968-69.

(c) and (d) : The occupants of 14239 Jhuggis and residential structures have been allotted, on payment of the prescribed licence fee either tenements or developed plots in Jhuggi Jhopri Colonies, or camping sites on the periphery of Delhi. The remaining affected persons did not appear to be interested in such allotment.

Expenditure on maintenance of Central Secretariat buildings and Parliament House

2397. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by Government on the repairs and the decoration of the Central Secretariat buildings and Parliament House since the 1st April, 1965 ; and

(b) the amount earmarked for being spent on the maintenance and decoration of the aforesaid buildings during 1968-69 ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) A statement is enclosed.

(b) Provision made in 1968-69.

North and South Blocks.		Rs.	12,56,124.00
Parliament House		Rs.	5,50,151.00
	Total	Rs.	18,06,275.00

No expenditure is proposed to be incurred on decoration of these buildings. Decoration does not include Republic Day illuminations on 26th January, 1969.

Statement

Amounts spent on the repairs of the Central Secretariat buildings and Parliament House since the 1st April, 1965 to 31st January, 1969.

North and South Blocks.		Rs.	36,54,455.00
Parliament House.		Rs.	16,32,637,00
	Total	Rs.	52,87,092.00

No expenditure has been incurred on decoration of these buildings.

राज्यों में बिजली की दरों का युक्ति-युक्त किया जाना

2398. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उपक्रमों में लगाई गई पूंजी पर लगभग 11 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के विचार से विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों को युक्तियुक्त करने के लिये योजना आयोग ने सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो वह सिफारिश क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1967 में हुई बैठक में सभी मुख्य मन्त्रियों के नोटिस में यह ला दिया गया था कि बैंकटरमण समिति द्वारा सुझाए गए पूंजी पर 11 प्रतिशत लाभ को कमाने के दृष्टिकोण से राज्यों के लिये बिजली के टेरिफ को युक्तियुक्त बनाना बहुत वांछनीय है ।

बिजली बोर्डों द्वारा उचित लाभ कमाने से सम्बद्ध बैंकटरमण समिति की सिफारिशें मान ली गई थीं और उन्हें भारत सरकार के संकल्प स० ई० एल० दो 3(1)/64, दिनांक 3 मार्च, 1965 के साथ, जिस की एक प्रतिलिपि संलग्न है, भेज दिया गया था ।

(ग) बहुत से राज्य बिजली बोर्डों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये 1.7.1965 के पश्चात समय-समय पर अपनी टेरिफ दरों में संशोधन किया है ।

विवरण

संकल्प सं० ई० एल० -दो- 3(1)/64 दिनांकित 3 मार्च, 1965 की प्रतिलिपि

सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने संकल्प सं०ई० एल०-दो-3(1)/64, दिनांकित 24 अप्रैल, 1964 के अधीन एक समिति स्थापित की थी । इस समिति के संयोजक मद्रास के उद्योग मंत्री श्री आर० बैंकटरमण थे । इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :-

(क) विविध राज्य बिजली बोर्डों के राजस्व तथा बिजली कर से प्राप्त आमदनी को बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश करना, और

(ख) टैरेफ और बिजली कर के बीच संबंध पद्धति की सिफारिश करना ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(1) सभी राज्य बिजली बोर्डों का सर्व-प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे इतना अधिक राजस्व कमाने का लक्ष्य रखें जो चालन और रखरखाव के खर्च, सामान्य तथा मूल्यह्रास, आरक्षित निधि के अंशदान और ऋण पूंजी के सूद को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो। उन बोर्डों को जो इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, चाहिए कि वे तीन से पांच सालों की अवधि में इस उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य रखें।

(2) (क) बोर्डों का दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे प्रथम उद्देश्य में बताए गए खर्चों को पूरा करने के पश्चात कुछ राजस्व बचाने का लक्ष्य रखें और यह बचत पूंजी पर 3 प्रतिशत वास्तविक लाभ के बराबर हो। समिति के कथनानुसार, चालन तथा रखरखाव के खर्च को और मूल्यह्रास को पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बिजली कर का हिसाब लगा कर, यह राजस्व पूंजी पर 11 प्रतिशत लाभ के बराबर होगा अर्थात सूद दर 6 प्रतिशत, वास्तविक लाभ 3 प्रतिशत, सामान्य आरक्षित निधि आधा प्रतिशत और बिजली कर डेढ़ प्रतिशत।

(ख) जिन बोर्डों ने प्रथम उद्देश्य को पूरा कर लिया है, उन को चाहिये कि वे शीघ्र ही दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्रवाई आरम्भ कर दें और दूसरे बोर्डों का यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे अपने प्रथम उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात् तीन से पांच वर्षों के भीतर दूसरे उद्देश्य को पूरा कर दें।

(2) भारत सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। क्योंकि बिजली संभरण उद्योग में काफी पूंजी लगी है और इन पूंजियों पर अधिकाधिक लाभ आवश्यक है, भारत सरकार का विचार है कि समिति द्वारा सुझाए गए लाभ दरों को न्यूनतम समझ इन की प्राप्ति की जाय तथा अधिक लाभ प्राप्ति के लिये सभी प्रयास किये जाएं। यह भी आवश्यक है कि उद्योग में नई पूंजी लगाने के लिये संसाधनों को बढ़ाने की खातिर इन पूंजियों से शीघ्र लाभ प्राप्त किया जाए। भारत सरकार का यह विचार है कि समिति द्वारा सुझाए गए उद्देश्य की पूर्ति समिति द्वारा सुझाई अवधि से कम अवधि में करना संभव होना चाहिये और कि इस की पूर्ति के लिये सभी प्रयास करने चाहियें।

(3) समिति की दूसरी सिफारिशों पर विचार हो रहा है।

Rehabilitation of displaced farmers from Pong Dam in Rajasthan

2399. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government propose to mobilise financial resources for the Government of Rajasthan to enable them to rehabilitate such farmers conveniently as would be displaced in Rajasthan as a result of the construction of Pong Dam ;

(b) whether the Chief Minister of Rajasthan has emphasised the aforesaid need and approached the Central Government for financial aid ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c): The Rajasthan Government has been pressing from time to time for larger funds being provided for the Rajasthan Canal Project. 10 1% earmarked central assistance, to the maximum extent compatiable with the resources, is being given to the Government of Rajasthan within the State Plan ceiling for the construction of Raj sthan Canal Project to enable its construction to proceed apace so that land becomes available for rehabilitation or oustees. Funds have also been placed at the disposal of project authorities for construction of diggies and houses for the oustees In their Fourth Five Year Plan, Government of Rajasthan have also proposed an outlay of about Rs. 7 crores for development of colonisation in the canal area. The Plan has however, not yet been finalised.

De-Requisitioning of land of villages in Najafgarh and Narela areas

2400. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to abandon the scheme for acquiring the land of villages in Najafgarh and Narela for the new township for its allotment to private parties by the Delhi Development Authority ; and

(b) whether it is being done because of the fact that the Delhi Development Authority is not in a position to pay the price of the land to the tillers ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) ; (a) No.

(b) Does not arise.

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज

2401. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री दी० चे० शर्मा :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खोज सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : यह अनुमान है कि प्रश्न का आशय कैम्बे की खाड़ी में अतटीय तेल खोज से है। चालू वर्ष में, पहले चरण में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अलियाबेत द्वीप के पास छिछले अतटीय संरचना पर खुदाई (ड्रिलिंग) का प्रस्ताव रखता है। अन्य छिछले जलीय संरचनाओं

पर आगे उठाये जाने वाले कदमों का निर्णय उनके आरम्भिक प्रयत्नों के परिणामों पर निर्भर होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में फालतू धन जुटाना

2402. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति के परिणामस्वरूप बड़े बड़े किसानों के पास काफी फालतू धन जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस साधन से धन जुटाने और ग्रामीण क्षेत्रों से धन प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : नवीन कृषि सम्बन्धी तरीके अपनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आय हुई है और कृषि विकास में गति आने से ग्रामीण आय में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। विकास कार्य में धन लगाने के लिए कृषि आय में हुई वृद्धि को एकत्रित करने का कार्य राज्य सरकारों का है। वर्ष 1969–70 के केन्द्रीय बजट में ग्रामीण क्षेत्र में कराधन के कुछ प्रस्ताव हैं।

नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा चन्दन बान्ध का निर्माण

2403. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्दन बांध का निर्माण कार्य आरंभ होने से लेकर नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन द्वारा वहां काम किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर इसकी कितने प्रकार की मोटर गाड़ियां और उपकरण लगाये गये हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन के पास काफी मोटर गाड़ियां थीं जो पुर्जों आदि की चोरी तथा मरम्मत न होने के कारण बेकार हो गये हैं और वहां प्राधिकारियों ने उस काम के लिये, जो उन्हें स्वयं करना चाहिये था, अन्य ठेकेदारों को दे रखा है ; और

(घ) यदि हा, तो क्या इस मामले में जांच करने और उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाने के कारण सरकारी कोष को होने वाली हानि के कारणों का पता लगाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) यह एक ऐसा मामला है जो कि नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोंशन के प्रबन्ध क्षेत्र में आता है और वे इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चन्दन बांध का निर्माण

2404. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोंरेशन भागलपुर जिले में चन्दन बांध पर कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बांध से निकलने वाली नहर का अभी तक निर्माण नहीं किया गया और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रकशन कारपोंरेशन के पास इस कार्य को करने के लिए काफी सामग्री और लोग हैं, परन्तु नहर का कार्य आरम्भ करने के आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में नेशनल प्राजेक्ट कंस्ट्राशन कारपोरेशन के 4000 मजदूर कार्य कर रहे थे, जिनकी संख्या घटा कर अब 1700 कर दी गई है और अब उनकी छंटनी की जा रही है जिनके परिणामस्वरूप मजदूरों में बहुत असंतोष है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस नहर का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इनमें से कुछ मजदूर नौकरी से अलग किये जा रहें हैं ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): परियोजना के उमड़मार्ग, निकास द्वारा और आनुषंगिक कार्यों समेत मिट्टी के बांध के निर्माण के लिये राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को ठेका दिया गया था और वे इस कार्य को कर रहे हैं । उन को नहर का निर्माण कार्य अलाट नहीं किया गया था ।

(ग) चन्दन पर कार्यों के काफी हद तक पूर्ण हो जाने के कारण, उस यूनिट में लगे, अगस्त, 1968 में निगम के 3015 कर्मकों में से 2034 कर्मकों की क्रमबद्ध तरीके से छंटनी की गई । इससे कर्मकों में कुछ बेचैनी हो गई ।

(घ) 'क' और 'ख' को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

सनलाइट कालोनी, मोती बाग नई दिल्ली

2405. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 7 दिसम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3465-छ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा सनलाइट कालोनी, नई दिल्ली के अधिग्रहण किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय के आदेशों की पुष्टि इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने की है ;

(ख) क्या प्लाटों के मालिकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सद्भाव पूर्ण ढंग से समझौता कराने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह मामला मुला समिति के निर्देश-पदों के अन्तर्गत आता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) सारे मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मुला समिति ने, लैण्ड एक्यूजीशन एक्ट, 1894 के अधीन, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की कम्पनियों के लिए, भूमि के अर्जन की योजना पर विचार करना है। विचारार्थ विषय का सम्बन्ध उन सिद्धान्तों से है, जिनके द्वारा अर्जन तथा तत्सम्बन्धित मामलों का संचालन होना चाहिए, न कि विशेष मामलों से।

रिजर्व बैंक के लाभ से सरकारी उपक्रमों का वित्तपोषण

2406. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1969 को 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रिजर्व बैंक को होने वाले लाभ की राशि को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के वित्तपोषण के लिये उपयोग में लाया जायगा,

(ख) यदि यह समाचार सही है तो ऐसे प्रस्ताव का औचित्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती जिसके अन्तर्गत इस लाभ की राशि से सोने और चांदी का संग्रह किया जा सके जिससे भारतीय रुपये की स्थिति दृढ़ हो सके तथा/अथवा वाणिज्यिक बैंकों को उनके कारोबार में वित्तीय सहायता दी जा सके?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) पहले भी रिजर्व बैंक के लाभ की कुछ रकमों का इस्तेमाल रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधिक कार्य) निधि के माध्यम से औद्योगिक विकास की वित्त व्यवस्था करने के लिये किया गया है। इस व्यवस्था को जारी रखने का विचार है। पहले इस निधि से किये जाने वाले परिव्यय को आयोजना का अंग नहीं माना जाता था लेकिन अब इस निधि से किये जाने वाले परिव्यय को आयोजना में शामिल करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रत्यक्षरूप से वित्त-प्रबन्ध नहीं किया है और ना ही प्रत्यक्षरूप में प्रबन्ध करने के इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इन रकमों का सोने चांदी के रूप में निवेश करने के बजाय उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना अधिक अच्छा समझा जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में निर्णय, उत्पन्न होने वाली मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए किया जाता है।

प्राकृतिक गैस सम्बन्धी पंचाट

2407. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है कि प्राकृतिक गैस सम्बन्धी पचाट तैयार करने में ह्रास परिशोधन, मूल्यह्रास के रूप में होने वाली खर्च की मदों के सम्बन्ध में आंकड़े और उनका आधार बताया जाये ;

(ख) यह भी सच है कि सरकार ने अभी तक गुजरात सरकार को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है, यद्यपि पंचाट प्रकाशित होने के बाद $1\frac{1}{2}$ वर्ष का समय बीत चुका है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा0 त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Issue of Circulars and General Orders in Hindi by State and Reserve Banks

2408. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the arrangements made by the Reserve Bank of India and the State Bank of India in regard to issuing their circulars and general orders in Hindi also alongwith their English version; and

(b) the extent to which the requirements of the Official Language Act are being complied with in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : A Hindi Section has been set up in the Central Office of the Reserve Bank of India at Bombay and the Bank has started accepting and dealing with all correspondence received in Hindi. Instructions have also been issued to its offices for printing various forms which are used by the public in their dealings with the Bank in English, Hindi and the regional language, if it is different from Hindi.

The State Bank is arranging to set up Hindi Sections in its Calcutta, Bombay, New Delhi and Kanpur Local Head Offices and its Regional Manager's Offices at Patna and Bhopal. Certain forms etc. have been printed in Hindi.

Training Classes in Hindi are being conducted at different centres and use of Hindi in both the banks will progressively increase as the supervisory and clerical staff acquire adequate knowledge of that language.

Circulars issued in Hindi by Income-Tax and Central Excise Departments

2409. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of printed or cyclostyled circulars and orders issud by various offices of the Income-Tax and Central Excise Departments during August-December, 1968;

(b) the number of those which were in English and Hindi only as also the number of those which were issued in both these languages; and

(c) the reasons for not issuing those circulars and orders etc. in Hindi also which were issued in English ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) ; The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

भारत में वाणिज्यिक (मर्चेंट) बैंक की स्थापना

2411. श्री नन्दकुमार सोमानी : श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री हिम्मतसिंहका :
डा० रानेन सेन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में वाणिज्यिक (मर्चेंट) बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के निर्देश-पद क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस बैंक द्वारा की जाने वाली सेवाओं तथा औद्योगिक वित्त निगम तथा विभिन्न अन्य वाणिज्यिक बैंकों की सेवाओं में क्या अन्तर होगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) ; जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में, व्यापारिक (मर्चेंट) बैंक जैसी व्यापक आधार वाली एक संस्था स्थापित करने का काम प्रारम्भ करने की सम्भावना पर विचार कर रहा है । निगम के उपाध्यक्ष हाल ही में भारत आये थे और उन्होंने सरकार के और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी । चूंकि उपाध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार और वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से अभी प्रारम्भिक बात-चीत ही की है, इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रही है । ये प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी जांच की जायगी ।

(ग) : हो सकता है कि व्यापारिक बैंक के कार्य कुछ हद तक वही हों जो औद्योगिक वित्त निगम जैसी लम्बी अवधि के लिए वित्त-प्रबन्ध करने वाली संस्था के और दरमियानी अवधि के लिए उद्योग-धन्धों को ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों के हैं । व्यापारिक बैंक उन मौजूदा संस्थाओं को भी, जो प्रायोजना-सम्बन्धी या निर्यात-सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था करती है, अपने कर्मचारियों, साधनों और विदेशी सम्पर्कों का उपयोग करके सिण्डिकेट मैनेजर के रूप में काम करके सुदृढ़ बना सकता है । लेकिन इनके कामों में महत्वपूर्ण अन्तर भी है । प्रायः औद्योगिक वित्त निगम और वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य काम वित्त-व्यवस्था करना है और यह वित्त-व्यवस्था ज्यादातर नयी प्रायोजनाओं और पुरानी प्रायोजनाओं के विस्तारों के लिए की जाती है । व्यापारिक बैंक का मुख्य काम असामियों की ओर से सूचना देना और कार्य करना हैं, न कि अपने साधनों से वित्त व्यवस्था करना । वह सीधे वित्त-व्यवस्था करने वाली संस्था की अपेक्षा अपने दायित्वों को जनता पर डाल देने में ज्यादा दिलचस्पी लेगा । व्यापारिक बैंक न केवल पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए वित्त-व्यवस्था करेगा, बल्कि पुनर्वित्त-प्रबन्ध, अनुरक वित्त-प्रबन्ध और अन्तरिम वित्त-प्रबन्ध भी करेगा और उधार देगा या अन्य संस्थाओं द्वारा न

दिये जाने वाले मार्जिन पर गारण्टियां भी देगा। इस बैंक का सम्बन्ध, कम्पनी के वित्त-प्रबंध के सभी पहलुओं से रहेगा और यह बैंक कम्पनी के लिए जो काम करेगा, उससे सम्बद्ध सभी वित्तीय जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए व्यापारिक-बैंक पुनर्गठन, विलय और अधिग्रहण के क्षेत्र में अपने असामियों के कार्यों को सरलता से कर सकेगा। इसलिए, संक्षेप में, उद्योगों के लिए वित्त-प्रबन्ध करने और उन्हें परामर्श देने के अतिरिक्त साधन के रूप में काम करने के अलावा, यह बैंक निवेश करने वाली संस्थाओं के उपलब्ध वित्तीय साधनों और प्रायोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के बीच तालमेल बैठायेगा और इस तरह से उद्योगों का विकास करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने के काम में सहायता देगा।

गोल डाकखाना, नई दिल्ली के निकट चैमरियां

2412. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में गोल डाकखाने के समीप कुछ रिहायशी चैमरियां खाली पड़ी हैं और कुछ को खाली कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी चैमरियां इस समय खाली पड़ी हैं;

(ग) क्या ये चैमरियां सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के आधार पर अथवा मानवीय आधार पर दी जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : अलेक्जेन्डर प्लेस के ब्लाक न० 1 में चमरियों के अधीन तथा उसके आसपास का 1,866 एकड़ भूमि का टुकड़ा मास्टर प्लान में शैक्षणिक सस्थान के लिए निर्धारित भूमि का भाग है। इस भूमि को विश्वयातन योग आश्रम को आवंटित कर दिया गया था जिसे कि शिक्षा मन्त्रालय के द्वारा शैक्षणिक सस्थान प्रमाणित किया गया था। चैमरियो के निवासियों तथा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस आवंटन पर आपत्ति की अतएव अलेक्जेन्डर प्लेस के ब्लाक न० 2 की चमरियों को विश्वयातन योग आश्रम को आवटित करने का निश्चय किया गया है। ब्लाक नं० 2 की 20 चमरियों में से 17 को खाली करा दिया गया है। विश्वयातन योग आश्रम के अनुरोध पर यह निश्चय किया गया है कि चमरियां आश्रम को किराये पर दे दी जायें। अतएव चमरियों के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन आयल कारपोरेशन की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

2413. **श्री घोरेश्वर कलिता** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने के मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ ने इण्डियन आयल कारपोरेशन की पदोन्नति सम्बन्धी नीति के बारे में सरकार से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की पदोन्नति, चयन, तथा वर्गोन्नति के बारे में क्या शिकायतें हैं;

(ग) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन विंग की दिल्ली में कोई पदोन्नति समिति है और यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने कर्मचारियों की पदोन्नति चयन तथा वर्गोन्नति के सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नूनमती तेल शोधक कारखाने में, जो कि सरकारी क्षेत्र का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय वरिष्ठता, अनुभव तथा योग्यता को ध्यान में रखा जाता है;

(छ) क्या सरकार का विचार नूनमती तेल शोधक कारखाने में कर्मचारियों की पदोन्नति, चयन तथा वर्गोन्नति के प्रश्न पर एक समिति द्वारा विचार कराने का है क्योंकि इसके कारण जनता तथा कर्मचारियों दोनों में व्यापक असंतोष है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) जी हां ।

(ख) शिकायत पदोन्नति के एक मामले से सम्बन्धित है ।

(ग) नई दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम (शोधनशाला प्रभाग) के मुख्यालय में, समय समय पर, रिक्त पदों के स्वरूप पर निर्भर करते हुये, पदोन्नति समितियां बनाई जाती हैं । इन में नियुक्ति-अधिकारी (प्रबन्ध निदेशक/प्रधान प्रबन्धक), सम्बन्धित विभाग और कार्मिक विभाग में से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि होता है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) और (च) : रुपये 350-620 या रुपये 350-850 तथा इससे ऊपर के वेतनमानों के पदों में कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्णतया गुणों पर आधारित चुनाव द्वारा की जाती है ।

निम्न वेतनमानों के पदों में पदोन्नति, सम्बन्धित व्यक्तियों के गुणों तथा प्रवरता को ध्यान में रखकर की जाती है ।

प्रबन्धक, एक अग्रिम सामान्य आदेश से, किसी विशेष पद या किसी श्रेणी के पदों की कुछ प्रतिशतता में सीधी भर्ती करने का फैसला कर सकते हैं । ऐसे मामलों में कम्पनी के कर्मचारी चुनाव के लिए अन्य व्यक्तियों से मुकाबला करने के हकदार होंगे ।

पदोन्नतियां इस कार्य हेतु बनाई गई पदोन्नति-समिति की सिफारशों पर की जाती है । ये सिफारशें प्रबन्ध निदेशक/प्रधान प्रबन्धक को भेज दी जाती हैं जो पदों के बारे में अपनी अपनी शक्तियों के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय लेता है और जहां आवश्यक हो, वह निदेशकों के बोर्ड की अनुमति लेता है ।

कर्मचारियों का उसी पद या पदोन्नति पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तबादला करने के लिए प्रबन्धकों पर कोई रोक नहीं है यदि प्रबन्धक यह समझें कि इस तरह का तबादला या पदोन्नति कम्पनी के श्रेष्ठ हितों में है :

(छ) जी नहीं ।

गुजरात में नेफ्था क्रैकर कारखाने

2414. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री रा० की० अमीन :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री अदिचन :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयली तेल शोधक कारखाने में नेफ्था क्रैकर कारखाने की स्थापना के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कारखाना शुरु करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) नेफ्था क्रैकर के लिये प्रसिद्ध प्रक्रिया लाइसैंस धारियों से विस्तृत बोलियां प्राप्त की गई हैं और उनकी इंजिनियरिंग सेवाओं तथा तकनीकी के लिए पेशकशों का मूल्यांकन किया गया है । विस्तृत ठेकों की जांच की जा रही है । परियोजना के लिए देशीय डिजाइन और प्राप्ति सेवाओं को अधिकतम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकांश उपयुक्त पेशकश के शीघ्र ही चयन करने की सम्भावना है । 1969-70 में 150 लाख रुपये खर्च के लिए व्यवस्था की गई है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में से गुजरात नेफ्था क्रैकर भी एक परियोजना है और इस दौरान कार्यक्रम के अनुसार सन्यन्त्र के चालू होने की आशा है ।

Seizure of Cosmetics in Bombay

2415. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge quantity of cosmetics were seized when a godown was raided by the Customs authorities in Bombay in January, 1969; and

(b) if so, the number of arrests made and the action taken against the persons arrested ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Self-Sufficiency in Kerosene Oil.

2416. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total requirements of Kerosene Oil in the country;

(b) whether India is likely to become self-sufficient in Kerosene Oil in the near future; and

(c) if so, when ?

The Minister of Petroleum and Chemicals, and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen): (a) the demand for Kerosene during 1969 is estimated at 2.929 millions tonnes.

(b) and (c): According to the estimates of growth of demand for Kerosene and increase in Refinery capacity made by the Indian Institute of Petroleum, self sufficiency in Kerosene oil may be achieved when Haldia Refinery comes on stream.

Committes on River Water Disputes

2417. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri D. N. Patodia :
Shri R. Barua :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government are considering some scheme to appoint a permanent Committee for solving the river water disputes between different States; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad): (a) : No, Sir.

(b) : Does not arise.

भारतीय उर्वरक निगम

2418. **श्री नन्दकुमार सोमानी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भारतीय उर्वरक निगम के विरुद्ध ऐसी शिकायतें आई हैं कि भर्ती के मामले में वहां पक्षपात किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ एजेंसियों को एक करोड़ से भी अधिक मूल्य का उर्वरक उधार दिया गया है और बहुत समय से वह राशि वसूल नहीं की गई है;

(ग) उधार देने की नीति का ब्यौरा क्या है और 1968 में जिन कम्पनियों की ओर 6 महीने से अधिक समय से बकाया राशि है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 20 लाख रुपये के मूल्य का 'मैथोनल' 1967-68 या 1968-69 में किसी अन्य एजेंसी को दिया गया था, जिससे मूल्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सहकारी (संस्थाओं) और दूसरी पार्टियों को उर्वरक उधार सप्लाई किया जाता है और 1-2-1969 को कुल बकाया रकम 534 लाख रुपये थी। उधार देने के सम्बन्ध में निगम निम्न उधार-नीति का अनुसरण करता है:-

(1) 30 दिन के अन्दर अदायगी पर कोई ब्याज नहीं।

(2) 30 दिन से अधिक और 120 दिन तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज ।

(3) 120 दिन से अधिक अवधि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज ।

ट्राम्बे यूनिट के द्वारा निर्मित सुफाला के जो कि मार्केट में एक नई चीज है, बारे में कुछ खास अधिक बिक्री के मामलों में निःशुल्क ब्याज अदायगी समय 30 दिन से अधिक बढ़ा दी गई है। यह बढ़ा हुआ समय 60 से 90 दिनों तक है । छः महीने से अधिक बकाया रकम 1969 के अन्त में लगभग 79 लाख रुपये थी । पार्टियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

		लाख रुपया
1.	वेतन और लेखा अधिकारी, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (पूल की बिक्री के लिए)	0·18
2.	पूना डिस्ट्रिक्ट सहकारी समिति	38·69
3.	शेतकरी सहकारी सोसायटी कोल्हापुर	1·47
4.	मैसूर उर्वरक कम्पनी मद्रास	0·69
5.	लगभग 50 व्यापारी आंध्र प्रदेश में	38·00
		79·03

सूचना है कि क्रमांक 2 और 5 पर दी गई पार्टियों, मुख्यता सूखे के कारण अपना स्टाक न बेच सकीं ।

(घ) मैंसर्स एलाइड रेजिन्स एण्ड केमिकस को 18 लाख रुपये की कीमत का मैथेनोल सप्लाई किया गया था; जिनकी ओर 31-12-68 को 3 लाख रुपये बकाये थे । मापीकरण हानियों के बारे में कुछ विवाद है । जिसके लिए पार्टी ने कुछ दावे किये हैं । विवाद को शीघ्र निपटाने और बकाया रकम वसूल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नूनमती तेलशोधक कारखाना, गौहाटी में गैस सिलंडरों का निर्माण

2419. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी स्थित नूनमती तेल शोधक कारखाने का गैस सिलन्डर तथा उससे सम्बन्ध अन्य सहायक सामान बनाने और सप्लाई करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष अनुमानतः कितने गैस सिलन्डरों का उत्पादन होगा और कब उत्पादन शुरु हो जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) : शोधनशाला ने प्रतिवर्ष 2,500 मीटरी टन की प्रारंभिक क्षमता और 6,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक के विस्तार सामर्थ्य के तरल पैट्रोलियम गैस संयंत्र का निर्माण शुरु कर दिया है । भारतीय तेल निगम गैस सिलण्डरों तथा उनके सहायक सामान का निर्माण नहीं करेगी ।

विप्पणन विभाग भरने और उपभोक्ताओं को बांटने के लिये, गैस सिलन्डर इसके निर्माताओं से प्राप्त करेगा ।

नदी जल का दूषित होना

2420: **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक कचरे की अन्धाधुन्ध निकासी के प्राकृतिक जल स्त्रोत दूषित हो रहे हैं तथा इसके फलस्वरूप पानी और खराब होता जा रहा है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे जल अन्य अपेक्षित उपयोगों के योग्य नहीं रहा है और स्वास्थ्य के लिये भी बहुत हानिकारक हो रहा है; और

(ग) इस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार जल दूषण को रोकने के लिये निकट भविष्य में एक विधेयक संसद में पेश करने का विचार कर रही है ।

Office Buildings for Income-Tax Department

2421. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of places where Government have purchased lands for constructing office buildings for the Income-Tax Department and the acreage of land purchased in each of the said palaces;

(b) the reasons for not constructing buildings on the said lands so far; and

(c) the yearly amount of rent paid for the buildings hired for housing the said offices ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

किसानों को ऋण सुविधायें

2422. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण लागू किये जाने के पश्चात् किसानों को दी गई ऋण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) चालू वर्ष में कृषकों के लाभ के लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) किसानों को राज्यवार अब तक कितनी धन राशि दी गई है ।

(घ) ऋण किस ब्याज पर दिया जाता है ; और

(ङ) कितनी किश्तों में ऋण वसूल किया जायगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : बहुत से बड़े बड़े वाणिज्यिक बैंकों ने किसानों को ऋण देने की योजनायें बनायी हैं । भारतीय बैंक संघ ने भी कृषि वित्त निगम नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य कृषि सम्बन्धी लगभग सभी प्रकार के कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करना है । वाणिज्यक बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी कई शाखाएं खोली हैं ।

राष्ट्रीय ऋण परिषद ने जुलाई, 1968 में हुई अपनी दूसरी बैठक में जो सिफारिशें की थीं, उनके आधार पर रिजर्व बैंक ने वाणिज्यक बैंकों के साथ विस्तार से बातचीत की और उनसे कहा कि वे जुलाई, 1968 से जून 1969 तक की अवधि में जमा की रकमों में होने वाली वास्तविक वृद्धि का काफी बड़ा हिस्सा कृषि-सम्बन्धी कार्यों के लिए निर्धारित करें । अनुमान है कि इससे कृषि के लिए ऋणों के रूप में लगभग 51 करोड़ रुपया और प्राप्त हो सकेगा । उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्टेट बैंक को छोड़कर, अन्य बड़े-बड़े 19 बैंकों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋणों की रकम में नवम्बर, 1968 के अन्त तक लगभग 12 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(घ) बड़े-बड़े बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर 7 से 9.5 प्रतिशत तक होती है । यह दर इस प्रकार की कई बातों पर निर्भर रहती है कि ऋण की अवधि कितनी है, जमानत कैसी है और उसके वसूल किये जाने की सम्भावना कितनी है, ऋण लेने वाला व्यक्ति कैसा है और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, ऋण का प्रयोजन क्या है, ऋण की रकम कितनी है ।

(ङ) यह बात प्रत्येक ऋण के स्वरुप को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई शर्तों पर निर्भर रहती है ।

चल चित्र उद्योग के लिए औद्योगिक वित्त निगम का ऋण

2423. श्री भारत सिंह चौहान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम चल चित्र उद्योग को ऋण नहीं देता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस निगम द्वारा जिन उद्योगों को ऋण दिया जाता है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार इस निगम द्वारा किन-किन फर्मों को और कितना-कितना ऋण दिया गया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : औद्योगिक वित्त निगम फिल्म उद्योग को सहायता नहीं देता क्योंकि अपने कानून के अनुसार वह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 2 (ग) में परिभाषित "औद्योगिक उपक्रम" को ही ऋण दे सकता है। इस धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि औद्योगिक उपक्रम वस्तुओं के निर्माण, परिरक्षण या परिष्करण या जहाजरानी या खान खुदाई या होटल उद्योग या बिजली या अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण का काम करता हो। फिल्म उद्योग ठीक-ठीक इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता। फिर भी, फिल्म उद्योग के वित्त-प्रबन्ध के लिए एक विशिष्ट संस्था "फिल्म वित्त निगम" मौजूद है।

(ग) भारत में निगमित और पंजीकृत ऐसी कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या सहकारी संस्था, जो उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कार्यों में से कोई काम करती हो, निगम से सहायता पाने की अधिकारी है।

(घ) औद्योगिक वित्त निगम का लेखा-वर्ष जुलाई से जून तक का है। निगम के 30 जून, 1966, 30 जून, 1967 और 30 जून, 1968 को समाप्त हुए लेखा-वर्षों की आवश्यक सूचना उस की 18 वीं, 19वीं और 20वीं वार्षिक रिपोर्टों के परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है जो क्रमशः 10 नवम्बर, 1966, 23 नबम्बर, 1967 और 18 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गयी थीं।

गांधी शताब्दी वर्ष में देहातों में पीने के पानी की व्यवस्था करना

2424. बाल्मीकि चौधरी : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान दूरस्थ गांवों में पीने के पानी को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में विशेषतः बिहार और राजस्थान में पीने के पानी उपलब्ध न होने सम्बन्धी ठीक-ठीक स्थिति क्या है ; और

(ग) 1969 में इन क्षेत्रों में पीने के पानी को उपलब्ध करने सम्बन्धी यदि कोई योजनाएं बनायी गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या हैं और राज्य सरकारों विशेषता बिहार और राजस्थान के लिये इन योजनाओं के लिये कितनी सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों को दुर्गम और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ग्राम नल-जल पूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। 1969 के लिए अभी धन के नियतन करने के सम्बन्ध में निश्चय किया जाना अभी शेष है।

नेहरु संग्रहालय

242. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेहरु संग्रहालय को तीन मूर्ति भवन में ही रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या 40 लाख रुपये की लागत से एक नये भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या नेहरू स्मारक समिति ने इस संग्रहालय को अन्य स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : नेहरु स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय समिति का विचार है, कि तीन मूर्ति भवन न केवल एक स्मारक, संग्राहालय, एवं पुस्तकालय है, अपितु इस का स्वरूप कुछ एक तीर्थ-सा बन गया है, जिसे हजारों लोग देखने आते हैं । जब तक नया स्थान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक के लिये संग्रहालय तथा पुस्तकालय को सुझाये गये किसी भी वैकल्पिक स्थानों में अस्थाई रूप से रखने की बात को उन्होंने सन्तोषपूर्ण नहीं समझा । संग्रहालय तथा पुस्तकालय को तीन मूर्ति भवन से स्थानान्तरण करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाने की योजना

2426. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में मैसूर राज्य में गांवों में बिजली लगाने की योजना के अन्तर्गत कितने गांवों और कस्बों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1967–68 में वहां कितने गांवों और कस्बों में बिजली लगाई गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में पम्पों के उर्जन पर बल दिया गया है । इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में बस्तियों का विद्युतीकरण भी किया जाता है । मैसूर राज्य में 1968–69 वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1968 तक 231 ग्रामों में बिजली दी गई हैं । 1968–69 में एक नगर को बिजली देने का प्रस्ताव है ।

(ख) 1967-68 के दौरान, मैसूर में किसी नगर को बिजली नहीं दी गई और 768 गांवों को बिजली दी गई थी। इन ग्रामों का ब्यौरा विवरण में दिया जाता हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 270/69]

Strike in Bihar Electricity Board

2427. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Yogendra Sharma :
Shri Bhogendra Jha :
Shri K, M. Madhukar :
Shri Chandar Shekhar Singh :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the workers under the Bihar Electricity Board are on general strike since the 7th February, 1969 ;

(b) if so, the nature of their demands ;

(c) the reaction of Government in regard to these demands ;

(d) whether it is a fact that several labour leaders and striking workers have been arrested ;

(e) if so, the number thereof ; and

(f) the steps being taken by Government to end the said strike ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The workers' Union submitted a list of 48 demands with a notice dated 19-11-68 and another list of 3 demands with the strike notice dated 6-1-1969. The main demands as contained in the strike notice dated 6-1-69 are as follows:—

(1) Increase in Dearness Allowance by the amount as allowed to its employees by the State Government ;

(2) Interim relief as recommended by the Central Wage Board of Electricity Undertakings ; and

(3) 12% Bonus for the year 1968-69.

The Labour Commissioner, Bihar held conciliation proceedings in respect of these demands and since there was no settlement, he submitted his report to Bihar Government. The State Government did not consider any of these demands as fit for a reference to adjudication. One of their demands relating to the quantum of construction allowance for grade IV staff was, however, referred to adjudication.

(d) and (e): Some arrests have been made in connection with the strike. The exact number and specific charges on which they have been arrested are not available but the arrests have generally been made for acts of violence, instigation, intimidation and sabotages.

(f) The strike was called off by the Workers's Union unconditionally in the night of the 20th February 1969.

Income-Tax Arrears Due From Golcha Properties (P) Ltd. Delhi

2428. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that income-tax arrears are outstanding against Golcha Properties (P) Ltd., Delhi;

(b) if so, the amount of these arrears ;

(c) the reasons for which the income-tax was not realised on the due dates ;

(d) the action proposed to be taken against the Income-tax authorities for this lapse : and

(e) how these arrears are proposed to be recovered ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : Yes, Sir. An amount of Rs. 12,95,957 is outstanding against the assessee.

(c) The arrears relate to the Assessment years 1960-61, 1962-63 and 1963-64 and have not been realised so far for the following reasons:—

1960-61 Rs. 1,35,532. This demand was due on 31st July, 1966. No recovery could however, be made as by an order of the Rajasthan High Court passed in August. 1966 the company was restrained from making any payments to its creditors except for carrying on the day-to-day business.

1962-63-Rs. 8,33,513
1963-64-Rs. 3,49,861 } The entire demands are disputed in appeals which are pending before the Appellate Assistant Commissioner.

(d) Does not arise.

(e) The High Court of Rajasthan at Jodhpur has passed a winding up order in the case of this company on 10th May, 1968. The outstanding dues and the anticipated taxes have been notified under section 178 (2) of the Income-tax Act 1961 to the liquidator of the company.

इन्द्रपुरी कालोनी, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का चिकित्सालय खोलना

2429. **श्री विभूति मिश्र :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की इन्द्रपुरी कालोनी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जबकि दूर-दूर की बस्तियों में इसकी व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 500 से अधिक सरकारी कर्मचारी इन्द्रपुरी में और और आसपास की बस्तियों में रहते हैं, जिनके लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ।

(ग) क्या निकट भविष्य में वहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का एक चिकित्सालय खोलने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन्द्रपुरी में जब तक पृथक चिकित्सालय नहीं खुल जाता, क्या इन्द्रपुरी कालोनी को ईस्ट पटेल नगर के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सालय के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इन्द्रपुरी उप क्षेत्र में नहीं आता जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को अब तक लागू किया गया है ।

(ख) और (ग) : उस क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या वहां एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना का एक पृथक औषधालय खोलने का औचित्य सिद्ध नहीं होता । साधारणतया औषधालय खोलने का माप दण्ड 2000 से 2500 परिवार हैं ।

(घ) इन्द्रपुरी एक अलग बस्ती है और ईस्ट पटेल नगर से बहुत दूर है । इसके अतिरिक्त इस औषधालय में काम का भार पहले से ही अधिक है, और इस पर और अधिक भार डालने की कोई गुन्जाइश नहीं है ।

Idle Capacity in Pharmaceutical Industry

2430. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is idle capacity in respect of production of certain drugs in the pharmaceutical industry whereas certain other drugs are scarce on the other hand ; and

(b) if so, the steps taken by Government to bring about balanced development of pharmaceutical industry ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : Some instances of idle capacity in the pharmaceutical industry have come to notice during the last two years or so. By and large, these have been found to be of a temporary nature, due mainly to the conditions of supply and demand and shortage of certain raw materials. Whenever possible, the manufacturers are encouraged to adjust their production of different drugs to meet the prevailing situation of supply and demand. The Drugs and Pharmaceuticals industry has been included in the list of priority industries and the requirements of imported raw materials are being met liberally so as to enable the plants so reach full capacity. With the present import policy alongwith the diversification of industrial activity, the manufacturing units are stepping up their production to meet the internal demand as well as exports.

Impact of Family Planning Programme on Different Sections of People

2431. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that family planning has been adopted more in the economically backward sections of society rather than in well-to-do families ;

(b) the comporative impact of family planning on teachers, labour and other different sections of society ;

(c) the details thereof ;

(d) whether it is also a fact that the interest of people in regard to the use of loops and other methods of family planning has declined since last year :

(e) if so, whether Government have considered the causes therefor ; and

(f) if not, the statistics in this regard ?

The Minister of State for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The position varies from place to place. However, certain localised K. A. P. (Knowledge Attitude, Practice) studies have indicated that the practice of contraceptions seems to be slightly higher among the people of upper socio-economic strata.

(b) and (c) : No statistics regarding adoption of family planning methods profession wise are maintained.

(d) to (f) : A statement is enclosed showing the performance of Family Planning programme under the various methods viz. sterilization operations, IUCDs inserted and the Nirodh supplied for the past 3 years. It will be seen from the statement that except for IUCD the programme has been stepping up. The set back in IUCD programme has been due to some side effects like plain, bleeding etc. and adverse publicity in the early stages. Various measures have already been taken to make the loop popular again by intensifying educational activities and by exercising proper pre-insertion checkup and providing necessary follow up services.

Statement

(Figures in million)

	1966-67	1967-68	1968-69 (reports received) (upto 12-2-1969)
Sterilization operations.	.89	1.84	1.25
IUCD inserted.	.9	.67	.35
Nirodh (condoms) supplied.	31.6	45.6	78.00

National Highway No. 32 in Bihar

2432. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn that the National Highway No. 32 in Bihar which passes through Muzaffarpur to Motihari, is in danger due to soil erosion by Boodhi Gandak River near motipur ;

(b) if so, the details of permanent steps proposed to be taken by Government for protecting the railway line and the said national highway against soil erosion at village Variar before the coming monsoon, keeping in view the fact that the attention of Government has been repeatedly drawn towards this ;

(c) the time by which Government propose to take steps in this regard ; and

(d) if no steps are proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d) : Bank erosion by the Burhi Gandak was occuring near Bariyarour village in Motipur block. In the last flood season, all possible precautions were taken by the State Government to hold the river. A few spurs were constructed where the erosion was active and a retired emabankment was also constructed. These works are expected to prevent damage to National Highway and Railway. Careful watch, however, will be kept and further steps taken if necessar.

पालघाट में आभूषण व्यापारियों के लाइसेंस

2433. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत पांच महीनों में स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन पालघाट जिले के आभूषण व्यापारियों को लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने तत्सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार से अनुरोध किया था ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : पालघाट जिले में पिछले छः महीनों में सोने का व्यापार करने के कोई नये लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं। यह अवश्य है कि स्वर्ण व्यापारी लाइसेन्स लेने के लिये दी गई 10 दरख्वास्तों पर विचार किया जा रहा है।

स्वर्ण-व्यापारी लाइसेन्स की मंजूरी के मामले में स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 की धारा 27 की उप धारा (6) में निर्धारित कसौटी लागू होती है। इस उप धारा में उपबन्धित बातों को ध्यान में रख कर ही सभी का गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) पालघाट के आभूषण व्यापारियों की ओर से कोई आम दरख्वात प्राप्त नहीं हुई है। हां, एक व्यक्ति के मामले में, कोचीन के सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क समाहर्ता के अपीलीय आदेश के विरुद्ध सरकार को भेजी गयी एक दरख्वास्त 14 फरवरी 1969 को प्राप्त हुई थी, जिसमें समाहर्ता ने कोझीकोड़ के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक द्वारा स्वर्ण व्यापारी लाइसेन्स मिलने बाबत उस व्यक्ति की दरख्वास्त नामंजूर किये जाने के मूल आदेश की पुष्टि की थी। भारत सरकार द्वारा, स्वर्ण (नियत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 82 के अधीन इस दरख्वास्त पर विचार किया जा रहा है।

Availability of Gas during Fourth Plan

2434. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) the quantity of gas expected to be available during Fourth Plan period and the names of the industry to which it would be made available as also the quantity thereof in respect of each such industry ; and

(b) the percentage of gas produced to be utilised by the fertilizer industry and the percentage thereof to be burnt up for the sake of safety ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) : An assessment of the availability of gas during the Fourth Plan will be made towards the course of the plan period when more precise details about oil fields, gas fields, their characteristics etc. are expected. Allocation of the gas as between the various industries will like wise be made after availability of gas is firmly known.

केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान में डा० पोलमैन की नियुक्ति

2435. **श्री गुणानन्द ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ करोलिना विश्वविद्यालय के अनुरोध पर डा० पोलमैन को, जो कि एक वर्ष की छुट्टी पर थे, केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था में काम करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि इस संस्था पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा ;

(ख) इस नियुक्ति की यह अवधि समाप्त होने पर उसे पाथ फाउन्डर फड के अधीन काम करते रहने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या पाथ फाउन्डर, फंड को भारत में काम करने की अनुमति और मान्यता प्राप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो डा० पोलमैन को किस आधार पर भारत में काम करने की स्वीकृति दी गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गोहाटी में मूल्यांकन कर्त्ता की नियुक्ति

2436. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोहाटी तथा शिलांग के आय-कर अधिकारियों से धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकन करने के लिये गोहाटी में एक मूल्यांकनकर्त्ता नियुक्त करने के बारे में सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर आयुक्त, शिलांग, ने सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 4 (3) के अधीन मूल्यांकनकर्त्ता के रूप में नियुक्ति के लिये अब तक ऐसे 5 आवेदकों के मामले भेजे हैं, जिनके प्रधान कार्यालय गोहाटी में हैं । वे लोग धन-कर लगाने के लिये मूल्यांकन भी करते हैं ।

(ख) मंत्रालय ने इनमें से 4 आवेदकों की मूल्यांकन-कर्त्ता के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है । पांचवें मामले में, प्रार्थना-पत्र नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि उसमें मंत्रालय की अधिसूचना फा० सं० 5/77/68-स० शु० दिनांक 6 जुलाई, 1968 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती थीं ।

कच्चे तेल के आयात के लिये पतन

2437. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री भारत की उन पत्तनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके द्वारा भारत में कच्चे तेल का आयात किया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): इस समय कच्चा तेल बम्बई, कोचीन, विशाखापत्तनम् और मद्रास बन्दरगाहों से आयात किया जा रहा है ।

कस्टम्स हाउस, कलकत्ता में निवारक अधिकारी

2438. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के कस्टम हाउस, कलकत्ता के निवारक अधिकारियों को वरिष्टता निर्धारण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2958 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचारार्थ अपील का इस बीच निपटारा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, जिससे अपील करने वाले लोगों को हानि हो रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : इस मामले में कुछ आम सवाल पेश होने से गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

नेताजी नगर और सरोजिनी नगर, नई दिल्ली के क्वार्टरों में पावर कनेक्शन

2439. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नेताजी नगर तथा सरोजिनी नगर क्षेत्रों के 2 कमरों वाले क्वाटरों में पावर कनेक्शन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लाभ हेतु पावर कनेक्शन देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह सत्य है कि निर्माण के समय नेताजी नगर तथा सरोजनी नगर में दो कमरों वाले टाईप II तथा III के क्वार्टरों में पावर प्लग नहीं लगाये गये थे ।

(ख) वर्तमान स्थिति यह है कि व्यक्तिगत किरायेदारों के अनुरोध पर टाईप II तथा III के क्वार्टरों में प्रत्येक क्वार्टर में एक ए० सी० प्लग लगा दिया गया है । तथापि सरकार का उत्तरदायित्व 200 रुपये प्रति पावर प्लग तक सीमित है तथा किरायेदारों को इसके लिए अतिरिक्त किराया देना होता है । 200 रुपये से अधिक का कोई भी खर्चा स्वयं किरायेदार को करना होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेताजी नगर और सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में क्वार्टरों की छतों पर जाफरी की व्यवस्था

2440. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर और सरोजिनी नगर क्षेत्रों में दो कमरे वाले ऊपर के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को उन क्वार्टरों की छतों पर जाफरी न होने के कारण बड़ी असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऊपर के क्वाटरों में रहने वालों के लाभार्थ प्लाईवुड अथवा एस्बेस्टस की चादरों का हल्का ढांचा बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि छत पर बरसातियों के न होने से एलाटी कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) निधियों की कमी के कारण ।

बारी के बिना क्वार्टरों का नियतन

2441. **श्री यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को 'बारी के बिना' क्वाटर देने पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब समाप्त किया जायेगा; और

(ग) प्रतीक्षा-सूची में कितने पात्र कर्मचारियों के नाम हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) पहले ही से स्वीकृत बगैर बारी के आवंटन के मामले भारी संख्या में शेष होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल 31 मार्च, 1969 तक बगैर बारी के आवटन के और आवेदनों को लेने पर रोक लगा दी जाय । स्थिति का इसके पश्चात पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में इस समय पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहे 58,445 सरकारी कर्मचारी नियमित प्रतीक्षा सूची में सामान्य पूल के वास की प्रतीक्षा में हैं ।

मेहरचन्द मार्केट, लोदी रोड, नई दिल्ली

2442. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली के मेहरचन्द मार्केट, लोदी रोड, में दुकानों का किराया $2\frac{1}{2}$ गुना बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं, मूल आवटियों के मामलों में नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दामोदर पार क्षेत्र में जल निकास योजना

2443. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि दामोदर घाटी निगम द्वारा मूल योजना में शामिल अन्य बांधों का निर्माण कार्य पूरा किया गया होता तो क्या 1968 में दामोदर पार क्षेत्र में आई भयानक बाढ़ों को रोका जा सकता था;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम ने अपने सांविधिक कृत्यों के अनुसार दामोदर पार क्षेत्र में किसी जलनिकास योजना को क्रियान्वित किया है; और

(ग) क्या अधिक बांधों का निर्माण करने तथा दामोदर पार क्षेत्र में विस्तृत जलनिकास योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दामोदर घाटी निगम ने घाटी के अन्दर 16 निकास नालियां बनाई थीं । दामोदर-पार क्षेत्र के लिए अपेक्षित अन्य स्कीमों को घाटी के बाहर की जहां दामोदर घाटी निगम को कोई सांविधिक कार्य नहीं है, स्कीमों के अन्तर्गत लाना होगा अथवा उनके साथ समेकित करना होगा ।

(ग) निम्न दामोदर घाटी में नालियां बनाकर जल निस्सार में सुधार लाने की ओर पहले ध्यान दिया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

2444. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का कार्य सम्बन्धी पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा पुनर्गठन किये जाने के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के सांविधिक कार्यों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): दामोदर घाटी निगम को कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठित करने का एक प्रस्ताव है जिस पर पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों के साथ सलाह करके अभी विचार किया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम के बाढ़ नियन्त्रण कार्य

2445. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के बाढ़ नियन्त्रण कार्य निचले पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर आंशिक रूप से ही काबू पा सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि ऊपरी अपवाह क्षेत्र और निचली दामोदर घाटी में एक साथ वर्षा होती है, तो बाढ़ नियन्त्रण उपाय भयानक बाढ़ पर काबू पाने के लिये अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो बाढ़ नियन्त्रण के लिये पर्याप्त उपाय करने के निमित्त क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम के बाढ़ ऊपरी वाह क्षेत्र में 650000 क्यूसेक के अधिकतम प्रवाह से दुर्गापुर बराज के नीचे 250000 क्यूसेक प्रवाह तक का नियन्त्रण कर सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्न दामोदर घाटी में नालियां बनाकर निकास में सुधार लाने के लिये पहले ध्यान दिया जा रहा है।

दामोदर घाटी निगम के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2446 **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने कार्य दक्षता को बढ़ाने तथा मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रशासनिक विभाग की जांच के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) क्या भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अधिकारियों के एक दल ने जांच की थी तथा कुछ सिफारिशें की थीं;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) इन सिफारिशों की क्रियान्विति सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

खतरनाक तथा हानिकारक कारखानों का स्थानांतरण

2447. **श्री शंकरराव माने** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरनाक तथा हानिकारक कारखानों के स्थानान्तरण के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी कब सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक सूचना, सभा पटल पर रखने के लिये संसद् कार्य विभाग को भेज दी गई है।

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र दिया जाना

2448 **श्री स० कुण्डू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक सर्किल के आयकर अधिकारी अथवा किसी अन्य आयकर अधिकारी ने उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक को आय-कर भुगतान प्रमाण-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अदायगी-पत्र उनकी व्यक्तिगत आय अथवा लाइन, टुबको, कलिंगा कन्ट्रक्शन कम्पनी जैसी कम्पनियों की आय के बारे में है, जिनमें श्री पटनायक का काफी हित निहित है;

(ग) क्या वह इस अदायगी प्रमाण-पत्र के कारण बैंकों तथा सरकार से व्यापार के लिये ऋण प्राप्त कर सकेंगे;

(घ) उन फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके साथ श्री बीजू पटनायक मुख्यतः सम्बद्ध हैं और उन के काफी शेयर हैं और जिन के सम्बन्ध में आयकर तथा अन्य करों की राशि देना बकाया है तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री बीजू पटनायक को कर-अदायगी प्रमाण-पत्र दिनांक 24 जून, 1968 और 31 जनवरी, 1969 आयकर अधिकारी, सेन्ट्रल सर्किल, कटक द्वारा जारी किये गये।

(ख) श्री बीजू पटनायक ने कर-अदायगी प्रमाण-पत्रों के लिये अपनी व्यक्तिगत हैसियत में दरख्वास्त की थी और चूंकि सम्बद्ध समय पर उनकी तरफ कर की कोई रकम बकाया नहीं थी, इसलिये उनकी व्यक्तिगत हैसियत में कर-अदायगी प्रमाण पत्र जारी किये गये ।

(ग) श्री बीजू पटनायक ने कर-अदायगी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य यह बताया कि उन्हें नये उद्योगों के लिये बैंक गारंटी, औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस और औद्योगिक प्रतिष्ठान लाइसेंस प्राप्त करने थे । यह मालूम नहीं है कि श्री पटनायक ने इन लाइसेंसों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये बैंकों तथा सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिये किया अथवा नहीं ।

(घ) और (ङ) : अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 271/69]**

परिवार नियोजन के तरीके

2449. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या को बढ़ने देने से रोकने तथा वृद्धि करने के लिये परिवार नियोजन विभाग द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में कौन-कौन से तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं;

(ख) उनकी सफलता के बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) देश के खाद्य संसाधनों को देखते हुये सरकार के विचार में कितनी जनसंख्या उचित रहेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिये अब तक निम्नलिखित उपाय और साधन स्वीकृत किये गये हैं :–

1. प्रचलित गर्भनिरोधक–डायाफ्राम, जेली और झागदार टिकियां ।
2. लूप ।
3. महिला नसबन्दी ।

(ख) पहले से ज्यादा महिलाएं नसबन्दी करा रही हैं; लेकिन प्रचलित गर्भनिरोधों के अपनाने में कमी आई है । कुछ छोटी-छोटी शिकायतों और गलत फहमियों के कारण लूप की लोकप्रियता में भी अवरोध आया है । लूप पहनाने से पूर्व और बाद की उचित देखभाल के लिए कदम उठाए जा चुके हैं जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ जाने की सम्भावना है । लूप कार्यक्रम के सहायक के रूप में खाने वाली गर्भनिरोधक गोली से सम्बन्धित प्रयोगात्मक तथा प्रदर्शनात्मक परियोजनायें भी आरम्भ कर दी गई है ।

(ग) खाद्य उत्पादन क्षमता, शिक्षा की सुविधाएं और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक जन्म दर को 25 प्रति हजार तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वियतकांग हमलों के सम्बन्ध में तटस्थ देशों के रवैये के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति का प्रेस सम्मेलन ।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"The Press Conference on Television by U. S President on 4th March, 1969 deploring the attitude of non-aligned countries of keeping quiet on Vietcong attacks and charging them with double standard."

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Sir, the Government of India are not aware of any statement by the President of the United States in this regard. Its attention has been drawn to a press report which makes this allegation as from some aides to the President. The United States Government have not addressed the Government of India in this matter.

The policy of the Government of India on this matter is well known. We have welcomed the talks which are now taking place between the interested parties in Paris, and it is our hope that these would eventually lead to a peaceful settlement. We further hope that all the parties concerned will not take steps which may prejudice this possibility.

Shri Om Prakash Tyagi : The aides of the American President has accused us of double standards. I want to know when U S A. stopped bombing of Vietnam unconditionally on the request and wishes of India, whether the Government of India persuaded North Vietcong to suspend their military operations in South Vietcong as a peace negotiation jesture and if so, what was the reaction of that Government there to. If they did not, make any efforts in this direction, what were the reasons therefor ?

My second question is this. When North Vietnam, contrary to the spirits of negotiations, intensified their offensive operations and started strafing all the cities of South Vietnam by rockets, what were the reasons which induced India not to condemn these attacks and keep quiet. I want to know whether the reticence of the Government did not demean the image of our country, being a non-aligned country.

Shri Dinesh Singh : The entire question is based on the fact that U. S. President, Mr. Nixon has said something obout non-aligned countries. But the transcript of the U. S. Presidents' statement that I have received does not mention anything of this kind nor has the U. S. Government written to us. If the hon Member knew something from any other source, I am not responsible for that. None of his aides said anything against non-aligned countries. At least I did not find such things anywhere. So far as the question relating to the continued bombing of South Vietnam is concerned, had the hon Member gone through the reports, he himself would have found the answer there. Somebody asked the U S. President. Mr. President, have you considered an appropriate response if the attacks continue in South Vietnam ? "Would an appropriat response include resumption of bombing in the North ?" Replied the President. "That the question is one that I have given thought to, but it is one which I think should not be answered in this forum."

So far as our policy on this matter is concerned, it is cristal clear and is well known. We are of the firm opinion that efforts should be made to find out a peaceful solution of the Vietnam problem and negotiations in a peaceful manner can only lead to a peaceful settlement. War is not the solution of the problem

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, my question has not been answered, the question is, why did you not condemn the bombing of civilians in South Vietnam (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति आपका प्रश्न आधे घंटे के लिये था, आप बैठ जाइए ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : अमरीका के राष्ट्रपति के सहायक भी हमारे प्रधान मंत्री के सहायकों की भांति अमरीकी सरकार की नीति व्यक्त करते हैं, । उन्होंने हम पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है । वास्तव में वस्तुस्थिति भी यही है कि हमारी सरकार रूस के साथ रूस की जैसी बात और अमरीका के साथ अमरीका की जैसी बातें करती है । इसलिये मैं वैदशिक-कार्य मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या उन्होंने वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत से पूछ-ताछ की है कि क्या तटस्थ देशों के प्रति अमरीका की नीति में परिवर्तन हुआ है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है । यह केवल एक विशेष विवाद के सम्बन्ध में नीति पर ही हमला नहीं है । यह भारत की गुट-निर्पेक्ष नीति पर हमला है । यदि अमरीका का रवैया ही यही है, तो क्या इस देश के वैदेशिक-कार्य मत्री अमरीकी सरकार तथा श्री निक्सन से यह कहने की हिम्मत तथा साहस है कि वे एशियाई देशों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें ?

श्री दिनेश सिंह : सारा प्रश्न इस बात पर आधारित है कि श्री निक्सन ने तटस्थ देशों के बारे में कुछ कहा है । जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास उनके वक्तव्य की जो नकल है उसमें ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है और अमरीकी सरकार ने भी हमें कुछ नहीं लिखा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य हमसे संचार के अन्य कौन से माध्यम की आशा रखते हैं । इसलिये, ऐसी बात पर जो कही न गई हो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता ।

श्री बे० कु० दासचौधरी(कूच बिहार) : वैसे हम इस बात को पसन्द नहीं करते कि किसी अन्य देश के प्रधान अथवा अन्य देशों की विदेश नीति के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अथवा विचार व्यक्त किये जायें, लेकिन इस बात का हमें बड़ा खेद है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने तटस्थ देशों के प्रति दुहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह विशेष वक्तव्य चाहे वह खुद राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हो अथवा उनके सहायकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के अनुरूप है ? क्या भारत सरकार अमेरीका के राष्ट्रपति से स्पष्टीकरण मांगेगी कि क्या वह अपने सहायकों द्वारा दिये गये वक्तव्य को मान्यता नहीं देते अथवा वह उसके लिये पूरी जिम्मेदारी लेते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों की जिस कहानी का उल्लेख किया है उसमें कहा गया है "श्री निक्सन गुट-निर्पेक्षता से निराश," उसके आधार पर, उन्होंने यह ध्यान दिलाऊ प्रस्ताव दिया जिसे आपने स्वीकार किया है । वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है । राष्ट्रपति निक्सन ने कोई वक्तव्य नहीं दिया । समाचार पत्र में भी यह कहा गया है कि वक्तव्य राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि उनके सहायकों ने दिया है । हमारा ख्याल है कि

सहायकों ने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। माननीय सदस्यों ने एक ऐसी कहानी के आधार पर प्रश्न पूछा है जिसका वास्तव में कोई आधार ही नहीं है, उसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रेस परिषद् सम्बन्धी सलाहाकार समिति का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : महोदय, मैं श्री इ० कु० गुजराल की ओर से प्रेस परिषद सम्बन्धी सलाहाकार समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 258/69]**

भेषज तथा शृंगार वस्तु अधीनियम के अधिन अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती) : मैं भेषज तथा शृंगार वस्तु अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन भेषज तथा शृंगार वस्तु (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 594 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 260/69]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जी० एस० आर० 403 (अंग्रेजी संस्करण) और जो० एस० आर० 404 (हिन्द संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(2) जी० एस० आर० 443 (अंग्रेजी सस्करण) और जो० एस० आर० 444 (हिन्दी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो दिनांक 19 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 259/69]**

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :–

(1) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1967–68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, का 1967–68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 261/69]**

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1968–69

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1968–69 के आय–व्ययक (सामान्य) संबधी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण पेश करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1968–69

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं वर्ष 1968-69 के आय-व्ययक (रेलवे) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण पेश करता हूं।

दो रुपये वाले जाली करन्सी नोटों के पकड़े जाने का समाचार

REPORTED SEIZURE OF COUNTERFEIT TWO RUPEE NOTES

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय, सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1969 के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोयम्बूटर के निकट पुगालपुर में 2 करोड़ रुपये के करन्सी नोट पकड़े गये हैं। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। टेलीफोन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा मद्रास के पुलिस अधीक्षक से केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जो जानकारी प्राप्त की गई है, वह यह है कि पुगालपुर में (कोयम्बूटर के निकट) तमिल नाडू पुलिस ने दो रुपये वाले जाली नोट पकड़े हैं तथा इस सम्बन्ध में 6 मार्च, 1969 को 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। उक्त सूचना के अनुसार 5,25,28,00 रुपये के जाली नोट पकड़े गये हैं। मामले की आगे जांच की जा रही है तथा राज्य पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की 34 के साथ धारा उप के साथ पठित धारा 489 (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

श्री राममूर्ति (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, यदि आप कार्य सूची के क्रमांक 10 को देखें, तो उसमें यह प्रस्ताव दर्ज किया गया है :—

> "कि 6 मार्च, 1969 को राज्य विधान मण्डल की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा 6 मार्च, 1969 को दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाय।"

मुझे याद है कि गत मंगलवार को मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये द्वारा एक स्थानापन प्रस्ताव पेश किया गया था जिस में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के कुछ पैरों को छोड़ देने के कारण, उस के रवैये का अननुमोदन करने की मांग की गई थी। वह प्रस्ताव नियम 186 की सब शर्तों को पूरी करता था। उक्त नियम में ऐसी एक भी शर्त नहीं है, जिसे वह पूरी न करता हो। यदि प्राप्ति के समय का हिसाब लगाया जाये, तो वह प्रस्ताव सबसे पहले प्राप्त हुआ था। परन्तु मैं समझता हूं कि आप के कार्यालय की चूक के कारण उस की ओर आप का ध्यान नहीं दिलाया गया है। यदि मेरा कथन सही है तो मैं समझता हूं कि गृह मत्री के वक्तव्य की बजाय उस प्रस्ताव पर बहस की जानी चाहिये। इस लिये यदि कोई गलती हो गई है, तो उसे इस समय दूर किया जाना चाहिये तथा आज 4 बजे सायं उस स्थानापन प्रस्ताव पर बहस की जानी चाहिये। यदि श्री वाजपेयी उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मै समझता हूं कि मधु लिमये को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर भी कोई भी माननीय सदस्य सशोधन प्रस्तुत कर सकता है। श्री मधु लिमये का प्रस्ताव बहुत पहले प्राप्त हुआ था। कई बातों के बारे में बहुत से अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसलिये मैंने श्री मधु लिमये से निवेदन किया था कि वह विपक्ष के सब नेताओं से बातचीत करके एक सामूहिक प्रस्ताव पेश करें। माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा आरम्भ करने से पहले सभा को उस विषय की कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिये। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि राज्यपाल ने कुछ पैरों को नहीं पढ़ा है। अध्यक्ष के लिये यह निश्चित करना कठिन है कि कौन सा प्रस्ताव पहले प्राप्त हुआ था। कार्य सूची में जो कुछ दर्ज किया गया है, उस का दोष मैं अपने कार्यालय पर नहीं लगाता। मैं स्वयं उस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं ने ससद का सत्र आरम्भ होने से एक घण्टा पहले उन्हें निदेश दिया था। माननीय गृह मंत्री ने सभा में जो वक्तव्य दिया था, हम उस को ही प्रमाणीकृत जानकारी समझते हैं। अब हम इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे कि राज्यपाल ने उन पैरों को छोड़ कर ठीक किया अथवा गलत। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में सदस्यों पर संशोधन पेश न करने की कोई रोक नहीं लगाई गई है। यदि वे चाहें तो संशोधन पेश कर सकते हैं। परन्तु चूंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिये इस को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं प्रत्येक दल से निवेदन करूंगा कि वे उन माननीय सदस्यों के नाम मुझे दें, जो उन के दल की ओर से चर्चा में भाग लेंगे। यद्यपि सूची में बहुत से माननीय सदस्यों के नाम

दिये गये हैं, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि उन सब माननीय सदस्यों को बुलाने का अवसर दिया जायेगा। जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते है, वे दो अथवा तीन बजे तक ऐसा कर सकते है। परन्तु अब इस प्रस्ताव को बदला नहीं जायेगा, चूंकि इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव पर 4 बजे सायं चर्चा आरम्भ की जायेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, kindly listen to me for one minute. You had advised me to consult the opposition parties. I have no objection if my motion is moved by any other Member–say Shri Hiren Mukerjee or Atal Bihari Vajpayee. My only submission is that my motion should be admitted.

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaker, Has Shri Madhu Limaye not got the right of raising the Point of Order ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, अध्यक्ष के निर्णय पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब इस पर और बहस नहीं होगी। श्री मधु लिमये ने जो बात उठाई थी उस पर निर्णय ले लिया गया है और यह मामला समाप्त हो गया है। अब इस पर और बहस नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye : You had told that if a motion was introduced unanimously then it would be considered.

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं यह घोषणा की थी कि अगर सब दल इसको पेश करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Afterward I had talks with leaders of other political parties. I do not say that I myself may be allowed to introduce the motion. I am prepared to give this right to Shri Vajpayee or Shri Hiren Mukerjee. I have introduced this substantive motion in accordance with the rules. I am talking of principles.

अध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय पहले ही दे दिया गया है। मैं इसको नहीं बदलूंगा। आप चाहे इसे पसन्द करें या नहीं करें यह आप पर है।

सामान्य आय-व्ययक 1969–70 सामान्य चर्चा (जारी)

GENERAL BUDGET 1969-70 GENERAL DISCUSSION (Contd)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे, श्री मनोहरन।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं श्री मोरारजी देसाई को उनके जन्म दिवस पर बधाई देता हूं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री अच्छे मार्ग दर्शक बन सकते हैं। वे राष्ट्र के क्रिया कलापों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।

1967 के चुनावों के पश्चात देश में बौद्धिक जागृति आई। अब देश के लोग अपना इतिहास लिख रहे हैं। कांग्रेस दल का 20 वर्ष का शासन समाप्त हो गया है और यह भ्रम विचार भी हट गया है कि केवल कांग्रेस ही देश को सब कुछ दे सकती है। समूचे देश में लोगों में एक उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो गई हैं।

यह सत्य है कि संविधान के निर्माताओं ने यह सोचा था कि कांग्रेस देश पर सदा शासन करती रहेगी। यह तो उन्होंने उनकी कल्पना में भी न था कि कभी विरोधी दल का तो भी देश का प्रशासन चलायेंगे। देश के राजनीतिक क्षितिज में कई राजनीतिक विचारधाराएं उभर रही हैं। 1967 तक केन्द्र-राज्य के सम्बन्धों में कुछ नहीं कहा जाता था। हमने अनुच्छेद 263 के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया जिसमें कि राज्यों के साथ समन्वय के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि केन्द्र और राज्य के मध्य सम्बन्ध ठीक बनाए रखने के लिए एक परिषद की स्थापना की जाए। अब समूचे देश में इसकी स्थापना की मांग हो रही है क्योंकि यह निश्चय ही केन्द्र व राज्य के बीच और वाद-विवाद को सुलझा सकती है। आज सब यह समझने लगे हैं कि आज एक दल का शासन नहीं है अपितु बहुत-दल व्यवस्था है। कांग्रेस के लिए अब भी समय है कि वह अपना हठ पूर्ण दृष्टिकोण को त्याग दे। अब यहां बैठकर राज्यों को निर्देश देने के दिन गए। अब यह भावना राज्यों में आ रही है कि वे केन्द्र के नौकर नहीं हैं और न केन्द्र ही कोई मुगल बादशाह है। कोई भी राज्य को यह सहन नहीं है कि केन्द्र उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करे। राज्यों के दृष्टिकोण में यह जो स्पष्ट परिवर्तन आ रहा है। उससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण अवज्ञापूर्ण है परन्तु वे अपने अधिकार को मांग रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि वित्त मत्रीजी ने यह बजट इस विचार से बनाया है कि 1969-70 के बाद राज्यों को पांचवी वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार, जो जुलाई के अन्त तक अपना कार्य समाप्त कर लेगी। राज्यों को ससोधन नहीं दिये जायेंगे। यह अपने राज्यों के बजट में देख लिया है। उन्होंने गैर-योजना में भारी घाटे का बजट दिखाया है। उन्होंने यह आशा की थी कि वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों को सन्तुष्ट कर सकेंगी। मेरे विचार में श्री मोरारजी देसाई ने यह विचार किया होगा कि वित्त आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदन अन्तिम होगा परन्तु मेरा इससे भिन्न विचार है। मैं वित्त आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 का यह उद्धरण दूंगा। इसमें कहा गया है :

"हमें अभी राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ और बातचीत करनी है। इसलिए इस प्रतिवेदन की आन्तरिक सिफारिशों को अन्तिम नहीं मानना चाहिए।"

अतएव वित्त आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदन अन्तिम नहीं है। वित्त मन्त्री महोदय यह न अनुमान लगायें कि अब राज्य सरकारों को साधन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों ने अपनी योजना इस धारणा पर बनाई थी कि गैर-योजना में धन की कमी को वित्त आयोग निश्चय ही पूरा कर देगा, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा न हुआ। इससे दो परिणाम निकल सकते हैं। या तो राज्य सरकार ओवरड्राफ्ट का आश्रय लेंगे और या तो वे अपने विकास व्यय में कमी करने पर मजबूर होंगे। यह दोनों ही बातें गलत हैं। मेरा वित्त मन्त्री

महोदय से अनुरोध है कि वे इस आशा में कि वित्त आयोग का निर्णय उनके विचार के अनुरूप होगा । राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में कटौती न करें ।

मैं मूल्यों के स्थायित्व के बारे में वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं । मूल्यों का स्थायित्व बहुत सीमा तक कृषि उत्पादन पर निर्भर रहता है । इस सम्बन्ध में मुझे उर्वरकों शुल्क के बारे में कहना है । उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क लगाने से कृषि की लागत बढ़ जायेगी, इससे किसान अपने उत्पादन का अधिक मूल्य मांगेंगे निश्चय ही इससे अव्यवस्था फैलेगी और मूल्यों में स्थायित्व न रह सकेगा ।

वित्त मंत्री महोदय ने किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाया है जिसके कारण हम खाद्य के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु एक ओर तो वे प्रशंसा कर रहे हैं तो दूसरी ओर उर्वरकों पर कर लगाया जा रहा है । यह नितांत कठोर–कदम उठाया जा रहा है । किसानों को इससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे किसानों के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ को बंद कर दें । भारतीय उर्वरक संस्था के अध्यक्ष श्री ए० डी० मनगो ने पत्रकारों से बातचीत करते समय कहा था कि उर्वरकों का मूल्य जो कि पहले ही अधिक है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने से और अधिक बढ़ जाएंगे, उन्होंने कहा कि उद्योग इस मूल्य वृद्धि को खपा नहीं सकेगा और वह इसे उपभोक्ता पर डालेगा, उनके अनुसार उर्वरक उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह योजना में निर्धारित लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर नहीं हो सकेगा ।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अगर वे इस देश के किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो उनको उर्वरकों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

मेरी दूसरी बात कृषि सम्पत्ति पर कर से सम्बन्धित है । मैं इसके गुण–दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं । इसके प्रति मेरा विभिन्न ही दृष्टिकोण है, मेरे विचार में कृषि सम्पत्ति पर कर लगाना राज्य के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करना है, अनुच्छेद 246 में केन्द्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियां के बंटवारे की व्यवस्था है, सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत संघ सूचि, राज्य सूची और समवर्ती सूची में राज्यों तथा केन्द्र को दी जाने वाली शक्तियों की व्याख्या की गई है । मुझे प्रसन्नता है कि कुछ मेरे कांग्रेसी मित्र भी कृषि सम्पत्ति कर का विरोध कर रहे हैं । राज्य सूची की प्रविष्टि 46, 47, 48 और 49 में यह स्पष्ट कहा हुआ है कि जहां तक कृषि आय और कृषि भूमि कर का सम्बन्ध है, केन्द्र का इसमें कोई अधिकार नहीं है, अतएव सातवीं अनुसूची में यह स्पष्ट निर्धारित किया हुआ है कि केन्द्र को इसमें कोई अधिकार नहीं हैं ।

मुझे यह कहा गया है कि वित्त मत्री महोदय ने इसके बारे में महान्यायवादी से सलाह ली है । यह ठीक हो सकता है, परन्तु इस बारे में बहुत से विचार हो सकते हैं, यह ठीक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि महा-न्यायवादी ने वह विचार व्यक्त किए हुए हों । यह व्याख्या करने पर निर्भर है ।

संसद केवल कुछ परिस्थितियों में ही इस पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249, 250 और 252 में इसके बारे लिखा हुआ है, अनुच्छेद 249 के अनुसार "अगर राज्य सभा दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार यह घोषणा करती है कि राष्ट्र हित के दृष्टि में यह आवश्यक है कि ससद कानून बनाए तो वह ऐसा कर सकती है।" अतएव राज्य सभा द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद ही संसद देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकालीन स्थिति में ही संसद को राज्य सूची के विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 252 में संसद को राज्यों से सहमति प्राप्त होने पर कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है।

अतएव यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और इस संसद का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं और आशा है कि वित्त मत्री महोदय इससे सहमत होंगे, यह केन्द्रीय बजट बढ़ते हुए ऋण की समस्या सुलझाने के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं देता है। कल ही मद्रास के वित्त मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि राज्य को केन्द्र से केन्द्रीय करों में अपना उचित भाग नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह अनुरोध किया कि आयकर में उसका जो 75 प्रतिशत भाग है वह बढ़ाकर 87 प्रतिशत कर दिया जाये और उत्पादन शुल्क का 20 प्रतिशत भाग बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होने वाली है जिसमें इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जायेगा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने आगे यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय ऋणों को आसान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाये।

राज्यों पर ऋण का भार 1951-52 में 445 करोड़ रुपये से बढ़कर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 5502 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार 15 वर्ष के दौरान ऋण में चौदह गुना वृद्धि हुई है। 1968-69 तक यह 7000 करोड़ तक बढ़ जायेगा।

केन्द्रीय सरकार आय खाते में से जो कुल धन राज्यों को देती है उसमें से लगभग 30 प्रतिशत केन्द्र को मूल धन तथा ब्याज के रूप में वापिस चला जाता है। अतएव मैं वित्त मंत्री महोदय से इस बारे में पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। वित्त मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि राज्यों को देने के लिए हमारे पास धन कहां है, उनसे मैं यह कहूंगा कि केन्द्र सरकार ने इतने मंत्रालय क्यों बनाए हुए है जिनके कारण काम को अतिरिक्त पड़ता है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय का उदाहरण स्पष्ट है। जब कि राज्य सरकार के पास शिक्षा मंत्रालय है तो केन्द्र को अपने यहां शिक्षा मंत्रालय बनाने की क्या आवश्यकता हैं, केन्द्र में बैठे हुए लोग देश का धन बरबाद करने के सिवाए और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य कई मंत्रालयों के नाम गिने जा सकते हैं, ये मंत्रालय राज्य में भी हैं और केन्द्र में भी, इस प्रकार कार्य लम्बा और दुहरा हो जाता है जो कि अनावश्यक है। इन मंत्रालयों में हजारों कर्मचारी लगे हुए है और करोड़ों रुपया बिना किसी ठोस कार्य के व्यर्थ ही जा रहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर विचार करे कि क्या इन मंत्रालयों को समाप्त किया जा सकता है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, यह बात पूर्णतया स्पष्ट है । ये लोग कृषि के बारे में क्या जानते हैं ? किसान अपना कार्य राज्य सरकारों के अधीन कर रहे हैं और ये लोग यहां बैठे हुए व्यर्थ ही उनके कार्य में रुकावट पैदा करते हैं, हमारे वित्त मंत्री उप-प्रधान मंत्री भी हैं और अब भी समय है कि वे मेरे सुझाये हुए बातों पर विचार करें ।

एक उदाहरण ही इन कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाल सकता है । आप खाद्य मत्रालय को ही लीजिए इसके अन्तर्गत कई विभाग हैं जैसे कृषि उत्पादन आयुक्त, पशु-पालन आयुक्त, जंगलात का इन्सपैक्टर जनरल, कृपि विपणन अधिकारी आदि, यह सब किसलिए है ? वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि धन नहीं है अगर वे इस पर विचार करें तो उन्हें समाधान मिल सकता है ।

वित्त मंत्री महोदय अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्हें इस देश में दूसरों की अपेक्षा अच्छा ज्ञान है । मेरा विश्वास है कि वे इस देश के लोगों के लिए कुछ करेंगे ।

मैं नहीं जानता कि उन्होंने चीनी पर कर क्यों लगाया है, मेरा अनुरोध है कि चीनी के प्रति उनको इतना नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको साधारण आदमी प्रयोग में लाता है । जहां तक सिगरेट का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि वे इतने उदासीन क्यों हो गये हैं कि इस देश के साधारण आदमी पर टैक्स लगा रहे है ।

सूती कपड़े पर उत्पाद शुल्क के बारे जो रियायतें वित्त मंत्री ने दी हैं वे बड़े विलम्ब से दी हैं तथा बहुत कम दी हैं । वह इस सम्बन्ध में पूनर्विचार करें तथा राहत देने के बारे में ऐसी कार्यवाही करें कि जो मिल बन्द हो गये थे वे पुन: खुल जायें ।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार राज्य के लोगों की सहायता करना चाहती है । हम कई उत्पादक योजनायें चालू करना चाहते हैं परन्तु हमारे पास धन नहीं है । हमारे वित्त मन्त्री मदिरापान के विरोधी तथा पक्के गांधीवादी हैं परन्तु नशा-बन्दी के कारण हमें 25 से 30 करोड़ रुपये की हानि हो रही है परन्तु मद्रास राज्य के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का विश्वास था कि नशाबन्दी हटा देने से लोग दर-दर के भिखारी हो जायेंगे तथा स्त्रियां आंसू बहायेंगी और वह ऐसा नहीं चाहते थे । अत: हम वित्त मन्त्री से हर सहायता की आशा रखते हैं परन्तु आयोजना आयोग ने हमारी धन राशि को 250 करोड़ से घटा कर 201 करोड़ रुपये कर दिया है । वित्त मन्त्री को इस पर पुन: विचार करना चाहिये । अब स्थिति बदल चुकी है और अब वित्त मंत्री राज्यों को अपने चरण चिन्हों पर नहीं चला सकते । राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में वह इस स्थिति को ठीक करें ।

जहां तक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का सम्बन्ध है, हमने कई वर्ष तक पृथक होने की मांग की परन्तु वर्ष 1962-63 के पश्चात् हमने समझा कि हम देश की राजनैतिक धारा से अलग नहीं हो सकते तथा पृथक होने की बात को हमने गहराई से दबा दिया । हमने यह निर्णय स्वयं ही किया परन्तु हमने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे स्थिति और ऐसे नारों को प्रोत्साहन देने वाले अवांछित राजनैतिक कारणों व सिद्धांतों को दूर किया जाना चाहिए । उस दिन मंत्री महोदय ने भी शिव सेना की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में ऐसी कुछ परिस्थितियां

हैं जिनके फलस्वरूप कासिस्टवादी संस्थाओं को उभरने का अवसर मिलता है । अतः यदि ऐसी परिस्थियों को दूर नहीं करेंगे तो यह समस्या हल नहीं होगी । हम कोई अलग द्रविड़ स्थान नहीं चाहते हैं । आज सारे ही राज्य परेशान हैं और सभी की यह मांग है कि समूचे राष्ट्र में उनका भी बराबर का भाग हो ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न काल के भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न काल के भोजन के बाद 2 बजकर 4 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

श्री मनोहरन : मैं कह रहा था कि जो राज्य मुसीबत में हैं, केन्द्र सरकार उनकी सहायता करे । इस समय सरकार को बड़ी सूझ-बूझ और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए ।

राज्यों सरकारों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें तथा राज्यों सम्बन्धी शेष अधिकार भी राज्यों के पास स्वतः ही आ जाने चाहियें । इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार के सीतलवाद दल ने भी इस प्रकार की सिफारिश की थी कि राज्यों पर चढ़े ऋणों के बारे में जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जानी चाहिए तथा इस समस्या को हल करने के लिये कोई दूरदर्शितापूर्ण तथा राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ।" मुझे आशा है कि वित्त मंत्री मेरे प्रस्तावों पर, विशेष रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार करेंगे ।

अब मैं मत्री महोदय को देश में आज उत्पन्न विकास की आवश्यकता के बारे में एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । मेरा सुझाव है कि अधिकारों का केन्द्रीयकरण समाप्त किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए । संविधान के निर्माण के समय जब राजाजी महाराज्यपाल थे और डा० अम्बेडकर विधि मंत्री थे तो राजाजी ने डा० अम्बेडकर को सुझाव दिया था कि देश की भारी जनसंख्या, जनता की विविध प्रकृति, तथा मिश्रित संस्कृति को देखते हुए उत्तर और दक्षिण के लिये दो संघों का निर्माण होना चाहिये तथा इन दोनों संघों को मिलाकर एक उच्चतम स्वर, पर महासंघ गठित किया जाये जो कि वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा तथा संचार सम्बन्धी मामलों को सम्भालें । केवल केन्द्रीय सूची में केन्द्र सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं तथा उन्हें कम किया जाना चाहिये और केन्द्र सरकार को उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त केवल दो अथवा तीन और विषयों को जैसे कि मुद्रा आदि को अपने अधीन रखना चाहिये तथा शेष विषय राज्य सरकारों को सौंप देने चाहियें । यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि देश की वर्तमान समस्याओं को नहीं सुलझा सकेगी । अब राज्यों को और अधिक समय तक मातहत नहीं समझा जा सकेगा । बारी बारी करके प्रत्येक राज्य अधिकाधिक अधिकारों की मांग कर रहा है ।

केन्द्र सरकार इन मांगों की उपेक्षा न कर सकेगी। केन्द्र सरकार यह न समझे कि राज्यों को और अधिक अधिकार देने से केन्द्र की शक्ति कम हो जायेगी। मेरा तो विचार है कि यदि केन्द्र सरकार वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था को छोड़ सभी कार्य राज्यों के हवाले कर दें तो केन्द्र और दृढ़ता से कार्य कर सकेगा। इससे देश में राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी तथा मेरा दल इस बात का प्रबल समर्थक है। अतः देश में केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्ध सुधारने और उन्हें अधिक दृढ़ करने के लिये सरकार को नये दृष्टिकोण तथा सूझबूझ से स्थिति का अवलोकन करना चाहिए तथा उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि हर जगह संयुक्त सरकारें स्थापित करके अनुभव प्राप्त किया जा रहा है और मुझे यह भी विश्वास है कि वर्ष 1972 के बाद केन्द्र में भी संयुक्त सरकार ही स्थापित होगी, कांग्रेसी सरकार नहीं रहेगी। अतः कांग्रेस दल इसका अभ्यास कर सकता है क्योंकि बाद में बहु-दलीय सरकारें बनेगी। अतः कांग्रेस को स्थिति का भली प्रकार अध्ययन करके स्वयं को उसके अनुरूप ही तैयार रखना चाहिए तथा अन्य दलों के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करना चाहिए। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि राज्य केन्द्र के अधीन है। तथ्य तो यह है कि राज्यों के बिना केन्द्र का ही कोई अस्तित्व नहीं है। परन्तु केन्द्र ने राज्यों के भारी योगदान को नहीं अनुभव किया है। क्या इस प्रकार राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रखी जा सकती है ?

आज तमिलनाडु में खाद्य की स्थिति बेहद खराब है। पहले तो हम केरल को भी सहायता देते रहे हैं जब कि वह राज्य संकट में था परन्तु अब तो हमारे राज्य में ही सूखे के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमें इस समय एक लाख टन चावल तुरन्त चाहिए, परन्तु खाद्य मंत्री ने केवल "कुछ करने" का वायदा किया है। हमारी मांग है कि इस बारे में शीघ्र ही यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिए, अन्यथा हम सारे राज्य को अकाल-ग्रस्त राज्य घोषित कर देंगे। अब समय आ गया है कि खाद्य मंत्री इस संकट ग्रस्त राज्य की सहायता करें।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से हमारी मांग है कि नई परिस्थितियों को देखकर संविधान का पुनरावलोकन किया जाये। दूसरे ऋणों का भी पुनर्निधारण किया जाना चाहिये; तीसरे अनावश्यक पुनरावृत्ति समाप्त होनी चाहिए। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मन्त्रालयों को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये मुझे आशा है कि उप-प्रधान मन्त्री इस दिशा में कुछ कार्यवाही करेंगे।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की एकता के लिये हम सबको बिना किसी छल-कपट के मिल बैठकर सोचना चाहिए। वास्तव में कोई भी राज्य केन्द्र के प्रति अवज्ञ अथवा उपेक्षक नहीं है। यदि केन्द्र अपना रवैया बदल दे तो यह इसके ही हित में उत्तम होगा।

कर-प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं उप प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कृषि सम्पति पर कर, चीनी व तम्बाकू आदि पर उत्पाद शुल्क हटा दें तथा देश के लोगों को राहत दें। तभी हम उप-प्रधान मंत्री के प्रस्तावों की प्रशसा करेंगे। मुझे आशा है कि वह हमारी बात मानेंगे।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) ; I congratulate the Finance Minister for his courage with which he has presented this Budget. Although he has to take certain strong

steps in this regard, in the interest of our economy. There was no alternative left for him in this direction. But for these proposal our economic structure which we had built up, with our efforts would have suffered very badly, So it was essential to present this Budget in this manner.

I regret that almost all sections, whether congress or others have criticised certain taxes proposed in the Budget. Even the people who believe in socialism have also criticised these taxes, I too have been a student of socialism. I understand that socialism means enabling the common people to produce more, increase heir income, so as to be able to meet their needs. And also to be able to pay taxes. But there is absolutely no mention or indication of socialism in this Budget. But I can say with determination and responsiblity that our country is sure to became a socialistic State one day

The most importaat thing to-day is, how to be self-sufficient. For this purpose, we will have to channalise all of our resources and put burden on the shoulders of all those sections of the society, who want to get facilties in this country, in order to increase their own as well as country's wealth. This Budget puts some load on all the sections of the society whether poor or rich.

There has been some criticism about the tax on agriculture wealth, Although 8% of our countrymen live in villages and have small land holdings there, but they have not been affected by this tax, Only the persons having big holdings have been affected and asked to contribute their share in the nation's development programmes since they are earning a lot from this country. However, I oppose the tax levied on the fertilisers since the small farmers are not very much accustomed to using fertilisers. They have just started using it and if it is taxed, it will adversely affect our production. For they will abstain from using fertilisers owing to this levy. I hope the hon. Finance Minister would realise it, It is not proper to put levy on fertiliser whether in the case of small farmers or big agriculturists.

Surely we have now to maintain the recovery and stability that we have at last gained in our economy as result of agriculture consciousness, reduction in recession and stability in prices last year. We have to control our economy. Fifty per cent of our total national income comes from agriculture which is the occuptiou of more two third of our total population, Our export income also depends upon our agricultural income. So we have to find means to have intensive cultivation,

The hon. Finance Minister has allotted Rs. 64 crores for agricultural research. But we should strive more for applied research than the basic research and its benefits should reach the fields. There should be adequate coordination in the research extension programme. There are instances in which the results of the research were kept restricted the results of the research made in different items at Pantnagar and Roorki were not extended to the areas outside, although those results were very much appreciated both in the country as well as by a U. S. A. team. Besides that, the Government started several schemes and researches but all of them were dropped in between. My point is that whether it is a research programme or an experiment, we have to intensify our research programme if we want to switch over to intensive cultivation,

Besides agriculture, our country's progress and development depends upon industries also. I am happy that some relief and concessions have been granted to industry which would certaing bring about the desired results of creating and industrial climate and bringing about more and more production in the country, Gheraos, strikes, lock-out etc. always bring down production and we have to find out our basic mistakes,

Otherwise and make efforts to eradicate them. If we do not do that we would not be able to check these revolutions-whether the red revolution or green revolution-either by clamping section 144 or any other rule. We will have to understand the needs of our country and also the reasons for mass unemployment among young educated and qualified people.

I am happy that you have put jute and cotton in the priority list. But you will have to impose some conditions on the jute, cotton and other industries that they should modernise their machinery themselves because it is the general tendency of these industrialists that they never come for their machines until these machines get completely worn and torn. Therefore they should modernise their machines on their own and also should not look to the Government for any tax relief for doing so. We are very happy to find that none of the machines in the Bangalore Aeronautics factory is more than eight or nine years old. So, when the Government concerns can keep their machinery well upto-date, why not these Private concerns who too have certain obligations towards the Nation and the society. The Government should presswise them in this regard through any law.

As regards sugar, I am not very sorry to find that it has gone costlier because it will make people eat less sugar and thus save money. But it is really a matter of sorrow that whereas the consumer will be paying more and the industrialits will be making dividents, the poor sugar-cane producers will be getting very little for his sugar-cane. They are not getting even the fair price which has been fixed by the Government. May I know whether the Government have tried to ensure that the sugar cane producers get atleast the fixed price and that also in time ? I think that it is high time for the Government to take over all the sick mills and sick factories, nationalise them and see how far the farmers can be helped in getting adequate price and timely payment for their produce, The present policy of the Government has benefitted neither the farmer nor the consumer. Therefor the Government should take adequate steps to improve the situation. As regards financial allocations to the States Uttar Pradesh has been given a steps-motherly treatment during all the last three Five Year Plans. This is perhaps because all of our three Prime Minister hailed from U. P. and as such they could not show any favour for this State. It is the most thickly populated State with a population of more than 925 lakh. After all the Planning Commission too have certain yard sticks for allocating finance. It is never done at random or in an unscientific manner. Everything like the population backwardness, administration etc. of the States are kept in view. U. P. is also the biggest and yet the most baskward State and therefore more money should have been given to it. But this year only Rs 83.59 crores have been provided which amount to only 12½ per cent of the whole budget. The population of U. P is 17 per cent of the entire population of the country and therefore at 20 per cent of the total budget should have been provided to U. P.

Then, among the industries set up in the country since 1952, sixty percent of them are in Madras, Bengal, Gujarat, Maharashtra etc. U. P. shares only a very little part of the remaing 40% Therefore adequate care should be taken in regard to U. P. also.

Shri Morarji Desai stands as a symbol of prohibition. If he cannot enforce prohibition, I do not think any body else can do it. He should therefore impose it as provided in the directive principles of our Constitution. It is obligatory on the States also to enforc prohibition, Wine addiction has been a great curse, and know as a great vice, in our country. It has been continuously harming our society. Government should look to the revenues which they are earning on wine drinking they should see to social

ard moral values first. He can very well imagine the ugly schemes and tragic consequences taking place in our society owing to this wine drinking. Addiction of wine is injurious to the total character of our society. Therefore the Government, not earning for this little revenue that they are getting on the sale of wine, should immediately enforce prohibition.

With best wishes, finally I would urge upon the best use of money and developing an economic atmosphere.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : वित्त मंत्री महोदय ने अपने आय–व्ययक की अरुचिकर प्रकृति को एक क्षीण–से हास्य से मण्डित करना चाहा है। फिर भी यह एक बेकार की तथा सामान्य लेखे–जोखे की किताब मे कुछ थोड़ी–सी अधिक की एक चीज बन पाई है जिसमें अधिक धनवानो को रियायतें दी गई हैं तथा जिससे सामान्य जनता के दिल को चोट पहुंचती है।

इस बजट में बड़े धनी लोगों को बहुत अधिक रियायतें दी गई हैं। माननीय वित्त मंत्री ने कपड़ा तथा पटसन मिल मालिकों को राहत दी है जो कम्पनियों की आस्तियों तथा मजदूरों की भविष्य निधियों का सफाया कर के कारखानों को बन्द कर देते हैं। उनको विकास के लिये छूट दी जायेगी।

माननीय वित्त मंत्री ने नये उपक्रमों को कर के मामले में अधिक समय के लिये छूट दी है। उन्होंने यह भी कहा है ऊपरी आय सीमाओं पर आय कर की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। किन्तु ऊपरी मध्य वर्ग के साथ उन्होंने कोई रियायत नहीं दिखाई है। उन्हें चूंकि बधी हुई आय होती है अतः वे कर की चोरी यो नहीं कर सकते हैं जैसे कि सभी लोग करते हैं। हमारे समाज में जनता दो प्रकार के नये भागों में बंट रही है : एक ओर तो वे लोग जो अपने कर का हिसाब किताब रखते हैं और दूसरी ओर वे जो नहीं रखते हैं। माननीय वित्त मत्री अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 127 करोड रु० इकट्ठा करने जा रहे हैं। चीनी पर उत्पादन शुल्क में इस वृद्धि से गन्ना उत्पादकों को बहुत नुकसान पहुँचा है और इसके साथ ही चाय या काफी के प्याले का मूल्य भी बढ़ गया है। एक औसत व्यक्ति को अब सिग्रेट और बस के किराये पर भी अधिक खर्च करना होगा। हम इन सभी नये करों का विरोध करते हैं क्योंकि इनका भार एक औसत व्यक्ति पर पड़ता है जब कि बड़े बड़े व्यापारियों को राहत मिलती है। विदेशी पूंजी का प्रभाव भी अब पहले की अपेक्षा बढ़ गया है।

हम उर्वरकों और शक्ति चालित पम्पों पर उत्पादन शुल्क के प्रस्ताव का भी विरोध करते हैं क्योंकि इससे किसानों पर भार बढ़ेगा और कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ जायेंगी। हमारा ग्रामीण क्षेत्र अब कार्यकुशलता से चलने की स्थिति में पहुँचा है और ऐसे समय में ये कर लगाने ठीक नहीं। प्रो० गडगिल ने बंगलौर में कहा कि कृषि समस्या के सम्बन्ध में हमें एक गम्भीर स्थिति का सामना करना होगा और यदि हम समस्त देश में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमे कृषि कार्यक्रमों के समन्वय की समस्या की ओर पहले की अपेक्षा अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना होगा।

सिद्धान्त रुप में हम कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने के विचार का मन्थन करते हैं। किन्तु धन कर निष्प्रभाव सिद्ध होगा। मैं महसूस करता हूं कि काले धन को कृषि सम्पत्ति या मकानों में बदलने को रोकने के लिये यह बहुत आवश्यक है। भारतीय खाद्य निगम ने 1968 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 20 लाख टन गेहूं खरीदा था और उसका मूल्य 80 रु० प्रति क्विंटल की दर से दिया गया जब कि व्यापारियों ने किसानों को 50 रु० प्रति क्विंटल से अधिक नहीं दिया था। सरकार ने इस 60 करोड़ रु० के मुनाफे पर कोई कर नहीं लगाया। इसका क्या कारण है जबकि सरकार कलकत्ता की आवश्यकता के बारे में कहती है कि इसके पास पैसा नहीं है ? विभाजन के पश्चात् से कलकत्ता की दशा दिन प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। विश्व बैंक के 1960 के अनुमान के अनुसार कलकत्ता की दशा सुधरने के लिये 200 करोड़ रु० काफी होते। जबकि 60 करोड़ रु० मुनाफाखोरों की जेबों में जाता है केन्द्रीय सरकार के पास कलकत्ता के लिये कोई धन नहीं है। हमारा दल इस पक्ष में है कि कृषि धन पर कर के विषय को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाये क्योंकि इस कर के मामले में केन्द्रीय सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

हमारे कृषि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा भाग केवल मुट्ठी भर बड़े जमींदारों के पास है और भूमिहीन किसान एक बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनकी आय बहुत कम है और जो वास्तव में अनाज पैदा करते हैं।

इस बजट में विदेशी तथा भारतीय पूंजीपतियों को खुश करने का प्रयत्न किया गया है। अगले वर्ष की योजना के लिये इस बजट में 1903 करोड़ रु० की राशि रखी गई है जो कि चालू वर्ष के आवटन से केवल जरा ही बड़ी है। देश के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे में रचनात्मक सुधार किये बिना देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कुछ सही पग नहीं उठाये जायेंगे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती।

हमारे आर्थिक विकास की दर, जो कि 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष है, हमारी जन संख्या की वृद्धि की दर से अधिक नहीं है। जब हम बढ़ी हुई असमता को ध्यान में लाते हैं, तो हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारे बहु संख्यक लोगों की दशा आज पहले की अपेक्षा अधिक खराब है। हाल ही के एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 34.6 प्रतिशत लोग अब भी अत्यधिक निर्धनता की दशा में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनका प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 15 रु० है और शहरी क्षेत्रों में 24 रु० से कम।

जबकि यह खुशी की बात है कि 1967-68 में कृषि ने राष्ट्रीय आय में 20.3 प्रतिशत का योगदान दिया, बड़े पैमाने के उद्योगों से होने वाली आय 1576 करोड़ रु० से घट कर 1,556 करोड़ रु० रह गई। यह कहा जाता है कि 1968-69 में निर्यात में भारी वृद्धि हुई। किन्तु वास्तव में हमारे निर्यात में 1964-65 की अपेक्षा कमी हुई है। इस प्रचार का गलत प्रचार इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि सरकार कम प्राथमिकता या गैर-आवश्यक क्षेत्रों में भी विदेशी सहयोग को रखना चाहती है। आत्म निर्भरता लाने की ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब तक सरकार की इस प्रकार की उदासीनता की नीति चलती रहेगी, हमारी

अथव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता । आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग 1968 में 1965 की अपेक्षा 3.6 प्रतिशत कम है ।

रोजगार दिलाऊ दफ्तरों की पंजियों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है । 1966 में उनकी संख्या 24,69,421 थी जो 1968 में बढ़कर 30 11,642 हो गई ।

1 अप्रैल, 1968 से लेकर 31 जनवरी, 1969 तक की अवधि में जब हमारे देश म अनाज का उत्पादन अधिक हुआ था तब हमने 45.4 लाख टन अनाज, जिस का मूल्य 29 3.64 करोड़ रुपये था, आयात किया था ।

{ श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumala Rao in the Chair }

ये आंकड़े 6 मार्च के तारांकित प्रश्न संख्या 326 के उत्तर में दिये गये हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार 1971 तक अनाज का आयात बन्द करने के अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहती है । पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात जारी रहेगा चाहे हमारी अर्थव्यवस्था और आत्म-सम्मान पर कितना ही कु-प्रभाव क्यों न पड़े ।

इस के अलावा विदेशी गैर-सरकारी पूंजी फल-फूल रही है । यह देखने की बात है कि लाभांश और मुनाफे के रूप में भारी धनराशि बाहर भेजी जा रही है । ब्याज के रूप में और स्वामित्व के रूप में भी काफी धनराशि बाहर भेजी जा रही है ।

भारत में बकाया विदेशी विनियोजन जून, 1948 में 255.8 करोड रुपये से बढ़ कर मार्च 1965 के अन्त तक 935.8 करोड़ रुपये हो गया । इस के अलावा 1956 से सितम्बर 1968 तक 3,049 विदेशी सहयोग के मामलों का अनुमोदन किया गया था ।

तेल कम्पनियां हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है परन्तु हम कुछ नहीं कर सकते हैं । आय-कर की कई सौ करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन तथा भारत में विदेशी कम्पनियों को प्राप्त होने वाली आय के बारे में विदेशी प्रोफेसरों द्वारा गोष्टियों में दिये गये वक्तव्यों से पता चलता है कि वे हमारे देश का कैसे खून चूस रही हैं । वे हमारे देश की सहायता करने की इच्छा प्रकट करती है क्योंकि यदि भारत को ठेस पहुंचती है तो लोकतत्र को ठेस पहुंचती है । परन्तु वे सहायता के लिये आगे कदम नहीं बढ़ाती हैं ।

इस के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार और अकार्यकुशलता दूर हो ।

देश की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है परन्तु सरकार उसके प्रति उदासीन है। केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय तथा अन्य मामलों के सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल की लोक प्रिय सरकार की मांग की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। आयव्ययक में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि सरकार इन सब बातों से अवगत है।

मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है। इस सम्बन्ध में श्री गाडगिल ने गत वर्ष अपने भाषण में जो कहा था मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं परन्तु हमें सामाजिक एकता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। सामाजिक एकता आने से राष्ट्रीय एकता अपने आप आ जायेगी। परन्तु आज हमें एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सभी गांवों में पेय जल के मामले में भी इस वर्ष समान व्यवस्था नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पूंजीवाद के विकल्प में गांधी जी की विचारधारा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चाहे गांधी जी बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे परन्तु उनका पूंजीवाद का विकल्प ठीक नहीं था। जहां तक कि उन्होंने न्यासवाद के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहीं थी। परन्तु सरकार उनकी समाजवाद और न्यासवाद की विचारधारा को भी यह देखने के लिये कार्यान्वित नहीं करेगी कि ऐसा किया जा सकता है अथवा नहीं। हम समझते हैं कि यह सम्भव नहीं तथा हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : मैं आय-व्ययक में दिये गये कर प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। यह बड़े संतोष की बात है कि चिरकालीन मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने तथा अन्य भागों में बाढ़ आने के बावजूद भी इस वर्ष हमारा कृषि का उत्पादन लगभग 96 मिलियन टन हुआ है। पहले कीमतों में वृद्धि होती रही है जबकि इस वर्ष उन्हें बढ़ने से काफी हद तक रोका गया है। हमारे औद्योगिक उत्पादन में भी लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारे निर्यात में लगभग 100 करोड़ रुपये की वृद्धि और आयात में लगभग 100 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इस प्रकार जबकि गत वर्ष हमारा प्रतिकूल संतुलन 700 करोड़ रुपये था वह कम हो कर इस वर्ष 500 करोड़ रुपये रह गया है। अतः यह स्पष्ट है कि इस वर्ष काफी सुधार हुआ है और मैं समझता हूं कि यह सुधार उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के प्रयत्नों का फल है।

उसी तरह से इस वर्ष केवल 250 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जबकि गत वर्ष यह 290 करोड़ रुपये था। इस पर बहुत से अर्थशास्त्री यह समझते थे कि इससे मुद्रा स्फीती बढ़ेगी और कीमतों में वृद्धि होगी परन्तु दोनों हालतों में इसका कुप्रभाव नहीं पड़ा है। इससे बल्कि आर्थिक स्थिति में और सुधार हुआ है।

यह भी एक अच्छी बात है कि पटसन, चाय और अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात शुल्क में कटौती करने की घोषणा की गई है। पटसन हमारे निर्यात की एक मुख्य वस्तु है परन्तु गत कुछ वर्षों में इस का निर्यात काफी हद तक कम हो गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की पटसन का निर्यात काफी बढ़ गया है। इसलिये हमें इस का निर्यात बढ़ाने के

लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की गई है तथा इन दोनों वस्तुओं के निर्यात में काफी सुधार हुआ है।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है उस उद्योग को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 636 कपड़ा मिलों में से 80 बन्द हो गई हैं। परन्तु उप–प्रधान मंत्री ने कपड़े तथा धागों पर उत्पादन शुल्क में छूट देकर कर एक अच्छा काम किया है। इससे वे मिलें अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकेंगी। मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े पर छूट देने से देश की कमजोर कपड़ा मिलों को सहायता मिल सकेगी।

कई किस्मों के सूती कपड़े पर इस बार 15 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया गया है। मोटे और भूरे कपड़े को भी यथामूल्य शुल्क लगने वाले कपड़े की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेकार सूत से बनने वाले केन्वेस आदि और कम्बलों के मूल्य, चादरों, गैबरडीन, कोट और कमीज के कपड़े के मूल्यों की तुलना में बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन पर उत्पादन शुल्क अधिक है। पहले प्रकार का कपड़ा अधिकतर प्रति रक्षा मंत्रालय, रेलवे और उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि होने से सरकार पर और उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं उप-मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस प्रकार के कपड़े के निर्माताओं के साथ न्याय करें। इतने ऊँचे उत्पादन शुल्क के कारण इस प्रकार के कपड़े का उत्पादन असंगति वर्ग द्वारा किया जाने लगेगा तथा सरकार की आशा के अनुसार उसे उत्पादन शुल्क की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतः उत्पादन शुल्क उचित दर पर लगाना चाहिए। 15 प्रतिशत यथामूल्य उत्पादन शुल्क बहुत अधिक है।

बजट से पहले ऐसी सम्भावना थी कि जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार आयकर के लिये छूट की सीमा को बढ़ाकर 5000 रुपये या 4500 रुपये कर देगी। किन्तु मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि 10,000 रुपये से 20,000 रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर आय कर बढ़ा दिया गया है। इस वर्ग में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 लाख से भी अधिक है और उनकी मासिक आय 800 रुपये से 1500 रुपये है। इनमें से अधिकतर व्यक्ति कर्मचारी हैं। जिन्हें बीमे की किस्तें और भविष्य निधि की राशि इत्यादि देनी पड़ती है। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद मेरे विचार से उनके पास बचत के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता। अतः उन पर आयकर बढ़ाना उचित नहीं है। यदि वे बीमा और भविष्य निधि को जारी रखने में असमर्थ होते हैं, तो इससे देश के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः इस मामले पर फिर से विचार होना चाहिए तथा इस बढ़ोत्तरी को वापस लेना चाहिए।

नीति की दृष्टि से उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क लगाने से मैं सहमत हूं। किन्तु अभी हमारा उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। अभी भी हमें प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक का खाद्यान्न विदेशों से मंगाना पड़ता है। उर्वरकों का उत्पादन शुल्क लगाने से खाद्यान्न की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। बड़ी हिचकचाहट के

साथ किसानों ने उर्वरकों का प्रयोग करना आरम्भ किया है अतः अभी उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए। अन्य देशों की तुलना में अभी हमारे देश का उत्पादन बहुत कम है।

एक टिप्पण में बताया गया है कि उत्पादन शुल्क से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश की 85 प्रतिशत भूमि मानसून पवनों पर निर्भर रहती है और मानसून पवनों की अनिश्चितता के कारण ही किसान उर्वरकों का उपयोग करने में हिचकिचाता है। मेरा सुझाव है कि प्रारम्भ में यह शुल्क 5 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए और बाद में जैसे जैसे किसानों की पैदावार बढ़े, इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाय।

खेती योग्य भूमि पर धन कर के सम्बन्ध में कहा गया है कि वास्तविक खेतीहर किसानों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई किसान अपनी बचत के धन को बैंक में जमा करता है, जो कि देश के लिये हित कर होता है, तो क्या उस किसान को वास्तविक किसान माना जायगा या नहीं ? इसी प्रकार जो किसान मकान आदि के निर्माण पर अपना धन लगाता है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा ? मैं माननीय उप-प्रधान मत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसका स्पष्टीकरण दें, जिससे किसी के मन में संदेह न रह जाय।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस वर्ष भी घाटे की ही आशका है। सरकार इन उपक्रमों की कठिनाइयों को दूर करने की काफी इच्छुक है और उसने इस दशा में कुछ प्रगति भी की है। प्रशासनिक सुधार आयोग आदि के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है। किन्तु मेरे विचार से वर्तमान प्रबन्धकीय व्यवस्था में परिवर्तन करने से स्थिति में सुधार आ सकता है। जिन व्यक्तियों की इन उपक्रमों में प्रबन्धों के रूप में नियुक्ति की जाये, उनको उपक्रमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय तथा उनके असफल रहने पर उनके अन्य विभागों में स्थानान्तरित न किया जाय। मैं चाहता हूं कि 3500 या लगभग उतने ही वेतन की उपरि सीमा न लगाई जाय तथा चाहे इन व्यक्तियों को अधिक पारिश्रमिक देना पड़े, परन्तु इन्हें उपयुक्त प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय। गैर-सरकारी उपक्रमों की भांति यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धक अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सकता तो उससे त्याग पत्र मांग लिया जाना चाहिये। ऐसा करने से इन उपक्रमों में बड़ी जल्दी सुधार होगा तथा हमारे देश को इन उपक्रमों के द्वारा हानि के स्थान पर लाभ होगा।

इतने भारी औद्योगिक संस्थानों स्थापना के बाद भी हमें प्रति वर्ष 300 से 400 करोड़ रुपयों के मूल्य के पूंजीगत माल का आयात करना पड़ता है। इस स्थिति को सुधारने के लिये यद्यपि सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, परन्तु उसे इसमें सफलता नहीं मिली है। मेरा सुझाव है कि देश में बने सयत्रों और मशीनों के मामले में में कुछ अधिक मूल्यह्रास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि स्वदेशी सयत्रों को खरीदने का उत्साह बढ़े। इससे सरकार के राजस्व में कोई घाटा नहीं आएगा। ऐसा करने से देश के इन्जीनियरिंग उद्योग की क्षमता भी बढ़ेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि छोटे काउन्ट्स के लिए विश्वजनीन कपास का उपयोग वर्जित कर देना चाहिए, जिसमे कि उसका उपयोग 60,80,100 काउंट्स आदि के बढ़िया किस्म के कपड़े के उत्पादन के लिए किया जा सके तथा भारतीय कपास का उपयोग 40 काँउट्स तक के कपड़े के लिए किया जा सके। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है तथा कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा।

लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन भी हमारे देश में अपर्याप्त है। यदि भारत में उत्पादित लम्बे रेशे वाली कपास के सूत और कपड़े पर उत्पादन शुल्क कम किया जाय तो इससे भारतीय किसानों को लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन के लिए काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत से अनुमानत: प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के मूल्य की चांदी का तस्कर व्यापार होता है। और इसके बदले हमारे यहां उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं, जो कि पहले ही यहां बहुत हैं। देश में इन वस्तुओं के आने से हमारे क्षेत्रीय उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी क्षमता घट जाती है। अत: सरकार को इस तस्कर व्यापार को रोकना चाहिए जिससे करो द्वारा उसकी आय बढ़ेगी और उपभोक्ता उद्योगों को भी लाभ होगा क्योंकि उसके माल की मांग अधिक बढ़ेगी।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : I feel that the responsibility of the Finance Minister to deal with the entire financial strucuture and to mobilise the revenue resources to the extent possible for the country is, of course, quite difficult. It is easy to criticise any Finance Minister but after assuming this office everybody is bound to act on the lines of his predecessors. So far as the taxes imposed on the agricultural inputs, like fertilizers and pumpings sets etc. is concerned, it is certain that the hon. Minister is trying to exploit the agriculturists of our country because the taxes imposed are unbearable and unreasonable.

When a person comes from the city and sees the farmer who has harvested good crops, he begins to think that he is a well-to-do person and he should be taxed. But he has no knowledge of a farmer's life. A poor farmer has to face a lot of difficulties. If a buffalo falls ill and ceases to give milk, the farmer undergoes a loss of one thousand rupees. If his bullocks fall ill and are unfit for service he incurs a loss of two thousand rupees. What he gains as a result of good crop, he losses in the form of loss of cattle wealth. He has to take loans even for sowing the next crop. I want to say that in view of farmers critical position Government should sympathise with him Last year's good crop has given them a push towards economic uplift. They are still suffering from acute poverty and indebtedness. Last time Government helded the farmers by providing pumping sets and tubewells for irrigation, which had favourable effect on agricultural production. But now Government want to deprieve them of these facilities It will badly affect the farmer's position and they will be pushed back to their poverty-stricken position. There are still 70 per cent farmers in eastern districts of U P. where they have no house to live and no cloth to put on. So I want to say that no tax should be imposed on means of agriculturists.

The former Education Minister gave a three-language formula in which Sanskrit was not well placed. I doubt very much whether the said formula will be implemented with the same zeal by the new Minister. Moreover, the position of Sanskrit is deteriorarting. Now no body is interested to protect this language. This is a language of our

ancestors and it should be given full protection by Government itself. The other thing in this connection which I want to press is that all the colleges of Aligarh should be affiliated to Aligarh Muslim University. Now almost all the colleges of Aligarh are affiliated with Agra University. If it is done many problems, which we face in Aligarh, will automatically be solved.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

Lastly, I want to draw the attention of Government to the pitiable condition of Railways. Some bogies are too old to serve. There is no proper arrangement of lighting and water etc. in compartments Bogies are being exported to other country while old and damaged bogies are not being replaced in Indian railways. Firstly we should improve our own position and thereafter we should help others. All the evils and dishonesties rampant in Railway administration should be removed. Some strong steps should be taken to stop the ticket-less travel in the trains.

डा० प० मंडल (विष्णुपुर) : हमारे उप-प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आय-व्ययक में 150 करोड़ रुपये के नये करों का प्रस्ताव किया गया है और साथ ही उसमें 250 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। मेरे विचार से एक रुपये का घाटा दिखाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वित्त मंत्री का अपना आय-व्ययक संतुलित रखना चाहिए और ऐसा किया जा सकता है, यदि विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों में होने वाली बर्बादी और अपव्यय को कम कर दिया जाये। प्रतिवेदनों में लोक लेखाओं में करोड़ों रुपये की बर्बादी का उल्लेख किया जाता है परन्तु वित्त मंत्री फिर भी कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं करते और बर्बादी वर्ष पर वर्ष बढ़ती जा रही है। अब इस सम्बन्ध में एक दो ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। दुर्गापुर इस्पात परियोजना के लिए जल-पूर्ति व्यवस्था का प्रस्ताव विदेशी विशेषज्ञों द्वारा 1.10 करोड़ रुपये के मूल्य का दिया गया था जबकि एक भारतीय अधिकारी ने उसी योजना को उपरोक्त राशि के एक-तिहाई में पूर्ण कर दिया। फरक्का बांध परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों की बात न मानी गई सेलुलर काफर डैम बनाया गया, जो पहली बाढ़ में ही बह गया। इसी प्रकार पाल्टा में स्थापित किया गया ईंट और टाइल का कारखाना भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। सरकार की यह आदत बन गई है कि वह विदेशी विशेषज्ञों को बुलाती है जिनके कारण विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है। यदि भारतीय इन्जीनियरों से काम करवाया जाये तो अपव्यय कम हो सकता है।

पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया गया है। पश्चिमी बंगाल की न्यायोचित मांगो को भी नहीं माना गया। कलकत्ते का विकास जहां का तहां रुका हुआ है। हुगली पर दूसरा पुल और कलकत्ता के चारों और रेलवे लाइन बिछाने के प्रश्न पर बहुत समय से विचार किया जा रहा है। वहां की जनता अब निराश हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखेंगे।

राज्य विधान मंडल की दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव

Motion regarding Statement of Minister of Home Affairs on West Bengal Governor's address to both Houses of the State Legislature.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी अब अपना प्रस्ताव पेश करेंगे और अपना भाषण 20 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस प्रस्ताव के लिये केवल 3 घन्टे नियत हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए शीघ्र ही ले लिया है।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि 6 मार्च, 1969 को राज्य विधान मण्डल की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में गृह कार्य मन्त्री द्वारा 6 मार्च, 1969 को दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में 6 मार्च को जो कुछ हुआ, इससे हमारे संवैधानिक इतिहास में एक दुखद पाठ जुड़ गया है। उससे यह सिद्ध हो जाता कि राज्यपाल जैसे उच्च पद को भी राजनीतिक हितों और दल के लिए किस प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे संविधान में राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण पद है। उस पर आरोप लगाने का अधिकार तो संसद को भी नहीं है। इससे भी बुरी बात यह हुई है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने संविधान का उल्लघन किया है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के दबाव में आकर यह कार्य किया है। उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके सभा के अन्दर की गई अपनी कार्यवाही को उचित भी ठहराया है। उनका यह काम न केवल संविधान के विरुद्ध था, अपितु वह राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक भी है। 19 नवम्बर, 1968 को भी उन्होंने ऐसा ही आपत्तिजनक काम किया था। तब उन्होंने एक सरकार को चलने नहीं दिया। उन्होंने उस समय बिना शक्ति परीक्षण ही विधान सभा को भग कर दिया था। इस बार भी राज्यपाल के अभिभाषण से उन्होंने दो परिच्छेद न पढ़कर असंवैधानिक काम किया है। नव निर्वाचित सरकार का यह संवैधानिक अधिकार था कि वह लोगों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताये। वे लोगों को राजनीतिक स्थिति के बारे में अपना मूल्यांकन बताना चाहते थे। अभिभाषण के दो परिच्छेद न पढकर राज्यपाल ने उनके संवैधानिक अधिकार का हनन किया है।

हमारा और संसद का यह कर्त्तव्य है कि हम लोकतन्त्रात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनायें और लोकतंत्रीय कार्यप्रणाली को मजबूत बनायें। आज हमारे लोकतन्त्र और संविधान के सामने एक चुनौती है ऐसी स्थिती में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि संसदीय प्रणाली की रक्षा की जाये, लोगों के संसदीय अधिकारों का गला न घोटा जाय। जो केन्द्रीय सरकार की

प्रेरणा से किया गया है वह निश्चित रूप से लोगों के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को मूलतः समाप्त करना चाहते हैं।

संविधान के निर्माता 20 वर्ष या 100 वर्ष बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की कल्पना संविधान बनाते समय नहीं कर सकते थे। संविधान में कुछ बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं, कुछ उसमें अन्तर्निहित होता है अथवा उससे ध्वनित हुआ करता है। भावी या नई उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतो के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध मे हमें इस बात पर विचार करना है कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां कौन-कौन सी हैं। क्या राज्यपाल स्वयं ही अपनी निन्दा कर सकता है ? क्या उसे भाषण के वे अंश पढने चाहिये जो स्वयं उसकी ही भर्त्सना करते हैं ? क्या संवैधानिक आधार पर निर्वाचित सरकार केन्द्रीय सरकार की आलोचना कर सकती है ?

जहां तक राज्यपाल के कर्त्तव्य का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 176 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्यपाल विधान मण्डल बुलाये जाने के कारण बतायेगा। यह राज्यपाल के लिए अनिवार्य होता है और उसे इस कार्य को करना होगा। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधान मण्डल के समक्ष यथास्थिति अभिभाषण देता है तो वह अपना संवैधानिक कर्त्तव्य पूरा करता है। राज्यपाल अपने अभिभाषण में आगामी वर्ष के लिए नियत वैधानिक कार्यक्रम की रूपरेखा देता है और साथ ही वह गत वर्ष की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण में यही होता है। मेरे विचार से नवनिर्मित सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। राज्य में राज्य सरकार ऐसा राज्यपाल के माध्यम से ही करती है। संविधान में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है परन्तु उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा गया कि राज्यपाल तैयार किये गये भाषण से कुछ अंश न पढे या अपनी इच्छानुसार भाषण दे। संविधान की किसी भी व्याख्या में ऐसा नहीं लिखा गया। इस दृष्टि से राज्यपाल का यह अधिकार सीमित है। उसे वही भाषण पढ़ना होता है जो मन्त्रीमण्डल द्वारा तैयार किया गया होता है। इस सम्बन्ध में परम्परा यह है कि पहले मन्त्रीमण्डल अभिभाषण तैयार करता है, और उसकी एक प्रति राज्यपाल को भेज दी जाती है। ताकि वह उसे प्रवाहपूर्ण और ठीक ढग से पढ़ सके।

श्री चव्हाण ने अपने वक्तव्य में यह तर्क दिया है कि राज्यपाल ने सम्बद्ध अनुच्छेदों पर आपत्ति उठाई थी और इस सम्बन्ध में उन्होंने मुख्य मत्री को लिखा था। मुख्य मत्री ने जब राज्यपाल की बात को स्वीकार न किया तो उन्होने उन दो परिच्छेदों को नहीं पढ़ा। मेरे विचार से राज्यपाल का यह कर्त्तव्य था कि वह उन दो परिच्छेदों को पढते। बड़ी विभिन्न स्थिति तो यह है कि श्री चव्हाण कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार राज्यपाल को परामर्श नही देती और दूसरी ओर राज्यपाल न तो ससद के प्रति उत्तरदायी है और न विधान मण्डल के प्रति। राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बनाया जाता है। वास्तव में तो वह प्रधान मन्त्री और केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल की दया पर आश्रित होता है। केन्द्रीय सरकार राज्यपाल के पद का दुरुपयोग अपने हित साधन के लिये कर रही है। इसीलिये राज्यपाल के प्रति लोगों में अविश्वास उत्पन्न हो गया है और वे इस पद को समाप्त करने की मांग करने लगे हैं। वर्तमान स्थिति में

कोई भी राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वह वही काम करेगा जिसकी अनुमति उसे केन्द्रीय सरकार से मिलती है। यदि स्थिति यही बनी रही तो लोकतन्त्र का निकट भविष्य में अन्त निश्चित है। संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्यपाल को दो परिच्छेद छोड़ने का अधिकार है। पूर्ण अभिभाषण पढना उसके लिये अनिवार्य है।

राज्यपाल को अनुच्छेद 163(2) के अधीन विवेकाधिकार दिया गया है। उस विवेकाधिकार पर न्यायालयों द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यपाल के असंवैधानिक कार्य पर दूसरे लोग कोई टीका-टिप्पणी भी नहीं कर सकते। नियम हमें इस बात से रोकते हैं कि हम राज्यपालों या राष्ट्रपति की वैयक्तिक आलोचना न करें क्योंकि हमें उन्हें उचित सम्मान देना है। संविधान में साफ तौर से लिखा है कि "विवेक" शब्द का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। आसाम को छोड़कर संविधान राज्यपाल को ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं देता कि वह जैसा चाहे करे। राज्यपाल को हमेशा अपनी मन्त्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। यह श्री सीकाई और डा० अम्बेडकर जैसे प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं द्वारा और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। श्री कामत के इस प्रश्न के उत्तर में-कि यदि किसी विशेष मामले में राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह नहीं मानता है तो क्या यह संविधान के विरुद्ध होगा डा० अम्बेडकर ने कहा था "इसमें जरा सा भी शक नहीं है।" थोड़े बहुत अन्तर के साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल की एक ही स्थिति है। इसलिये इस अवस्था में इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि राज्यपाल को अभिभाषण के कुछ अंश निकाल देने का विवेकाधिकार है। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किये गये अभिभाषण को पढ़ना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे राज्यपाल के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 163(2) द्वारा प्राप्त विवेकाधिकार का लाभ उठाकर तथा राज्यपाल को एक खास तरीके से कार्य करने के लिये कह कर केन्द्रीय सरकार ने संविधान का मजाक उड़ाया है। हमने आज नहीं अपितु 2। नवम्बर से पहिले सरकार को चेतावनी दी थी कि उन्हें राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिये। यदि उन्होंने इस चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि संयुक्त मोर्चा सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में ये कण्डिकाएं शामिल करेगी परन्तु उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। संयुक्त मोर्चा सरकार चाहती थी कि राज्यपाल को केन्द्र वापिस बुला ले। परन्तु गृह मंत्री ने घोषणा की कि "नहीं, नहीं, हम उनके अनुरोध के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं; बल्कि राज्यपाल ने गत अक्तूबर में हमसे निवेदन किया था और उसी के आधार पर हम ऐसा कर रहे हैं।" क्या कोई मूर्ख भी इस पर विश्वास कर सकता है ?

यदि सरकार सांवैधानिक आलोचना से बचना चाहती थी तो उसे निर्वाचनों के समाप्त हो जाने के बाद राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिये था क्योंकि उन्हें राज्यपाल के प्रति संयुक्त मोर्चा सरकार के रवैये की अच्छी तरह जानकारी थी। ऐसा न किये जाने के कारण केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं और संघीय शासन प्रणाली परीक्षा के दौर से गुजर रही है।

राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण से कुछ ऐसे अंश भी निकाले गये जिनमें उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना या निन्दा नहीं की गई थी। उनमें केवल राज्यपाल के काम करने के ढग पर टीका-टिप्पणी की गई थी। मुझे नहीं मालूम उन्हें ऐसा करने का परामर्श किसने दिया यदि राज्यपाल इस दुविधा में थे कि उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें बदला नहीं जा रहा है और उन्हें यह अपमानजनक कार्य करने के लिये कहा जा रहा है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह भाषण पढ़ने के लिये कह सकते थे। उस तरह भी यह स्थिति टाली जा सकती थी परन्तु वैसा भी नहीं किया गया।

बाद में राज्यपाल ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें विचित्र तर्क उपस्थित किया गया है। मैं अब भी यही कहता हूं कि राज्यपाल के लिये जो किसी दल से सम्बन्धित नहीं होता और जो राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ सकता खुले रूप से विधान मण्डल परिसर में अभिभाषण के कुछ अंशों को न पढ़ने के अपने कार्य को ठीक बताने की कोशिश करना संविधान का अपमान करना है। परंतु ऐसे राज्यपाल के लिये हमेशा ही केन्द्रीय सरकार के राजनीतिक इरादों को पूरा किया है यह सब कोई विचित्र बात नहीं है। इसके बाद राज्यपाल महोदय कहते हैं कि यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने असंवैधानिक ढंग से कार्य किया जबकि पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय ने डा० पी० सी० घोष के नेतृत्व में बनी सरकार को वैध ठहराया है। मैं नहीं समझता कि यह तर्क ठीक है। न्यायपालिका राष्ट्रपति के अन्तर्गत है। राज्यपाल का काम न्यायपालिका के कर्त्तव्यों का निर्वहन करना नहीं है। यह न्यायालय के निर्णय पर टीका करने का प्रश्न नही है। इसलिये राज्य सरकार को इस बात का संकेत करने का अधिकार था। न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जो कुछ कहा गया है वह हम पर लागू नहीं होता। हमें उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। ये तीन आलोचनाएं बिल्कुल अवैध है और उनका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इन दो कन्डिकाओं में केवल राजनीतिक बातें थी जिनके बारे में कुछ मतभेद था। राज्यपाल मन्त्रिपरिषद की सलाह मानने के लिये बाध्य है।

राज्यपाल के इस कार्य से हमारे सामने कई प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। हमें उन पर शांति से विचार करना चाहिये। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चे की सरकार से मुझे कोई प्रेम नहीं है। पहली बार जब उनकी सरकार थी तो मैंने उनके कुछ कार्यों की इस सभा में निन्दा भी की थी। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि मैं संयुक्त मोर्चा सरकार की हिमायत ले रहा हूं। मैंने तो आलोचना केवल इस कारण से की है कि ऐसे कार्यों से इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। हमारे सामने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना है अर्थात राज्यपाल का पद, यह किस तरह का पद होना चाहिये, कैसा व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये और उसे कैसे नियुक्त किया जाना चाहिये। संविधान में इस बारे में उपबन्ध नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया जाता है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के राज्यपाल के साथ कैसे सम्बन्ध होने चाहियें संविधान इस बारे में कुछ नहीं कहता। श्री नम्बूदरीपाद ने केन्द्रीय सरकार के अखिल-भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने के अधिकार को चुनौती दी है जो राज्यों को भेजे जायेंगे और राज्यों को ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति में कोई हाथ नहीं होगा। मेरी राय में श्री ज्योति बसु या श्री सुन्दरैया ने कल बंगाल में एक सार्वजनिक सभा में

श्री नम्बूदरीपाद के विचारों का समर्थन किया है। इसलिये ऐसी स्थिति में इन सब प्रश्नों पर विचार किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। राज्यपाल के पद का गौरव तथा निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमें परम्पराओं द्वारा या नियमों में संशोधन करके ऐसी प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए जिससे राज्यपाल जनता और कार्यपालिका के बीच पुल का काम दे। राज्यपाल को उनके बीच बाधा नहीं बनना चाहिये जो विधायिनी शक्तियों का भी गला घोटे जोकि जनता की एकमात्र आवाज हैं। केन्द्रीय सरकार स्वयं यह स्वीकार करती है कि राज्यपाल किसी दल से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये। इसलिये हम सबको इस बात से सहमत हो जाना चाहिये कि राज्यपाल की नियुक्ति की संसद द्वारा पुष्टि की जानी चाहिये। ऐसा करना जरूरी है ताकि राज्यपाल की निष्पक्षता पर सन्देह न किया जा सके। सरकार को श्री नाथपाई के विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये जिसका आशय यही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रवि राय (पुरी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने जोरदार शब्दों में अनुरोध किया है कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ कि प्रत्येक राजनीतिक तथा सांवैधानिक समस्या का जो देश में उत्पन्न हो बड़े ध्यान निष्पक्षता तथा शांति से अध्ययन किया जाना चाहिये। इस समय जो समस्या हमारे सामने है उसको हमें केवल अपने ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये अपितु दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करनी चाहिये। श्री द्विवेदी ने कहा है कि राज्यपाल के सामने मन्त्रीमण्डल द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार कार्य करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। एक तरह तो यह ठीक है परन्तु यदि कोई मुख्य मन्त्री चरम सीमा पर पहुंच जाये और अभिभाषण में ये शब्द जोड़ दे "कि मैं ने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया है" तो क्या राज्यपाल को उसे भी पढ़ना पड़ेगा ? वास्तव में जो कुछ हुआ है वह सांवैधानिक संकट नहीं है अपितु शिष्टाचार का संकट है। यदि कोई राज्य सरकार राज्यपाल का तबादला चाहती है तो वह प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री से अकेले में मिलकर अपना दृष्टिकोण उनके सामने रख सकती है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जबकि भारत सरकार ने किसी मुख्य मन्त्री द्वारा सुझाए गए रास्ते को मानने से इन्कार किया हो। परन्तु यहां तो मामला ही और था। राज्य सरकार ने सार्वजनिक सभा में इसे उठाकर इसे सार्वजनिक मामला बना दिया। उसने चुनौतियां दी और राज्यपाल को लोगों की दृष्टि में एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। मैं चाहता हूं वे लोग जो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में विश्वास रखते है शान्ति से इस पर विचार करें कि क्या राज्यपाल इस विवाद को उठाने के लिए सार्वजनिक सभा में पहुँचे थे या दूसरे लोग। इसलिये जब राज्यपालों को विवाद में घसीटा जाता है तो हमें गम्भीरता से यह सोचना

चाहिये कि इस के लिये कोन जिम्मेदार है। संयुक्त मोर्चा सरकार को प्रशासन चलाने का हर एक अधिकार है। परन्तु वे प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री से मिलकर यह समस्या हल कर सकते थे। समाचार पत्रों मे हमने पढ़ा है कि सयुक्त मोर्चे के नेता राज्यपाल की वैयक्तिक रूप से आलोचना करते रहे हैं। जब वे समझते थे कि राज्यपाल बुरा है और उन्होंने राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण के कुछ अंश न पढ़े जाने पर आपत्ति की थी और उनके आदर में न खड़े हो कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो उन्होने उसी राज्यपाल से इतने आदर से अपने पद की शपथ क्यों ली? उन्हें इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये। ऐसी बात नही है कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह पूर्णतया ठीक है। यदि वे समझते हैं कि यह एक सांवैधानिक मामला है, तो इस पर उसी तरह से विचार किया जा सकता है। परन्तु यदि वे प्रत्येक मामले को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं और केन्द्र से झगड़ना चाहते है तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि लोगों का बहुमत केन्द्र के साथ है, उनके साथ नही है। अनेक बार यह सिद्ध हो चुका है। यदि मध्यावधि चुनाव, परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो मालूम हो जायेगा कि सारी भारतीय जनता ने किसी एक दल का समर्थन नहीं किया है। वे मुझे उकसा रहे हैं इस लिये मैं यह सब कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस तरह से बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि दूसरी ओर के सदस्य भी उसका उत्तर देंगे और इस तरह कार्यवाही चलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। श्री द्विवेदी को शान्ति से सुना गया है। इसलिये माननीय सदस्य शान्ति से सुन रहे हैं और अपना अवसर आने पर जो वे कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री हनुमन्तैया : राज्यपाल ने कुछ अंशों को नहीं पढ़ा जिनमें उनकी आलोचना की गई थी। क्या उनका ऐसा करना उचित था? मैं अपनी राय नहीं देना चाहता यह मामला उच्च न्यायालय के सामने गया था।

उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल ने जो कुछ किया था वह ठीक था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष का निर्णय ठीक नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मित्र इन निर्णयों को भी सम्मान की दृष्टि से देखते है।

यह सभा समूचे देश के लिये कानून बनाती है। अतः हमें यहां पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए। अतः सभा का यह कार्य नहीं है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनके पक्ष में न हो तो वह उसका उल्लेख न किया करें। संयुक्त मोर्चा सरकार जानबूझ कर अध्यक्ष की कार्यवाही को उचित ठहराना चाहती थी, जिसको उच्च न्यायालय ने उचित घोषित नहीं किया था।

जैसा कि सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा है कि जहां कहीं मत भेद हो, हम सब को मिल कर उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ लड़ना ठीक नहीं है। ऐसा करना लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। माननीय मन्त्री को अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि जैसा उन्होंने कहा कि यदि वह 1972 में सत्तारूढ

हो जाते हैं, तो वे अपने मन्त्रिमन्डल को अच्छे ढंग से चला सकें। परन्तु वे प्रदर्शनों, घेरावों तथा इसी प्रकार के रवैये से अपने मार्ग में रुकावटें पैदा कर रहे है, क्योंकि समझदार लोग इन बातों को अच्छा नहीं समझते। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर वे इस प्रकार के रवैये से सफल हो जाये परन्तु अन्ततः लोग इन तरीकों से घृणा करेंगे।

राज्यपाल को इतनी आसानी से नियुक्त अथवा स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। मानलो कि यदि पश्चिम बंगाल को इच्छानुसार वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है और फिर यदि केन्द्रीय सरकार उसको बदलना चाह तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की अपनी जिम्मेदारी होती है। वह गृह-कार्य मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री से परामर्श कर सकता है। सविधान में राज्यपाल को न केवल प्रशासन चलाने अपितु संविधान की रक्षा करने का भी काम सौंपा गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मतभेद उठाये गये हैं, वे संवैधानिक नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : इस प्रश्न पर चर्चा करते समय हमें दल गत हितों को भूल जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल ने अभिभाषण के कुछ परिच्छेदों को न पढ़ कर ठीक कार्य किया है ? परम्परा यह रही है कि अभिभाषण मन्त्रिमण्डल द्वारा तैयार किया जाता है, परन्तु एक अथवा दो वाक्य अर्थात धन्यवाद अथवा प्रशसा के राज्यपाल के लिए छोड़ दिये जाते हैं।

श्री हनुमन्तैया ने कहा है कि यदि अभिभाषण में यह कहा जाये कि मैं त्याग पत्र देता हूं तो क्या राज्यपाल इन शब्दों को पढ़ेगा ? इस देश में आज तक किसी मंत्रिमण्डल ने ऐसा नहीं किया है। वास्तव में पश्चिम बगाल सरकार ने अभिभाषण तैयार किया था और उसके कुछ परिच्छेदों को राज्यपाल ने नहीं पढ़ा। इसमें से एक वाक्य यह था कि जिस प्रकार असवैधानिक तरीके से 21 नवम्बर, 1967 को लोकप्रिय सरकार को बर्खास्त किया गया था और अगस्त निकाय की मंजूरी भी नहीं ली गई थी और जिस प्रकार दलबदलुओं की अल्पसंख्यक सरकार को स्थापित किया गया था..... राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व यह शपथ लेता है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार सविधान की रक्षा करेगा और लोगों के कल्याण के लिये काम करेगा। अतः मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने जो कुछ किया वह सविधान के अनुसार नहीं था। यह ठीक है कि राज्यपाल पर संविधान की रक्षा जिम्मेदारी होती है। परन्तु क्या इस पैरा से संविधान का उल्लघन होता था ? क्या इस पैरा से लोगों के कल्याण तथा अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भग होती थी ? अतः राज्यपाल ने जो कुछ किया वह असंवैधानिक है। यह ठीक है कि सविधान के अनुच्छेद 163 में 'राज्यपाल स्वविवेक में' के शब्द दिये गये हैं परन्तु पता नहीं यह शब्द उस अनुच्छेद में ही क्यों दिये गये हैं। किसी अन्य अनुच्छेद में ऐसे शब्द नहीं हैं। यदि सविधान की भावना को पढ़ा जाये तो मालूम होगा कि राज्यपाल के विवेक पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। कोई भी बात चाहे वह राज्यपाल की इच्छा के अनुसार हो अथवा न हो परन्तु जब तक उससे सविधान का उल्लघन नहीं होता, राज्यपाल को उसे अभिभाषण में पढ़ना पड़ता है। उसको पढ़ना उसका कर्त्तव्य है।

सच यह है कि वे पैरे संविधान के विरुद्ध नहीं थे। उनमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। वास्तव में यह संविधान का नहीं बल्कि दल का प्रश्न है। अतः हमें दलगत प्रश्नों को भूल-

कर यह देखना है कि राज्यपाल के कर्त्तव्य क्या हैं। यदि आज राज्यपाल दो पैरों को नहीं पढ़ता तो कल वह अन्य दो पैरों को भी छोड़ सकता है। अतः राज्यपाल के कर्तव्यों की व्याख्या की जानी चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि अभिभाषण में कुछ भी असंवैधानिक नहीं था। केन्द्रीय सरकार की आलोचना असवैधानिक नहीं है। राज्यपाल पर केवल सविधान की रक्षा की तथा लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है जोकि राज्यपाल ने जिन पैरों को नहीं पढ़ा है उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो उनके द्वारा ली गई शपथ के विरुद्ध जाती हो। यदि राज्यपाल इसी प्रकार कार्य करते रहे तो यह सभा चुप नहीं रह सकती। इस प्रकार कोई राज्य सरकार भी अपना कार्य नहीं चला सकती। यदि यह घटना केन्द्र में घट जाये तो क्या स्थिति होगी ? इस पर विचार किया जाना चाहिये। अतः ससद को इस कार्यवाही को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं उनमें एक बात सामान्य है और वह यह कि हमारे संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल एक सवैधानिक प्राधिकारी है। आमतौर वह निर्वाचित सरकार की जो विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व है। नीतियों को घोषित करता है। मन्त्रिपरिषद की परामर्श का अनुसरण करते समय उसे सविधान के अन्य निदेशों का भी पालन करना होता है।

संविधान के अनुच्छेद 261 के अनुसार यहां पर राष्ट्रपति के अथवा विधिवत रूप से बनाये गये प्राधिकार के किसी भी सार्वजनिक कार्य में पूरा विश्वास किया जाना चाहिये और जब तक उस कार्य को गैर-कानूनी घोषित न किया जाये उसका अनुसरण किया जाना चाहिये अन्यथा कोई कानूनी सरकार कार्य नहीं कर सकती। दूसरे सभी न्यायायिक घोषणाओं में पूरा विश्वास किया जाना चाहिये और उनका पालन किया जाना चाहिये अन्यथा संवैधानिक ढांचे के टूट जाने का भय है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : What you have to say about the Kamakhayas' case. The Calcutta High Court has given its judgment in this case also.

अध्यक्ष महोदय : श्री हनुमन्तैय्या ने इस मामले का उल्लेख किया था। माननीय सदस्य को जब अवसर दिया जाएगा तब वह इस बारे में बोल सकते हैं। उनको बीच में बोलना नहीं चाहिये। माननीय सदस्य किसी विनिर्णय का उल्लेख कर रहे हैं कठिनाई यह है कि हम केवल उसी बात को सुनते हैं जो हमारे पक्ष में हो। यदि माननीय अवसर मिलने पर यदि कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं।

श्री अ० कु० सेन : जब श्री मधु लिमये यह चाहते हैं कि उनकी रिहाई सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय का पालन किया जाये तो उनको सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों का भी पालन करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी सवैधानिक सरकार टूट जायेगी। युद्धकाल हो अथवा शान्ति का समय हो सविधान की भाषा एक ही रहती है और उसकी विवेचना करना न्यायालयों का काम है हमारा नहीं। संविधान के प्रति जब भी कोई मतभेद

उत्पन्न होता है तो न्यायालय के निर्णय को ही अन्तिम निर्णय स्वीकार किया जाता है। जब श्री नाथपाई ने नवम्बर, 1967 में अजय मुकर्जी के मंत्रालय को बर्खास्त करने की राज्यपाल की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि राज्यपाल को मन्त्रि परिषद् के परामर्श पर कार्य करना होता है तो हमने तर्क दिया था कि बर्खास्त तथा नियुक्ति के मामले में वह अपने जोखिम पर ही ऐसा कर सकता है क्योंकि यदि वह ऐसी सरकार बना देते हैं जिसको विधान-मण्डल का विश्वास प्राप्त न हो तो वह सरकार हट जायेगी। परन्तु बर्खास्त होने वाली सरकार के परामर्श को स्वीकार करना संवैधानिक दायित्व नहीं है। श्री अजय मुकर्जी के मंत्रालय को बर्खास्त किये जाने तथा डा० पी० सी० घोष का मन्त्रालय बनाये जाने के पश्चात इस मामले को न्यायालय में ले जाया गया था। उच्च न्यायालय ने सभी दलों के तर्कों को सुनने के पश्चात यह निर्णय दिया था कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल के इस प्रसाद पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रसाद को वापस लेना राज्यपाल का अपना विवेक है।

संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अतः राज्यपाल ने ठीक कार्यवाही की है और उच्च न्यायालय की निन्दा करने में विरोधी दलों का कहना मानने से इन्कार कर दिया है। यह स्थान न्यायालय के निर्णय पर हंसने के लिए नहीं है। हम सभी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को रद्द नहीं कर देता तब तक राज्यपाल को इस कार्यवाही को असंवैधानिक घोषित करना आवश्यक नहीं है। ऐसा करना न्यायपालिका की अवहेलना करना होगा। किसी सरकार के लिए भविष्य सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा करने के बजाये अपने से पहली सरकार को यह कहना कि वे ब्लैंक गार्ड थे, उचित नहीं है। यदि कल कोई दूसरा दल सरकार बनाता है तो वह यह कहे कि 1958 में केरल मंत्रालय को बर्खास्त करने में पंडित नेहरू ने जो किया वह गलत था तो मेरे विचार में ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा करना संविधान की भावना के विरुद्ध जाना होगा। संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के अनेक कर्त्तव्य हैं जिनका पालन कर उसको संवैधानिक सरकार का सन्तुलन रखना होता है। यदि उसको यह कहा जाये कि वह इससे पहले की सरकार को चोर तथा काला बाजार करने वाली कहे तो क्या ऐसा कहना उसका संवैधानिक कर्त्तव्य है। मैं यह मानता हूँ कि इस कठिन स्थिति में श्री धर्मवीर को वापिस बुला लिया जाना चाहिए। इस मामले के गुणदोषों को ध्यान में न रखते हुए किसी भी सरकार के लिए कार्य करना कठिन है। यदि मन्त्रिपरिषद और राज्यपाल में मतभेद हो। अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह अच्छी प्रथाओं को बनाये रखें तभी लोकतन्त्र चल सकता है। यदि आप संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है परन्तु राज्यपाल यह नहीं कह सकता कि न्यायालय ने जिस कार्यवाही को उचित ठहराया है वह असंवैधानिक है। यह असम्भव है। हमें उचित सन्तुलन बनाये रखना चाहिए। सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। एक का स्थान दूसरा दल लेता रहेगा। परन्तु हमें स्वस्थ प्रथाओं को बनाये रखना चाहिए। लोकतन्त्र इसी प्रकार चल सकता है।

हम देश में साम्यवादी शासन लागू नहीं होने देंगे। इसके विरुद्ध हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। (अन्तर्बाधाएं) संविधान को रद्द नहीं किया जा सकता। यही एक ऐसा दस्तावेज है

जो संवैधानिक लोकतन्त्र की रक्षा करना है। देश के न्यायालयों और संसद् पर संविधान आधारित है। इसी कारण हमारा विश्वास बना रहता है और हम आशा करते रहते हैं कि यदि आज हम हार गये हैं तो कल फिर जीत जायेंगे। यही आशा हमें जीवित रखती है।

लोगों को दण्ड देने के विचार को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये और लोगों को नम्र बनाना चाहिये।

संविधान केवल आज के लिये नहीं है। यह हमेशा के लिये बनाया गया है। अतः हमें पराजय और विजय को समान रूप से स्वीकार करना चाहिये तभी संविधान चल सकता है।

राज्यपाल ने उनकी इच्छा को पूरा न कर उचित ही किया है। इस बारे में उचित परम्परा स्थापित की जानी चाहिये। हममें से कुछ लोगों का विचार है कि राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद् को परस्पर विद्रोही रूप में कार्य नहीं करना चाहिये (अन्तर्बाधाएं)

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मुझे खेद है कि भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वहां की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने गत अक्तूबर में अपना पद छोड़ने की अनुमति मांगी थी। राज्यपाल को उनके पद छोडने की अनुमति न देने से ही यह विदित होता है कि भारत सरकार वहां की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ थी।

राज्यपाल की स्थिति बहुत कठिन होती है। राज्यपाल का पद मुसीबतों से भरा होता है। दुर्भाग्यपूर्ण सरकार ने राज्यपाल का निवेदन स्वीकार नहीं किया और इसी कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।

यह बात समझ में नहीं आती कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने, जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था, ऐसा जिद्दी रवैया क्यों अपनाया जबकि मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूं कि उन्होंने न्यायिक निर्णय गैर-कानूनी या अनुचित लिये हैं। अतः इसके लिये संयुक्त मोर्चा सरकार और भारत सरकार दोनों ही दोषी हैं।

इस बारे में उचित निर्णय लेना चाहिये और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रि-मण्डल या मन्त्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करे।

प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान स्थिति में राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में से उन दो परिच्छेदों को न पढ़ा जाना उचित था अथवा अनुचित।

संयुक्त मोर्चा सरकार राज्यपाल से यह आशा करती थी कि वह अपने अभिभाषण में भारत सरकार की निन्दा करें और स्वयं अपने द्वारा की गई कार्यवाही को असंवैधानिक कहें। (अन्तर्बाधाएं)

राज्यपाल से झूठ कहलवाने का प्रयास किया जा रहा था उन पर दमन और झूठे आरोपों को स्वीकार करने के लिये जोर डाला जा रहा था। कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इसे

स्वीकार नहीं करेगा और मुझे खुशी है कि नाहि वहां के राज्यपाल ने ऐसा किया। लेकिन उन्होंने अपने कार्य के बारे में कोई न्यायोचित बात नहीं कही है। ये राज्यपाल के अभिभाषण वास्तव में क्या है ? चाहे सरकारों में परिवर्तन हो अथवा नहीं वे सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का समर्थन करेंगे। सरकार की वर्तमान समस्याओं के बारे में उल्लेख करेंगे और उनके समाधान के लिए हलों का सुझाव देंगे।

यदि जो पैराग्राफ राज्यपाल ने अपने भाषण में नहीं पढ़े, वे नीति सम्बन्धी होते तो उन को पढ़ना उनका कर्तव्य हो जाता था। लेकिन अभिभाषण में ऐसी बात पढ़ना, जिससे गलत बात को स्वीकार किया जाये, और जिसका अभिप्राय यह स्वीकार करना हो की उच्चन्यायालय गलती पर थी और राष्ट्रपति, जिन्होंने स्वयं राज्यपाल की नियुक्ति की, गलती पर थे, यह उनका कर्तव्य नहीं था।

Shri Rabi Ray (Puri) : I want to remind you that the Chief Minister of Orissa has criticized the action take by Shri Dharma Vira.

श्री नारायण दाण्डेकर : उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने प्रतिकूल विचार व्यक्त किये हैं। दल में भी भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। हमें समस्याओं का हल स्थिति के अनुसार खोजना चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने उचित कार्यवाही की है। यदि वह ऐसा नहीं करते तो इसका अभिप्राय यह होता कि वे स्वयं, उच्च न्यायालय की निन्दा करते और ये मामले सरकार की नीति से सम्बन्धित नहीं है। अत: राज्यपाल द्वारा उठाये गये कदम का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : A serious problem has arisen by omitting some paragraphs by the Governor in his address. Once this concession is given to the Governor, it would be made a practice and it would be misused in future. It is, therefore, necessary that appropriate amendments should be made in this regard in our Constitution. The relations between Centre and the States are not good. They should be improved. It is said that one cannot criticise onrself. But according to Communist Code self-criticism and self condemnation is appreciated. We should try to find out a solution how the tension between the State and the Centre can be removed.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

we consider our nation as one. There might be difference of opinions in this regard. It is, therefore, necessary that some new conventions should be set up in this regard, so that they may be followed in future. The problem of the ommission of certain peragraphs by the Governor in his address, has been a controversial issue. It is not in good task. There is lot of talk about Democratic Republic. If Government have full faith in it, it should itself first set up an example in this regard. Government should set up some healthy conventions in this regard.

The post of Governor should not be made so unpopular. The rights and powers of the Governor should be well defined and interstate disputes should be settled so that crisis may not arise in future. Appropriate regard should be shown to the Constitution. It is regreted that the full Council of Ministers remained sitting when the Governor entered the House.

श्री एस० कन्डप्पन (मंतूर) : अब समय आ गया है जब राज्यपालों पर उचित नियंत्रण किया जाना चाहिये। यदि वे यह समझते है कि उन्हें राज्य पर शासन करना है तो इसका अब समर्थन नहीं किया जा सकता। मुख्य मंत्री और राज्यपाल के सम्बन्ध मैत्री पूर्ण हैं। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि राज्यपाल सब तानाशाही शक्ति अपने हाथ में ले ले जैसे केवल वे ही देश भक्त हैं और संविधान की रक्षा करने की केवल उनकी ही जिम्मेदारी है। यह कहा गया है कि हम राज्य को उसकी मनमानी करने के लिये नहीं छोड़ सकते। उन्हें सरकार को संविधान के अनुसार चलाना चाहिये। वहां ऐसा ही किया गया है। यदि केन्द्रीय सरकार का तर्क यह हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में जासूसी करने के लिए की जाय तो यह आपत्तिजनक बात है।

यह रवैया गलत है। यह सोचना बेहूदा है कि सारी देशभक्ति केन्द्रीय सरकार में है और राज्य सरकारें देशभक्त नहीं हैं।

राज्य की राजधानी में यदि राज्यपाल नहीं भी होगा तो भी राज्य की अखंडता को कोई खतरा नहीं है। यदि राज्यपाल के न होने पर यदि कोई संवैधानिक संकट होता है तो मेरे विचार गृह मंत्री या केन्द्रीय सरकार के लिये उस संकट को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

राज्य सरकार पर संदेह करना उचित नहीं है। यह विचार खतरनाक है और इस विचार को दिमाग से निकाला जाना चाहिये।

यदि राज्य सरकारें शक्तिशाली नहीं होगी तो देश की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस दल के सदस्यों ने कहा है कि जब तक विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं तब तक वहां कोई झगड़े नहीं हुए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे सदस्य केवल एक ही दल के थे अतः उनका ठीक से सरकार को चलाना स्वाभाविक ही था।

वास्तव में यदि सरकार लोकतन्त्र के सिद्धान्तों का पालन करती तो पश्चिम बंगाल में उसका व्यवहार भिन्न प्रकार से होता। परन्तु गत दो वर्षों में कांग्रेस का रवैया यह रहा है कि किसी न किसी प्रकार से गैर-कांग्रेसी सरकारों को हटाया जाये जिससे वे वहां के शासन की बागडोर उनके हाथों में आ जाये। वस्तुतः यह कहना अनुचित है कि वर्ष 1967 के बाद दल बदलने की प्रवृत्ति आरम्भ हुई है। यह प्रवृत्ति बहुत पहले से चल रही है। कांग्रेस दल का यह दावा गलत है कि वह निष्पक्ष हैं। कांग्रेस दल केन्द्र में कृषि सम्बन्धी वस्तुओं, उर्वरकों आदि पर कई प्रकार के कर लगा रहा है तो मध्य प्रदेश में उन्हीं के दल के प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा लगाये गये भूमि विकास कर का विरोध करने के लिये 'धरना' दे रहे हैं? सिद्धान्त रूप में वह इसका विरोध नहीं कर सकते परन्तु वह ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही से यह सिद्ध होता है कि उनके मन में लोकतन्त्र के लिये कोई आदर नहीं है। हमें गैर-कांग्रेसी सरकारों के अपदस्थ होने की कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि इससे गैर-कांग्रेसी सरकारों को और शक्ति मिलती है और एक समय आयेगा जब केन्द्र में भी गैर-कांग्रेसी सरकार बनेगी। इस बात को वह स्वयं भी स्वीकार करते हैं।

वास्तव में वर्तमान झगड़ों के पीछे कांग्रेस की शक्ति प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि राज्यपाल का पद समाप्त ही कर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो उन्हें विरोधी दलों के साथ बातचीत करके कोई ऐसी परम्परा स्थापित करनी चाहिये जो सभी दलों को स्वीकार्य हो।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अपने विचार व्यक्त करते हुए कई वक्ताओं ने यह कहा है कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिये अथवा उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया बदल देनी चाहिये। यह सम्भव है कि आम राय जान कर राज्यपाल की नियुक्ति का कोई और अच्छा तरीका निकला जा सके। यह अलग बात है। परन्तु संविधान में यह लिखा है कि प्रथम सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा भाषण दिया जायेगा और राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के सम्बन्ध परम्पराओं पर आधारित है। यदि यह परम्पराएं न होती, तो अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत राज्यपाल का भाषण एक साधारण भाषण होता जिसमें विधानमंडल को बुलाये जाने के केवल कारण बताये जाते। इन परम्पराओं में कानून की कोई बात नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के लेखकों ने समय समय पर बनी इन परम्पराओं की राजनीतिक प्रथाओं के रूप में अधिकृत रूप से परिभाषा दी है जो कानून का अंग नहीं हैं। यदि हम इन परम्पराओं का उल्लघन करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब लोगों के मन में यह भावना है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की इच्छानुसार कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में संविधान में जो कुछ लिखा, वह इससे भिन्न है, संविधान के अनुच्छेद 159 में लिखा है कि राज्यपाल शपथ लेगा कि वह संविधान की रक्षा करेगा। यहां 'शपथ' शब्द का विशेष महत्व है। अन्यथा मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया गया भाषण राज्यपाल ज्यों का त्यों पढ़ दे। यदि किसी व्यक्ति की राय में ये परम्पराएं लागू नहीं होनी चाहिये तो फिर मंत्रिपरिषद को राज्यपाल का भाषण लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यवाही भी परम्पराओं पर आधारित है अन्यथा अनुच्छेद 176 लागू होगा जिसमें लिखा है कि राज्यपाल एक अभिभाषण देगा। हमें अपने संविधान को उन परम्पराओं और राजनीतिक प्रथाओं के संदर्भ में समझना चाहिये कि जो इंग्लैंड में बनी और भारत में उनका अनुसरण किया गया है। उन परम्पराओं में से एक यह है कि मंत्रिमंडल मसौदे पर विचार करता है और उसे तैयार करता है और फिर उस मसौदे को इंग्लैंड की सम्राज्ञी को विचारार्थ भेजा जाता है, भारत में इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। यह ठीक है कि सम्राज्ञी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करती क्योंकि वह कार्यवाही असंवैधानिक हो जाती है। सम्राज्ञी की तरह राज्यपाल को भी सुझाव देने का अधिकार है और राज्यपाल के पद को ध्यान में रखते हुए उन सुझावों पर आदरपूर्वक विचार किया जाता है।

समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि राज्यपाल ने भाषण को पढ़ने के बाद कुछ सुझाव दिये थे जो शायद उन पैराग्राफों के बारे में थे जिन्हें उन्होंने नहीं पढ़ा था। यदि राज्यपाल ने यह कहा है कि उन पैराग्राफों में कुछ शब्द अनुचित हैं और जिन पर उच्च न्यायालय ने भी विचार किया था और उन्हें अनुचित बताया था तो इसमें क्या गलत बात हो गई। मेरे विचार में राज्यपाल को यह कहने का अधिकार हैं कि उनके भाषण मे ये पैराग्राफ उचित नहीं है। यदि पश्चिम बंगाल सरकार सरकार द्वारा राज्यपाल के सम्बन्ध में लोगों के

मन में नाराजगी की भावना न भरी गई होती तो परम्परा के अनुसार उनके सुझावों पर आदर पूर्वक विचार किया जाता। सारी गड़बड़ इस कारण हुई है कि एक राज्य के अध्यक्ष को जो आदर मिलना चाहिये था वह इन मंत्रियों द्वारा उन्हें नहीं दिया गया। मंत्रिगण इसी लिये उनके पास जाकर शपथ लेते है क्योंकि वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। हमें पता चला है कि राज्यपाल द्वारा भाषण पढ़े जाने से पूर्व और उसका कुछ अंश न पढ़ने से पूर्व विधानमंडल के कुछ सदस्य, जिनमें मंत्री और मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हैं, अपने स्थान पर ही बैठे रहे और वे राज्य के अध्यक्ष के सम्मान में नहीं उठे (व्यवधान) यह अनुचित कार्यवाही है। यदि उन पैराग्राफों को न पढ़ने के बाद इस प्रकार की कार्यवाही की जाती तो यह बात समझ में आ सकती थी। परन्तु यह बात उससे बहुत पहले हो गयी मंत्री मंडल के सदस्यों में राज्यपाल के प्रति नाराजगी थी अतः उनके सम्मान की कोई परवाह नहीं की गई। इस गड़बड़ का यही कारण है। जो संविधान और उसके साथ सम्बद्ध परम्पराओं की बातें करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिये कि परम्परा एक नहीं है, वह सिद्धान्तों का संकलन है। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाता तो यह गड़बड़ होती ही नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि 6 मार्च की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये राज्यपाल ने जो कार्यवाही की थी, उसकी निन्दा इस सभा में नहीं की जानी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : मैं विधि मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हम एक संसदीय गणतन्त्र के नागरिक हैं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने पिछली बार बहुत शोर मचाया था... (व्यवधान)

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री शिव नारायण ने कभी देखा है कि श्री मुकर्जी ने कभी शोर मचाया हो ? हमें उनका आदर करना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री के समर्थन और सहायता से जो कार्यवाही की है उससे संविधान की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। विधि मंत्री द्वारा दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि राज्यपाल का भाषण इंग्लैंड की सम्राज्ञी के भाषण की तरह है और राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया नीति सम्बन्धी दस्तावेज होता है। अब प्रश्न यह है कि इस दस्तावेज को किसे तैयार करना चाहिये। श्री बसु, न्यायाधीश ने लिखा है कि राज्यपाल छठी अनुसूची में आसाम से सम्बन्धित कुछ मामलों को छोड़कर अपनी इच्छानुसार कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। उन्हें केवल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है।

यह कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार को अपदस्थ किये जाने के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और इस सम्बन्ध में सम्भवतः कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्भव है कि वह इस तर्क से सहमत हों परन्तु आम जनता पर

उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। यह एक अलग बात है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वह उचित थी या नहीं परन्तु उन्होंने अपने मामले को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह उनका अधिकार है। राज्यपाल का कर्तव्य है कि मन्त्री परिषद द्वारा उसे जो भाषण तैयार करके दिया गया है वह उसे पढ़े।

विधि मंत्री ने हमें बताया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कुछ मामलों को मंत्रि-परिषद द्वारा पुनः विचार करने के लिये वापिस भेजा है। हमें यह पता नहीं कि उन मामलों पर उसी सम्मान के साथ पुनर्विचार किया गया या नहीं। परन्तु राज्यपाल ने इस प्रकार का व्यवहार किया था जिसे जनता सहन नहीं कर सकती। राज्यपाल के सुझावों पर शायद इस लिये सम्मानपूर्वक विचार नहीं किया गया क्योंकि राज्यपाल इस योग्य ही नहीं हैं कि उनका सम्मान किया जाये। क्या सरकार लोकतंत्रात्मक सरकार के विरुद्ध बदले की भावना से इस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दे रही है ?

मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ऐसी स्थिति खड़ी करना चाहती है कि जिसमें केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्ध ठीक न रहें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में संघीय प्रणाली है। हो सकता है केन्द्र कुछ राज्यों को पसन्द न करे। परन्तु लोकतन्त्र के लिये हमें संविधान का पालन करना है। समाचार-पत्रों में अनेकों बातें प्रकाशित होती हैं। कुछ लोगों ने राज्यपाल की सराहना की है।

मुझे यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री जब दिल्ली आये थे, तो उस समय सादे कपड़ों में पुलिस वालों को, केन्द्रीय सरकार ने उनका पीछा करने के लिए भेजा था।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह गलत है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ पत्रकारों ने बताया था।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की बात का उल्लंघन करके एक असंवैधानिक कदम उठाया है। यह सर्वथा अनुचित है। अतः इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। मेरे विचार में तो उन्हें ठोकर मारकर बाहर किया जाना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं कोई बड़ा अधिवक्ता नहीं हूं, परन्तु मैं संविधान सभा का सदस्य रह चुका हूं। अब हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं हैं कि क्या राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं अथवा नहीं। और क्या राज्यपाल महोदय ने उनका ठीक प्रकार से प्रयोग किया है अथवा नहीं। राज्यपाल ने दो पैरों को न पढ़कर ठीक किया अथवा नहीं ? मुख्य प्रश्न तो यही है। इसमें भारत सरकार अथवा गृह मंत्री ने क्या किया अथवा कर सकते थे अलग बात है। इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है। जहां पर कानून नहीं होता वहां सामान्य ज्ञान को समक्ष रखा जाता है। इस मामले में हमें इसको ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिये।

इस प्रकार का प्रश्न पहले किसी लोकतन्त्र में खड़ा नहीं हुआ है। यह इस प्रकार का एक नया मामला है।

मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने राज्यपाल को पीटा नहीं और उसका घेराव नहीं किया गया। साथ ही मैं राज्यपाल को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विरोधी वातावरण में भी अपना अभिभाषण पढ़ा। भारत में सरकार एक संविधान के अनुसार कार्य करती है। उसके अन्तर्गत ही कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि संविधान में कोई त्रुटि है तो उसे संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति कोई भी राज्यपाल होता वह ऐसे ही करता जैसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने किया है।

हमारे मित्र परम्परा की बात करते हैं परन्तु एक राज्यपाल से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं अपनी निन्दा की बातें पढ़े।

राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करते समय सम्बन्धित राज्यों से सलाह की जाती है। इनकी नियुक्ति भी उस समय की सरकार की सलाह से की गई होगी। अतः इसका इस समय कोई महत्व नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री ने इस मामले में क्या किया ? इस प्रश्न का अब हमारे सामने कोई महत्व नहीं है। यदि किसी को उनके विरुद्ध शिकायत है तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है राज्यपाल से अपनी ही निन्दा करवाना अनुचित था। एक अपराधी भी अपने मुंह से अपनी निन्दा नहीं करता। अतः मेरे विचार में जो कुछ भी राज्यपाल ने किया है ठीक किया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : श्री मुकर्जी ने गृह मंत्री को दोषी ठहराते हुए ब्रिटेन के उदाहरण दिये हैं। हमें समझ लेना चाहिये कि हम बीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं और ब्रिटेन के अनेक शताब्दियों पहले के उदाहरण अब लागू नहीं होते। पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल को कोई महत्व नहीं देना चाहती थी परन्तु उसका संविधान के अनुसार विशेष स्थान है। संविधान की धाराओं का पालन करना उसका कर्त्तव्य है। जो कुछ राज्यपाल महोदय ने किया, बिलकुल उचित है। उन्होंने संविधान की मर्यादा में रहते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मंत्रिपरिषद उनके द्वारा ऐसी बात असंवैधानिक कहलाना चाहती थी जिसे उच्च न्यायालय ने संवैधानिक घोषित किया था। मंत्रिपरिषद ने तो यह भी कहा है कि जो दो पैरे राज्यपाल ने नहीं पढ़े वे भी सभा की कार्यवाही का भाग हैं। यह कैसे हो सकता है। जो बात सदन में कही ही न गई हो वह कार्यवाही का भाग कैसे हो सकती है।

मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल संविधान के अनुसार कार्य किया है बल्कि ऐसी परिस्थितियों में अपना कर्त्तव्य निभाया है जिसमें उन्हें स्वयं खतरा हो सकता था। इस सदन को उनकी सराहना में बात करनी चाहिये।

पश्चिम बंगाल सरकार संविधान में अधिक आस्था नहीं रखती। उससे हमें बहुत कम आशाएं हैं। राज्यपाल के समक्ष उन्होंने संविधान के पालन की शपथ ली है। फिर उसी राज्यपाल से गलत बात कहलाना उचित नहीं था। राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह देखे कि सत्ताधारी दल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। यदि वह देखता है कि ऐसा नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकते हैं।

इस मामले में राज्यपाल ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो संविधान के विरुद्ध जाता हो। इस सभा को चाहिये कि राज्यपाल की सराहना करे। राज्यपाल ने, जो कुछ किया है, ठीक किया है। उन्हें तो केवल वही पढ़ना था जो नीति और कार्यक्रम से सम्बन्धित था। अनुचित बात को छोड़कर उन्होंने ठीक ही किया है।

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : यह बात कही गयी हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार राज्यपाल से चाहती थी कि वह अपनी स्वयं निन्दा करें। परम्परा के अनुसार राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की बात माना जाता है। यदि उस अभिभाषण में उनके विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो वह मंत्रिपरिषद् की बात होगी। अतः अपनी निन्दा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विधि मंत्री ने कहा है कि राज्यपाल के भाषण सरकार की नीति स्पष्ट की जानी चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूँ कि वह नीति वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह इस नीति की घोषणा थी कि सरकार ऐसी सभी कार्यवाहियां करने के लिये दृढ़ संकल्प है जिन में यह सुनिश्चित हो कि ऐसे लोग जिन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिये, लोगों की इच्छा की पुनः अवहेलना न करें।

कोई और तर्क न होने के कारण लोग उच्च न्यायालय के निर्णय की बातें कर रहे है, मैं यह बताना चाहता हूं कि मामला किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। नवम्बर, 1967 की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्न जनता की प्रभुसत्ता का मूलभूत प्रश्न है। प्रभुसत्ता का अर्थ यह है कि लोगों पर उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन हो जिन पर उन्हें विश्वास है। परन्तु नवम्बर में इस राज्यपाल ने ऐसे लोगों को सत्तारूढ़ करके, जिनको जनता का विश्वास प्राप्त नहीं था, संविधान का उल्लघन किया है। हाल ही के चुनाव में इसी प्रश्न पर लोगों ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि राज्यपाल ने जो कुछ किया है, वह जनता की प्रभुसत्ता का उल्लघन है। जनता की प्रभुसत्ता के मामले में जनता की राय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है।

आज के समाचारपत्रों से पता चलता है कि कई कांग्रेसी सदस्य भी नवम्बर की घटनाओं को उचित ठहराने के लिये तैयार नहीं है। यह सरकार जानती थी कि ऐसा राज्यपाल मन्त्रि मडल के साथ कार्य नहीं कर सकता। इसलिये उन्हें सब से पहले यह करना चाहिये था कि जैसे ही यह मंत्रिमण्डल बना, उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिये था कि राज्यपाल को वापस बुलाया जा रहा है परन्तु वे ऐसा करने के लिये तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने किसी

अन्य राज्य में जाने की इच्छा व्यक्त की है और उनकी प्रार्थना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि इसका क्या अर्थ है। अब तो झूठे सम्मान पर नहीं रहना चाहिये।

Shri Janeshwar Mishra (Bhulpur): Mr. Speaker. Sir, this morning I was talking to an hon. and old Member. I asked him why the people called him Governor ? He said **Those who are appointing me as Governor as joking with me**. I do not know that** However, those who have appointed Shri Dharma Vir as Governor as making a joke on the Constitution.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : On a point of Order. The words ** are unparliamentary.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को भाषण जारी रखने दिया जाये।

Shri Tulshi das Jadhav : It is not proper to use such words in this august House. We are prepared to listen to his maiden speech. But if he uses such words, we will not allow him to proceed.

Shri Janeshwar Mishra : Shri Dharamvir has violated the constitution in Bengal and, therefore, I condemn it. It is a very bad act.

The Central Government is using the office of Governor for violating the provisions of the Constitution and make a mockery of the wishes of the people. The House should consider the proposal for curtailing the powers of the Governor. Even if the office of Governor is abolished, it will not be wrong.

The Governor are adopting double standars. It appears that the Central Government is maintaining a ** in the shape of Governor in order to violate the Constitution and make a mockery of the desires and ambitious of the people.

श्री रणधीर सिंह : माननीय सदस्य राज्यपाल को ** कह रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

Shrimati Sushila Rohatgi (Bilhaur) : This word is not Parliamentary and the hon. Member should not use such a word.

Shri Janeshwar Sharma : The Governor has been vested with powers under schedule 6 and Article 336 and 200 of the Constitution. The discretionary powers of the Governor have been well defined. However, now here in the Constitution it has been stated that the Governor can leave certain portions of his address, which is a policy statement of the State Government. Even in accordance to the convention in this regard,

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
** Expunged as ordered by the chair.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
** Expunged as ordered by the chair.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
** Expunged as ordered by the chair.

the Governor is supposed to read the whole text of the address prepared for him by the Cabinet.

It appears to me that the Congress Party is loosing in the States and they are trying to stretch the Constitution in order to conceal their defeat and save their face and for this purpose the Governor and other officers are being clothed with wide powers. After my election I had said in a public meeting in my constituency that this victory is a victory for putting an end to Congress Party in 1972. But now it appears that people will not tolerate them even for a moment.

After the Governor of West Bengal had skipped over certain passages of address to the Assembly, he should have been recalled by the Governor. I would like to know what would be the policy of this Government if the President skips over a few lines of the Address prepared by the present Government. You shall consider this question. If the Governor had been recalled, that would have enhanced the prestige of the Government

The Governor is the agent of the President who appoints him on the advice of the Central Government. As such, the Central Government should be held responsible for his acts of omissions and commissions and therefore, the Union Government should be dismissed.

श्री रा० ढो० भण्डारे : नियम 380 के अन्तर्गत शब्द गद्दार तथा ** कार्यवाही वृत्तान्त में निकाल दिये जाने चाहिये । राज्यपालों के बारे मे ** कहा गया । यह तीनों शब्द निकाल दिये जाने चाहिये ।

श्री मनुभाई पटेल (उमाई) : "एजेन्ट" शब्द भी निकाल दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पहला शब्द तो वास्तव में खराब है और उसे निकाल दिया जायेगा । दूसरे शब्द के बारे में मैं नहीं जानता कि उसे राज्यपालों के लिये सामान्य रूप मे प्रयोग किया गया है अथवा किसी विशेष राज्यपाल के लिये । यदि किसी विशेष राज्यपाल के लिये है तो उसे भी निकाल दिया जाना चाहिये ।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur) : Let me say that there was a time when a class of leaders emerged in West Bengal who guided not only the Bengal but also India as a whole. Bengal had leaders like C R. Dass, Subhash Chandra Bose Dr. Shyam Prashad Mukerjee. Bengal has her own traditions The reason for the present state of affairs is largely due to this fact that there is no leader at present in Bengal of that status. I do not blame Bengal for this but I hold the people responsible the present vacuum in leadership.

The second thing I want to suggest to the leaders of Central Government that while appointing the Governors they forgot that a time might come when there would be non-Congress Governments in some States and it is imperative to have consultation with them on this issue. Had the Government observed the convention of the Constitution at that time then West Bengal would have no reason to complaint.

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

** Expunged as ordered by the chair,

I would like to mention few occasions when the posts of Governors were misused. Rajasthan can be quoted as an example. The Governor of that state remained pious the whole life but his post was misused to place the Congress in majority. The Congress should search their heart to see if they are not at fault.

I want to mention specifically about the United Front Government and the Governor of West Bengal. At the time of drafting the Constitution it was said regarding the Governor that he should be a elected representative. But the members of the Constituent assembly protested this on the ground that the hands of the Centre would be weakened. So it was decided that the President would appoint the Governor. Now the Secretary of the Communist Marxist party Shri Sunderya had said that the Governor should be elected. I think the intention of Shri Sunderaya is to weaken t e hands of the Centre. His target is not the Governor but the Central Government and the Constituti n of India.

The second important thing is the two paragraphs of the statement which the Governor of West Bengal did not read out or skipped. Now the House will decide whether it is right or not on his part in doing so.

The Assembly of West Bengal passed a motion of Thanks on the Address of the Governor. But it was added in the motion that this House thanks the Governor with regret. This is not understandable. On the one hand the Honse is thanking the Governor and on the other hand he is being criticized by the House.

I want to say that the discontentment against the Governor of West Bengal was invited by the Prime Minister herself. Some one asked her, when she was in Shanti Niketan University to deliver a convocation speech what she would like to say regarding the removal of the Governor. The Prime Minister told that nobody had yet sent the request in writing. Had the Prime Minister said that the Governor was a elected representative of the President then the picture would have been different. This Government have created such unhealthy conventions in this way from time to time.

At the time of election of the Prime Minister all the Chief Minister were called here. Their influence was utilized in the election and the members were neglected. If you remove the Governor of West Bengal at the instant of Government of West Bengal then the result will not be good. You had told that there was no intention of the Government to remove him from his office upto 6 march. You should have spoken categorically that how could the deadline be fixed. Instead of this he had said that there was intention of removing him upto 6th march. I want to say to the Government that if they remove the Governor at the instance of the Government of the West Bengal then it would be a very bad precedent. This will create discontentment. Such demands are going to take place in Madhya Pradesh and Bihar I would like to submit to the President that if he is unable to protect the dignity and honour of his representatives in the states these posts of the Governors should be abolished.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : वाद-विवाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसमें संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की स्थिति के बारे में कहा गया है और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल द्वारा वक्तव्य के दो अंश छोड़ देने के बारे में चर्चा की गई है ।

मैं इस वाद-विवाद को सुनने इसलिए आया हू क्योंकि हम किसी स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं, निश्चय ही सरकार के पास अपने तर्क हैं परन्तु मैं व्यक्तिगत रुप से यह देखने आया हूं कि क्या इस वाद-विवाद से अन्तिम निर्णय निकल सकता है। जो चर्चा हम कर रहे है

वह निश्चय ही राजनीतिक नहीं है। मामला यह था कि 1967 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने जो कार्यवाही की थी वह संवैधानिक थी या नहीं, इस पर कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया था। इस निर्णय के सही या गलत होने के बारे में चुनौती केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

संविधान में संशोधन करने का अधिकार इस सभा को है न कि विधान सभा को। विधान सभाओं की अपनी शक्तियां होती हैं और वे अपने ही क्षेत्र में सर्वप्रभुत्व संपन्न होती हैं परन्तु संविधान की व्याख्या करने और संशोधन करने का उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, इस मामले में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है। राज्यपाल के मुंह से ये शब्द कहलवाकर वे संविधान की मनमानी व्याख्या करें—यह पूर्णतया असंवैधानिक स्थिति है।

विधान मण्डल का अधिवेशन आरम्भ करने के अवसर पर राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसके स्वरूप और प्रकृति के संवैधानिक पहलू पर विचार किया गया था। यह नीति की सार्वजनिक घोषणा थी जिसका कि आगामी वर्ष में अनुसरण करना था अगर हम पूरा वक्तव्य पढ़ जाते तो यह गत वर्षों के कार्यों के बारे में सम्बन्धित होता परन्तु अभि-भाषण के उद्देश्य भविष्य और वर्तमान के कार्यों के बारे में कहना है।

एक माननीय सदस्य : इसका निर्णय किसको करना है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका संविधान में निर्णय कर लिया गया है। इस वक्तव्य में आह्वान के कारणों को दिया गया है स्वभाविक रूप से इसमें वर्तमान और भविष्य के बारे में कहा गया है। राज्यपाल से यह आशा नहीं की जाती है कि वह इतिहास लिखे, संविधान में इसके बारे में स्पष्ट दिया हुआ है।

मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे पश्चिमी बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो। मैं ऐसा वक्तव्य भी नहीं देना चाहता जिससे दोनों के मध्य कटुता की भावना आये। राज्यपाल के विरूद्ध कई अनुचित बातें कहीं गई हैं परन्तु मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के अपने संवैधानिक अधिकार हैं और इसी संवैधानिक अधिकार के अन्तर्गत उनको पश्चिमी बंगाल के विकास के उस परमादेश का प्रयोग करना है। ऐसा करने का उन्हें अधिकार है परन्तु मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि उनमें हार की भावना क्यों है जबकि उन्होंने विजय प्राप्त की है। वे राज्य प्रमुख को इस प्रकार क्यों नीचा दिखा रहे हैं ? वास्तव में राज्यपाल ने भारत सरकार और प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि वह व्यक्तिगत कारणों से इसमें परिवर्तन चाहते हैं और यह कहा गया कि भारत सरकार उनके अनुरोध पर विचार कर रही है।

डा० सूर्य प्रकाश पुरी (नवादा) : यह अनुरोध प्रधान मंत्री को न कर राष्ट्रपति को करना चाहिए था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रधान मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। संविधान में ऐसा कहा गया है। इस प्रकार का व्यक्तिगत तनाव व कटुता उत्पन्न करना अभीष्ट नहीं है। यह जो विवाद उठ खड़ा हुआ है इस सरकार तथा सभा के लिए शोभनीय नहीं है, यह एक कटु घटना हुई है और मैं चाहता हूँ कि सभा इसको भूल जाये, इस मामले का संवैधानिक पक्ष स्पष्ट है परन्तु मैं इस मामले के राजनैतिक पहलू पर बात कर रहा हूं, कई सदस्यों ने इसकी भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की है, श्री हीरेन मुखर्जी चार्ल्स, रिचर्ड, एडवर्ड आदि के मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं परन्तु हमें वर्तमान और भविष्य को देखना चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों ने विजय प्राप्त की है अतएव इसको बंगाल की भलाई व उत्थान में लगाइये और अन्य राज्यों के साथ बंगाल के सम्बन्ध को मजबूत बनाइये और अन्त में इस देश की एकता तथा प्रजातंत्र में दृढ़ता आयेगी। मैं यह कहना चाहूँगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार विजयी होकर भी हार की भावना को छोड़ना नहीं चाहती। उनमें विजेता होने का भाव आना चाहिए, क्यों वे इस तरह के महत्वहीन विवाद को आरम्भ करते हैं। हमें रचनात्मक कार्यक्रम अपनाना चाहिए और भारत के लोगों की भलाई में लगना चाहिए अनावश्यक रूप से अन्य पहलुओं में जाना तथा और अधिक कटुता पैदा करने वाली बातों को दूर करना चाहिए।

श्री एस० कन्दप्पन (मैसूर) : अगर राज्य सरकार यह कहती है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए तो निश्चय ही उसको यह अधिकार नहीं है कि स्वयं इसमें संशोधन करे परन्तु वह इसके लिए अनुरोध कर सकती है। क्या ऐसा करना अनुचित है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि राज्य को अनुरोध करने का अधिकार नहीं है। मेरा यही कहना था कि राज्य विधान सभा संविधान में संशोधन तथा उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। क्या आप विशेषकर राज्यपाल के पद के व्यक्ति से यह आशा कर सकते हैं कि वह आगे आकर यह कहे कि मैंने यह सारी गल्तियां की थी। यह समझ में न आनेवाली बात है।

जैसा कि मैंने कहा है कि मैं इस मामले में और अधिक कहकर संयुक्त मोर्चा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के सामने समस्याएं नहीं खड़ी करना चाहता। मैं माननीय प्रस्तावक से कहूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें और अगर विरोधी सदस्य ऐसा नहीं करते तो माननीय सभा से इसे अस्वीकार करने का अनुरोध करूंगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अगर गृह मंत्री महोदय वाद-विवाद में उठाये हुए बातों का उत्तर देते तो यह प्रभावशाली होता परन्तु उन्होंने एक राजनीतिक वक्तव्य दिया, सम्भवतः उनके पास इसका उत्तर देने के लिए कुछ न था। मुझे यह आशा थी कि संविधान के ज्ञाता श्री अ० कु० सेन यह बतायेंगे कि संविधान में यह कहां है कि राज्यपाल इस प्रकार से मनमाना प्रयोग कर सकता है और न किसी ने यह बताया है संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के पास अंश को निकाल देने अथवा छोड़ देने का अधिकार है।

श्री मोरीसन का उद्धरण देते हुए श्री गोविन्द मेनन ने यह स्वीकार किया कि मंत्रिमंडल मसौदे को तैयार करता है और यह राज्यपाल के पास सुझाव के लिए भेजा जाता है, यही उन्होंने कहा है। परन्तु उन्होंने यह कहीं नहीं बताया है कि किस अधिकार के अन्तर्गत यह आता है कि राज्यपाल वक्तव्य में कोई आपत्तिजनक बात होने पर उसे पढ़ या छोड़ सकता है, इसके अलावा उन्होंने यह अंश छोड़ ही दिया कि राज्यपाल मंत्रिमंडल द्वारा तैयार मसौदे में आपत्तिजनक बात होने पर भी उसे छोड़ या बदल नहीं सकता अगर मंत्रिमंडल ऐसा करना न चाहती हो, इस सारे प्रश्न पर विचार करना हैं। हमें सबको इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या राज्यपाल का पद ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग मे लाया जाये अगर नहीं तो हम संविधान के अन्तर्गत उन्हें दी गई गरिमा व पद को कैसे बनाए रख सकते हैं।

मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में यह कहा गया था कि विधान सभा अथवा विधान मंडल को छोड़कर अन्य को बिना बहुमत की परीक्षा किये निर्वाचन सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। यही निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन का फैसला है जिसमें सभी विधान सभाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि राज्यपाल ने यह गल्ती की थी। राज्यपाल के लिए यह अनावश्यक है कि वह इस प्रकार कार्य करे मानो कि वह केन्द्र के राजनीतिक व्यवस्था का संरक्षक है, उसे अपने पद की गरिमा बनाये रखने के लिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि संविधान का उल्लंघन होता है।

इस वाद-विवाद का यही सारांश निकलता है कि इसमें उठाये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, जब तक हम इस प्रकार के आचरण का विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार यह अनुभव नहीं करेगी कि वह संविधान का उल्लघन कर रही है।

अतः मैं उनके प्रस्ताव वापिस लेने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता हूं मुझे आशा है कि सभा मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री मुकर्जी का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए पेश कर सकता हूं ?

श्री हो० ना० मुकर्जी : चूंकि प्रस्तावक ने एक अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है अतः मैं अपने प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराना चाहता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Substitute motion was, by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री रवि राय अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर मतदान चाहते हैं ?

श्री रवि राय : जी नहीं

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Substitute motion was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं भी अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The Substitute motion was, by Leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The substitute motion was put and negatived

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति की इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 11 मार्च, 1969/20 फाल्गुन 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 11, 1969/Phalguna 20, 1890 (Saka)